



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIRUDDIN S/O BADARUDDIN

पता A.39/304-2-C Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391522-- Property Id. 1A390006002

Latitude 25.33478556130

Longitude 83.02466917120

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-2-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,864.0** व सामान्य कर **315.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 12,845.00               |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1258,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,006.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr        |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,744.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,744.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 852.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RIYAZUDDIN S/O MOHD.IDRIS

पता A.39/302-A-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391512-- Property Id. 1A390008001

Latitude 25.33528466650

Longitude 83.02469915600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/302-A-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,304.0** व सामान्य कर **1,023.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार        | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 9,800.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_&lt; 120Sq.Ft |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                    |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2430,C= 70                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,944.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                           |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,518.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,518.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,597.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                            |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम WAKIL AHAMD S/O LATE MUKHTAR AHAMAD

पता A.39/301-A-5-K- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391508-- Property Id. 1A390012001

Latitude 25.33571730860

Longitude 83.02476795580

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/301-A-5-K- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,750.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1500,C= 250          |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,200.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr        |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 22,743.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 22,743.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,502.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.NOOR S/O MD.MAHMUD

पता A.39/301-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391507-- Property Id. 1A390012002

Latitude 25.33571730860

Longitude 83.02476795580

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/301-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,306.0** व सामान्य कर **1,464.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,898.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1680,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,344.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 24 Mtr Above                 |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 1.40                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,548.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,548.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,490.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI BAIS AHAMAD KHAN S/O HAZI NIYAJ AHAMAD KHAN

पता A.39/301-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391509-- Property Id. 1A390012003

Latitude 25.33571730860

Longitude 83.02476795580

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/301-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,990.0** व सामान्य कर **549.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,898.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 640,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 512.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 24 Mtr Above                 |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 1.40                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,161.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,161.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 568.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABID KHAN,ARIF KHAN,ASIF KHAN S/O SHAMSHIR KHAN

पता A.39/301-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391506-- Property Id. 1A390014001

Latitude 25.33581552260

Longitude 83.02484522110

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/301-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2700,C= 300              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,160.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 24 Mtr Above                |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 1.40                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 52,920.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 52,920.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 7,938.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL GAFFUR S/O MOHD.MAQSUD

पता A.39/300 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391503-- Property Id. 1A390015001

Latitude 25.33594060370

Longitude 83.02478553660

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/300 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **27,418.0** व सामान्य कर **3,016.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,700.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 1500            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 24 Mtr Above            |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 1.40                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,28,520.00             |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,28,520.00             |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 19,278.00               |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DHANRAJ SONKAR, SANTOSH KUMAR SONKAR, GAJRAJ

पता A.39/299-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391502-- Property Id. 1A390016002

Latitude 25.33602792970

Longitude 83.02479815810

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/299-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,802.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,913.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 484, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 387.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr        |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,648.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,648.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 291.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Smt Munni Devi

पता A.39/299 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391480-- Property Id. 1A390017001

Latitude 25.33609454240

Longitude 83.02474011250

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/299 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,658.0** व सामान्य कर **1,502.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,200.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1000,C= 200          |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 800.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 24 Mtr Above            |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 1.40                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 25,200.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 25,200.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,772.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJURRAHMAN S/O HAJI MOH.USMAN

पता A.39/293-A-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391478-- Property Id. 1A390019001

Latitude 25.33615356360

Longitude 83.02474619570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/293-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 520.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_&lt; 120Sq.Ft Commercials |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 440,C= 80                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 352.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,405.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,405.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 485.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUDDIN S/O LATE ABDUL MAJEED

पता A.39/295 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391474-- Property Id. 1A390023001

Latitude 25.33635039770

Longitude 83.02473685040

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/295 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,729.0** व सामान्य कर **960.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 600.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600,C= 600               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 480.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 24 Mtr Above                |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 1.40                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 59,472.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 59,472.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 8,921.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NESAR AHAMD S/O MOHD ISRAEL

पता A.39/127-R-N-8 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390032-- Property Id. 1A390024001

Latitude 25.33652521620

Longitude 83.02476232570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-R-N-8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **900.0** व सामान्य कर **99.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,630.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Vland )   | GF_Vacant Plot          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | Not Applicable          |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0                  | R= 0,C= 0               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr        |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.20                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,712.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,712.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 958.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम CHEDI ALL S/O LATE CHANDRIKA KALLU & RAJU SS/O LATE RAM

पता A.39/1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390142-- Property Id. 1A390028001

Latitude 25.33705097600

Longitude 83.02451046490

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,180.0** व सामान्य कर **1,560.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,439.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 612,C= 306                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 490.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,140.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,140.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,325.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD SALIM S/O ENUL HAK

पता A.39/324-F-S-E-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391806A Property Id. 1A390043002

Latitude 25.33337934690

Longitude 83.02761879650

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-F-S-E-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,276.0** व सामान्य कर **360.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,571.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 702,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 562.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,285.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,285.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 361.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIJURRAHMAN S/O LATE KAMRUDDIN

पता A.39/324-F-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391773-- Property Id. 1A390049001

Latitude 25.33348578710

Longitude 83.02756993990

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-F-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,574.0** व सामान्य कर **283.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 572.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 572,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 458.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,677.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,677.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 294.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BRIJ KISHORE MAURYA S/O LATE RAM NATH MAURYA

पता A.39/325-A-7 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9264920928

MIS Id. 07391144-- Property Id. 1A390055001

Latitude 25.33336727170

Longitude 83.02729411460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/325-A-7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,546.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 3,500.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 4000,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 3,200.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,976.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 14,976.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,647.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAVI KANT GUPTA S/O LATE RAM DAS GUPTA BINA GUPTA W/O LATE

पता A.39/324-A-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391808-- Property Id. 1A390055002

Latitude 25.33336727170

Longitude 83.02729411460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **15,987.0** व सामान्य कर **1,759.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 14,837.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 4284,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,427.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 16,039.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 16,039.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,764.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RADHA DEVI W/O DWARIKA PARSAD, VIJAY KUMAR, MANOJ KUMAR,

पता A.39/325-K-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391808A Property Id. 1A390055003

Latitude 25.33336727170

Longitude 83.02729411460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/325-K-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,423.0** व सामान्य कर **487.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 14,837.00               |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1056,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 845.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,448.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,448.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 489.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GANGA PRASAD S/O LATE JAGAR NATH

पता A.39/325-K-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391568-- Property Id. 1A390058001

Latitude 25.33353137090

Longitude 83.02685858830

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/325-K-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **16,380.0** व सामान्य कर **1,802.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,706.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3528,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,822.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 16,511.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 16,511.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,816.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL JABBAR MOHD UMAR MARHUMMOHD MOINUDDIN &

पता A.39/324-F-M-9 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391785A Property Id. 1A390059001

Latitude 25.33356834100

Longitude 83.02752899700

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-F-M-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,931.0** व सामान्य कर **432.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,556.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1056,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 845.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,954.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,954.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 435.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BRIJESH KUMAR S/O GHANSHYAM DAS

पता A.39/323-G Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391805-- Property Id. 1A390062001

Latitude 25.33360244670

Longitude 83.02762902140

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/323-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,100.0** व सामान्य कर **341.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,400.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1200,C= 1200                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 960.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 34,258.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 34,258.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,768.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PRAKASH SINGH S/O GANGA PRASAD KAVITA VERMA W/O PRAKASH

पता A.39/325-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391563-- Property Id. 1A390065001

Latitude 25.33359490310

Longitude 83.02593950550

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/325-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,360.0** व सामान्य कर **1,030.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 4,275.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2516,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,013.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,420.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,420.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,036.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MANI SANKAR SINGH

पता A.39/325-K-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391561-- Property Id. 1A390069001

Latitude 25.33367576200

Longitude 83.02580689530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/325-K-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,084.0** व सामान्य कर **339.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1600,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,990.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,990.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 659.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LALJI KUSHWAHA,GOPAL JI SS/O LATE SANKATHA PRASAD

पता A.39/325 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9415267005

MIS Id. 07391788-- Property Id. 1A390069002

Latitude 25.33367576200

Longitude 83.02580689530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/325 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2400,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,920.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,976.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,976.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,647.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI SHAMIULLA S/O ABDUL RAHMAN

पता A.39/324-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9628147276

MIS Id. 07391782-- Property Id. 1A390071001

Latitude 25.33370668730

Longitude 83.02675359260

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,287.0** व सामान्य कर **142.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 3,000.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 360,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 288.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,348.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,348.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 148.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HABIBUNISSA W/O ABDUL REHMAN

पता A.39/324-A-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391783-- Property Id. 1A390076002

Latitude 25.33364503400

Longitude 83.02708661220

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-A-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 5,132.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2516,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,013.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,420.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,420.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,036.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMJAN ALI S/O LATE MATIULLA

पता A.39/324-E-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391784-- Property Id. 1A390076003

Latitude 25.33364503400

Longitude 83.02708661220

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-E-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 5,132.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1512,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,210.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,661.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,661.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 623.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SAMAD S/O AMANTULLA

पता A.39/324-F-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391785-- Property Id. 1A390076004

Latitude 25.33364503400

Longitude 83.02708661220

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-F-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,256.0** व सामान्य कर **248.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 5,132.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 624,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 499.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,336.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,336.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 257.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SANJAY KUMAR JAISWAL, RAMBABU JAISWAL SS/O LATE SURESH

पता A.39/323-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391804-- Property Id. 1A390078001

Latitude 25.33367143140

Longitude 83.02786919510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/323-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,480.0** व सामान्य कर **273.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,597.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 680, C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 544.00                        |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,546.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 2,546.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 280.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMMAD SHARIF S/O HAIDAR ALI

पता A.39/324-E Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391787-- Property Id. 1A390079001

Latitude 25.33375061960

Longitude 83.02729067190

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,287.0** व सामान्य कर **142.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 660.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1980,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,584.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,413.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,413.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 815.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EKLAKH AHMAD S/O LATE ABDULLA

पता A.39/324-E-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391787B Property Id. 1A390079002

Latitude 25.33375061960

Longitude 83.02729067190

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-E-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,165.0** व सामान्य कर **568.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 550.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1650,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,320.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,722.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,722.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 849.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAFIYA BIBI W/O BADARUDDIN

पता A.39/324-E-6-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391799A Property Id. 1A390082001

Latitude 25.33372601270

Longitude 83.02755854620

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-E-6-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,628.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 840,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 672.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,931.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,931.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 432.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.SALIM AHAMAD HASAN MD.BELAL MD.AARIF SS/O ABDUL

पता A.39/324-G-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9696593106

MIS Id. 07391798-- Property Id. 1A390085001

Latitude 25.33377668480

Longitude 83.02737681630

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-G-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,014.0** व सामान्य कर **992.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,000.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1000,C= 1000                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 800.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 27,612.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 27,612.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,037.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUMTAZ ALI ALIAS CHOTAK S/O LATE BASHIR AHAMD

पता A.39/324-D-1-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391790B Property Id. 1A390085002

Latitude 25.33377668480

Longitude 83.02737681630

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-D-1-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,106.0** व सामान्य कर **232.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 643.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1012,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 810.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,263.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,263.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 469.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BUCHHAN DEVI W/O BACHHAN SARDAR OTHER

पता A.39/324-F Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391806-- Property Id. 1A390088001

Latitude 25.33364986500

Longitude 83.02773307700

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,566.0** व सामान्य कर **722.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 6,529.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1792,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,434.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,709.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,709.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 738.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JIYAUDDIN S/O KAMRUDDIN,VASIM,NASIM SS/O NIYAJUDDIN,SEEMA

पता A.39/324-E-6 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391799-- Property Id. 1A390088002

Latitude 25.33364986500

Longitude 83.02773307700

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-E-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,507.0** व सामान्य कर **496.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 6,529.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1248,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 998.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,673.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,673.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 514.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KALIMULLA S/O AMANTULLA OTHER

पता A.39/324-E-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391669-- Property Id. 1A390095001

Latitude 25.33383421560

Longitude 83.02655469250

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-E-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,794.0** व सामान्य कर **637.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 780.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1560,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,248.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,841.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,841.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 643.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BASHIR AHAMD S/O LATE ABDUL SAKOOR

पता A.39/324-E-1-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391787A Property Id. 1A390099001

Latitude 25.33384613720

Longitude 83.02721379600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-E-1-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,562.0** व सामान्य कर **282.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 550.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 550,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 440.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,574.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,574.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 283.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RIYAZ ALI S/O BASHIR AHAMD MARHUM

पता A.39/324-D-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8299848676

MIS Id. 07391790C Property Id. 1A390101001

Latitude 25.33384793240

Longitude 83.02737153350

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-D-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,106.0** व सामान्य कर **232.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,920.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,109.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,109.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,112.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TURAB ALI S/O BASHIR AHAMD MARHUM

पता A.39/324-D Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7275153996

MIS Id. 07391790-- Property Id. 1A390102001

Latitude 25.33380916060

Longitude 83.02745000080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,717.0** व सामान्य कर **519.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 800,C= 400                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,542.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,542.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,380.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTAK ALI S/O BASHIR AHAMD MARHUM

पता A.39/324-D-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391790A Property Id. 1A390102002

Latitude 25.33380916060

Longitude 83.02745000080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-D-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,106.0** व सामान्य कर **232.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,323.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1012,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 810.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,263.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,263.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 469.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMIULLAH S/O MOHD UMAR

पता A.39/329-E-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391668A Property Id. 1A390103001

Latitude 25.33382945570

Longitude 83.02684089320

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/329-E-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,925.0** व सामान्य कर **322.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,938.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 648,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 518.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,033.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,033.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 334.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSMT HUSNA BIBI W/O BAIJUREHMAN

पता A.39/377-A-S- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9005210298

MIS Id. 07391690B Property Id. 1A390107001

Latitude 25.33393821090

Longitude 83.02504811240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-S- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,481.0** व सामान्य कर **383.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 816.00                             |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 760,C= 0                        |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 608.00                             |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,557.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,557.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 391.00                             |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम CHAND BABU ALIES RAJU 2/3 HISSA RUKHASAR BANO 1/3 HISSA

पता A.39/336-D-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391573-- Property Id. 1A390113001

Latitude 25.33388797590

Longitude 83.02606913800

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-D-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,220.0** व सामान्य कर **354.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,720.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 880,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 704.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,295.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,295.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 362.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.DURGA DEVI W/O MOHAN CHAUHAN

पता A.39/325-R-9 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391568D Property Id. 1A390113002

Latitude 25.33388797590

Longitude 83.02606913800

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/325-R-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,721.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 624,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 499.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,920.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,920.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 321.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAQLAIN HAIDAR S/O ABDUL LATIF

पता A.39/324-E-10-K-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6394688073

MIS Id. 07391002A Property Id. 1A390114002

Latitude 25.33393059640

Longitude 83.02632306760

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-E-10-K-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,813.0** व सामान्य कर **199.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 400.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Industrial Unit      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 400             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,547.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,547.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,050.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SABIR ALI S/O MOHD BASHIR

पता A.39/324-E-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6393889795

MIS Id. 07391678B Property Id. 1A390116001

Latitude 25.33393782760

Longitude 83.02637098920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-E-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,404.0** व सामान्य कर **154.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 515.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 480.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,808.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,808.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 309.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.SAVIR ALLAIS CHOTAK MD.ASHARFH SAMIULLA SS/O MD.VASHIR

पता A.39/324-E-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391678-- Property Id. 1A390118001

Latitude 25.33391297770

Longitude 83.02694505770

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-E-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,675.0** व सामान्य कर **184.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,795.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 462,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 370.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,730.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,730.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 190.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NISAR AHAMAD S/O LATE MD.YAQAB

पता A.39/324-E-6-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8604722654

MIS Id. 07391797-- Property Id. 1A390119001

Latitude 25.33393887030

Longitude 83.02746431670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-E-6-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,831.0** व सामान्य कर **311.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 800.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 800                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 640.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 22,089.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 22,089.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,430.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL LATIF S/O SAMI RAJIYA JAKIYA RIJWANAN SAHIN PARWEEN

पता A.39/325-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391794-- Property Id. 1A390119002

Latitude 25.33393887030

Longitude 83.02746431670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/325-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,126.0** व सामान्य कर **344.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,710.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3420,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,736.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,804.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,804.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,408.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DEEN MOHAMMED S/O SANTOKI

पता A.39/377-N-3-A-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391577-- Property Id. 1A390122001

Latitude 25.33395793500

Longitude 83.02594045130

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-3-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **964.0** व सामान्य कर **106.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 707.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 272,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 218.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,018.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,018.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 112.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIJULLA,JAINUL ABDIN,ABDUL KAYUM SS/O WALI MOHAMMAD

पता A.39/324-E-9-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9151410229

MIS Id. 07391666-- Property Id. 1A390125001

Latitude 25.33394869250

Longitude 83.02651263860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-E-9-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,739.0** व सामान्य कर **741.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,920.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,986.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,986.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 988.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIM AHAMD S/O AJIJULLAH

पता A.39/324-G-1-A-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391801-- Property Id. 1A390128001

Latitude 25.33394989520

Longitude 83.02755971730

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-G-1-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,489.0** व सामान्य कर **934.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 775.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2325,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,860.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,705.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,705.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 958.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AINUL HAQ S/O HAZI MD.MUSATFA ALLAIS LALLU IMAM

पता A.39/324-E-9-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7275396659

MIS Id. 07391667-- Property Id. 1A390130002

Latitude 25.33395626260

Longitude 83.02657923080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-E-9-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,184.0** व सामान्य कर **460.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 1600,C= 1600         |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 56,908.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 56,908.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 8,536.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJARA BANO W/O MOH.AKHTAR

पता A.39/377-P-N-11 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9616606150

MIS Id. 07391529C Property Id. 1A390134002

Latitude 25.33400605410

Longitude 83.02513311250

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-P-N-11 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,054.0** व सामान्य कर **556.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1800,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,582.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,582.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 834.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJURRAHMAN S/O MOHD.AYUB

पता A.39/324-E-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391675-- Property Id. 1A390135001

Latitude 25.33397026760

Longitude 83.02669675590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-E-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,767.0** व सामान्य कर **194.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1600,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,488.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,488.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 824.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JALIL AHAMD S/O NANHAK

पता A.39/377-N-3-A- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391579-- Property Id. 1A390138001

Latitude 25.33401959990

Longitude 83.02587358290

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-3-A- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,259.0** व सामान्य कर **358.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 800.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 800,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 640.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHUDAIJA BIBI W/O MUSTAK ALI

पता A.39/377-E-2-A-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391677-- Property Id. 1A390139003

Latitude 25.33397978800

Longitude 83.02681925330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-E-2-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,092.0** व सामान्य कर **230.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,429.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 576,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 461.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,157.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,157.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 237.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HABIB AHAMAD ALLAIS LALLAN S/O MD.VASIR

पता A.39/377-N-3-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391576-- Property Id. 1A390142001

Latitude 25.33402939770

Longitude 83.02614427900

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-3-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,986.0** व सामान्य कर **438.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 960.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 960,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 768.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,044.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,044.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 445.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PARVIN BEGAM W/O NIJAM KHAN

पता A.39/324-A-P Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391782B Property Id. 1A390147001

Latitude 25.33402425470

Longitude 83.02689598200

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-A-P के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,276.0** व सामान्य कर **360.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 637.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 714,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 571.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,342.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,342.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 368.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIJAMUDDIN S/O AYUB

पता A.39/377-O-7-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391556-- Property Id. 1A390149001

Latitude 25.33406169570

Longitude 83.02579989730

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-O-7-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,802.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1200,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,493.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,493.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 494.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURJAHAN BEGUM JAUJEY NIYAZ AHAMD & AKHTARI BEGUM

पता A.39/377-N-A-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9616579369

MIS Id. 07391538A Property Id. 1A390152001

Latitude 25.33407935710

Longitude 83.02503855070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-A-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,340.0** व सामान्य कर **257.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 700,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 560.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,276.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,276.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 360.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM NAVI S/O RAJJAQ ALI

पता A.39/377-N-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391555-- Property Id. 1A390158001

Latitude 25.33404104020

Longitude 83.02566474870

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,281.0** व सामान्य कर **691.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,100.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2000,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,600.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,488.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,488.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 824.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NOORJAHAN BEGAM W/O MOHD.AJIM

पता A.39/377-L-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9307583586

MIS Id. 07391662-- Property Id. 1A390163001

Latitude 25.33404876560

Longitude 83.02646568620

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-L-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,201.0** व सामान्य कर **1,012.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,250.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2500,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,000.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,360.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,360.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,030.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.HARUN S/O AHAMDULLA

पता A.39/377-1-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391681-- Property Id. 1A390166001

Latitude 25.33407971630

Longitude 83.02673953290

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-1-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,730.0** व सामान्य कर **1,400.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                             |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 2900,C= 100                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,320.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,765.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,765.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,624.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AKHTAR ALI S/O ASHRAF ALI

पता A.39/381-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391575-- Property Id. 1A390168001

Latitude 25.33408136880

Longitude 83.02613762050

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/381-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,256.0** व सामान्य कर **248.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 780.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 624,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 499.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,336.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,336.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 257.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIYA BIBI W/O IQRAMUDDIN

पता A.39/324-G-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9889161531

MIS Id. 07391800-- Property Id. 1A390171001

Latitude 25.33384258340

Longitude 83.02759084020

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-G-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,277.0** व सामान्य कर **470.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,344.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1150,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 920.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,306.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,306.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 474.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JULFKAR ALI S/O VASHIR AHAMAD

पता A.39/324-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391795-- Property Id. 1A390174001

Latitude 25.33404233320

Longitude 83.02746753510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,679.0** व सामान्य कर **295.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,343.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 594,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 475.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,780.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,780.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 306.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUNEER AHAMAD S/O LATE NAZIR AHAMAD

पता A.39/377-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391680-- Property Id. 1A390175001

Latitude 25.33410126980

Longitude 83.02688794320

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,604.0** व सामान्य कर **396.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 484.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 968,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 774.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,624.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,624.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 399.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT KAISAR JAHAN W/O LATE ABDUL SALAM JAMAL AKHTAR

पता A.39/377-N-3-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391580-- Property Id. 1A390176001

Latitude 25.33410853330

Longitude 83.02593294320

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-3-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,897.0** व सामान्य कर **649.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 702.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1404,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,123.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,914.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,914.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 651.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOH.HARUN S/O AHAMDULLA

पता A.39/377-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391661-- Property Id. 1A390177001

Latitude 25.33410342360

Longitude 83.02648451580

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,287.0** व सामान्य कर **142.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,493.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,493.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 494.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJURRAHMAN,ATIFURRAHMAN,JIYAURRAHMAN SS/O SHAHRUDDIN

पता A.39/377-L-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391683-- Property Id. 1A390180001

Latitude 25.33408576190

Longitude 83.02660996340

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-L-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,034.0** व सामान्य कर **1,104.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,600.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2200,C= 1000             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,760.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 32,105.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 32,105.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,532.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.HANIF S/O HAFIZ SALAMATULLA

पता A.39/337-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391542-- Property Id. 1A390182003

Latitude 25.33409275050

Longitude 83.02545048450

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/337-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,054.0** व सामान्य कर **446.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,104.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 968,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 774.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,077.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,077.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 448.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAKHADU S/O SUKRU

पता A.39/377-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391582-- Property Id. 1A390183001

Latitude 25.33412531700

Longitude 83.02604478540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,158.0** व सामान्य कर **127.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 360.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 360,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 288.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,516.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,516.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 167.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EHSAN ALI S/O HAJI NURUL HAQ

पता A.39/377-B-2-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8960120551

MIS Id. 07391692A Property Id. 1A390184001

Latitude 25.33413585790

Longitude 83.02688538580

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-B-2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 400.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1100,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 880.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,148.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,148.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 566.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Rijwan

पता A.39/377-A-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391657-- Property Id. 1A390185001

Latitude 25.33414726360

Longitude 83.02576450900

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **965.0** व सामान्य कर **106.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,350.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 650,C= 200               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 520.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,998.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,998.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,210.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.YAQUB S/O MAQBUL

पता A.39/377-N-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391548-- Property Id. 1A390186001

Latitude 25.33412501430

Longitude 83.02556067730

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,092.0** व सामान्य कर **560.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1800,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,739.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,739.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 741.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IBADUREHMAN S/O MD ISMAIL

पता A.39/377-L-3-D Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391686A Property Id. 1A390195001

Latitude 25.33416105230

Longitude 83.02659769110

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-L-3-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,990.0** व सामान्य कर **659.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 812.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1624,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,299.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,080.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,080.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 669.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.IMRAN SIDDIK S/O ABDUL RAHIM

पता A.39/377-N-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9336472477

MIS Id. 07391533-- Property Id. 1A390196001

Latitude 25.33416121760

Longitude 83.02480020800

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,632.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 625.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1250,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,000.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,850.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,850.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 644.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KALIM S/O LATE SULEMAN

पता A.39/377-H-K- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391654C Property Id. 1A390199001

Latitude 25.33415029800

Longitude 83.02588208690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-H-K- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,638.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 600,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,808.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,808.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 309.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JABBAR & RAJU S/O KHAIRATI

पता A.39/377-N-J-R-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391535-- Property Id. 1A390203001

Latitude 25.33417882110

Longitude 83.02493613420

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-J-R-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,638.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 504.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1008,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 806.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,717.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,717.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 519.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL QAYUM S/O LATE ABDUL RAUF

पता A.39/377-N-1-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8931912107

MIS Id. 07391549-- Property Id. 1A390207001

Latitude 25.33420265310

Longitude 83.02550334500

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-1-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,216.0** व सामान्य कर **134.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 400.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 400,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 320.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,872.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,872.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 206.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAJID,S/O ABDUL HAMID

पता A.39/377-D-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391650-- Property Id. 1A390208001

Latitude 25.33416166180

Longitude 83.02627464080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-D-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,249.0** व सामान्य कर **467.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1200,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,493.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,493.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 494.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AFSANA BEGUM W/O SRI SAHABUDDIN ALIAS LALLU

पता A.39/377-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6394596967

MIS Id. 07391583-- Property Id. 1A390209001

Latitude 25.33417382720

Longitude 83.02644846600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,909.0** व सामान्य कर **210.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 540.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 540,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 432.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,022.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,022.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 222.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MEHRUNNISA W/O MOHD. IBRAHIM, JAHIRA BIBI W/O

पता A.39/377-K-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391659-- Property Id. 1A390209002

Latitude 25.33417382720

Longitude 83.02644846600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-K-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 858.0 व सामान्य कर 94.0 से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,497.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 216, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 173.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 910.00                  |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 910.00                  |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 100.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IMTIYAZ AHMAD S/O HAJI ABDUL KALAM

पता A.39/377-A-9-E Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391660-- Property Id. 1A390209003

Latitude 25.33417382720

Longitude 83.02644846600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-9-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,830.0** व सामान्य कर **531.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,748.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1327,C= 421          |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,062.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,715.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,715.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,389.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD SALIM S/O LATE GAFFAR

पता A.39/377-A-2-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391781-- Property Id. 1A390211001

Latitude 25.33415762090

Longitude 83.02695034620

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-2-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,621.0** व सामान्य कर **288.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 839.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 702,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 562.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,628.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,628.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 289.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHUDDAN BIBI W/O GULAM MOHD.

पता A.39/377-O-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8090224918

MIS Id. 07391537-- Property Id. 1A390215001

Latitude 25.33415075680

Longitude 83.02511582660

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-O-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,609.0** व सामान्य कर **177.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,000.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1000,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,680.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,680.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 515.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RABIYA BEGUM W/O MUGGAN MASTER

पता A.39/382-A-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391538-- Property Id. 1A390215002

Latitude 25.33415075680

Longitude 83.02511582660

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/382-A-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,129.0** व सामान्य कर **234.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 400.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 500,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 400.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,340.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,340.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 257.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAHIR AHAMAD S/O MULTAN

पता A.39/377-N-2-T Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391586-- Property Id. 1A390217001

Latitude 25.33422079910

Longitude 83.02613763660

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-2-T के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,059.0** व सामान्य कर **226.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 288.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 576,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 461.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,157.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,157.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 237.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAGIR AHAMD S/O LATE MULTAN

पता A.39/377-N-2-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391588-- Property Id. 1A390217002

Latitude 25.33422079910

Longitude 83.02613763660

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-2-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **575.0** व सामान्य कर **63.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 163.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 160,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 128.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 599.00                       |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 599.00                       |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 66.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKHSANA BIBI W/O MOHAMAD MUSTKIM

पता A.39/377-N-23 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9161223374

MIS Id. 07391539-- Property Id. 1A390221001

Latitude 25.33417110790

Longitude 83.02515590210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-23 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,728.0** व सामान्य कर **630.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,120.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,897.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,897.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 649.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHALIK S/O VARIS

पता A.39/377-O-8-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391540C Property Id. 1A390229002

Latitude 25.33418200740

Longitude 83.02519521040

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-O-8-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,984.0** व सामान्य कर **218.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 238.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 714,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 571.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,673.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,673.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 294.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SEKH MOHD. ASLAM S/O SEKH MOHD. SARIF

पता A.39/339-A-2-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391779-- Property Id. 1A390231001

Latitude 25.33418120740

Longitude 83.02717821620

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-A-2-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,616.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,616.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 618.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANUL HAQ S/O MEHADI HASAN

पता A.39/377-A-1-K- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391704-- Property Id. 1A390233001

Latitude 25.33423644850

Longitude 83.02695995470

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-1-K- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,600.0** व सामान्य कर **506.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,258.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1258,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,006.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,710.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,710.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 518.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SATTAR S/O ABDUL RAHIM

पता A.39/339-B-6 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9792635247

MIS Id. 07391774-- Property Id. 1A390234001

Latitude 25.33422818110

Longitude 83.02743643370

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,632.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,000.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 600,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 480.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,527.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,527.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 278.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSAN NISHA W/O SARIF

पता A.39/377-O-8-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391540A Property Id. 1A390237002

Latitude 25.33419073070

Longitude 83.02523286140

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-O-8-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 440.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1320,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,056.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,178.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,178.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 680.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHARIFUN D/O LATE MURADAN

पता A.39/377-O-8-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391540B Property Id. 1A390238001

Latitude 25.33420225630

Longitude 83.02525841410

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-O-8-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,984.0** व सामान्य कर **218.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1800,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,739.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,739.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 741.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BELAL AHMAD S/O LATE ABDULLA

पता A.39/377-A-5-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391595-- Property Id. 1A390241002

Latitude 25.33425100960

Longitude 83.02575883180

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-5-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,194.0** व सामान्य कर **351.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,404.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1404,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,123.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,571.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,571.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 723.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAJIYA BIBI W/O MUNNU

पता A.39/377-N-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391587-- Property Id. 1A390243002

Latitude 25.33426570030

Longitude 83.02612270840

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **772.0** व सामान्य कर **85.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 900,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAKURAN BIBI W/O MURADAN, HAMID S/O LATE MURADAN, TAHIRA

पता A.39/377-O-8 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391540-- Property Id. 1A390244002

Latitude 25.33421408170

Longitude 83.02529629350

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-O-8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,153.0** व सामान्य कर **567.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,297.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1404, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,123.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,257.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 5,257.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 578.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.ASLAM S/O AMIRULLA

पता A.39/339-B-3-CH-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8081702110

MIS Id. 07391720-- Property Id. 1A390245001

Latitude 25.33426700770

Longitude 83.02734356730

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-3-CH-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,404.0** व सामान्य कर **154.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 400.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 400,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 320.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,872.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,872.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 206.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIM BANO W/O MOHD.EKRAM

पता A.39/339-B-K-1-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391459B Property Id. 1A390245002

Latitude 25.33426700770

Longitude 83.02734356730

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-K-1-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,591.0** व सामान्य कर **175.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 342.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 342,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 274.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,601.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,601.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 176.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GONGA S/O JHINNU

पता A.39/377-A-23-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391544-- Property Id. 1A390246001

Latitude 25.33422464050

Longitude 83.02534823190

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-23-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,418.0** व सामान्य कर **1,036.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,024.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 2024,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,619.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,472.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,472.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,042.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAJINA BANO W/O SHAMSHER AHMAD ALIAS SHERU

पता A.39/339-B-K-1-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7800355614

MIS Id. 07391459C Property Id. 1A390256001

Latitude 25.33429030370

Longitude 83.02742095570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-K-1-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,102.0** व सामान्य कर **121.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 600.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 960.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,616.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,616.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 618.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAZAMA BIBI W/O REYAZ AHAMAD

पता A.39/377-D-2-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391604-- Property Id. 1A390257002

Latitude 25.33430086060

Longitude 83.02605316850

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-D-2-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 504.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 504,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 403.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,887.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,887.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 208.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAZDA BEGAM W/O ABDUL RAHIM

पता A.39/377-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391599-- Property Id. 1A390258001

Latitude 25.33427945290

Longitude 83.02586666460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,317.0** व सामान्य कर **255.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,600.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 650,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 520.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,434.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,434.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 268.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAIBUNISA W/O

पता A.39/377-D-1-B-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391605-- Property Id. 1A390263002

Latitude 25.33431592740

Longitude 83.02610167760

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-D-1-B-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,224.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1224,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 979.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,728.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,728.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 630.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANTAPURAHAMAN QAMRUDDIN ZAMALUDDIN ALLAIS MUNNA

पता A.39/377-E-5-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391718-- Property Id. 1A390264001

Latitude 25.33428913350

Longitude 83.02695449450

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-E-5-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,059.0** व सामान्य कर **226.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 600,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,246.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,246.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 247.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIM AHAMED.SHAMIM AHAMED,KALIM AHAMED SAKIL AHAMED

पता A.39/377-N-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391768-- Property Id. 1A390265002

Latitude 25.33427819550

Longitude 83.02773189900

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,124.0** व सामान्य कर **1,004.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 1200                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 33,696.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 33,696.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,707.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SHAHID S/O ANAR AHMAD

पता A.39/339-B-3-U Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391769-- Property Id. 1A390265003

Latitude 25.33427819550

Longitude 83.02773189900

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-3-U के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,544.0** व सामान्य कर **170.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,695.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 432,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 346.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,617.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,617.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 178.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSAMMI MOH.HARUN S/O ABDUL MAJID

पता A.39/377-A-4-5-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7860102373

MIS Id. 07391600-- Property Id. 1A390266001

Latitude 25.33429667370

Longitude 83.02594411150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-4-5-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,763.0** व सामान्य कर **744.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,920.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,986.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,986.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 988.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAITUN BIBI W/O HAFIZULLA RAMJAN ALI ALIMUDDIN OTHER

पता A.39/377-L-3-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391687-- Property Id. 1A390269003

Latitude 25.33430723420

Longitude 83.02657833680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-L-3-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,930.0** व सामान्य कर **322.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,012.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,995.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,995.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 329.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIM BANO W/O GULAM GAUS

पता A.39/339-B-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8299404038

MIS Id. 07391459-- Property Id. 1A390275001

Latitude 25.33435026120

Longitude 83.02741153540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,200.0** व सामान्य कर **462.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1200,C= 600                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 28,361.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 28,361.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,120.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.MADINA BIBI W/O SAFIURRAHMAN

पता A.39/377-E-2-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391706B Property Id. 1A390277002

Latitude 25.33434826810

Longitude 83.02680140610

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-E-2-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,368.0** व सामान्य कर **150.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 380.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 380,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 304.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,778.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,778.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 196.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASHARAF ALI S/O LATE AHAMADULLA

पता A.39/377-D Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391693-- Property Id. 1A390278001

Latitude 25.33433559380

Longitude 83.02670729280

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **22,745.0** व सामान्य कर **2,502.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1600,C= 800                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 39,312.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 39,312.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,324.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN S/O VALIULLA

पता A.39/377-L-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391688-- Property Id. 1A390278002

Latitude 25.33433559380

Longitude 83.02670729280

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-L-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,794.0** व सामान्य कर **637.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,144.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1584,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,267.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,930.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,930.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 652.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SHOEB S/O ANARULLA

पता A.39/339-B-K-1-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391459G Property Id. 1A390280001

Latitude 25.33433633030

Longitude 83.02734087270

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-K-1-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,118.0** व सामान्य कर **233.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 693.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 476,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 381.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,228.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,228.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 245.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL GANI S/O ABDUL HAMID

पता A.39/377-G Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9565718182

MIS Id. 07391700-- Property Id. 1A390281001

Latitude 25.33432055710

Longitude 83.02632334080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,205.0** व सामान्य कर **133.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 600,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,808.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,808.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 309.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIM AHMAMD S/O MOHA FARUKH

पता A.39/335 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391067-- Property Id. 1A390282001

Latitude 25.33436942640

Longitude 83.02752715640

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,213.0** व सामान्य कर **573.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 475.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1425,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,140.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,335.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,335.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 587.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOIUDDIN,NURUDDIN,MAJIDUNNISA SS/O DD/O LATE

पता A.39/377-D-1-A-G-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391647A Property Id. 1A390285003

Latitude 25.33434760280

Longitude 83.02621025380

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-D-1-A-G-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,404.0** व सामान्य कर **154.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,135.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 432,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 346.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,022.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,022.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 222.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LAILUNNISA D/O LATE MOHD.JUMAI,AHMAD HUSAIN H/O

पता A.39/377-L Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391647-- Property Id. 1A390285004

Latitude 25.33434760280

Longitude 83.02621025380

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-L के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,603.0** व सामान्य कर **176.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,135.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1152,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 922.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,391.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,391.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 593.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASID S/O LATE MOHD.JUMAI

पता A.39/377-L-1-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391647C Property Id. 1A390285005

Latitude 25.33434760280

Longitude 83.02621025380

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-L-1-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,948.0** व सामान्य कर **214.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,137.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 420,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 336.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,966.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,966.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 216.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MATIURRAHMAN,ANISURRAHMAN,SAFIURRAHMAN,IKBAL

पता A.39/377-C-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391653-- Property Id. 1A390286001

Latitude 25.33434052970

Longitude 83.02636446710

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,404.0** व सामान्य कर **154.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,000.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600,C= 300               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,968.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,968.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,096.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMARJAHAN W/O MOHD AJOOB ALIAS MOHD AYUB

पता A.39/377-H-K-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391654E Property Id. 1A390286002

Latitude 25.33434052970

Longitude 83.02636446710

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-H-K-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,445.0** व सामान्य कर **379.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 930.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 930,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 744.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,352.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,352.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 479.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAHIRUNNISA BIBI W/O LATE FAJLU-UR-RAHMAN,HAZRA BIBI W/O

पता A.39/377-B-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391690-- Property Id. 1A390287001

Latitude 25.33437882280

Longitude 83.02656493200

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,737.0** व सामान्य कर **191.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 600,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,527.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,527.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 278.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUDDIN S/O LATE USMAN

पता A.39/377-A-3-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305301292

MIS Id. 07391656-- Property Id. 1A390289001

Latitude 25.33437066520

Longitude 83.02708088100

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-3-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,271.0** व सामान्य कर **1,020.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,250.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2500,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,000.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,360.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,360.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,030.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI MAKBUL AHAMAD S/O MD. YUNUSH

पता A.39/377-H-3- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9580381576

MIS Id. 07391596-- Property Id. 1A390292001

Latitude 25.33435291940

Longitude 83.02571877380

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-H-3- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,256.0** व सामान्य कर **248.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 900,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम M. Farukh S/o Ali

पता A.39/377-N-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391597-- Property Id. 1A390295001

Latitude 25.33438053620

Longitude 83.02576010090

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,415.0** व सामान्य कर **266.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,250.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1550,C= 700                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,240.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 33,649.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 33,649.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,701.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMUNISHA W/O VALIULLA OTHER

पता A.39/377-A-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391739-- Property Id. 1A390298001

Latitude 25.33437792310

Longitude 83.02771608740

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,509.0** व सामान्य कर **276.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,360.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1300,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,040.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,867.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,867.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 535.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAIYADA BIBI W/O NABI,ASHRAF

पता A.39/377-B-1-A-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391765-- Property Id. 1A390301001

Latitude 25.33437839880

Longitude 83.02778769000

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-B-1-A-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,538.0** व सामान्य कर **279.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 680.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1360,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,088.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,728.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,728.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 630.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN S/O TAHIR

पता A.39/377-D-6 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391607-- Property Id. 1A390302003

Latitude 25.33440903260

Longitude 83.02618180500

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-D-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **726.0** व सामान्य कर **80.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,197.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 180,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 144.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 758.00                  |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 758.00                  |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 83.00                   |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL ALI ABDUL AZIZ SS/O MOINUDDIN

पता A.39/377-B-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369827880

MIS Id. 07391691-- Property Id. 1A390303001

Latitude 25.33442979380

Longitude 83.02657972310

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-B-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,590.0** व सामान्य कर **175.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 482.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,527.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,527.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 278.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL GAFFUR S/O NASIR

पता A.39/377-E Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391689-- Property Id. 1A390305003

Latitude 25.33442898860

Longitude 83.02671223510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,728.0** व सामान्य कर **630.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,368.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1368,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,094.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,762.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,762.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 634.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTAK AHAMD S/O ABDUL HAK

पता A.39/377-K-G Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391655-- Property Id. 1A390306002

Latitude 25.33443951360

Longitude 83.02641110140

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-K-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,897.0** व सामान्य कर **319.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 784,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 627.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,935.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,935.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 323.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMIULLA S/O ABDUL GAFUR

पता A.39/377-D-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391646-- Property Id. 1A390307001

Latitude 25.33445301660

Longitude 83.02613439370

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-D-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,480.0** व सामान्य कर **273.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 700.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 675,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 540.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,527.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,527.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 278.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURJAHAN W/O MOHD AMIN

पता A.39/377-A-1-13-A-1-K-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391698-- Property Id. 1A390309002

Latitude 25.33442915570

Longitude 83.02679021950

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-1-13-A-1-K-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,054.0** व सामान्य कर **556.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 850.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1700,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,360.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,160.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,160.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 788.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAJJAD S/O ABDUL RAHAMAN

पता A.39/377-O-6 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9565473936

MIS Id. 07391598-- Property Id. 1A390310001

Latitude 25.33439898190

Longitude 83.02583125780

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-O-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,377.0** व सामान्य कर **261.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,400.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1600,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,990.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,990.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 659.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHUSHDIL BEGUM W/O SAMIMUDDIN

पता A.39/377-E-2-A-2-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391724-- Property Id. 1A390311001

Latitude 25.33443147560

Longitude 83.02732553270

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-E-2-A-2-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,209.0** व सामान्य कर **243.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 594.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 594,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 475.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,224.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,224.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 245.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAJID S/O MOHD.ISHAK

पता A.39/377-E-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391697-- Property Id. 1A390313001

Latitude 25.33444151770

Longitude 83.02684555530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-E-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,085.0** व सामान्य कर **119.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 627.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 272,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 218.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,146.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,146.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 126.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ISTIYAQ AHAMAD S/O LATE HAJI ABDUL HASAN

पता A.39/377-O-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391601-- Property Id. 1A390314001

Latitude 25.33442166310

Longitude 83.02589893330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-O-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,508.0** व सामान्य कर **1,596.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 1200                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 34,258.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 34,258.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,768.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.RAUF,NURUNNISA SS/O & D/O SAFIULLA,SHAHJAHA BIBI W/O

पता A.39/377-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391654A Property Id. 1A390316004

Latitude 25.33445491590

Longitude 83.02630748020

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,544.0** व सामान्य कर **170.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,361.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 420,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 336.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,572.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,572.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 173.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT LATIFUNISSA D/O LATE JAN MOHHMMAD

पता A.39/377-D-1-A-G-1-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391602-- Property Id. 1A390317001

Latitude 25.33443567570

Longitude 83.02594599460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-D-1-A-G-1-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,574.0** व सामान्य कर **283.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 600.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1000,C= 200              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 800.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,518.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,518.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 937.00                      |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HUSNAMUDDIN ANSARI S/O ABDUL AZIZ

पता A.39/377-E-2-A-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391722-- Property Id. 1A390318001

Latitude 25.33449592180

Longitude 83.02722309160

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-E-2-A-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,685.0** व सामान्य कर **185.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 407.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 407,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 326.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,714.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,714.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 189.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JUBAIDA BIBI W/O SUNIR

पता A.39/377-D-1-B-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391609-- Property Id. 1A390324001

Latitude 25.33449263230

Longitude 83.02600576220

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-D-1-B-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,340.0** व सामान्य कर **257.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 660.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1000,C= 200              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,454.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,454.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,040.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                        |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAMIDULAH S/O HABIBULLAH

पता A.39/377-D-1-B-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391685A Property Id. 1A390324002

Latitude 25.33449263230

Longitude 83.02600576220

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-D-1-B-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,042.0** व सामान्य कर **335.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,378.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 960.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,616.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,616.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 618.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJUDDIN S/O NIHALUDDIN

पता A.39/339-B-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391756-- Property Id. 1A390326001

Latitude 25.33449168500

Longitude 83.02749342170

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 700,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 560.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,276.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,276.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 360.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.HARUN S/O ABDULLA

पता A.39/377-E-2-A-5-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7275668122

MIS Id. 07391692-- Property Id. 1A390327001

Latitude 25.33450249110

Longitude 83.02653528450

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-E-2-A-5-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,543.0** व सामान्य कर **390.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,350.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1350,C= 150              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,080.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,634.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,634.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 950.00                      |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AVIDA BIBI W/O AMANUTULLA

पता A.39/339-B-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391755-- Property Id. 1A390329001

Latitude 25.33449266080

Longitude 83.02756856590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,607.0** व सामान्य कर **287.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 700.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600,C= 300               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,180.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,180.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,560.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MEHARUNNISA W/O BADARUDDIN

पता A.39/335-B-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7499542593

MIS Id. 07391762-- Property Id. 1A390329002

Latitude 25.33449266080

Longitude 83.02756856590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-B-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,053.0** व सामान्य कर **446.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 576.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1080,C= 540                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 864.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 25,525.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 25,525.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,808.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.MAKSUD S/O LATE RAJAUDIN

पता A.39/377-M-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391740-- Property Id. 1A390330001

Latitude 25.33453551260

Longitude 83.02721955870

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-M-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,948.0** व सामान्य कर **324.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 600.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1800,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,440.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,424.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,424.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 927.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SABEER AHAMAD,  
पता A.39/377-E-2-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391706-- Property Id. 1A390331001

Latitude 25.33450139720

Longitude 83.02690280640

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-E-2-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,092.0** व सामान्य कर **560.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,400.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1400,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,120.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,242.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,242.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 577.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAJID S/O ABDUL GAFUR

पता A.39/339 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391731-- Property Id. 1A390332001

Latitude 25.33449996020

Longitude 83.02766710820

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,030.0** व सामान्य कर **113.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600,C= 600           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 26,114.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 26,114.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,873.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAHIRUNNISA W/O SAGIR AHAMED

पता A.39/377-E-2-A-2-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8953521104

MIS Id. 07391760-- Property Id. 1A390335001

Latitude 25.33453109740

Longitude 83.02740265680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-E-2-A-2-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,509.0** व सामान्य कर **276.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 750.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 700,C= 500               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 560.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 22,511.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 22,511.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,476.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHALILURRAHMAN S/O VALIULLA

पता A.39/377-E-5-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391695-- Property Id. 1A390341001

Latitude 25.33457804290

Longitude 83.02662085420

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-E-5-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,507.0** व सामान्य कर **496.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 624.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1248,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 998.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,673.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,673.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 514.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SALAM S/O LATE ABDUL MAZID

पता A.39/377-A-1-K-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9307206088

MIS Id. 07391705-- Property Id. 1A390342001

Latitude 25.33458216480

Longitude 83.02651659800

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-1-K-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,622.0** व सामान्य कर **398.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 804.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 404,C= 100               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 323.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,089.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,089.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 450.00                      |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAHJABI FIRDAUS W/O NAFIS AHMAD

पता A.39/339-B-K-1-M-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391459F- Property Id. 1A390347001

Latitude 25.33459431690

Longitude 83.02718695940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-K-1-M-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,404.0** व सामान्य कर **154.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 657.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 840,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 672.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,931.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,931.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 432.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASARUDDIN,SALAUDDIN,NIJAMUDDIN SS/O DDIN MOHAMMAD

पता A.39/377-E-2-A-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391716-- Property Id. 1A390349001

Latitude 25.33458541020

Longitude 83.02701399040

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-E-2-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,897.0** व सामान्य कर **319.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,493.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,493.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 494.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HODA, SHAMSUL HODA SS/O LATE HAFIJULLA

पता A.39/377-E-2-A-4-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7275959403

MIS Id. 07391748A Property Id. 1A390349002

Latitude 25.33458541020

Longitude 83.02701399040

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-E-2-A-4-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,136.0** व सामान्य कर **345.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 576.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 576, C= 576               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 461.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 25,609.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 25,609.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 2,817.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSUNISHA W/O LATE

पता A.39/339-P-3-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391776-- Property Id. 1A390350001

Latitude 25.33460309180

Longitude 83.02739125580

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-P-3-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 616.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 506,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 405.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,894.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,894.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 208.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAHANGIR,SALIM,ABDUL SALAM,ZAMAL SS/O LATE ABDUL RAZZAQ,

पता A.39/339-B-3-GH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6306615685

MIS Id. 07391725-- Property Id. 1A390351001

Latitude 25.33460305110

Longitude 83.02731880210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-3-GH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,775.0** व सामान्य कर **195.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,054.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,054.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 556.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDDIN ALIES KALLU S/O KHALIL AHMED

पता A.39/377-D-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391643-- Property Id. 1A390353001

Latitude 25.33458076270

Longitude 83.02627557510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-D-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,162.0** व सामान्य कर **898.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,344.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,760.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,237.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,237.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 906.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABADURRAHAMAN S/O LT. KAMARUDDN

पता A.39/336-B-1-K-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391028C Property Id. 1A390354001

Latitude 25.33460867240

Longitude 83.02748292680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-1-K-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,106.0** व सामान्य कर **232.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 850.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 506,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 405.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,131.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,131.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 234.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALAUDDIN,AFTAB ALAM,BUCHHAI ALAM,REYAJ ALAM S/O JAINUL

पता A.39/377-E-2-A-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7706075194

MIS Id. 07391754-- Property Id. 1A390355001

Latitude 25.33461456700

Longitude 83.02756095600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-E-2-A-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,956.0** व सामान्य कर **545.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,350.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1150,C= 200          |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 920.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,262.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,262.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,349.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SALAM ALIAS SALAMU S/O LATE YUSUF

पता A.39/377-A-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9919762640

MIS Id. 07391694-- Property Id. 1A390356001

Latitude 25.33460467230

Longitude 83.02637172120

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,424.0** व सामान्य कर **267.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 666.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1890,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,512.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,076.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,076.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 778.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AKHTARUNNISA W/O ANSAR AHMAD

पता A.39/339-B-1-A- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391752-- Property Id. 1A390357001

Latitude 25.33462087210

Longitude 83.02765913620

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-1-A- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,231.0** व सामान्य कर **135.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 887.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 300,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 240.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,404.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,404.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 154.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.YASIN S/O LATE CHHEDI

पता A.39/377-E-2-A-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391748-- Property Id. 1A390358001

Latitude 25.33463161040

Longitude 83.02774642430

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-E-2-A-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,462.0** व सामान्य कर **161.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 400,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 320.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,872.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,872.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 206.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAIMUNNISA W/O LATE FAIYAJUDDIN

पता A.39/377-F-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391747-- Property Id. 1A390359001

Latitude 25.33463542530

Longitude 83.02779873920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-F-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,369.0** व सामान्य कर **261.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 600,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,808.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,808.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 309.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AYESHA BIBI W/OA NWAR AHAMD

पता A.39/336-B-N-9-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390943A Property Id. 1A390362001

Latitude 25.33464433180

Longitude 83.02795172320

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-N-9-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,404.0** व सामान्य कर **154.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,054.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,054.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 556.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HARUN S/O VALI MOHD

पता A.39/377-A- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391641-- Property Id. 1A390363001

Latitude 25.33466539530

Longitude 83.02648957530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,360.0** व सामान्य कर **1,030.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 700.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2100,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,680.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,828.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,828.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,081.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.NASRIN BANO W/O MERAJ SHEKH,JAMIL AHMAD S/O KALLU

पता A.39/335-A-U-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391123-- Property Id. 1A390364001

Latitude 25.33467330040

Longitude 83.02808776330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-A-U-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,200.0** व सामान्य कर **242.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,531.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 480,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 384.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,246.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,246.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 247.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALTAPURRAHMAN,KAMARUDDIN,JAMALUDDIN ALIES

पता A.39/377-E-5-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391639-- Property Id. 1A390365001

Latitude 25.33467387630

Longitude 83.02661598550

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-E-5-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,025.0** व सामान्य कर **443.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 680.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1360,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,088.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,092.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,092.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 560.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAZAL AHMAD S/O HAZI NURUL HAQ

पता A.39/302-C Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391516-- Property Id. 1A390368001

Latitude 25.33486234290

Longitude 83.02517931240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/302-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,802.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 500             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 19,890.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 19,890.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,188.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम REHANA BEGAM

पता A.39/302-D Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391519-- Property Id. 1A390368004

Latitude 25.33486234290

Longitude 83.02517931240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/302-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,128.0** व सामान्य कर **454.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 10,800.00               |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 990,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 792.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,170.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,170.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 459.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUL HAK S/O MOHD EDRIS KHAIRUNISHA LAILUNNISHA DD/O

पता A.39/339-B-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391636-- Property Id. 1A390369001

Latitude 25.33469733480

Longitude 83.02675388250

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,730.0** व सामान्य कर **1,400.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,368.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2736,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,189.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,804.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,804.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,408.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMIL AHMED S/O NASRULLA

पता A.39/377-A-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391715-- Property Id. 1A390373001

Latitude 25.33471619380

Longitude 83.02721217020

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,604.0** व सामान्य कर **396.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1800,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,739.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,739.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 741.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHALIL AHMED S/O NASULLA

पता A.39/377-A-4-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391712-- Property Id. 1A390373003

Latitude 25.33471619380

Longitude 83.02721217020

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-4-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,213.0** व सामान्य कर **573.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,497.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1452,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,162.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,436.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,436.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 598.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUNISA W/O LATE KALIMULLA MD.MOBIN MD.YASIN

पता A.39/339-B-3-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9336003431

MIS Id. 07391726-- Property Id. 1A390377001

Latitude 25.33471910640

Longitude 83.02730296340

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-3-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **816.0** व सामान्य कर **90.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600,C= 600               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 26,114.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 26,114.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,873.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                        |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.ISAHAQ S/O ABDUL RAZZAQ

पता A.39/339-A-3-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391713-- Property Id. 1A390377002

Latitude 25.33471910640

Longitude 83.02730296340

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-A-3-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,546.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 967.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 720,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 576.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,696.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,696.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 297.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALI HUSAIN S/O VADULLA

पता A.39/339-B-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391729-- Property Id. 1A390381001

Latitude 25.33473132190

Longitude 83.02748315840

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,475.0** व सामान्य कर **382.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,308.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 840,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 672.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,538.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,538.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 389.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMJAN ALI CHAND BABU,EKHLAK AHMAD,BELAL AHMAD,SHAMIM

पता A.39/377-N-B-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8188948093

MIS Id. 07391682A Property Id. 1A390384001

Latitude 25.33475254740

Longitude 83.02629530600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,047.0** व सामान्य कर **225.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 400,C= 400                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 320.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,419.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,419.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,256.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAKRUNNISA,SAJAN AHAMAD,ALLAIS RAJU AKRAM ALLAIS BELAL

पता A.39/345 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7398308969

MIS Id. 07391625-- Property Id. 1A390385001

Latitude 25.33478421870

Longitude 83.02661599430

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/345 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,507.0** व सामान्य कर **496.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,140.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1500,C= 500                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,200.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 17,550.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 17,550.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,931.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAHURUDDIN S/O VALIVULLA

पता A.39/376-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9335492535

MIS Id. 07391618-- Property Id. 1A390386001

Latitude 25.33473838570

Longitude 83.02620115480

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/376-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,659.0** व सामान्य कर **1,062.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार         | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,750.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | 1_Industrial Unit,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                     |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 0,C= 3000                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                 |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 0.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                 |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                            |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                 |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 95,472.00                       |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                 |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 95,472.00                       |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 14,321.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                             |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BELAL AHMAD ALI AHMAD SAFIURRAHMAN SS/O JAMALUDDIN

पता A.39/339-B-X-2-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391743B Property Id. 1A390387001

Latitude 25.33478192890

Longitude 83.02772133640

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-X-2-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 930.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 930,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 744.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,917.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,917.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 431.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMUDDIN ANSARI SS/O HAJI HAFIJ SAMIULLAH

पता A.39/339-A-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390986A Property Id. 1A390388001

Latitude 25.33475928760

Longitude 83.02780628120

### नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,728.0** व सामान्य कर **630.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,368.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1368,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,094.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,762.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 5,762.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 634.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MINA KASHYAP W/O CHANDRA PRAKASH

पता A.39/377-A-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391619-- Property Id. 1A390389002

Latitude 25.33478454830

Longitude 83.02635147570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,092.0** व सामान्य कर **560.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,397.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5                  | R= 1440,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,152.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,391.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,391.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 593.00                             |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FASIUREHMAN S/O SIDIKULLAH

पता A.39/335-E-18-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391111-- Property Id. 1A390390001

Latitude 25.33476115660

Longitude 83.02788006770

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-E-18-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,866.0** व सामान्य कर **425.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,056.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1056,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 845.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,954.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,954.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 435.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUNAVAR ALI S/O HABIBULLA

पता A.39/339-B-3-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391737-- Property Id. 1A390391001

Latitude 25.33480233680

Longitude 83.02795785000

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-3-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 624.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 624,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 499.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,336.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,336.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 257.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MATIURRAHMAN

पता A.39/304 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9889041159

MIS Id. 07391263-- Property Id. 1A390393001

Latitude 25.33478713080

Longitude 83.02538794110

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,864.0** व सामान्य कर **315.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,400.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1100,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 880.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,633.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,633.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 510.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALAUDDIN S/O MD YAKUB

पता A.39/341 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391298-- Property Id. 1A390395001

Latitude 25.33483777490

Longitude 83.02661039650

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/341 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,473.0** व सामान्य कर **382.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 700.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 960.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,493.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,493.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 494.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAHIRUDDIN S/O LATE NURUDDIN ALIAS CHHOTAK

पता A.39/345-Z Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391625A Property Id. 1A390395002

Latitude 25.33483777490

Longitude 83.02661039650

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/345-Z के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,053.0** व सामान्य कर **446.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 666.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1100,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 880.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,118.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,118.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 453.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MATIULLA S/O RAHAMATULLA

पता J.32/24 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9452513263

MIS Id. 08310418-- Property Id. 1A390401001

Latitude 25.33486383990

Longitude 83.02626989000

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या J.32/24 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,986.0** व सामान्य कर **438.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1000,C= 200              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,986.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,986.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 988.00                      |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.UMAR,ALI HUSSAIN,KURBAN ALI

पता A.39/327 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305052877

MIS Id. 07391143-- Property Id. 1A390403001

Latitude 25.33484847690

Longitude 83.02749831410

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/327 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,532.0** व सामान्य कर **279.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,131.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 631,C= 500                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 505.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,296.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,296.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,573.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASAN BULLA S/O RAHMATULLA

पता A.39/327-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391728-- Property Id. 1A390403002

Latitude 25.33484847690

Longitude 83.02749831410

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/327-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,543.0** व सामान्य कर **390.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,179.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 968,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 774.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,624.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,624.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 399.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SANSUDDIN, BADARUDDIN, NURUDDIN

पता A.39/332-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391151-- Property Id. 1A390409001

Latitude 25.33485887700

Longitude 83.02728776030

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/332-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,030.0** व सामान्य कर **113.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 938.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 288,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 230.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,078.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,078.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 119.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAHTO NASIMULLAH SAHEB S/O JANAB MEHTO JANULLAH SAHEB

पता A.39/376-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391621-- Property Id. 1A390413002

Latitude 25.33489710800

Longitude 83.02636418870

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/376-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,084.0** व सामान्य कर **339.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,102.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 836,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 669.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,130.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,130.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 344.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.YUSUF S/O SHAFIULLA NURUDDIN S/O LATE MOHD.YUSUF

पता A.39/377-O-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391613-- Property Id. 1A390414002

Latitude 25.33491525930

Longitude 83.02569642600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-O-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,317.0** व सामान्य कर **255.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 624.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 624,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 499.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,336.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,336.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 257.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VASIRUDDIN S/O NURUDDIN

पता A.39/345-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7398309867

MIS Id. 07391626-- Property Id. 1A390415001

Latitude 25.33489806960

Longitude 83.02659490440

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/345-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,716.0** व सामान्य कर **409.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 500.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1000,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 800.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,744.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,744.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 412.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUDDIN S/O ABDUL AJIJ

पता A.39/328-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391150-- Property Id. 1A390416002

Latitude 25.33487035390

Longitude 83.02740448930

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/328-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,217.0** व सामान्य कर **354.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 702,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 562.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,285.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,285.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 361.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAHMATULLA S/O LATE AMIRULLA

पता A.39/327-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9616726451

MIS Id. 07381546-- Property Id. 1A390420001

Latitude 25.33488328930

Longitude 83.02768640130

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/327-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,892.0** व सामान्य कर **318.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 400.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,744.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,744.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 412.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAINUL AABDIN, SERAJUDDIN, SHAMSHER ALI, MOHD. IBRAHIM SS/O

पता A.39/340 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8960600893

MIS Id. 07391629-- Property Id. 1A390422001

Latitude 25.33491440430

Longitude 83.02677068940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/340 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,498.0** व सामान्य कर **165.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,200.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 900, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 720.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKHSANA BEGUM W/O MUHIUDDIN,NAGMA BEGAM,NASIMA DD/O

पता A.39/336-5-E-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6391531944

MIS Id. 07391159A Property Id. 1A390429001

Latitude 25.33493582370

Longitude 83.02699140370

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-E-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,310.0** व सामान्य कर **144.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 400.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 400,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 320.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,498.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,498.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 165.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.SHARIF S/O MD.SIDDHIQ

पता A.39/333 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391160-- Property Id. 1A390432001

Latitude 25.33494524600

Longitude 83.02714619460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/333 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,348.0** व सामान्य कर **478.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,175.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1175,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 940.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,399.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,399.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 484.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM RASOOL S/O AHAMAD ALI

पता A.39/304-15 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391366-- Property Id. 1A390436003

Latitude 25.33494336520

Longitude 83.02556508920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-15 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,593.0** व सामान्य कर **285.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,667.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 702,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 562.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,628.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,628.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 289.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAINUL AABDIN,EHSAN ALI SS/O HAJI ANARULLA

पता A.39/336-A-M-17 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9795228901

MIS Id. 07391038-- Property Id. 1A390438001

Latitude 25.33492623900

Longitude 83.02802148630

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-A-M-17 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,840.0** व सामान्य कर **752.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,600.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 600,C= 600                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 17,129.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 17,129.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,884.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NISAR AHMAD S/O BARKATULLA

पता A.39/377 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6390847119

MIS Id. 07391682-- Property Id. 1A390439001

Latitude 25.33494638080

Longitude 83.02814998850

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,894.0** व सामान्य कर **428.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,050.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1050,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 840.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,931.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,931.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 432.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAQBUL AHAMAD ZAHUR AHAMAD NURUL HASAN OTHER

पता A.39/346 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7668711210

MIS Id. 07391627-- Property Id. 1A390441001

Latitude 25.33500291490

Longitude 83.02646066060

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/346 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,256.0** व सामान्य कर **248.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Industrial Unit      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 1200            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 28,642.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 28,642.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,151.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANISURHMAN,HAVIVURHMAN,ALIMURHMAN OTHER

पता A.39/345-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391300-- Property Id. 1A390442001

Latitude 25.33500525470

Longitude 83.02657651330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/345-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,059.0** व सामान्य कर **226.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,000.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1000,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,744.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,744.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 412.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NOORJHA BEGUM W/O LATE MUKHATAR AHAMAD

पता A.39/357-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391329-- Property Id. 1A390442002

Latitude 25.33500525470

Longitude 83.02657651330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/357-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,312.0** व सामान्य कर **254.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,183.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 640,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 512.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,396.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,396.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 264.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMJAN ALI S/O FURASAT ALI

पता A.39/305-A-5-F Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9140863484

MIS Id. 07391365-- Property Id. 1A390443001

Latitude 25.33501571850

Longitude 83.02572606050

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/305-A-5-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,547.0** व सामान्य कर **390.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,000.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 900,C= 300               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 15,304.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 15,304.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,683.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT MALIK HAZI RAHAMTULLA HAFIJULLA AMIRUDDIN SS/O

पता A.39/305-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391367-- Property Id. 1A390443002

Latitude 25.33501571850

Longitude 83.02572606050

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/305-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,256.0** व सामान्य कर **248.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,472.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 640,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 512.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,396.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,396.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 264.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMALUDDIN S/O LATE FURSAT ALI

पता A.39/305-A-5-F-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391365B Property Id. 1A390443003

Latitude 25.33501571850

Longitude 83.02572606050

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/305-A-5-F-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,340.0** व सामान्य कर **257.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,475.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 506,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 405.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,368.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,368.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 260.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI MAINUDDIN,HAJI

पता A.39/300-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391503A Property Id. 1A390446001

Latitude 25.33482852330

Longitude 83.02601386110

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/300-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,721.0** व सामान्य कर **1,399.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 8,253.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 565,C= 275           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 452.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr        |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 19,467.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 19,467.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,141.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HASAN S/O LATE NATAK

पता A.39/379 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391333-- Property Id. 1A390447001

Latitude 25.33502703490

Longitude 83.02624811880

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/379 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,594.0** व सामान्य कर **395.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,000.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1200,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,493.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,493.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 494.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIRUDDIN S/O BADARUDDIN

पता A.39/304-2-D Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391520-- Property Id. 1A390448001

Latitude 25.33484183720

Longitude 83.02496843140

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-2-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,273.0** व सामान्य कर **140.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 10,562.00               |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 342,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 274.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,280.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,280.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 141.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.NASIR,MOHD.TAHIR SS/O MOHD.FARUKH

पता A.39/331 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391157-- Property Id. 1A390451001

Latitude 25.33503461550

Longitude 83.02714812300

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/331 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 627.0 व सामान्य कर 69.0 से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 691.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 504,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 403.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,887.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,887.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 208.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASARUL HAQ,SAMSHUL HAQ,KUMARI SHAKILA BIBI S/O D/O

पता A.39/380 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391337-- Property Id. 1A390454002

Latitude 25.33505466500

Longitude 83.02614556590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/380 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,680.0** व सामान्य कर **515.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 548.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 506,C= 506                |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 405.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,736.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,736.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 521.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD JAVED S/O MD VASIR

पता A.39/280-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391338-- Property Id. 1A390454003

Latitude 25.33505466500

Longitude 83.02614556590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/280-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,831.0** व सामान्य कर **311.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 546.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 760,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 608.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,845.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,845.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 313.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VASIR AHAMAD S/O ABDUL SATTAR

पता A.39/380-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391335B Property Id. 1A390454004

Latitude 25.33505466500

Longitude 83.02614556590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/380-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,069.0** व सामान्य कर **228.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 548.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 576,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 461.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,696.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,696.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 297.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN, SAMSUDDIN ABDUL SHAKUR S/O HAMIDULLA

पता A.39/302-F Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8960619197

MIS Id. 07391517-- Property Id. 1A390455001

Latitude 25.33508743870

Longitude 83.02537774020

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/302-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,054.0** व सामान्य कर **446.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,600.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,120.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,897.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,897.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 649.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAIVUNNISA W/O GARIVUL HAQ, ABDUL KAYUM, ABDUL MATIN MD

पता A.39/347-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7007199031

MIS Id. 07391301-- Property Id. 1A390457001

Latitude 25.33509794680

Longitude 83.02664059090

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/347-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,074.0** व सामान्य कर **1,328.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 550.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 900, C= 200               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 720.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,168.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 12,168.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 1,338.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BASHIRUNISHA W/O JAINUL AABDIN

पता A.39/305-M-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391368-- Property Id. 1A390460002

Latitude 25.33508932080

Longitude 83.02547836910

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/305-M-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,022.0** व सामान्य कर **222.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,000.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 4800,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,840.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 17,971.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 17,971.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,977.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMINUDDIN S/O ABDUL ZABBAR

पता A.39/328 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8687147486

MIS Id. 07391145-- Property Id. 1A390465001

Latitude 25.33506062190

Longitude 83.02747807970

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/328 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,722.0** व सामान्य कर **849.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,600.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1600,C= 1600                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                         |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 44,179.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 44,179.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,860.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUDDIN S/O ABDUL KARIM

पता A.39/347 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9389079031

MIS Id. 07391302-- Property Id. 1A390466001

Latitude 25.33510259140

Longitude 83.02657799300

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/347 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,574.0** व सामान्य कर **283.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600,C= 600                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 16,567.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 16,567.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,822.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASAGAR ALI S/O GAJAR ALI, MUS.KAMARUNNISA W/O PEER

पता A.39/357-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391326-- Property Id. 1A390466003

Latitude 25.33510259140

Longitude 83.02657799300

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/357-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,156.0** व सामान्य कर **127.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 563.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 324,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 259.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,213.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,213.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 133.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAIDUDDIN KALIMUDDIN NURUDDIN NEJAMUDIN SALAUDDIN &

पता A.39/335-A-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391151A Property Id. 1A390468001

Latitude 25.33510769440

Longitude 83.02713984200

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-A-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,995.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 812.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 812,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 650.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,040.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,040.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 334.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWAR AHAMAD ISATEYAG AHAMAD MUSATAQ AHAMAD S/O LATE

पता A.39/357-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391327-- Property Id. 1A390470001

Latitude 25.33511269340

Longitude 83.02648439380

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/357-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,312.0** व सामान्य कर **254.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,600.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 650,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 520.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,434.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,434.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 268.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDDIN S/O ABDUL LATIF, ATIYA BIBI W/O SAMSUDDIN

पता A.39/328-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305140660

MIS Id. 07391141-- Property Id. 1A390471001

Latitude 25.33508986450

Longitude 83.02760231340

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/328-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,054.0** व सामान्य कर **556.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,350.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial Unit, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200, C= 1200                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 960.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 33,696.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 33,696.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,707.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAMIL AHAMAD ANISURAHAMAN SRI ZAMIL AHAMAD S/O

पता A.39/305-A-5-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8687156195

MIS Id. 07391361-- Property Id. 1A390474001

Latitude 25.33512969980

Longitude 83.02577613480

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/305-A-5-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,705.0** व सामान्य कर **298.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1000,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,744.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,744.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 412.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMMAD ASHLAM S/O AHAMAD ALI

पता A.39/304-15-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391369-- Property Id. 1A390475002

Latitude 25.33517897740

Longitude 83.02548508590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-15-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,182.0** व सामान्य कर **350.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1500,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,200.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,020.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,020.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 772.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम WASHIRUNNISA W/O NIZAMUDDIN

पता A.39/305-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391359-- Property Id. 1A390483001

Latitude 25.33519207960

Longitude 83.02584898150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/305-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **16,848.0** व सामान्य कर **1,853.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 624.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 224,C= 400           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 179.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 16,960.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 16,960.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,866.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SALAM S/O MD.FARUKH

पता A.39/335-A-F-S-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9336438918

MIS Id. 07391147-- Property Id. 1A390484001

Latitude 25.33517342580

Longitude 83.02725350430

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-A-F-S-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,902.0** व सामान्य कर **429.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 600.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 400               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 640.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,291.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,291.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,462.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NOORJAHAN,BASHIRUNNISHA,FAIJUNNISHA DD/O LATE BADRUDDIN

पता A.39/335-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369217174

MIS Id. 07391080-- Property Id. 1A390484002

Latitude 25.33517342580

Longitude 83.02725350430

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,390.0** व सामान्य कर **153.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 600,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,527.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,527.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 278.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUKHATAR S/O LATE MATIULLA

पता A.39/335-A-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8081564535

MIS Id. 07391137-- Property Id. 1A390489001

Latitude 25.33518339660

Longitude 83.02745819710

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,089.0** व सामान्य कर **340.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 450.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 900,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 720.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAINUD AHAMAD S/O ABDUL JABBAR

पता A.39/328-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8112635980

MIS Id. 07391140-- Property Id. 1A390493001

Latitude 25.33519046340

Longitude 83.02759487980

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/328-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,606.0** व सामान्य कर **287.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 840.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 400,C= 840                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 320.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,734.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,734.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,391.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.SALIM S/O HAFIULLA

पता A.39/358 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9695030346

MIS Id. 07391324-- Property Id. 1A390496001

Latitude 25.33523990340

Longitude 83.02649663690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/358 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,715.0** व सामान्य कर **519.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 450.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 900,C= 450                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 720.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 22,113.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 22,113.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,432.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUFAIDA BIBI W/O MD. RAFIK ALIES CHOTAK

पता A.39/358-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391323-- Property Id. 1A390496002

Latitude 25.33523990340

Longitude 83.02649663690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/358-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,379.0** व सामान्य कर **372.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 404.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 960,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 768.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,594.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,594.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 395.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANISURRAHMAN S/O LATE SHAMSUDDIN

पता A.39/320-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391164A Property Id. 1A390497002

Latitude 25.33518490050

Longitude 83.02688371380

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/320-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,318.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 624,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 499.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,336.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,336.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 257.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KUDDUS S/O ABDUL RASID

पता A.39/320 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391164-- Property Id. 1A390502001

Latitude 25.33519172740

Longitude 83.02681152320

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/320 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,317.0** व सामान्य कर **255.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,800.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1000,C= 800                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 22,838.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 22,838.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,512.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALAUDDIN S/O LATE MOHD.ZAHOOR

पता A.39/319 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391165-- Property Id. 1A390502003

Latitude 25.33519172740

Longitude 83.02681152320

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/319 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,480.0** व सामान्य कर **273.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,559.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 676,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 541.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,531.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,531.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 278.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Hashamatulla

पता A.39/305-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391360-- Property Id. 1A390504001

Latitude 25.33523684820

Longitude 83.02573363200

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/305-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

०.०

व सामान्य कर

०.० से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार         | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,716.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | 1_Industrial Unit,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                     |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 0,C= 2184                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                 |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                 |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                            |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                 |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 52,128.00                       |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                 |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 52,128.00                       |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 7,819.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                             |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALAUDDIN S/O LATE MD.AMIN

पता A.39/358-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8303191642

MIS Id. 07391322-- Property Id. 1A390505001

Latitude 25.33528367880

Longitude 83.02649824930

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/358-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,312.0** व सामान्य कर **254.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 450.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 900,C= 450                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,271.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,271.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,340.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKSANA BEBI JAUJEY JAINUL ABDIN

पता A.39/319-A-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391297-- Property Id. 1A390506001

Latitude 25.33527166810

Longitude 83.02670935430

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/319-A-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,434.0** व सामान्य कर **268.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 819.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 672,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 538.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,516.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,516.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 277.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TABREJ AHMAD S/O ABDUL MARHUM

पता A.39/335-B-1-T Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8081354960

MIS Id. 07391080A Property Id. 1A390511002

Latitude 25.33528045710

Longitude 83.02740058940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-B-1-T के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,685.0** व सामान्य कर **185.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,162.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 460,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 368.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,722.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 1,722.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 189.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHAIRUNNISA D/O MOHD.ISMAIL

पता A.39/360 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391305-- Property Id. 1A390512001

Latitude 25.33528895580

Longitude 83.02660565160

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/360 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,627.0** व सामान्य कर **399.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,068.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,744.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,744.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 412.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMUDDIN S/O NURUDDIN

पता A.39/358-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391321-- Property Id. 1A390512002

Latitude 25.33528895580

Longitude 83.02660565160

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/358-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,312.0** व सामान्य कर **254.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,068.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 640,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 512.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,396.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,396.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 264.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MATIURRAHMAN S/O LATE NOOR MOHAMMED

पता A.39/358-K+358-G Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391319-- Property Id. 1A390514001

Latitude 25.33528222660

Longitude 83.02642934660

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/358-K+358-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,705.0** व सामान्य कर **298.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 889.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 756,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 605.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,830.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 2,830.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 311.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKHSANA BIBI, REHANA BIBI W/O ABDUL RASID

पता A.39/152-A-X-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391296-- Property Id. 1A390515001

Latitude 25.33531981920

Longitude 83.02671278590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-X-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,287.0** व सामान्य कर **142.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 405.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 360, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 288.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,348.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,348.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 148.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAJVUNNISA W/O VARKTULLA

पता A.39/371 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391315-- Property Id. 1A390517001

Latitude 25.33530608540

Longitude 83.02617365290

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/371 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,518.0** व सामान्य कर **717.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 0,C= 1600            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 63,648.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 63,648.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 9,547.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUL HAQ S/O HAVIBURHMAN

पता A.39/363 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391318-- Property Id. 1A390519001

Latitude 25.33525080870

Longitude 83.02631742540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/363 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,915.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1024,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 819.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,834.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,834.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 422.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUNISHA W/O LATE GULAM MD.SADIK ALLAIS MANGARU ANSAR

पता A.39/372-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391317-- Property Id. 1A390519002

Latitude 25.33525080870

Longitude 83.02631742540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/372-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,544.0** व सामान्य कर **170.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,912.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 432,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 346.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,617.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,617.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 178.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MO. YASEEN S/O LATE SHASHUDDIN

पता A.39/335-A-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391082-- Property Id. 1A390521001

Latitude 25.33529496240

Longitude 83.02757267230

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,480.0** व सामान्य कर **273.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 965.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 672,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 538.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,516.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,516.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 277.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMMAD FARUKH S/O SAMASUDDIN

पता A.39/335-B-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7607021476

MIS Id. 07391083-- Property Id. 1A390523001

Latitude 25.33530023650

Longitude 83.02777424150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-B-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **18,346.0** व सामान्य कर **2,018.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,600.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 3900,C= 1000                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,120.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 54,382.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 54,382.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 8,157.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAIDA BIBI W/O MOHD AHAMAD & MOHD AHMAD S/O MAULVI

पता A.39/304-16- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390858-- Property Id. 1A390524001

Latitude 25.33519566280

Longitude 83.02560246100

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-16- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 4,087.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 930,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 744.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,482.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,482.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 383.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAJIY BIBI W/O LATE HAFIJ AHMAD & ABU TALIB MINOR & VELAYET

पता A.39/335-B-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391072-- Property Id. 1A390528001

Latitude 25.33535547330

Longitude 83.02739841090

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-B-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,831.0** व सामान्य कर **311.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,600.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 1600            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 63,648.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 63,648.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 9,547.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL ALIM

पता A.39/335-U-3-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391147B Property Id. 1A390530001

Latitude 25.33529439800

Longitude 83.02840069480

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-3-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,582.0** व सामान्य कर **834.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 900,C= 900           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 39,593.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 39,593.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,355.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HABIBULLA S/O MD.SIDDHIQ

पता A.39/319-A-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7505554799

MIS Id. 07391295-- Property Id. 1A390532001

Latitude 25.33536840400

Longitude 83.02671493340

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/319-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,819.0** व सामान्य कर **420.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 525.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1050,C= 525                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 840.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 24,816.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 24,816.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,730.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAHAMTULLA S/O HIDAYATULLA

पता A.39/362 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391308-- Property Id. 1A390533001

Latitude 25.33537364810

Longitude 83.02634414440

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/362 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,633.0** व सामान्य कर **510.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 624.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1248,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 998.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,673.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,673.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 514.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMAMANTULLA NIYAMTULLA OTHER

पता A.39/335-U-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391128-- Property Id. 1A390534001

Latitude 25.33534804030

Longitude 83.02803168580

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,701.0** व सामान्य कर **297.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1000,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,744.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,744.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 412.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MATIURAHAMAN SAFIURAHAMAN AZIZURAMAN SS/O LATE NUR

पता A.39/335-O-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391129-- Property Id. 1A390534002

Latitude 25.33534804030

Longitude 83.02803168580

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-O-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,802.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,266.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 504,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 403.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,887.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,887.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 208.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.IQRAM S/O BADRUDDIN MUS.TAHIRA BIBI W/O BADRUDDIN

पता A.39/303-A-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391372-- Property Id. 1A390535002

Latitude 25.33540096500

Longitude 83.02559765350

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/303-A-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,610.0** व सामान्य कर **177.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 500.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 500,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 400.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,872.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,872.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 206.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MASTER SAFIULLAH S/O LATE ASRULLAH

पता A.39/350-M-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9454166057

MIS Id. 07391306-- Property Id. 1A390536001

Latitude 25.33537143890

Longitude 83.02661070510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/350-M-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,317.0** व सामान्य कर **255.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,600.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 325,C= 325               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 260.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,146.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,146.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,556.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.FARUQ S/O MOHD.SABIR

पता A.39/304-16 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391370-- Property Id. 1A390538001

Latitude 25.33535397210

Longitude 83.02549872560

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-16 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,118.0** व सामान्य कर **453.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1800,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,739.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,739.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 741.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.KHAIRUNISA W/O KAMRUDDIN NURUDDIN JAINUL ABDIN

पता A.39/335-A-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391081-- Property Id. 1A390539001

Latitude 25.33532409720

Longitude 83.02750127070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-A-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,779.0** व सामान्य कर **196.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,192.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 448,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 358.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,887.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,887.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 208.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.HANIF ANSARI S/O LATE HAJI BARKATULLA

पता A.39/335-U-5-A-14-A-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9335169963

MIS Id. 07390964B Property Id. 1A390540001

Latitude 25.33537529030

Longitude 83.02816324210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-A-14-A-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,644.0** व सामान्य कर **181.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 450,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 360.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,106.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,106.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 232.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HABIBUREHMAN S/O LATE KAMRUDDIN

पता A.39/335-U-5-A-14-A-H- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390964A Property Id. 1A390540002

Latitude 25.33537529030

Longitude 83.02816324210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-A-14-A-H- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,864.0** व सामान्य कर **315.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 696.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 696,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 557.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,257.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,257.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 358.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL ALI, MOHD.UMAR

पता A.39/336-5-F- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391079-- Property Id. 1A390542001

Latitude 25.33537998970

Longitude 83.02756805240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-F- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,943.0** व सामान्य कर **434.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 868.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 868, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 694.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,062.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,062.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 447.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.IQBAL S/O LATE MD.FARUKH

पता A.39/354 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8601460552

MIS Id. 07391307-- Property Id. 1A390544001

Latitude 25.33539147340

Longitude 83.02649329480

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/354 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **18,567.0** व सामान्य कर **2,042.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,600.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1000,C= 600                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 19,001.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 19,001.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,090.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL VAHEED S/O LATE MD.SULEMAN

पता A.39/335-U-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391116-- Property Id. 1A390545001

Latitude 25.33535132770

Longitude 83.02851686030

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,201.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 840,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 672.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,538.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,538.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 389.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHUSBUNISSA W/O LIYAKATULLAH

पता A.39/377-A-K-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391342-- Property Id. 1A390546001

Latitude 25.33541105360

Longitude 83.02609849500

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-K-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,736.0** व सामान्य कर **191.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 700.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,120.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,242.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,242.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 577.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MADINA BIBI W/O LATE ABDUL SALAM, ISLAM S/O LATE ABDUL

पता A.39/305-1-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391341-- Property Id. 1A390547001

Latitude 25.33541374300

Longitude 83.02602394080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/305-1-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **964.0** व सामान्य कर **106.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 700.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1400, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,120.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,242.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 5,242.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 577.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SABNAM BIBI W/O MUSTAK ALI

पता A.39/306-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391343B Property Id. 1A390547002

Latitude 25.33541374300

Longitude 83.02602394080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/306-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,092.0** व सामान्य कर **560.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 696.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1392,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,114.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,212.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,212.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 573.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIJURRAHMAN S/O LATE SAMSUDDIN

पता A.39/335-V-3-Y Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391135-- Property Id. 1A390550001

Latitude 25.33539973960

Longitude 83.02776379200

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-V-3-Y के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,253.0** व सामान्य कर **688.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1800,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,739.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,739.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 741.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EHSAN AHMAD S/O MOH.IDRISH

पता A.39/335-U-25-A-F Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9452072044

MIS Id. 07391127-- Property Id. 1A390551001

Latitude 25.33542046880

Longitude 83.02815748940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-25-A-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,822.0** व सामान्य कर **200.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                             |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 2000,C= 400                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,600.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 24,336.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 24,336.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,677.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUDDIN, MOHD MUNIR, RAMJAN ALI SS/O RIJWAN

पता A.39/335-A- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391126-- Property Id. 1A390551002

Latitude 25.33542046880

Longitude 83.02815748940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-A- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,059.0** व सामान्य कर **226.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार              | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 662.00                               |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, 2_Residential, 3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                          |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 576, C= 0                         |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                      |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 461.00                               |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                      |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                                 |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                      |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,157.00                             |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                      |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 2,157.00                             |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 237.00                               |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                  |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL VAHID S/O MD.SULEMAN

पता A.39/335-U-5-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391131-- Property Id. 1A390551003

Latitude 25.33542046880

Longitude 83.02815748940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,059.0** व सामान्य कर **226.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 662.00                             |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 576,C= 0                        |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 461.00                             |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,157.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,157.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 237.00                             |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUDDIN S/O MANATULLAH MARHUM MOHD BASHIR S/O HAJI

पता A.39/335-U-5-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391120-- Property Id. 1A390554001

Latitude 25.33542394600

Longitude 83.02839377450

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,220.0** व सामान्य कर **354.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 440.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 880,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 704.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,295.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,295.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 362.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SIRAJUDDIN S/O LATE SAFIULLA

पता A.39/318-A-F Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9140624807

MIS Id. 07391167-- Property Id. 1A390555001

Latitude 25.33543955660

Longitude 83.02681802790

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/318-A-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,164.0** व सामान्य कर **348.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1000,C= 500                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 15,678.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 15,678.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,725.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI YASINUDDIN S/O HAZI FASIUDDIN

पता A.39/335-U-5-14-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391133-- Property Id. 1A390556001

Latitude 25.33539124000

Longitude 83.02790918100

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-14-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,349.0** व सामान्य कर **478.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,050.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1050,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 840.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,423.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,423.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 487.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HABIBULLA S/O SAMAULLA

पता A.39/335-B-2-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9696357296

MIS Id. 07391130-- Property Id. 1A390557001

Latitude 25.33542400720

Longitude 83.02802207980

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-B-2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,059.0** व सामान्य कर **226.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1800,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,739.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,739.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 741.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUNNISHA W/O LATE JAHIRUL HASAN,RIYAJUL HAQ,JIYAU

पता A.39/335-U-5-26 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391132-- Property Id. 1A390557002

Latitude 25.33542400720

Longitude 83.02802207980

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-26 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,705.0** व सामान्य कर **298.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,157.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 760,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 608.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,845.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,845.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 313.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJJUREHMAN S/O MOHD HANIF

पता A.39/336-5-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391284A Property Id. 1A390558002

Latitude 25.33536245850

Longitude 83.02829602630

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,582.0** व सामान्य कर **834.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,636.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1860,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,488.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,834.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,834.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 862.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSHTARI BEGAM W/O SAMASHER KHAN

पता A.39/306-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8115299049

MIS Id. 07391344-- Property Id. 1A390559001

Latitude 25.33548006910

Longitude 83.02602790530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/306-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,182.0** व सामान्य कर **350.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 500.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1000,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,744.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,744.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 412.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTARI BEGUM W/O SAMSHIR KHAN D/O RASID MIRZA

पता A.39/306 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391344A Property Id. 1A390559002

Latitude 25.33548006910

Longitude 83.02602790530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/306 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 506.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1012,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 810.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,789.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,789.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 417.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RIYAJ ALI S/O FURASAT ALI

पता A.39/306-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391343-- Property Id. 1A390560001

Latitude 25.33547890220

Longitude 83.02609966200

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/306-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,897.0** व सामान्य कर **319.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 400.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,995.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,995.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 329.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JALALUDDIN,CHITHRU,VASHIVUNNISA,RABIYA BIBI D/O CHATHRU

पता A.39/370 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391313-- Property Id. 1A390562001

Latitude 25.33545580370

Longitude 83.02618712400

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/370 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,128.0** व सामान्य कर **124.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1600,C= 800                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 25,084.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 25,084.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,759.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASRUDDIN S/O MOINUDDIN

पता A.39/370-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391312-- Property Id. 1A390562002

Latitude 25.33545580370

Longitude 83.02618712400

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/370-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,005.0** व सामान्य कर **991.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 981.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 848,C= 400               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 678.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 19,881.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 19,881.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,187.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AHAMAD SAFIURHMAN, MATIURHMAN SS/O BARAKTULLA OTHER

पता A.39/361 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391314-- Property Id. 1A390563001

Latitude 25.33546122060

Longitude 83.02627289750

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/361 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,279.0** व सामान्य कर **251.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,375.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 550, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 440.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,317.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,317.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 255.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIM AHMAD S/O HAJI ABDUL HASAN

पता A.39/364 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391285B Property Id. 1A390563002

Latitude 25.33546122060

Longitude 83.02627289750

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/364 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,582.0** व सामान्य कर **834.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,374.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1860,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,488.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,834.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,834.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 862.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAHJAHAN BIBI W/O RAMJAN ALI D/O NAVI

पता A.39/307-A-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8808874486

MIS Id. 07391353-- Property Id. 1A390564001

Latitude 25.33545558300

Longitude 83.02593578670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/307-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,632.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 700.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2100,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,680.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,828.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,828.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,081.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAHIDUNNISA W/O MOHD.ALI,MOHD.SHAMIM ALIAS BABU S/O

पता A.39/307-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391352-- Property Id. 1A390564002

Latitude 25.33545558300

Longitude 83.02593578670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/307-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,434.0** व सामान्य कर **268.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,143.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 654,C= 600           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 523.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 26,317.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 26,317.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,895.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS SHARIFUNISSA W/O LATE MOHD ISRAEL

पता A.39/369-K-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391309-- Property Id. 1A390568001

Latitude 25.33547012050

Longitude 83.02640134880

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/369-K-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 923.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 756,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 605.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,830.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,830.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 311.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMINUDDIN, ABDUL MATIN S/O LATE HAFIZULLA

पता A.39/308-B-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391355-- Property Id. 1A390570001

Latitude 25.33547570000

Longitude 83.02576994500

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/308-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 964.0 व सामान्य कर 106.0 से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 600.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1000, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 800.00                        |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,744.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 3,744.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 412.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAIBUNNISA W/O SAFIULLA, NURUL HASAN S/O

पता A.39/308-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391356-- Property Id. 1A390570002

Latitude 25.33547570000

Longitude 83.02576994500

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/308-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,330.0** व सामान्य कर **256.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 960.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 638, C= 322          |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 510.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 15,198.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 15,198.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,672.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIJAMUDDIN S/O SAFIULLA KAYAMUDDIN DIYAJUDDIN SS/O

पता A.39/318-A-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8009000955

MIS Id. 07391168-- Property Id. 1A390571001

Latitude 25.33546090770

Longitude 83.02689068330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/318-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,379.0** व सामान्य कर **372.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 650,C= 325                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 520.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 15,363.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 15,363.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,690.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BASHIRUDDIN S/O MD.FARUKH MUS.TAHIRA BIBI W/O BADARUDDIN

पता A.39/335-U-5-4- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391119-- Property Id. 1A390572001

Latitude 25.33547570690

Longitude 83.02838718590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-4- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 3,205.0 व सामान्य कर 353.0 से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 696.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 696,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 557.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,257.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,257.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 358.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABIDA BIBI D/O LATE SAMIRULLAH AND OTHERS

पता A.39/324-E-10 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391375-- Property Id. 1A390573001

Latitude 25.33549662180

Longitude 83.02548979340

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-E-10 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,730.0** व सामान्य कर **1,400.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,400.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2800,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,240.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,104.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,104.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,441.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SOGRA BEGUM W/O RUSTAM ALI

पता A.39/372-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391117-- Property Id. 1A390575001

Latitude 25.33546388970

Longitude 83.02845382720

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/372-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **23,868.0** व सामान्य कर **2,625.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 624.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 624             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 24,823.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 24,823.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,731.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI HAPHIJU RAHAMAN S/O HAFIZ NUR MD.

पता A.39/335-C-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391084-- Property Id. 1A390577001

Latitude 25.33548710360

Longitude 83.02766355220

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-C-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,026.0** व सामान्य कर **223.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 906.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 550,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 440.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,059.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,059.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 226.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALAUDDIN S/O NURUDDIN

पता A.39/335-K-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8953138878

MIS Id. 07391103-- Property Id. 1A390578001

Latitude 25.33548988410

Longitude 83.02827751640

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-K-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,621.0** व सामान्य कर **288.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,000.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2000,C= 1000                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,600.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 47,268.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 47,268.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 5,199.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BAJBUN NISSA W/O SARFUDDIN

पता A.39/335-U-5-12-H-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391096-- Property Id. 1A390578002

Latitude 25.33548988410

Longitude 83.02827751640

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-12-H-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,349.0** व सामान्य कर **478.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 845.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1080,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 864.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,549.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,549.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 500.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VFHATAN BIBI W/O ABDUL GAFUR

पता A.39/335-C-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391114-- Property Id. 1A390582001

Latitude 25.33548684310

Longitude 83.02855774590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-C-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,781.0** व सामान्य कर **416.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 577.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1012,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 810.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,789.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,789.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 417.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SOGRA BIBI W/O SULEMAN

पता A.39/335-U-5-6 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391118-- Property Id. 1A390582002

Latitude 25.33548684310

Longitude 83.02855774590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,995.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 574.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 810,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 648.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,033.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,033.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 334.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BASHIR AHAMAD S/O NUR MD.

पता A.39/335-U-5-9 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305829770

MIS Id. 07391086-- Property Id. 1A390583001

Latitude 25.33550112660

Longitude 83.02781484450

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,153.0** व सामान्य कर **567.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 400               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,907.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,907.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,080.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NISAR AHAMAD S/O MASOOQ AHAMAD ALIES AHAMAD HUSSAIN

पता A.39/335-C-X-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391085-- Property Id. 1A390583002

Latitude 25.33550112660

Longitude 83.02781484450

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-C-X-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,546.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,053.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 720,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 576.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,696.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,696.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 297.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAJID S/O BACHCHAN

पता A.39/304-13 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9648362045

MIS Id. 07391493-- Property Id. 1A390584001

Latitude 25.33552115390

Longitude 83.02536553330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-13 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,303.0** व सामान्य कर **253.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 700.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 700,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 560.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,621.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,621.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 288.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AFSANA BEGUM W/O IMTEYAZ AHMAMAD

पता A.39/301-A-4-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8081957720

MIS Id. 07391494-- Property Id. 1A390584002

Latitude 25.33552115390

Longitude 83.02536553330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/301-A-4-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,371.0** व सामान्य कर **261.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,050.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2100,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,680.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,862.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,862.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 865.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTFA HUSSAIN S/O MURTJA HUSSAIN

पता A.39/359 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391291-- Property Id. 1A390585001

Latitude 25.33549354020

Longitude 83.02649832190

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/359 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,544.0** व सामान्य कर **170.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार        | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | 1_Commercial Shop,2_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                    |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 0,C= 3600                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                           |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,43,208.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,43,208.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 21,481.00                      |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                            |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम WALI MOHAMMAD S/O TAJ MOHAMMAD

पता A.39/335-5-22 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7505611433

MIS Id. 07391087-- Property Id. 1A390586001

Latitude 25.33550863430

Longitude 83.02788584680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-5-22 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,293.0** व सामान्य कर **252.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 700.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,120.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,242.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,242.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 577.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHUSHABUNISA W/O MD.YASIN MD.MOBIN S/O KHALIULLA

पता A.39/335-U-5-16 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391113-- Property Id. 1A390589001

Latitude 25.33549900480

Longitude 83.02861466830

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-16 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,544.0** व सामान्य कर **170.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,000.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1000,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,744.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,744.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 412.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BAHAUDDIN S/O JIYAUDDIN

पता A.39/335-B-2-V Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390961A Property Id. 1A390591001

Latitude 25.33539201440

Longitude 83.02712675770

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-B-2-V के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,364.0** व सामान्य कर **700.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 15,228.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1392,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,114.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,515.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,515.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 717.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMJAN ALI NIZAMUDDIN S/O SHAMSUL HAQ

पता A.39/335-U-5-8 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6307952580

MIS Id. 07391110-- Property Id. 1A390593001

Latitude 25.33551455780

Longitude 83.02869308680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,604.0** व सामान्य कर **396.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 500,C= 500                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 400.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,806.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,806.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,519.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IQBAL AHAMAD VASIR S/O SHEKH AHAMAD HUSAIN

पता A.39/335-C Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9235868608

MIS Id. 07391074-- Property Id. 1A390594001

Latitude 25.33548885070

Longitude 83.02738577620

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **20,405.0** व सामान्य कर **2,245.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,200.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3200,C= 3200                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,560.00                         |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 91,354.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 91,354.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 13,703.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUJJAMA S/O LATE AMANTULLA

पता A.39/324-E-9 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391073-- Property Id. 1A390594002

Latitude 25.33548885070

Longitude 83.02738577620

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-E-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,831.0** व सामान्य कर **201.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,705.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1261,C= 215          |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,009.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,454.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,454.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,590.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANISHU RAHAMAN S/O SAMSUDDIN

पता A.39/335-5-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391094-- Property Id. 1A390595001

Latitude 25.33552184860

Longitude 83.02801889260

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-5-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,178.0** व सामान्य कर **680.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2400,C= 1200         |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,920.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 56,722.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 56,722.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 8,508.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDHA S/O ABDUL REHMAN

पता A.39/271-A-3-N- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391378-- Property Id. 1A390599002

Latitude 25.33557003090

Longitude 83.02575920410

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-3-N- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,547.0** व सामान्य कर **1,050.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,292.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2584,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,067.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,674.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,674.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,064.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RIYAZUDDIN ALIES RAJU SS/O LATE MOHD.YAKUB ALIES LALLU

पता A.39/308-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391345-- Property Id. 1A390600001

Latitude 25.33556548850

Longitude 83.02610291810

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/308-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,736.0** व सामान्य कर **191.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 815.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 480,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 384.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,797.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,797.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 198.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASAMA BIBI,BELAL ALI LATE HUSSAIN S/O LATE MOHD.YASIN,  
पता A.39/308 Saraiya  
नया वार्ड W087 Saraiya पुराना वार्ड W066 मोबाईल नं०  
MIS Id. 07391346-- Property Id. 1A390601001 Latitude 25.33557052780 Longitude 83.02603471830

## नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/308 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **2,607.0** व सामान्य कर **287.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 625.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 720,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 576.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,696.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,696.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 297.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAMIDUNISSA D/O BADRUDDIN

पता A.39/335-U-5-12-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9389289240

MIS Id. 07391212A Property Id. 1A390603001

Latitude 25.33555795960

Longitude 83.02825748330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-12-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,582.0** व सामान्य कर **834.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,600.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1000,C= 600                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,533.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,533.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,039.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.IMARAN S/O ALTAFURRAHMAN

पता A.39/307-A-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391347-- Property Id. 1A390604001

Latitude 25.33556761650

Longitude 83.02595643810

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/307-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,621.0** व सामान्य कर **288.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 938.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 720,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 576.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,696.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,696.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 297.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMUDDIN S/O SHAMSHUDDIN

पता A.39/335-U-5-8-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8957060871

MIS Id. 07391109-- Property Id. 1A390605001

Latitude 25.33554397640

Longitude 83.02877314600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-8-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,794.0** व सामान्य कर **637.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 600.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600,C= 600                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 480.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 16,567.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 16,567.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,822.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                             |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAFIULLAH

पता A.39/240-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391170-- Property Id. 1A390606002

Latitude 25.33557503460

Longitude 83.02685728110

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/240-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,986.0** व सामान्य कर **988.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,346.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2436,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,949.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,120.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,120.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,003.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUREHMAN ALAUDDIN PESRAN SHAH MOHAMMAD MARHUM

पता A.39/13-A-Q-13-A-1-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391293-- Property Id. 1A390606003

Latitude 25.33557503460

Longitude 83.02685728110

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/13-A-Q-13-A-1-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,229.0** व सामान्य कर **1,015.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,346.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2520,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,016.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,435.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,435.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,038.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.YASIN S/O ABDUL RASHID

पता A.39/365-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391290-- Property Id. 1A390607001

Latitude 25.33557446760

Longitude 83.02644448620

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/365-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,546.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार    | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,000.00                   |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 4000,C= 2000            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                            |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 3,200.00                   |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr            |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                       |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                            |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 72,696.00                  |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                            |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 72,696.00                  |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 10,904.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                        |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MASJID KUA

पता A.39/367 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391285-- Property Id. 1A390607002

Latitude 25.33557446760

Longitude 83.02644448620

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/367 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **899.0** व सामान्य कर **99.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,237.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 264,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 211.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 988.00                            |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 988.00                            |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 109.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAINUL ABDEEN,ANSAR AHAMAD

पता A.39/318-B-5-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9307354654

MIS Id. 07391077-- Property Id. 1A390608001

Latitude 25.33555437970

Longitude 83.02757320040

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/318-B-5-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,493.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,493.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 494.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PHIROJ AHAMAD S/O GULAM MOHAMMAD

पता A.39/318-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7052438104

MIS Id. 07391062-- Property Id. 1A390608002

Latitude 25.33555437970

Longitude 83.02757320040

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/318-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,593.0** व सामान्य कर **1,275.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,550.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3100,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,480.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,606.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,606.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,277.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAIFUDDIN S/O JIYADDIN

पता A.39/335-U-5-1-X+U-5-X+U-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391101-- Property Id. 1A390610001

Latitude 25.33556707370

Longitude 83.02834377750

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-1-X+U-5-X+U-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

**7,924.0**

व सामान्य कर

**872.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2400,C= 1200                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,920.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 38,751.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 38,751.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,263.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMNA BIBI W/O MD AMIN

पता A.39/335-U-5-12 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391097-- Property Id. 1A390610002

Latitude 25.33556707370

Longitude 83.02834377750

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-12 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,882.0** व सामान्य कर **207.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 715.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 520,C= 500           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 416.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,837.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,837.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,402.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAFIZ AHAMAD

पता A.39/335-B-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7949804431

MIS Id. 07391061-- Property Id. 1A390611001

Latitude 25.33558813150

Longitude 83.02764220560

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,933.0** व सामान्य कर **213.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 450.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 650,C= 200               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 520.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,390.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,390.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,143.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAFIULLA S/O VASHIR

पता A.39/307-1-C Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391348-- Property Id. 1A390612001

Latitude 25.33558223640

Longitude 83.02588073860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/307-1-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,984.0** व सामान्य कर **218.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,274.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 550,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 440.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,059.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,059.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 226.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.MURSHALIN

पता A.39/306-A-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

MIS Id. 07391343D Property Id. 1A390612002

पुराना वार्ड W066

Latitude 25.33558223640

मोबाईल नं०

Longitude 83.02588073860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/306-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,546.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,274.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 696,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 557.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,606.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,606.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 287.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL WAHID S/O MOHD SULEMAN

पता A.39/335-E-5-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7505475170

MIS Id. 07391102-- Property Id. 1A390613001

Latitude 25.33557508760

Longitude 83.02840711610

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-E-5-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,092.0** व सामान्य कर **560.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600,C= 600                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 16,567.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 16,567.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,822.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                             |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJUREHMAN S/O MD SAKUR

पता A.39/335-U-5-11-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391094A Property Id. 1A390615001

Latitude 25.33557352900

Longitude 83.02814242440

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-11-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,853.0** व सामान्य कर **534.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,332.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1332,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,066.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,987.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,987.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 549.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUZZAMA ANSARI S/O HAFIJ SAMIULLAH

पता A.39/335-B-2-1-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8299606157

MIS Id. 07391060-- Property Id. 1A390616001

Latitude 25.33559695830

Longitude 83.02774814360

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-B-2-1-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,680.0** व सामान्य कर **515.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 660.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1800,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,739.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,739.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 741.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHALILURRAHMAN S/O HAZI HABIBULLA

पता A.39/300-B-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391282-- Property Id. 1A390617001

Latitude 25.33563923490

Longitude 83.02607912320

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/300-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,902.0** व सामान्य कर **319.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 624.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 792,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 634.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,965.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,965.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 326.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAQBUL ALAM S/O LATE MD.YASIN ALLAIS LALLU

पता A.39/300-F-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391281-- Property Id. 1A390617002

Latitude 25.33563923490

Longitude 83.02607912320

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/300-F-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,202.0** व सामान्य कर **1,122.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 200               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,700.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,700.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,287.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MANJUR ALAM,(MUZAHIR)SAMSUDHA NURUDDIN SERAZ AHAMAD

पता A.39/368 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391283-- Property Id. 1A390619001

Latitude 25.33563089050

Longitude 83.02622043680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/368 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 800                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 22,089.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 22,089.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,430.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HARUN S/O LATE SHAFIURRAHMAN

पता A.39/308-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305859455

MIS Id. 07391349-- Property Id. 1A390621001

Latitude 25.33563092660

Longitude 83.02580560540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/308-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,340.0** व सामान्य कर **257.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 700.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 700,C= 300               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 560.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,781.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,781.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,076.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI MAHMUD S/O HAZI SHUKURULLA

पता A.39/355-K-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391288-- Property Id. 1A390622002

Latitude 25.33563493350

Longitude 83.02667311540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/355-K-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,252.0** व सामान्य कर **248.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 454.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 504,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 403.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,359.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,359.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 259.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FARJURAHAMAN IQBAL AHAMAD ZAMIL AHAMAD ANASAR AHAMAD

पता A.39/335-A-U-26 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391063-- Property Id. 1A390623001

Latitude 25.33562468680

Longitude 83.02738805530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-A-U-26 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,866.0** व सामान्य कर **425.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,114.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1056,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 845.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,954.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,954.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 435.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TABASSUM BEGAM W/O SRI JAVED ASALAM

पता A.39/301-A-4-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391495-- Property Id. 1A390626001

Latitude 25.33561191570

Longitude 83.02522802270

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/301-A-4-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **19,923.0** व सामान्य कर **2,192.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 4,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 8400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 6,720.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 35,381.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 35,381.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,892.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.AJAD S/O MOHD.MUSTAFA

पता A.39/301-A-4-X-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391495A Property Id. 1A390626003

Latitude 25.33561191570

Longitude 83.02522802270

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/301-A-4-X-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,591.0** व सामान्य कर **175.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,453.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 352,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 282.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,647.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,647.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 181.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAKEEB ASHRAF SIDDIQUI S/O MOHAMMAD ASHRAF SIDDIQUI

पता A.39/301-A-4-X-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391495B Property Id. 1A390626004

Latitude 25.33561191570

Longitude 83.02522802270

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/301-A-4-X-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,668.0** व सामान्य कर **293.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,453.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 576,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 461.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,696.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,696.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 297.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AFAZAL AHAMAD ANSARI S/O HAFIZULLA

पता A.39/300-A-1-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391379-- Property Id. 1A390627002

Latitude 25.33565303550

Longitude 83.02573087680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/300-A-1-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,379.0** व सामान्य कर **372.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 434.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 960,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 768.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,594.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,594.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 395.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NANHE,JAMILA KHATOON,SHAMSARA BEGAM S/O DD/O LATE RAFIK

पता A.39/318-B-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391089-- Property Id. 1A390630001

Latitude 25.33562605800

Longitude 83.02794095130

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/318-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,736.0** व सामान्य कर **191.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 468.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 960,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 768.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,594.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,594.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 395.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWARUL HAQ NURUL HAQ AINUL HAQ SS/O ABDUL HASAN

पता A.39/336-U-5-12-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391098-- Property Id. 1A390631001

Latitude 25.33565726630

Longitude 83.02824569490

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-U-5-12-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,794.0** व सामान्य कर **637.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,000.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 1200,C= 400                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                             |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 20,405.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 20,405.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,245.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUFIYA BEGAM W/O FIROZ

पता A.39/301-S-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391510A Property Id. 1A390632001

Latitude 25.33566459500

Longitude 83.02496774190

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/301-S-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,193.0** व सामान्य कर **131.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 648.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 360,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 288.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,685.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,685.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 185.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUDOJA S/O HAZI NASIRUDDIN

पता A.39/335-U-5-13 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391090-- Property Id. 1A390633001

Latitude 25.33562881560

Longitude 83.02799838640

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-13 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,318.0** व सामान्य कर **695.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,000.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1750,C= 500                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,400.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,530.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,530.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,158.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD SULEMAN ALIAS CHOTAK MOHD DION

पता A.39/271-A-3-D Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391382-- Property Id. 1A390635001

Latitude 25.33565213680

Longitude 83.02566528980

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-3-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,986.0** व सामान्य कर **988.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,292.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2461,C= 123              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,969.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,107.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,107.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,552.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKSANA BIBI W/O LATE MOHD.JAHOOR

पता A.39/271-A-4-A-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391376-- Property Id. 1A390636001

Latitude 25.33562916630

Longitude 83.02876799130

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-4-A-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,702.0** व सामान्य कर **187.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,025.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 378,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 302.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,769.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,769.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 195.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAFISA KHATUN W/O IQBAL

पता A.39/300-A-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391380-- Property Id. 1A390638001

Latitude 25.33566246490

Longitude 83.02561453600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/300-A-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,498.0** व सामान्य कर **165.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 663.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 420,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 336.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,572.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,572.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 173.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASAN ALI S/O GAZI UDDIN OTHER

पता A.39/309-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391381-- Property Id. 1A390638002

Latitude 25.33566246490

Longitude 83.02561453600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/309-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **772.0** व सामान्य कर **85.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 660.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 216, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 173.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 809.00                  |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 809.00                  |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 89.00                   |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANISURHMAN AVADURHMAN, HAVIKURHMAN SS/O ANWARUL

पता A.39/335-U-5-X-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391099-- Property Id. 1A390642001

Latitude 25.33566415960

Longitude 83.02832806940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-X-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,473.0** व सामान्य कर **382.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 543.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 960, C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 768.00                        |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,594.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 3,594.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 395.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AZIMULLA S/O SADULLA

पता A.39/366 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369730802

MIS Id. 07391286-- Property Id. 1A390644001

Latitude 25.33567990920

Longitude 83.02645026680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/366 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,053.0** व सामान्य कर **446.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 550.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1100,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 880.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,118.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,118.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 453.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASHAFHUDDIN S/O ABDUL SAMAD JEYAJUDDIN IQBAL AHAMAD

पता A.39/335-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9335493564

MIS Id. 07391070-- Property Id. 1A390645001

Latitude 25.33564052480

Longitude 83.02694001120

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,822.0** व सामान्य कर **1,630.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,350.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 3300,C= 750                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,640.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 30,256.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 30,256.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,328.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMMAD HANIF S/O LATE RAHAMUTULLAH

पता A.39/335-U-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8799188040

MIS Id. 07391124-- Property Id. 1A390646001

Latitude 25.33567010260

Longitude 83.02838289460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,602.0** व सामान्य कर **286.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600,C= 600                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 16,567.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 16,567.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,822.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAHMOOD ALI S/O MOHAMAD MUSA

पता A.39/309-G Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7369208595

MIS Id. 07391490-- Property Id. 1A390647001

Latitude 25.33562385720

Longitude 83.02540003350

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/309-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

1,123.0

व सामान्य कर

124.0 से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 400.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 400,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 320.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,498.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,498.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 165.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASINA W/O MATIULLA

पता A.39/309-F Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391492-- Property Id. 1A390647002

Latitude 25.33562385720

Longitude 83.02540003350

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/309-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,621.0** व सामान्य कर **288.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,553.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1476,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,181.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,526.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,526.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 608.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAJDA KHATUN W/O FHAHIMUDDIN AHAMAD SIDDHIKI SHAHJADE

पता A.39/335-B-2-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391069-- Property Id. 1A390650001

Latitude 25.33564724450

Longitude 83.02704403080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-B-2-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **21,340.0** व सामान्य कर **2,347.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,600.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 3000,C= 200                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,400.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,996.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,996.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,420.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUMTAJ ALI S/O LATE RAMJAN ALI

पता A.39/309-G-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391491-- Property Id. 1A390653001

Latitude 25.33571278910

Longitude 83.02538954600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/309-G-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,256.0** व सामान्य कर **248.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 700.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,120.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,242.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,242.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 577.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AKHTAR S/O LATE HASAN

पता A.39/353 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8706324318

MIS Id. 07391172-- Property Id. 1A390654001

Latitude 25.33565483410

Longitude 83.02715725590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/353 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,348.0** व सामान्य कर **148.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1800,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,739.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,739.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 741.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD DIN S/O MOHD YASIN

पता A.39/335-B-2-G Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9161729601

MIS Id. 07390962A Property Id. 1A390654002

Latitude 25.33565483410

Longitude 83.02715725590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-B-2-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,193.0** व सामान्य कर **461.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 5                  | R= 4800,C= 1200                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,840.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 46,613.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 46,613.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 5,127.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NOMANUL HAQ S/O MAULVI NAIMUDDIN

पता A.39/355 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391289-- Property Id. 1A390656001

Latitude 25.33565833990

Longitude 83.02657982980

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/355 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,423.0** व सामान्य कर **157.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,206.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 396,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 317.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,483.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,483.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 163.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KUDDAS S/O HAFIZ MATIURAHMAN

पता A.39/335-B-5-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391065-- Property Id. 1A390659001

Latitude 25.33571645240

Longitude 83.02728936340

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-B-5-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 624.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 624,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 499.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,336.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,336.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 257.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUDDIN,NASIRUDDIN,KAMRUDDIN S/O LATE HAFIJULLA

पता A.39/335-U-5-19 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391104-- Property Id. 1A390660001

Latitude 25.33568981470

Longitude 83.02853941850

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-19 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,473.0** व सामान्य कर **382.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 930.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 930,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 744.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,482.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,482.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 383.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAIDUL HAK HAMIDUL HASAN SAIDUREHMAN SS/O HAJI

पता A.39/335-U-5-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6388928395

MIS Id. 07391091-- Property Id. 1A390661001

Latitude 25.33571262890

Longitude 83.02812033630

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,030.0** व सामान्य कर **113.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 640.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 760,C= 200               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 608.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,801.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,801.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,188.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUKHATAR AHAMAD S/O LATE MOINUDDIN, MOHAMMAD RAFIK S/O

पता A.39/308-C Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391277-- Property Id. 1A390662001

Latitude 25.33571835250

Longitude 83.02585814130

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/308-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,054.0** व सामान्य कर **446.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 957.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1000, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 800.00                        |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,212.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 4,212.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 463.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN SARIFUNNISA S/O NURUDDIN

पता A.39/335-B-2-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390961-- Property Id. 1A390663001

Latitude 25.33572266310

Longitude 83.02735769210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-B-2-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,473.0** व सामान्य कर **382.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 559.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 960,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 768.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,594.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,594.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 395.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUL HODA S/O BADRUDDEN

पता A.39/335-U-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305066014

MIS Id. 07391106-- Property Id. 1A390666001

Latitude 25.33569995280

Longitude 83.02861610580

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,802.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 900,C= 900                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 24,851.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 24,851.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,734.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAHIRUDDIN SHAYBA BIBI SS/O D/O NURUDIDN

पता A.39/335-B-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8799219252

MIS Id. 07390962-- Property Id. 1A390667001

Latitude 25.33572760360

Longitude 83.02741605260

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,039.0** व सामान्य कर **1,544.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,600.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1600,C= 1600                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                         |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 45,677.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 45,677.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 5,024.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALIM SAH S/O HASAN SAH

पता A.39/354-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391175-- Property Id. 1A390668001

Latitude 25.33568215020

Longitude 83.02672581030

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/354-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,621.0** व सामान्य कर **288.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 666.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 756,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 605.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,830.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,830.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 311.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUDDIN S/O MOHD.IBRAHIM ALIAS CHHOTAK

पता A.39/353-M-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8874805240

MIS Id. 07391173-- Property Id. 1A390668002

Latitude 25.33568215020

Longitude 83.02672581030

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/353-M-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,345.0** व सामान्य कर **148.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 666.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 308,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 246.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,441.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,441.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 159.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAVED ASLAM S/O LATE MOHD.JAHOOR,MAKSOODA BEGAM W/O

पता A.39/301-3-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391507A Property Id. 1A390669001

Latitude 25.33575324890

Longitude 83.02526197600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/301-3-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,054.0** व सामान्य कर **556.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,224.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1224,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 979.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,155.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,155.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 567.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MEHADI HASAN S/O ALI AHAMAD

पता A.39/236-H-21-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7275492017

MIS Id. 07391058-- Property Id. 1A390670001

Latitude 25.33571687460

Longitude 83.02780998740

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/236-H-21-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,480.0** व सामान्य कर **273.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1800,C= 600              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 30,607.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 30,607.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,367.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                        |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHER ALI S/O ALI AHAMAD

पता A.39/236-H-21-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8090620970

MIS Id. 07391057-- Property Id. 1A390672001

Latitude 25.33572152130

Longitude 83.02788246190

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/236-H-21-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **772.0** व सामान्य कर **85.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,995.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,995.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 329.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANISU RAHAMAN S/O MD.SAMSUDDIN

पता A.39/335-H-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369554797

MIS Id. 07391052-- Property Id. 1A390673001

Latitude 25.33573991660

Longitude 83.02834124150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-H-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,106.0** व सामान्य कर **562.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार         | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | 1_Commercial Shop,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                     |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 0,C= 1600                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                 |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                 |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                            |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                 |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 50,918.00                       |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                 |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 50,918.00                       |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 7,638.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                             |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI MOHD ASLAM S/O HAJI SIDDIKULLAH

पता A.39/335-U-5-A-14-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390964-- Property Id. 1A390677002

Latitude 25.33572233930

Longitude 83.02766426630

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-A-14-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,990.0** व सामान्य कर **659.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 972.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2106,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,685.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,885.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,885.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 867.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ENAYTULLA S/O SHAFIULLA

पता A.39/308-E-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8188892966

MIS Id. 07391056-- Property Id. 1A390679001

Latitude 25.33572358970

Longitude 83.02798083660

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/308-E-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **899.0** व सामान्य कर **99.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,600.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 400,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 320.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,498.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,498.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 165.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSHUHODA S/O MATIULLA

पता A.39/335-U-5-14 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390965-- Property Id. 1A390681001

Latitude 25.33575316540

Longitude 83.02754870650

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-14 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,937.0** व सामान्य कर **213.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 645.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 544,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 435.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,037.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,037.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 224.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJ S/O MANJOOR HASAN

पता A.39/335-V-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

MIS Id. 07391107-- Property Id. 1A390682001

पुराना वार्ड W066

Latitude 25.33571666810

मोबाईल नं० 9336932914

Longitude 83.02874304980

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-V-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,317.0** व सामान्य कर **255.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 728.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 728,C= 728                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 582.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 20,102.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 20,102.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,211.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VALI MOHD S/O TAJ MOHD

पता A.39/335-U-5-22 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391105-- Property Id. 1A390682002

Latitude 25.33571666810

Longitude 83.02874304980

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-22 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,213.0** व सामान्य कर **573.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,816.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1404,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,123.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,257.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,257.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 578.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम QAMRUDDIN BADRUDDIN SAMSUDDIN URULHODA S/O AQBAR ALI

पता A.39/335-U-5-11-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9044400164

MIS Id. 07391055-- Property Id. 1A390683001

Latitude 25.33575739210

Longitude 83.02803160180

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-11-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,677.0** व सामान्य कर **294.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 900,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL AZIZ S/O ABDUL YASUF

पता A.39/335-U-5-17 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8081355019

MIS Id. 07391054-- Property Id. 1A390684001

Latitude 25.33576438990

Longitude 83.02811425920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-17 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,766.0** व सामान्य कर **634.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2000,C= 400              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,600.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 23,400.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 23,400.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,574.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KARUNNISA W/O LATE TAUFIK AHMAD ALIAS TAUQIR,NEK

पता A.39/336-5-B- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391279-- Property Id. 1A390685001

Latitude 25.33572736370

Longitude 83.02596139950

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-B- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,182.0** व सामान्य कर **350.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,131.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 780,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 624.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,650.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,650.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 402.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HASAN S/O MATIULLA

पता A.39/335-U-5-23 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9648445516

MIS Id. 07391053-- Property Id. 1A390686001

Latitude 25.33575764120

Longitude 83.02823224570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-23 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,897.0** व सामान्य कर **319.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,800.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1800,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,739.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,739.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 741.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SIRAZUDDIN ANSARI S/O MOHD.HANIF

पता A.39/301-A-4-1-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391510-- Property Id. 1A390687002

Latitude 25.33569949840

Longitude 83.02511924390

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/301-A-4-1-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,632.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 4,592.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 408,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 326.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,718.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,718.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 189.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.YASIN S/O MD. SAMI

पता A.39/336-S-H-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391050-- Property Id. 1A390688001

Latitude 25.33575629740

Longitude 83.02843697420

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-S-H-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,424.0** व सामान्य कर **927.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,200.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2400,C= 1200                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,920.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 38,751.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 38,751.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,263.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MATIN S/O NURUL HAK

पता A.39/336-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391274-- Property Id. 1A390689001

Latitude 25.33580155680

Longitude 83.02587376820

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,118.0** व सामान्य कर **453.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 642.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 944,C= 200                |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 755.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,283.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,283.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 471.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWAR HUSAIN, ANSAR ANSAR HUSAIN, VILAYAT KHAN

पता A.39/335-U-5-17-KH-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391275-- Property Id. 1A390689002

Latitude 25.33580155680

Longitude 83.02587376820

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-17-KH-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,220.0** व सामान्य कर **354.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 639.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 864,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 691.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,235.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,235.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 356.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMARUDDIN S/O MD.MOSIN

पता A.39/336-D-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9626970367

MIS Id. 07390993-- Property Id. 1A390690001

Latitude 25.33578637820

Longitude 83.02710382220

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-D-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,017.0** व सामान्य कर **552.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,350.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2700,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,160.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,109.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,109.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,112.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.IDRIS S/O SHAMSHUDDIN

पता A.39/336-D-2- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390953-- Property Id. 1A390690003

Latitude 25.33578637820

Longitude 83.02710382220

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-D-2- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,705.0** व सामान्य कर **298.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,249.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 756,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 605.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,830.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,830.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 311.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MU.HASHAM S/O MOHD.SULEMAN

पता A.39/308-F-2-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391385-- Property Id. 1A390691001

Latitude 25.33581748960

Longitude 83.02577657730

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/308-F-2-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **515.0** व सामान्य कर **57.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 802.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 140,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 112.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 524.00                  |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 524.00                  |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 58.00                   |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम REHANA BEGAM W/O MASIULLA

पता A.39/335-U-5-10 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391386-- Property Id. 1A390691002

Latitude 25.33581748960

Longitude 83.02577657730

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-10 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,401.0** व सामान्य कर **264.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 576,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 461.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,426.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,426.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 267.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUBHAN ALI S/O ALTE KALLU

पता A.39/237-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391177-- Property Id. 1A390692001

Latitude 25.33579639370

Longitude 83.02657110830

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/237-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,737.0** व सामान्य कर **191.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,000.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2000,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,600.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,424.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,424.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 927.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIRUDDIN S/O FATEH MOHD.

पता A.39/336-5-H-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391051-- Property Id. 1A390693001

Latitude 25.33579095870

Longitude 83.02833342110

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **936.0** व सामान्य कर **103.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,280.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1280,C= 1280             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,024.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 56,908.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 56,908.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 8,536.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ROSHAN ZAHAN S/O MOHD.FARUQ

पता A.39/309-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391387-- Property Id. 1A390694001

Latitude 25.33579369400

Longitude 83.02567258010

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/309-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,123.0** व सामान्य कर **124.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 752.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 306,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 245.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,146.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,146.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 126.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SITARA BEGAM D/O MOHD.FARUQ

पता A.39/309-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391389-- Property Id. 1A390696001

Latitude 25.33580095260

Longitude 83.02562178710

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/309-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,030.0** व सामान्य कर **113.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 875.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 288,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 230.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,078.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,078.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 119.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.SAKINA BIBI, W/O LATE FAJAL MD.MS.SAFIUNNISA W/O

पता A.39/309-E Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9489889408

MIS Id. 07391390-- Property Id. 1A390699001

Latitude 25.33581584100

Longitude 83.02554230430

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/309-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,196.0** व सामान्य कर **682.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,000.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2000,C= 1000                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,600.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 31,356.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 31,356.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,449.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOH. JAHUR S/O MD.MAHMUD

पता A.39/301-A-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391496-- Property Id. 1A390700001

Latitude 25.33579952360

Longitude 83.02498619510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/301-A-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,372.0** व सामान्य कर **921.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,920.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,986.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,986.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 988.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.FIRDOS JAHAN KHURSHID JAHAN VILKIS JAHAN DD/O

पता A.39/301-A-6 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391505-- Property Id. 1A390700002

Latitude 25.33579952360

Longitude 83.02498619510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/301-A-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **33,267.0** व सामान्य कर **3,659.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,485.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 0,C= 750             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 24 Mtr Above            |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 1.40                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 64,260.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 64,260.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 9,639.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHAIRUNNISA W/O LATE AHAMADURAHAMAN, FAIYAJUDDIN, JAMAL

पता A.39/336-5-H-1-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391048-- Property Id. 1A390702001

Latitude 25.33578700630

Longitude 83.02853025910

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H-1-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,092.0** व सामान्य कर **560.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,323.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1392, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,114.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,212.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,212.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 573.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASHID S/O SHAMSHUDDIN

पता A.39/336-D-2-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7505228628

MIS Id. 07390950A Property Id. 1A390703001

Latitude 25.33584523490

Longitude 83.02706964700

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-D-2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,546.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 540.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1080,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 864.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,044.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,044.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 445.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN S/O HAZI ABDUL ALI

पता A.39/336-B-4-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390959-- Property Id. 1A390705001

Latitude 25.33582096590

Longitude 83.02721980390

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-4-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,521.0** व सामान्य कर **167.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 929.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 378,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 302.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,592.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,592.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 175.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BHAGAN,MATIULLA,RAHAMATULLA S/O HARUN SHAH

पता A.39/314 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7985149047

MIS Id. 07391179-- Property Id. 1A390706001

Latitude 25.33582473030

Longitude 83.02642956250

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/314 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,256.0** व सामान्य कर **248.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 900,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHERAZUDDIN,ALIMUNNISA S/O D/O KALLU

पता A.39/237 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9454933156

MIS Id. 07391178-- Property Id. 1A390707001

Latitude 25.33580854320

Longitude 83.02647986200

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/237 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,287.0** व सामान्य कर **142.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 450.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 450,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 360.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,685.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,685.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 185.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.FHARUKH S/O RAHMATULLA

पता A.39/336-5-H-1-9 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391047-- Property Id. 1A390709001

Latitude 25.33580297670

Longitude 83.02863539070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H-1-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,429.0** व सामान्य कर **597.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,476.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1476,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,181.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,526.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,526.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 608.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANISURAHAMAN ALTAPURAHMAN SHAFIURAHAMAN ABDUL

पता A.39/336-5-H-8 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391049-- Property Id. 1A390709002

Latitude 25.33580297670

Longitude 83.02863539070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H-8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,496.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1254,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,003.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,695.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,695.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 516.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.FARUQ S/O LATE MD.YUSUF

पता A.39/307-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7260879415

MIS Id. 07391393-- Property Id. 1A390710001

Latitude 25.33588093960

Longitude 83.02573953080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/307-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,053.0** व सामान्य कर **446.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 700.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 700,C= 700               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 560.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 30,467.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 30,467.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,351.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.HANIF S/O RAHAMTULLA

पता A.39/309-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391392-- Property Id. 1A390710002

Latitude 25.33588093960

Longitude 83.02573953080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/309-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **899.0** व सामान्य कर **99.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 644.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 264,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 211.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 988.00                       |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 988.00                       |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 109.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम WASEELA BANO W/O KAMRUDDIN

पता A.39/215-V-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390968-- Property Id. 1A390711001

Latitude 25.33584395760

Longitude 83.02766766760

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-V-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,700.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 5100,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 4,080.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,481.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,481.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,363.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.DEEN S/O ALI RAZA

पता A.39/312 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391200-- Property Id. 1A390716001

Latitude 25.33584054260

Longitude 83.02634699610

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/312 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,026.0** व सामान्य कर **223.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 600,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,246.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,246.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 247.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RAHMAN S/O MOHD.ISMAIL

पता A.39/300-F-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391202-- Property Id. 1A390718001

Latitude 25.33583213960

Longitude 83.02620053710

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/300-F-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,538.0** व सामान्य कर **389.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,803.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 868,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 694.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,656.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,656.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 402.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SEHNAZ SAHIN W/O NEHALUDDIN

पता A.39/300-B-1-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391205-- Property Id. 1A390719002

Latitude 25.33586257290

Longitude 83.02610321230

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/300-B-1-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **899.0** व सामान्य कर **99.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 714.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 252,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 202.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 943.00                  |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 943.00                  |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 104.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VALI MOHMD S/O BAKRIDU NASRIN BIBI W/O WALI MOHD.

पता A.39/304-7 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8960453714

MIS Id. 07391273-- Property Id. 1A390723002

Latitude 25.33586795510

Longitude 83.02600404670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,440.0** व सामान्य कर **1,038.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,000.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3000,C= 1000             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,400.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 51,012.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 51,012.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 7,652.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MEHRUNNISHA,NAJIRUNNISHA,NASIRUNNISHA,JAHIRUNNISHA,RUKH

पता A.39/300-B-3-B-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391206-- Property Id. 1A390723003

Latitude 25.33586795510

Longitude 83.02600404670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/300-B-3-B-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,948.0** व सामान्य कर **324.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,443.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 720,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 576.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,033.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,033.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 334.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.ISMIAL S/O ABDULLA SHAH

पता A.39/238-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391181-- Property Id. 1A390724001

Latitude 25.33592047280

Longitude 83.02658860970

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/238-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 900.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 900             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 35,802.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 35,802.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,938.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD. SALIM S/O LATE ABDUL LATIF

पता A.39/301-A-5-L Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391487-- Property Id. 1A390726001

Latitude 25.33591156480

Longitude 83.02545398520

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/301-A-5-L के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,317.0** व सामान्य कर **255.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,920.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,986.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,986.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 988.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD MOBIN S/O HAJI MOHD IBRAHIM

पता A.39/309-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7378841983

MIS Id. 07391391-- Property Id. 1A390727001

Latitude 25.33591276080

Longitude 83.02557101180

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/309-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,279.0** व सामान्य कर **251.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 750.00                             |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 420,C= 140                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 336.00                             |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,111.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,111.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 562.00                             |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI SALAMTULLA S/O ABDUL KADIR

पता A.39/336-5-H-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391041-- Property Id. 1A390728001

Latitude 25.33588846360

Longitude 83.02859891990

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,220.0** व सामान्य कर **354.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 450.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 900,C= 450                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,111.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,111.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,552.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम YASMIN BEGAM W/O MOHD.ISHTIYAK AHMAD

पता A.39/336-5-Y Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391040-- Property Id. 1A390730001

Latitude 25.33588548890

Longitude 83.02849775470

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-Y के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,580.0** व सामान्य कर **284.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 758.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 576,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 461.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,696.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,696.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 297.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IKBAL AHMAD S/O LATE JALALUDDIN

पता A.39/377-O-4-D Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7668290043

MIS Id. 07391034D Property Id. 1A390731001

Latitude 25.33589763700

Longitude 83.02812715410

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-O-4-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,059.0** व सामान्य कर **336.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 448.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 896,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 717.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,193.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,193.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 461.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN SARFUDDIN FAIYAZUDDIN OTHER

पता A.39/377-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305055160

MIS Id. 07391033-- Property Id. 1A390733001

Latitude 25.33586803720

Longitude 83.02804574090

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,178.0** व सामान्य कर **680.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 660.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1980,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,584.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,413.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,413.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 815.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHALILURAHAMAN S/O HAZI VASIRUDDIN SARDAR ALIMUDDIN S/O

पता A.39/336-B-10 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391032-- Property Id. 1A390733002

Latitude 25.33586803720

Longitude 83.02804574090

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-10 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 772.0 व सामान्य कर 85.0 से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,519.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 216,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 173.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 809.00                            |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 809.00                            |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 89.00                             |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMASULJOHA S/O MD ISAMAIL

पता A.39/336-B-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6386018440

MIS Id. 07390955-- Property Id. 1A390734001

Latitude 25.33588192590

Longitude 83.02715375190

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,696.0** व सामान्य कर **297.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 680.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2040,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,632.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,638.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,638.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 840.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.FARID S/O ABDUL RASHID

पता A.39/336-5+336-5-C Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390952-- Property Id. 1A390734002

Latitude 25.33588192590

Longitude 83.02715375190

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5+336-5-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,828.0** व सामान्य कर **751.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,086.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1860,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,488.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,964.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,964.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 766.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SERAJUDDIN S/O LATE JAMALUDDIN

पता A.39/377-O-4-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6393688385

MIS Id. 07391034A Property Id. 1A390735001

Latitude 25.33587553960

Longitude 83.02817192250

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-O-4-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,375.0** व सामान्य कर **261.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 352.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 704,C= 352                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 563.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 17,298.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 17,298.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,903.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAUF TUL S/O ABDUL KHALID,SAMSUL HAQ S/O MD ISMAIL

पता A.39/336-B-4-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9336926771

MIS Id. 07390956-- Property Id. 1A390736001

Latitude 25.33591650750

Longitude 83.02721757810

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-4-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,544.0** व सामान्य कर **170.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 768.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1392,C= 144              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,114.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,940.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,940.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,203.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.FHARUKH S/O VALI MD.

पता A.39/338-5-H-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391035-- Property Id. 1A390739001

Latitude 25.33588313460

Longitude 83.02829963130

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/338-5-H-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,566.0** व सामान्य कर **722.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 935.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1870,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,496.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,001.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,001.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 770.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FATMA BIBI W/O AMINUDDIN

पता A.39/304-A-1-A-F Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7890342915

MIS Id. 07391215A Property Id. 1A390740001

Latitude 25.33593809220

Longitude 83.02613505920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-A-1-A-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,123.0** व सामान्य कर **124.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 360.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 720,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 576.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,696.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,696.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 297.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJURRAHMAN ANSARI S/O NURUL HAQ

पता A.39/304-A-1-K-1+304-A-1-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8299638302

MIS Id. 07391211-- Property Id. 1A390742001

Latitude 25.33595145290

Longitude 83.02622680510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-A-1-K-1+304-A-1-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,884.0** व सामान्य कर **207.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 216,C= 216               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 173.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,603.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,603.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,056.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMUDDIN

पता A.39/257-G Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391209-- Property Id. 1A390742002

Latitude 25.33595145290

Longitude 83.02622680510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/257-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,109.0** व सामान्य कर **1,112.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 930.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2790,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,232.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,446.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,446.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,149.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAHJADEY S/O KHUDA BAKSH

पता A.39/238-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391182-- Property Id. 1A390743001

Latitude 25.33594046620

Longitude 83.02650692540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/238-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,574.0** व सामान्य कर **283.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 637.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 720,C= 360                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 576.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 17,017.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 17,017.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,872.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.ISLAM,MUS.HAMIDUNNISA OTHER

पता A.39/238 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391180-- Property Id. 1A390744001

Latitude 25.33596322030

Longitude 83.02658731550

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/238 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,509.0** व सामान्य कर **276.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2000,C= 400              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,600.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 17,035.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 17,035.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,874.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDDIN S/O REYAJUDDIN SAH

पता A.39/312-A-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9263828482

MIS Id. 07391199A Property Id. 1A390745001

Latitude 25.33594035600

Longitude 83.02644461050

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/312-A-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,182.0** व सामान्य कर **130.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 658.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 546,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 437.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,555.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,555.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 281.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SARFUDDIN NIJAMUDDIN EKBAL AHAMD ANSAR AHAMD ANWAR

पता A.39/336-B-5-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390958-- Property Id. 1A390747002

Latitude 25.33587107660

Longitude 83.02731294910

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-5-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,589.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 648,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 518.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,426.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,426.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 267.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM NAVI S/O LATE RAJJAB ALI, FAIJANE NAVI S/O GULAM NAVI

पता A.39/312-A- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391199-- Property Id. 1A390748001

Latitude 25.33595934040

Longitude 83.02639216130

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/312-A- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,059.0** व सामान्य कर **226.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 314.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 225, C= 225               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 180.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,004.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 10,004.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 1,100.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAHMTULLA S/O HAZI GULAM NAVI

पता A.39/336-5-M-7 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391036-- Property Id. 1A390749001

Latitude 25.33591631360

Longitude 83.02834347690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-M-7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,286.0** व सामान्य कर **361.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 896.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 896,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 717.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,355.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,355.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 369.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ENUDIN SARFUDDIN RAFI UDDIN ANISUDDIN AJIMUDIDN SS/O LATE

पता A.39/304-A-1-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391394-- Property Id. 1A390750001

Latitude 25.33595309140

Longitude 83.02572304860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-A-1-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,546.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,000.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 2000,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,600.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,488.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,488.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 824.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HUSNA BANO W/O LATE FIROJ AHAMAD JIYAURAHAMAN S/O LATE

पता A.39/336-5-H-3-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391037-- Property Id. 1A390752001

Latitude 25.33592529420

Longitude 83.02840820050

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H-3-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,423.0** व सामान्य कर **157.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,360.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 260,C= 130                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 208.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,144.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,144.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 676.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOH.KASIM S/O LATE RAHAMATULLA SETH

पता A.39/300-B-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9389550112

MIS Id. 07391214-- Property Id. 1A390755001

Latitude 25.33598021180

Longitude 83.02602449150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/300-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,794.0** व सामान्य कर **637.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 630.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 900,C= 360               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 17,691.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 17,691.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,946.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAIDA BIBI W/O MOHD.SHAMI

पता A.39/304-8 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391272-- Property Id. 1A390755002

Latitude 25.33598021180

Longitude 83.02602449150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,295.0** व सामान्य कर **142.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 712.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 312,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 250.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,314.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,314.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 145.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम REYAJ AHMAD, IMTIYAJ AHMAD, MOHD. JUNAID, MOHD. SHOEB, AASIF

पता A.39/336-5-H-1- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391039-- Property Id. 1A390756001

Latitude 25.33595235660

Longitude 83.02848670290

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,322.0** व सामान्य कर **365.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 728.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 728, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 582.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,407.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,407.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 375.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD MUSTAFA

पता A.39/236-A1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390939-- Property Id. 1A390757001

Latitude 25.33596576040

Longitude 83.02753768270

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/236-A1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,478.0** व सामान्य कर **1,483.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,224.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 3672,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,938.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,748.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,748.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,512.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.ARSLAN S/O ALTAFURAHAMAN

पता A.39/301-A-5-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391497-- Property Id. 1A390758001

Latitude 25.33598149000

Longitude 83.02527087810

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/301-A-5-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,089.0** व सामान्य कर **340.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 900,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD ALIM S/O MOHD RAFIK

पता A.39/301-A-5-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391497A Property Id. 1A390758002

Latitude 25.33598149000

Longitude 83.02527087810

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/301-A-5-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,995.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,135.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 812,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 650.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,040.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,040.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 334.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMILA BIBI W/O ABDUL LATIF

पता A.39/335-U-5-11 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9044711371

MIS Id. 07391088-- Property Id. 1A390759002

Latitude 25.33595371130

Longitude 83.02762971930

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-11 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,607.0** व सामान्य कर **287.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 480.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 760,C= 200               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 608.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,801.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,801.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,188.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VASIRUDDIN S/O FATEH MD.

पता A.39/336-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391043-- Property Id. 1A390760001

Latitude 25.33597678780

Longitude 83.02858091630

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,830.0** व सामान्य कर **531.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 750.00                             |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 3000,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,400.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,232.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,232.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,236.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUMTAZ AHMED S/O MOHD.FARUQ

पता A.39/309 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7460849271

MIS Id. 07391388-- Property Id. 1A390761001

Latitude 25.33599813390

Longitude 83.02559080580

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/309 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,287.0** व सामान्य कर **142.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 600.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 600,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 480.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,246.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,246.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 247.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम REHANA BEGUM W/O MD JUNED

पता A.39/309-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391398-- Property Id. 1A390761002

Latitude 25.33599813390

Longitude 83.02559080580

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/309-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,986.0** व सामान्य कर **438.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,179.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 968,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 774.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,077.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,077.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 448.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAMID S/O JAGANU

पता A.39/336-B-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390949-- Property Id. 1A390763001

Latitude 25.33598070490

Longitude 83.02704034540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,312.0** व सामान्य कर **254.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 750.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 750,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 600.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,808.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,808.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 309.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AZIZULHASAN AIHTESHAMUL HAQ SS/O MD.YASIN

पता A.39/336-D-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6386191770

MIS Id. 07390969-- Property Id. 1A390764001

Latitude 25.33596110590

Longitude 83.02768402940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-D-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,986.0** व सामान्य कर **988.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2100,C= 300                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,680.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 15,022.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 15,022.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,652.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI NURUDDIN S/O HABIBULLAH

पता A.39/335-U-5-15 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391213-- Property Id. 1A390765001

Latitude 25.33602015670

Longitude 83.02612460790

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-15 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 624.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1248,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 998.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,673.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,673.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 514.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.ZAHIRUNISA BIBI W/O MD.ISALAM

पता A.39/304-8-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391271-- Property Id. 1A390766001

Latitude 25.33600782180

Longitude 83.02593113340

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-8-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,544.0** व सामान्य कर **170.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1200,C= 400                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,040.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,040.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,544.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHALILUREHMAN S/O REHAMTULLAH

पता A.39/336-5-H-20 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391045-- Property Id. 1A390768001

Latitude 25.33597244290

Longitude 83.02868492940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H-20 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,257.0** व सामान्य कर **358.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,600.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 500,C= 250                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 400.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,839.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,839.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 862.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HARIS CHAND S/O SHYAM LAL

पता A.39/300-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7505925947

MIS Id. 07391498-- Property Id. 1A390769001

Latitude 25.33600504460

Longitude 83.02516275040

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/300-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,414.0** व सामान्य कर **156.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,000.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 380,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 304.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,423.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,423.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 157.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VASHIR AHAMAD S/O NUR MD.

पता A.39/336-D-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7007680617

MIS Id. 07390970-- Property Id. 1A390772001

Latitude 25.33597372320

Longitude 83.02777324900

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-D-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,897.0** व सामान्य कर **319.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 607.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0                  | R= 819,C= 273                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 655.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,500.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,500.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,485.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAUKAT ALI S/O BARAKTULLA

पता A.39/336-B-11-A-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391030-- Property Id. 1A390773001

Latitude 25.33597708280

Longitude 83.02781713070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-11-A-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,933.0** व सामान्य कर **213.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 720.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 540,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 432.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,022.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,022.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 222.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMUDDIN,MOINUDDIN SS/O SIDDHIKULLA

पता A.39/336-5-H-22 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9389102254

MIS Id. 07391046-- Property Id. 1A390774001

Latitude 25.33598386230

Longitude 83.02878130970

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H-22 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1800,C= 900                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 29,905.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 29,905.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,290.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KALAM, ABDUL EKRAM, REHANA SS/O D/O MOHD. MUSTAFA

पता A.39/336-5-H-21 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391044-- Property Id. 1A390774002

Latitude 25.33598386230

Longitude 83.02878130970

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H-21 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,549.0** व सामान्य कर **500.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार             | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 755.00                              |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, 2_Residential, GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                         |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1200, C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                     |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 960.00                              |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                     |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                                |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                     |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,054.00                            |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                     |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,054.00                            |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 556.00                              |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                 |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKASANA BIBI W/O ABDUL SALAM, WASIM AHMED, SHAMIM

पता A.39/304-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391395-- Property Id. 1A390776001

Latitude 25.33603186510

Longitude 83.02580457230

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,118.0** व सामान्य कर **453.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 753.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1144, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 915.00                        |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,283.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,283.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 471.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHUKRULLA S/O GAJI

पता A.39/336-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390946-- Property Id. 1A390778001

Latitude 25.33600985460

Longitude 83.02721240620

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,286.0** व सामान्य कर **361.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 400.00                             |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 1600,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,990.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,990.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 659.00                             |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Altaafur Rahman

पता A.39/336-B-14-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8960125408

MIS Id. 07391026-- Property Id. 1A390781001

Latitude 25.33601553320

Longitude 83.02794846520

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-14-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

०.०

व सामान्य कर

०.० से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 426.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 882,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 706.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,302.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,302.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 363.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI SANTOSH KUMAR GUPTA S/O SATYA NARAYAN PRASAD

पता A.39/300-A-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9451227616

MIS Id. 07391499-- Property Id. 1A390784001

Latitude 25.33602674500

Longitude 83.02502875480

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/300-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,584.0** व सामान्य कर **1,054.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,485.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2970,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,376.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,120.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,120.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,223.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADARUDDIN BALIG TAFASIR AHAMAD SHABBIR AHAMAD HASIN

पता A.39/336-I-5-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7754913254

MIS Id. 07391019-- Property Id. 1A390787001

Latitude 25.33601418690

Longitude 83.02847671830

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-I-5-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,259.0** व सामान्य कर **358.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,700.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 825,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 660.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,475.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,475.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 382.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KURBAN

पता A.39/336-B-9 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390935-- Property Id. 1A390789001

Latitude 25.33603428620

Longitude 83.02752696790

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,480.0** व सामान्य कर **273.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 718.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 672,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 538.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,516.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,516.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 277.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAINULNISSA W/O HAFIJ ISHHAQ

पता A.39/336-5-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391025-- Property Id. 1A390793001

Latitude 25.33600310060

Longitude 83.02817287850

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,992.0** व सामान्य कर **439.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,360.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1075,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 860.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,025.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,025.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 443.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOH. FARUKH S/O ABDUL ALI

पता A.39/309-F-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7348071391

MIS Id. 07391397-- Property Id. 1A390794001

Latitude 25.33605395320

Longitude 83.02570976730

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/309-F-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,488.0** व सामान्य कर **824.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,000.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 900,C= 900               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 39,172.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 39,172.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,309.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAKHRUDIN S/O LATE RAM JAN ALI

पता A.39/335-U-5-19-F Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391215-- Property Id. 1A390798001

Latitude 25.33607592410

Longitude 83.02615066360

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-19-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 707.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 612,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 490.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,291.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,291.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 252.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMMAD SHOYEB S/O MOHAMMAD AYUB

पता A.39/304-1-A-1-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9696707178

MIS Id. 07391196-- Property Id. 1A390799001

Latitude 25.33604814780

Longitude 83.02623647960

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-1-A-1-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 960.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1920,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,536.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,188.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,188.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 791.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN S/O ABDUL SAMAD, AJIMULLA S/O SAIDULLA

पता A.39/365 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391024-- Property Id. 1A390800001

Latitude 25.33601624310

Longitude 83.02826340210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/365 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,030.0** व सामान्य कर **113.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार             | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,344.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, 2_Residential, GF_&l |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                         |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 200, C= 100                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                     |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 160.00                              |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                     |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                                |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                     |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,942.00                            |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                     |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 1,942.00                            |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 214.00                              |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL BALI S/O ABDUL SALAM

पता A.39/304-A-1- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391269-- Property Id. 1A390802001

Latitude 25.33606512930

Longitude 83.02591059180

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-A-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,516.0** व सामान्य कर **167.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 425.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 390,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 312.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,643.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,643.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 181.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL FARID

पता A.39/304-A-1-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391270-- Property Id. 1A390802002

Latitude 25.33606512930

Longitude 83.02591059180

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-A-1-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,059.0** व सामान्य कर **226.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 422.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 576,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 461.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,157.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,157.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 237.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD AYUB S/O MOHD HAMIDULLA

पता A.39/336-5-I Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7499378913

MIS Id. 07391023-- Property Id. 1A390803001

Latitude 25.33606365120

Longitude 83.02834207000

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-I के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,610.0** व सामान्य कर **177.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,440.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 440,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 352.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,647.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,647.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 181.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SOGRA BIBI D/O ABDUL JABBAR

पता A.39/304-A-1-A-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391185-- Property Id. 1A390804002

Latitude 25.33605309310

Longitude 83.02639070360

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-A-1-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,419.0** व सामान्य कर **596.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2400,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,920.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,986.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,986.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 988.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MASOOD AHMAD, MAHBOOB AHMAD SS/O LATE ABDUL JABBAR

पता A.39/304-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9307494957

MIS Id. 07391210-- Property Id. 1A390805001

Latitude 25.33605547460

Longitude 83.02644606060

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,123.0** व सामान्य कर **124.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 680.00                             |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 180, C= 500                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 144.00                             |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,608.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,608.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 1,387.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIYAJUL HAK S/O ABDUL REHMAN

पता A.39/335-N-A-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391184-- Property Id. 1A390805002

Latitude 25.33605547460

Longitude 83.02644606060

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-N-A-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,621.0** व सामान्य कर **288.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 480.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 160,C= 480                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 128.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,056.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,056.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,326.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IRSHAD AHMAD S/O HAJI MOINUDDIN

पता A.39/336-5-I-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6394838929

MIS Id. 07391021-- Property Id. 1A390806001

Latitude 25.33603292470

Longitude 83.02839556070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-I-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 442.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 884,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 707.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,310.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,310.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 364.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUDDIN S/O HAJI ABDUL AJIJ,MUS.NOORJAHAN BIBI W/O

पता A.39/336-5-E-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391016-- Property Id. 1A390809001

Latitude 25.33605424260

Longitude 83.02873951120

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-E-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,547.0** व सामान्य कर **1,050.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,050.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2100,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,680.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,828.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,828.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,081.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAKIR AHAMAD NAZIR AHAMAD ZAMIL AHAMAD NISAR AHAMAD

पता A.39/238-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391183-- Property Id. 1A390811001

Latitude 25.33605723490

Longitude 83.02655239580

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/238-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,220.0** व सामान्य कर **354.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,220.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 868,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 694.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,250.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,250.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 358.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAJIDA BIBI W/O MOHD SAFI

पता A.39/336-5-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391020-- Property Id. 1A390812001

Latitude 25.33607028300

Longitude 83.02844453700

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 312.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 624,C= 312                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 499.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,747.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,747.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,622.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJMAT ALI MOHD ALI SAUKAT ALI AHMAD ALI

पता A.39/336-5-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7505763169

MIS Id. 07391246A Property Id. 1A390812002

Latitude 25.33607028300

Longitude 83.02844453700

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,995.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 340.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1020,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 816.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,819.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,819.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 420.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PRATAP NARAYAN JAISWAL S/O PURSHOTTAM

पता A.39/298 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391479-- Property Id. 1A390813001

Latitude 25.33613793720

Longitude 83.02488884200

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/298 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,872.0** व सामान्य कर **316.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1500,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,200.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,020.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,020.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 772.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANSARUL HAQ S/O LATE ABDUL HASAN

पता A.39/335-U-1-K-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6307110252

MIS Id. 07391155-- Property Id. 1A390815001

Latitude 25.33607620070

Longitude 83.02848828260

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-1-K-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,488.0** व सामान्य कर **824.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 750.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2250,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,800.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,424.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,424.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 927.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.YASHIN

पता A.39/336-5-H-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390971-- Property Id. 1A390816001

Latitude 25.33610377000

Longitude 83.02785138640

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,043.0** व सामान्य कर **1,105.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,400.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2800,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,240.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,483.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,483.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,153.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMINUDDIN S/O YAR MOHAMAMD

पता A.39/309-E-4-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391400-- Property Id. 1A390817001

Latitude 25.33608038930

Longitude 83.02549848280

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/309-E-4-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1500,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,200.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,616.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,616.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 618.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSUNNISA DD/O LATE ABDUL AZIZ

पता A.39/336-B-8-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390934-- Property Id. 1A390822001

Latitude 25.33608194520

Longitude 83.02751663330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-8-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,727.0** व सामान्य कर **740.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,350.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2700,C= 1350                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,160.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 44,858.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 44,858.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,934.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASLAM S/O NESAR

पता A.39/336-B-X-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390941-- Property Id. 1A390822002

Latitude 25.33608194520

Longitude 83.02751663330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-X-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,995.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 519.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1254,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,003.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,695.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,695.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 516.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAINUDDIN S/O SHAHABUDDIN

पता A.39/309-E-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391402-- Property Id. 1A390825002

Latitude 25.33613117600

Longitude 83.02559893470

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/309-E-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **842.0** व सामान्य कर **93.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,077.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 216,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 173.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 910.00                       |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 910.00                       |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 100.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HALIM, MOHD. SHAMIM, MOHD. SHAMSAD, MOHD. VASHIM

पता A.39/336-B-12 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390945-- Property Id. 1A390826001

Latitude 25.33605739900

Longitude 83.02725734530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-12 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,095.0** व सामान्य कर **230.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,360.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2000, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,600.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,488.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,488.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 824.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHABBIR HASAN S/O ALI HASAN

पता A.39/296-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391484-- Property Id. 1A390827001

Latitude 25.33613530900

Longitude 83.02531996500

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/296-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 3,000.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 400,C= 200                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 320.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,272.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,272.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 690.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAUSHAN JAHAN W/O MOH.FARUKH, ABUL LAIS, MOH.SHAHID, ABUL

पता A.39/309-F-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391396-- Property Id. 1A390828001

Latitude 25.33612589580

Longitude 83.02581118840

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/309-F-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,423.0** व सामान्य कर **487.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,135.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1056, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 845.00                        |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,448.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,448.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 489.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAJIDA BIBI JAUEY LATE MANJUR AHAMD

पता A.39/300-B-3-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391298A Property Id. 1A390829001

Latitude 25.33614994890

Longitude 83.02607074540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/300-B-3-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 595.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 395,C= 200           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 316.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,435.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,435.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,038.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMAJAN ALI S/O SRI NUR MD.

पता A.39/336-D-4-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390978-- Property Id. 1A390831001

Latitude 25.33611282890

Longitude 83.02816221540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-D-4-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,864.0** व सामान्य कर **315.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 900,C= 900                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 24,851.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 24,851.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,734.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MURTAZA S/O AZIMULLA

पता A.39/215-A-4-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9389968777

MIS Id. 07390909-- Property Id. 1A390834001

Latitude 25.33612794080

Longitude 83.02701084950

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-A-4-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,990.0** व सामान्य कर **659.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,035.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2645,C= 460                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,116.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 20,882.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 20,882.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,297.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAMID S/O NEK MD.

पता A.39/336-B-21 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390973-- Property Id. 1A390835001

Latitude 25.33610137940

Longitude 83.02773051260

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-21 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,870.0** व सामान्य कर **426.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,903.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 960,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 768.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,044.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,044.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 445.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAHLILULLAH ABDUL LATIF MD ASLAM

पता A.39/324-E-10-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391002-- Property Id. 1A390836002

Latitude 25.33612531510

Longitude 83.02833079720

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-E-10-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,212.0** व सामान्य कर **793.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 990.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1980,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,584.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,413.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,413.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 815.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.YAHIYA ANSARI S/O LATE MD.JALIL

पता A.39/293-A-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9389413766

MIS Id. 07391481-- Property Id. 1A390842001

Latitude 25.33614705060

Longitude 83.02505928870

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/293-A-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,509.0** व सामान्य कर **276.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,056.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1276,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,021.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,777.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,777.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 525.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MEHRUNNISA W/O LATE ANUL HAQ, FAIJ AHAMAD, RAMJAN

पता A.39/336-B-11-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390942-- Property Id. 1A390845001

Latitude 25.33616309170

Longitude 83.02739215960

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-11-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,457.0** व सामान्य कर **600.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 900.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1800, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,440.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,739.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,739.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 741.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMANABI S/O MD.HANIF,MUKHTAR AHMED S/O LATE HANIF

पता A.39/304-10 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391219-- Property Id. 1A390846001

Latitude 25.33617621780

Longitude 83.02624532800

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-10 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,498.0** व सामान्य कर **165.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 680.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 680,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 544.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,546.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,546.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 280.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EKBAL AHMAD S/O NEYMATULLAH

पता A.39/304-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391267-- Property Id. 1A390847001

Latitude 25.33621908160

Longitude 83.02592464180

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,914.0** व सामान्य कर **211.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 623.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 528,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 422.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,977.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,977.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 217.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AZIZURAHAMAN S/O MD.HANIF

पता A.39/336-5-H-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391003-- Property Id. 1A390852001

Latitude 25.33618967590

Longitude 83.02830559260

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,379.0** व सामान्य कर **372.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 660.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1980,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,584.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,413.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,413.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 815.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.SUBI W/O SALAUDDIN

पता A.39/127-X-1-- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390400-- Property Id. 1A390856001

Latitude 25.33617490660

Longitude 83.02856585140

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-X-1-- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,592.0** व सामान्य कर **285.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,088.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1088,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 870.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,583.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,583.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 504.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.YASIN S/O HAZI MD.

पता A.39/336-5-H-9-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8303914563

MIS Id. 07391011-- Property Id. 1A390857001

Latitude 25.33618009050

Longitude 83.02862656040

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H-9-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,391.0** व सामान्य कर **593.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1200,C= 600                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 19,375.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 19,375.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,131.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTAFA ALI S/O ABDUL SAKUR

पता A.39/324-E-3-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391008-- Property Id. 1A390857002

Latitude 25.33618009050

Longitude 83.02862656040

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/324-E-3-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,574.0** व सामान्य कर **283.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 830.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_&l |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 787,C= 77                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 630.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,866.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,866.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 425.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASANAIN AKHATAR BADRUNISA ALLAIS SONI S/O D/O LATE HASAN

पता A.39/307-A-5-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391406-- Property Id. 1A390861003

Latitude 25.33622965240

Longitude 83.02571739990

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/307-A-5-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,199.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 640,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 512.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,396.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,396.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 264.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUDARUNNISA W/O LATE

पता A.39/307-A-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391405-- Property Id. 1A390861004

Latitude 25.33622965240

Longitude 83.02571739990

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/307-A-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,070.0** व सामान्य कर **338.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,199.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 836,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 669.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,130.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,130.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 344.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDDIN S/O ALI HUSSAIN

पता A.39/335-P-3-Y-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391187-- Property Id. 1A390863001

Latitude 25.33619949790

Longitude 83.02654125610

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-P-3-Y-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,085.0** व सामान्य कर **779.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,084.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1920,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,536.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,188.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,188.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 791.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAFIUNNISA W/O WASHIR AHMED

पता A.39/215-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9335805458

MIS Id. 07390921-- Property Id. 1A390864001

Latitude 25.33623402950

Longitude 83.02713796230

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,805.0** व सामान्य कर **1,409.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,722.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 5166,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 4,133.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 19,342.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 19,342.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,128.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI RAHIMTULLA S/O MOHD.KASIM,HAZI ABDUL GAFUR

पता A.39/215 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9335805458

MIS Id. 07390920-- Property Id. 1A390864003

Latitude 25.33623402950

Longitude 83.02713796230

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,021.0** व सामान्य कर **552.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,400.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2450,C= 1225         |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,960.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,02,047.00             |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,02,047.00             |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 15,307.00               |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAINUNISHA W/O ABDUL KUDDUS

पता A.39/215-A-4-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390912-- Property Id. 1A390864004

Latitude 25.33623402950

Longitude 83.02713796230

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-A-4-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,610.0** व सामान्य कर **177.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,231.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 468,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 374.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,752.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,752.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 193.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DAU S/O ANTU,MUNNI W/O CHAUTHI KHATIK,DHANARU(MINOR) S/O

पता A.39/297 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391477-- Property Id. 1A390865001

Latitude 25.33622745240

Longitude 83.02496605230

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/297 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,488.0** व सामान्य कर **824.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार        | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,200.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | 1_Commercial Shop,2_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                    |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 0,C= 2025                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                           |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 80,555.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 80,555.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 12,083.00                      |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                            |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMJAN ALI S/O MD SIDDIQ

पता A.39/336-B-23 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390974-- Property Id. 1A390866001

Latitude 25.33622270080

Longitude 83.02759143660

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-23 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,089.0** व सामान्य कर **340.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1800,C= 900                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 42,541.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 42,541.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,680.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.BASHIR S/O MOHD.JAHOOR

पता A.39/215-B-1-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390892A Property Id. 1A390868001

Latitude 25.33621259270

Longitude 83.02727929460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-B-1-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,990.0** व सामान्य कर **659.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,650.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1350,C= 300                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,080.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,214.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,214.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,344.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMINA BIBI W/O LATE HAFIJUDDIN NASIR AHAMD NAJIR AHAMD

पता A.39/336-D-2-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390975-- Property Id. 1A390870001

Latitude 25.33621704310

Longitude 83.02766647720

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-D-2-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                             |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 1400,C= 600                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,120.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 19,563.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 19,563.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,152.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SUBANA S/O HAZI MOHAMMAD

पता A.39/293-A-1- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391403-- Property Id. 1A390871002

Latitude 25.33623305660

Longitude 83.02560215120

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/293-A-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,990.0** व सामान्य कर **659.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,336.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1624,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,299.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,080.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,080.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 669.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Shri Bhagawati Sav

पता A.39/299 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7084087952

MIS Id. 07391476-- Property Id. 1A390874001

Latitude 25.33624979880

Longitude 83.02486108080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/299 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,256.0** व सामान्य कर **248.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,470.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 493,C= 147                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 394.00                             |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,355.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,355.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 589.00                             |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MALIK

पता A.39/236-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9616946983

MIS Id. 07390922-- Property Id. 1A390877001

Latitude 25.33627973200

Longitude 83.02727696880

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/236-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,578.0** व सामान्य कर **1,274.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,550.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3100,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,480.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,606.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,606.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,277.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KAYUM S/O LATE MOHD.SAFI,AJIJ AHMAD,VASIM ALIAS

पता A.39/300-B-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391218-- Property Id. 1A390878001

Latitude 25.33625119760

Longitude 83.02604994150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/300-B-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,125.0** व सामान्य कर **234.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,039.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 576,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 461.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,157.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,157.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 237.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI ABDUL HASAN SARDAR S/O LATE HAJI SAFIULLA SARDAR

पता A.39/335-U-5-27 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391221-- Property Id. 1A390884001

Latitude 25.33631619490

Longitude 83.02617443310

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-27 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,349.0** व सामान्य कर **478.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 528.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1056,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 845.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,448.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,448.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 489.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FUJAIL AHMAD S/O GULAM RASOOL

पता A.39/336-F-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8090429701

MIS Id. 07390960-- Property Id. 1A390885001

Latitude 25.33627133760

Longitude 83.02849106030

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-F-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,107.0** व सामान्य कर **672.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1600,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,488.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,488.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 824.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RAHAMAN S/O ABDUL SATTAR ALIMUNNISA W/O ABDUL

पता A.39/336-5-F Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7505818203

MIS Id. 07391010-- Property Id. 1A390886001

Latitude 25.33627273820

Longitude 83.02862373410

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,381.0** व सामान्य कर **482.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 616.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 616,C= 616               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 493.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 26,810.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 26,810.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,949.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VISHWANATH S/O BIHARI

पता A.39/202 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369894182

MIS Id. 07391000-- Property Id. 1A390887001

Latitude 25.33627459640

Longitude 83.02831594060

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/202 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,892.0** व सामान्य कर **318.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 750.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0                  | R= 1500,C= 750              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,200.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 34,281.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 34,281.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,771.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAH MOHAMMAD GULAM MOHAMMAD OTHER

पता A.39/202-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9335486329

MIS Id. 07391005-- Property Id. 1A390888001

Latitude 25.33627301730

Longitude 83.02839178820

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/202-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,019.0** व सामान्य कर **662.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 550.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1122,C= 528                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 898.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 25,205.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 25,205.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,773.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LAILUNISA BIBI W/O NIZAMUDDIN NIJAMUDDIN S/O SHAFIULLA

पता A.39/202-A-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8303825621

MIS Id. 07391001-- Property Id. 1A390889001

Latitude 25.33627439060

Longitude 83.02823486130

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/202-A-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,601.0** व सामान्य कर **286.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 630.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1260,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,008.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,307.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,307.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 584.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.SHILA DEVI W/O JAWAHAR LAL GUPTA

पता A.39/336-B-5- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390980-- Property Id. 1A390891001

Latitude 25.33627444190

Longitude 83.02815943520

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-5- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,506.0** व सामान्य कर **606.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 0,C= 1200            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 47,736.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 47,736.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 5,251.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUNNU S/O HAFI ZULLA

पता A.39/304-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7275475099

MIS Id. 07391266-- Property Id. 1A390893001

Latitude 25.33630150700

Longitude 83.02593126140

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,184.0** व सामान्य कर **460.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,295.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 890,C= 260               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 712.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,675.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,675.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,504.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.FARUKH

पता A.39/215-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390923-- Property Id. 1A390894001

Latitude 25.33632262530

Longitude 83.02727236360

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,544.0** व सामान्य कर **170.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 900.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 900,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 720.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI HASMATULLAH S/O LATE ABDUL ALI

पता A.39/335-V-1-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391265-- Property Id. 1A390895001

Latitude 25.33630494270

Longitude 83.02582692570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-V-1-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,520.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1520,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,216.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,691.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,691.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 626.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUDDIN SAHIDUNNISA BIBI HABIBUNISA BIBI S/O DD/O LATE

पता A.39/336-B-18 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6090910094

MIS Id. 07390850-- Property Id. 1A390901001

Latitude 25.33631916960

Longitude 83.02781185310

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-18 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,897.0** व सामान्य कर **319.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 840.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1680,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,344.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,290.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,290.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 692.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AZIZURAHMAN S/O LATE MD.HANIF SHAMSUNNISA BIBI W/O

पता A.39/257-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391193-- Property Id. 1A390902001

Latitude 25.33630932390

Longitude 83.02629000450

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/257-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,720.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3440,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,752.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,466.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,466.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,361.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANVARUL HAQ S/O JAINUL AABDIN

पता A.39/336-B-18-KH-1-A-P Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390844-- Property Id. 1A390906001

Latitude 25.33632787930

Longitude 83.02792975520

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-18-KH-1-A-P के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,340.0** व सामान्य कर **257.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 660.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 660             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 26,255.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 26,255.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,888.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HALIM S/O MOHD

पता A.39/336-B-25-A-2-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9473515391

MIS Id. 07390842-- Property Id. 1A390909001

Latitude 25.33633646570

Longitude 83.02800017010

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-25-A-2-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 391.00                             |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 1564,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,251.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,856.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,856.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 644.00                             |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD ISLLAM S/O MOHD RAFIQUE

पता A.39/304-11 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391223-- Property Id. 1A390912003

Latitude 25.33638867520

Longitude 83.02605888570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-11 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,546.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 702.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 702,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 562.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,628.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,628.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 289.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ISLAMZANHA W/O SHARAFUDDIN, SHAHANAZ AKHTAR, MD. SHOAB

पता A.39/215-A-4-A- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390913-- Property Id. 1A390913001

Latitude 25.33636966320

Longitude 83.02700535510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-A-4-A- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,432.0** व सामान्य कर **158.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 900.00                             |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 400, C= 500                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 320.00                             |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,432.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,432.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 1,478.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIJAMUDDIN S/O ABDUL LATIF & AJIJUNNISSA BIBI W/O NIJAMUDDIN

पता A.39/336-B-24-X-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7499523011

MIS Id. 07390963-- Property Id. 1A390916001

Latitude 25.33635567340

Longitude 83.02853874320

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-24-X-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,048.0** व सामान्य कर **775.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 864.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2592,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,074.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,704.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,704.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,067.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADARUNNISA W/O SHAMSHUL HAQ

पता A.39/304-KH-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9335112685

MIS Id. 07391198-- Property Id. 1A390918001

Latitude 25.33639503160

Longitude 83.02594048070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-KH-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **772.0** व सामान्य कर **85.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,044.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 1044            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 41,530.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 41,530.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,568.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RASHID AHMED S/O LATE MAULABI ABDUL KAYUM, RASHID AHMAD

पता A.39/304-17 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391262-- Property Id. 1A390918002

Latitude 25.33639503160

Longitude 83.02594048070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-17 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,850.0** व सामान्य कर **644.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 810.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1300, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,040.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,084.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,084.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 669.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASID S/O LATE ABDUL WAHID,LAILUNNISA,LATE ABDUL

पता A.39/215-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390924-- Property Id. 1A390919001

Latitude 25.33637986800

Longitude 83.02726638150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,212.0** व सामान्य कर **573.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 990.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1980,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,584.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,340.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,340.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 917.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJJU HASAN S/O KAMRUDDIN

पता A.39/336-B-19-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6392010314

MIS Id. 07390998-- Property Id. 1A390921001

Latitude 25.33636472100

Longitude 83.02838789410

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-19-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,379.0** व सामान्य कर **372.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 552.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1656,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,325.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,200.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,200.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 682.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम CHANDO BIBI W/O MUKHTAR ALI

पता A.39/336-V-25-A-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390983-- Property Id. 1A390922001

Latitude 25.33640057780

Longitude 83.02823528690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-V-25-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 400.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,992.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,992.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 549.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN ALTAFUREHMAN EKHLAK AHAMD EKBAL AHAMD

पता A.39/308-F-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391409-- Property Id. 1A390926001

Latitude 25.33639288070

Longitude 83.02571813680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/308-F-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **32,572.0** व सामान्य कर **3,583.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 3000,C= 1500                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,400.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 73,710.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 73,710.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 11,057.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.ANISURRAHMAN S/O ABDUR RAUF

पता A.39/215-A-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9450397202

MIS Id. 07390919-- Property Id. 1A390927001

Latitude 25.33639584850

Longitude 83.02715773130

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-A-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,896.0** व सामान्य कर **319.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 510.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1530,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,224.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,160.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,160.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 788.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN S/O HAFIZULLA

पता A.39/304-9-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391225-- Property Id. 1A390929001

Latitude 25.33642495650

Longitude 83.02618567640

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-9-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,469.0** व सामान्य कर **382.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 768.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 840,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 672.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,538.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,538.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 389.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TAJJAMUL AHAMAD S/O LATE HAZI SHAHABUDDIN

पता A.39/215-A-7-P Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9044168082

MIS Id. 07390925-- Property Id. 1A390930001

Latitude 25.33645013430

Longitude 83.02726071070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-A-7-P के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,633.0** व सामान्य कर **510.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,080.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1275,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,020.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,774.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,774.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 525.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IMTIYAJ AHMAD S/O LATE TAUFIK AHMAD

पता A.39/336-B-26-I-T Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390984-- Property Id. 1A390933001

Latitude 25.33642820360

Longitude 83.02817601880

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-26-I-T के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,404.0** व सामान्य कर **154.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 275.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 550,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 440.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,574.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,574.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 283.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUDDIN S/O NIJAMUDDIN

पता A.39/336-H-4-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390994-- Property Id. 1A390935001

Latitude 25.33641894890

Longitude 83.02869881760

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-H-4-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,346.0** व सामान्य कर **368.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 750.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 750,C= 750                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 600.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 20,709.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 20,709.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,278.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                             |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD FARUK S/O ALI HASAN

पता A.39/336-5-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369254414

MIS Id. 07390848-- Property Id. 1A390936001

Latitude 25.33641382890

Longitude 83.02799208920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 680.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1360,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,088.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,092.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,092.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 560.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAMIL AHMAD S/O LATE MOHD.YASIN

पता A.39/336-B-24-A-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391012-- Property Id. 1A390937001

Latitude 25.33641932740

Longitude 83.02862573020

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-24-A-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 300,C= 300                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 240.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,564.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,564.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 942.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BAKAULLAH S/O LAKAULAH

पता A.39/336-B-18-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8957120420

MIS Id. 07390847-- Property Id. 1A390939001

Latitude 25.33641042640

Longitude 83.02790976940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-18-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,317.0** व सामान्य कर **255.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 704.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1408,C= 704                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,126.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 33,277.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 33,277.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,660.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS. REHANA BIBI W/O MUSTAQ AHAMAD

पता A.39/336-B-24 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390988-- Property Id. 1A390940001

Latitude 25.33642014060

Longitude 83.02855195670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-24 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,609.0** व सामान्य कर **177.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,000.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 240,C= 120                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 192.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,987.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,987.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 439.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAIS AHMED S/O NIZAMUDDIN

पता A.39/304-12 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391260-- Property Id. 1A390941001

Latitude 25.33646519750

Longitude 83.02584013400

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-12 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,622.0** व सामान्य कर **398.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 593.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 880,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 704.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,707.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,707.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 408.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHUSBUNNISA W/O ABDUL RASID

पता A.39/336-B-20-V Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9580379141

MIS Id. 07390987-- Property Id. 1A390942002

Latitude 25.33642420130

Longitude 83.02845520140

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-20-V के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,866.0** व सामान्य कर **425.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 660.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1200,C= 600                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,814.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,814.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,070.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BAKRIDU ALLAIS KHARPTTU S/O HAFIJULLA

पता A.39/215-A-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390914-- Property Id. 1A390943001

Latitude 25.33643735450

Longitude 83.02700279910

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,414.0** व सामान्य कर **156.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 300             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,934.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,934.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,313.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम YAR MOHAMMED S/O MOHD.IDRIS

पता A.39/257-A-6 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6306115638

MIS Id. 07391191-- Property Id. 1A390946001

Latitude 25.33643357860

Longitude 83.02640320330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/257-A-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,379.0** व सामान्य कर **372.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 700.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,120.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,242.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,242.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 577.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RAHIM S/O ABDUL LATIF

पता A.39/215-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305489033

MIS Id. 07390929-- Property Id. 1A390947001

Latitude 25.33644028640

Longitude 83.02738997400

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,235.0** व सामान्य कर **136.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1200,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,493.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,493.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 494.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RABIYA BIBI,AASIYA BIBI,ASGARI BIBI,AKHTARI BIBI DD/O LATE ALI

पता A.39/215-A-3-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390928-- Property Id. 1A390947002

Latitude 25.33644028640

Longitude 83.02738997400

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-A-3-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,026.0** व सामान्य कर **223.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 991.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 552,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 442.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,067.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,067.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 227.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAJID S/O MD SARIF MARHUM

पता A.39/336-B-5-M-O Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390839-- Property Id. 1A390948001

Latitude 25.33645640970

Longitude 83.02809538730

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-5-M-O के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **869.0** व सामान्य कर **96.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 300.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,527.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,527.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 278.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDDIN S/O MD.IDRIS

पता A.39/308-E-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391224-- Property Id. 1A390951001

Latitude 25.33644292440

Longitude 83.02630183760

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/308-E-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,174.0** व सामान्य कर **239.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,558.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 540,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 432.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,274.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,274.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 250.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.NASIM,MOHD.SALIM,MOHD.ALIM,MOHD.NAIM SS/O,RAJIYA

पता A.39/301 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391261-- Property Id. 1A390953002

Latitude 25.33648410500

Longitude 83.02594792920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/301 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

4,212.0

व सामान्य कर

463.0 से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 995.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1020,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 816.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,296.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,296.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 473.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHALILURAHMAN S/O HABIBURAHMAN

पता A.39/215-K-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390918-- Property Id. 1A390954001

Latitude 25.33648074630

Longitude 83.02709136870

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-K-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,769.0** व सामान्य कर **195.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 500.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1000,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,744.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,744.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 412.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHALIF

पता A.39/336-B-24-A-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390990-- Property Id. 1A390959001

Latitude 25.33648608130

Longitude 83.02853204890

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-24-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,866.0** व सामान्य कर **425.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 400.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 800,C= 400                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,542.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,542.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,380.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI MOHD.SALIM S/O LATE HAJI MAHBULLA

पता A.39/304-9 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391226-- Property Id. 1A390960001

Latitude 25.33649416470

Longitude 83.02619096650

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,769.0** व सामान्य कर **195.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 680.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2040,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,632.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,638.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,638.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 840.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHILA DEVI W/O JAWAHAR LAL GUPTA

पता A.39/336-B-5-8-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9956585844

MIS Id. 07390957C Property Id. 1A390963001

Latitude 25.33650090020

Longitude 83.02808957530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-5-8-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,310.0** व सामान्य कर **144.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 349.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 252             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,025.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,025.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,103.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD UMAR S/O HAJI JALIL

पता A.39/339-A-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9653036475

MIS Id. 07390986-- Property Id. 1A390964001

Latitude 25.33648838090

Longitude 83.02844990170

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-A-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,802.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,200.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1800,C= 600              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,440.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 30,607.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 30,607.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,367.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.YUNUS RAFIUDDIN IQRAMUDDIN OTHER

पता A.39/336-B-25-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390985-- Property Id. 1A390965001

Latitude 25.33647181790

Longitude 83.02837480730

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-25-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,956.0** व सामान्य कर **545.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 793.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1344,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,075.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,032.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,032.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 554.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SWALEHA BIBI W/O ABDUL KHALIK

पता A.39/336-5-D Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305868513

MIS Id. 07391013-- Property Id. 1A390966001

Latitude 25.33649019740

Longitude 83.02801179140

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,096.0** व सामान्य कर **231.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 700.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,120.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,242.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,242.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 577.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASURUDIN S/O MD.ESAHAK

पता A.39/293-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8960604093

MIS Id. 07391468-- Property Id. 1A390969001

Latitude 25.33651397920

Longitude 83.02513095860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/293-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,955.0** व सामान्य कर **765.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,800.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1800,C= 1800                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                         |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 49,701.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 49,701.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 5,467.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM SABIR,ANWAR AHMED S/O RAHAMATULLA

पता A.39/235-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390907-- Property Id. 1A390970001

Latitude 25.33650380990

Longitude 83.02680165150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/235-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,178.0** व सामान्य कर **680.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,822.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1680,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,344.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,290.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,290.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 692.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI MOHD.SULEMAN S/O LATE MOHD.RAFIQ,MOHD.SHOAB S/O

पता A.39/304-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9151162125

MIS Id. 07391268-- Property Id. 1A390971001

Latitude 25.33650959220

Longitude 83.02606831910

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,737.0** व सामान्य कर **191.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,003.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1003,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 802.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,225.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,225.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 465.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम CHUNNI BIBI W/O BAHADUR

पता A.39/304-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391227-- Property Id. 1A390971002

Latitude 25.33650959220

Longitude 83.02606831910

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,933.0** व सामान्य कर **213.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,462.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 528,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 422.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,977.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,977.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 217.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FATEH MOHAMMED S/O ABDUL RAHMAN

पता A.39/230 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390906-- Property Id. 1A390972001

Latitude 25.33653620740

Longitude 83.02656228460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/230 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,587.0** व सामान्य कर **725.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1600,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,739.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,739.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 741.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAINUDDIN ANSARI S/O LATE ABDUL SHAKUR ANSARI

पता A.39/336-B-18-S-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390847A Property Id. 1A390974001

Latitude 25.33653046270

Longitude 83.02794007330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-18-S-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,638.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 364.00                             |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 1456,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,165.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,814.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,814.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 750.00                             |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VASHIRAN BIBI ALIES VASHIRAN W/O AMIRUDDIN

पता A.39/203-B-1- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390992-- Property Id. 1A390976001

Latitude 25.33650803350

Longitude 83.02872404460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/203-B-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,574.0** व सामान्य कर **283.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 888.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_&l |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1400,C= 80                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,120.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,197.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,197.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 682.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDDIN S/O JALIL SARDAR

पता A.39/336-B-24-A-1- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390991-- Property Id. 1A390977001

Latitude 25.33650990100

Longitude 83.02864129030

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-24-A-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,866.0** व सामान्य कर **425.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 555.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1110,C= 555                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 888.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 17,403.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 17,403.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,914.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD SALIM S/O MD HALIM

पता A.39/336-B-20-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390989-- Property Id. 1A390984001

Latitude 25.33654088270

Longitude 83.02853336820

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-20-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 850.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_&l |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2450,C= 100                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,960.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,366.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,366.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,140.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAJIYA PARVIN W/O NAJIR AHMAD

पता A.39/215-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390916A Property Id. 1A390986001

Latitude 25.33655560400

Longitude 83.02708764680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,546.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 575.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1150,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 920.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,306.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,306.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 474.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TARA DEVI W/O MITHAI LAL

पता A.39/27 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7052237832

MIS Id. 07390916-- Property Id. 1A390988001

Latitude 25.33656399570

Longitude 83.02714751150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/27 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,705.0** व सामान्य कर **298.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 700,C= 500               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 560.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,555.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,555.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,601.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIZAMUDDIN,KAYAMUDDIN

पता A.39/215-A-5-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6306485842

MIS Id. 07390926-- Property Id. 1A390990001

Latitude 25.33654499390

Longitude 83.02725031950

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-A-5-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,635.0** व सामान्य कर **620.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,360.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1360,C= 1360                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,088.00                         |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 37,552.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 37,552.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,131.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                             |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD JAVED S/O MD RASID

पता A.39/336-D-3-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390824-- Property Id. 1A390991001

Latitude 25.33656269850

Longitude 83.02824132400

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-D-3-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,739.0** व सामान्य कर **741.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,840.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1840,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,472.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,889.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,889.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 758.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAFIZ S/O SAFIULLA

पता A.39/336-B-19 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7652048322

MIS Id. 07390999-- Property Id. 1A390993001

Latitude 25.33656771450

Longitude 83.02818144540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-19 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,357.0** व सामान्य कर **479.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,050.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 900,C= 300                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                             |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 15,304.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 15,304.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,683.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VARAKTULLA S/O SAMIULLA

पता A.39/276-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391258-- Property Id. 1A390994001

Latitude 25.33659197340

Longitude 83.02581339480

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/276-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,027.0** व सामान्य कर **223.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 583.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 500,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 400.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,106.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,106.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 232.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TAZ MOHAMMAD S/O SIDDHIKULLA

पता A.39/276-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391257-- Property Id. 1A390995001

Latitude 25.33659853450

Longitude 83.02573646970

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/276-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,958.0** व सामान्य कर **325.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 941.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 806,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 645.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,018.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,018.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 332.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAHIRUNNISHA W/O HAFIJ JAINUL AABDIN, RIYAJ AHMAD, VAKAR

पता A.39/336-B-25 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390823-- Property Id. 1A390999001

Latitude 25.33656960400

Longitude 83.02830537860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-25 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,621.0** व सामान्य कर **288.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 700.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1050, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 840.00                        |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,931.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,931.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 432.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI HAFIZURAMAN S/O HAZI NEQ MD.

पता A.39/203-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390816-- Property Id. 1A391002001

Latitude 25.33661512820

Longitude 83.02871851620

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/203-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,125.0** व सामान्य कर **234.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1300,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,040.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,867.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,867.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 535.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL AZIZ S/O HAZI ABDUL RAHMAN

पता A.39/237-5-B-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390837-- Property Id. 1A391003001

Latitude 25.33658548070

Longitude 83.02801128240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/237-5-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,312.0** व सामान्य कर **584.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,048.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1456,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,165.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,451.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,451.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 600.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAHAMATULLA S/O MOHD.SHAH

पता A.39/235 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390902-- Property Id. 1A391005002

Latitude 25.33660512500

Longitude 83.02674310140

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/235 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,933.0** व सामान्य कर **213.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1000,C= 600                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,065.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,065.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,987.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LEYAKAT ALI S/O RAMJAN ALI

पता A.39/271-C-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391413-- Property Id. 1A391006001

Latitude 25.33660681140

Longitude 83.02559032040

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-C-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,416.0** व सामान्य कर **266.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,500.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 300,C= 200           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 240.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,360.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,360.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,030.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTAKIM S/O KALLU

पता A.39/233-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390904-- Property Id. 1A391007001

Latitude 25.33662614110

Longitude 83.02661662240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/233-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **899.0** व सामान्य कर **99.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 600,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,246.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,246.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 247.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DILARA KAHKASHA JAUJEY MOHD MAHBOOB ALAM

पता A.39/271-A-3- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9491277506

MIS Id. 07391383-- Property Id. 1A391009002

Latitude 25.33665180210

Longitude 83.02546241970

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-3- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,995.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 400.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1200,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,493.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,493.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 494.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RAHIM S/O LATE HAFIJ ABDUL GANI ALIAS SHAMI

पता A.39/257-A-5-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390866-- Property Id. 1A391010001

Latitude 25.33663953470

Longitude 83.02716393450

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/257-A-5-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,610.0** व सामान्य कर **177.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 513.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 440,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 352.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,647.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,647.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 181.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD. SARIF S/O VALIULLA

पता A.39/271-A-3-B-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391465-- Property Id. 1A391011001

Latitude 25.33665679660

Longitude 83.02537974000

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-3-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,574.0** व सामान्य कर **283.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,550.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 5100,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 4,080.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 19,094.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 19,094.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,100.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL GANI S/O ABDUL RASHID

पता A.39/270 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391431A Property Id. 1A391011002

Latitude 25.33665679660

Longitude 83.02537974000

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/270 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 650.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 900,C= 400               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,917.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,917.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,421.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHALILURRAHMAN,MUS.NAZABUNNISA S/O D/O ABDUL

पता A.39/271 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391466-- Property Id. 1A391012001

Latitude 25.33666167970

Longitude 83.02530672430

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,507.0** व सामान्य कर **496.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1800,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,739.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,739.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 741.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI IBRAHIM MD.YASIN MD.FARUK MD.HARUN SHAMIM MD.NASIM

पता A.39/309-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391454-- Property Id. 1A391012002

Latitude 25.33666167970

Longitude 83.02530672430

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/309-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,727.0** व सामान्य कर **520.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 650.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1300,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,040.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,867.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,867.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 535.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NISAR AHAMED S/O GAFFAR

पता A.39/203-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390817-- Property Id. 1A391014001

Latitude 25.33661869830

Longitude 83.02861053230

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/203-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,866.0** व सामान्य कर **425.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,527.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1056,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 845.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,954.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,954.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 435.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KALIMULLAH S/O ABDUL RAUF

पता A.39/271-A-2-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8687628919

MIS Id. 07391453-- Property Id. 1A391015001

Latitude 25.33665807260

Longitude 83.02502412510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-2-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,527.0** व सामान्य कर **278.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 770.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,054.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,054.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 556.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL AJIJ S/O MOHD SWALEH

पता A.39/198-D-8 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8090770304

MIS Id. 07390735B Property Id. 1A391016001

Latitude 25.33665159620

Longitude 83.02811233590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-D-8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,340.0** व सामान्य कर **257.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 891.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 510,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 408.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,387.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,387.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 263.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN ANSARI S/O SHAMIULLA

पता A.39/271-A-3-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9389393785

MIS Id. 07391445-- Property Id. 1A391019001

Latitude 25.33667195450

Longitude 83.02493516460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-3-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,574.0** व सामान्य कर **283.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 700,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 560.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,621.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,621.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 288.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM RASUL S/O HAZI SIDDHIKULLA

पता A.39/276-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8960736874

MIS Id. 07391255-- Property Id. 1A391022001

Latitude 25.33668177810

Longitude 83.02584045260

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/276-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,317.0** व सामान्य कर **255.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,100.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1050,C= 1050             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 840.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 45,700.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 45,700.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 5,027.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAN BIBI W/O ABDUL RASHID

पता A.39/212 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390820-- Property Id. 1A391024001

Latitude 25.33665462110

Longitude 83.02834495350

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/212 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,866.0** व सामान्य कर **425.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 700.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 700,C= 700           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 560.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 30,467.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 30,467.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,351.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAVIBULLA ZAHIRUDDIN S/O NURUDDIN, RAJIYA BIBI W/O VAKIL

पता A.39/203-C Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390819-- Property Id. 1A391024002

Latitude 25.33665462110

Longitude 83.02834495350

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/203-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,538.0** व सामान्य कर **389.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार             | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,400.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, 2_Residential, GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                         |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 4900, C= 300                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                     |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 3,920.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                     |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                                |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                     |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 25,506.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                     |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 25,506.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 2,806.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम WAHIDA KHATUN W/O LATE ABDUL MOIN ANSARI RIJWAN AHAMD

पता A.39/276-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9151128077

MIS Id. 07391256-- Property Id. 1A391025001

Latitude 25.33668797860

Longitude 83.02574773960

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/276-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,552.0** व सामान्य कर **721.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,100.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2100,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,680.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,828.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,828.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,081.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AYESHA BIBI W/O BASHIRUDDIN

पता A.39/271-C-6 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391407A Property Id. 1A391027001

Latitude 25.33670848120

Longitude 83.02563353020

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-C-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,560.0** व सामान्य कर **612.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 893.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1344,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,075.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,661.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,661.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 623.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SHAFI S/O MOHAMMAD UMAR

पता A.39/271-A-3-C Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391461-- Property Id. 1A391028001

Latitude 25.33672905510

Longitude 83.02534591010

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-3-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,480.0** व सामान्य कर **273.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 672.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 672,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 538.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,516.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,516.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 277.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Abdual Ajid

पता A.39/198-6-D-8 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390835-- Property Id. 1A391035001

Latitude 25.33671206960

Longitude 83.02811972830

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-6-D-8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **964.0** व सामान्य कर **106.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 418.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 836,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 669.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,130.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,130.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 344.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAOSAD AHAMAD DILASAD AHAMAD SS/O VASIR AHAMAD SAMIR

पता A.39/257-A-5-K- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390863-- Property Id. 1A391037002

Latitude 25.33667926940

Longitude 83.02742208630

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/257-A-5-K- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,454.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1386,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,109.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,189.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,189.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 571.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MEHARUNNISA BIBI W/O MURAR HUSSAIN

पता A.39/257-A-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390865-- Property Id. 1A391038001

Latitude 25.33668359220

Longitude 83.02725909020

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/257-A-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,705.0** व सामान्य कर **298.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 832.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1664,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,331.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,230.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,230.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 685.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RAHAMAN S/O RASID

पता A.39/377-5-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7905858920

MIS Id. 07391451-- Property Id. 1A391040001

Latitude 25.33675490540

Longitude 83.02500192170

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-5-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,483.0** व सामान्य कर **1,153.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,100.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2850,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,280.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,670.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,670.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,174.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AKHTARI BEGAM W/O MOHD.MAZAHIR

पता A.39/257-A-5-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390864-- Property Id. 1A391041001

Latitude 25.33668534170

Longitude 83.02734616530

### नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/257-A-5-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,084.0** व सामान्य कर **339.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,005.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 836,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 669.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,130.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,130.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 344.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HIKMAT ALI S/O ASGAR ALI

पता A.39/236-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390897-- Property Id. 1A391042001

Latitude 25.33673844210

Longitude 83.02692839860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/236-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **19,516.0** व सामान्य कर **2,147.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,404.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 4212,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,370.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 19,712.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 19,712.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,168.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT VIDYA DEVI W/O SRI KALIKA PRASAD GUPTA

पता A.39/291-A-22 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390144J- Property Id. 1A391044008

Latitude 25.33672096680

Longitude 83.02480204410

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/291-A-22 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,819.0** व सामान्य कर **420.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 100.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 100             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,978.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,978.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 438.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GITA DEVI W/O SAMBHU LAL GUPTA

पता A.39/291-G-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390144I- Property Id. 1A391044009

Latitude 25.33672096680

Longitude 83.02480204410

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/291-G-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,814.0** व सामान्य कर **640.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 120.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 120             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr        |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,977.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,977.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 767.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIM AKHATAR ANSARI S/O MD.AKIK

पता A.39/215-A-3-A-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390855-- Property Id. 1A391045001

Latitude 25.33674364710

Longitude 83.02755490760

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-A-3-A-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,044.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2088,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,670.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,817.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,817.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 860.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.YASIN S/O LATE ABDUL MAZID MD.NASIM MD.SHAMIM SS/O

पता A.39/271-C Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9696121217

MIS Id. 07391416-- Property Id. 1A391049001

Latitude 25.33677616660

Longitude 83.02564013260

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,802.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 709.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_&lt; 120Sq.Ft Commercials |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 200,C= 100                |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 160.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,942.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,942.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 214.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.RAFIQ ALIES TALLU,KAMARUNNISA,BADARUNNISA,

पता A.39/231 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390894-- Property Id. 1A391050001

Latitude 25.33673139980

Longitude 83.02670325600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/231 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,310.0** व सामान्य कर **144.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1600,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,990.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,990.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 659.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIM AHMAD, MOIN AHMAD SS/O NIJAMUDDIN

पता A.39/271-A-3-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391462-- Property Id. 1A391052001

Latitude 25.33676092510

Longitude 83.02546708180

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-3-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,476.0** व सामान्य कर **602.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,100.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2700, C= 600              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,160.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 24,430.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 24,430.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 2,687.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD FARUKH MOHD SAUF ABDUL RAUF

पता A.39/335-U-5-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391228-- Property Id. 1A391057001

Latitude 25.33676040000

Longitude 83.02598208070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,593.0** व सामान्य कर **1,275.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,742.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3116,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,493.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,666.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,666.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,283.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAHRUNISSA W/O MOHD RIZWAN

पता A.39/271-A-3-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9799053562

MIS Id. 07391463-- Property Id. 1A391060001

Latitude 25.33679340080

Longitude 83.02535374010

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-3-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,116.0** व सामान्य कर **233.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 680.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1360,C= 680                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,088.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,322.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,322.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,345.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.AMIR AJAM S/O SHEKH NIZAMUDDIN

पता A.39/271-M-10-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9026875780

MIS Id. 07391460-- Property Id. 1A391060002

Latitude 25.33679340080

Longitude 83.02535374010

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-M-10-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,276.0** व सामान्य कर **360.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1200,C= 600                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 19,937.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 19,937.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,193.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHAIRUNNISA W/O MUKHTAR AHMED

पता A.39/215-A-3-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390856-- Property Id. 1A391065001

Latitude 25.33675892280

Longitude 83.02748861420

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-A-3-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,021.0** व सामान्य कर **552.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 723.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1344,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,075.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,032.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,032.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 554.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TAMANNA FATMA MINOR DUKHTAR SARTAZ HUSSAIN U/G FATHER

पता A.39/215-A-3+A-3-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390857-- Property Id. 1A391066001

Latitude 25.33679628710

Longitude 83.02754727340

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-A-3+A-3-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,092.0** व सामान्य कर **560.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 696.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1392,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,114.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,212.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,212.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 573.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANIL KUMAR SETH ALIAS MAUJI LAL S/O LATE JIBODHAN SETH

पता A.39/291-M- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390144B Property Id. 1A391070003

Latitude 25.33684676050

Longitude 83.02480700510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/291-M- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,488.0** व सामान्य कर **384.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 189.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 189             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr        |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,988.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,988.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,209.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT MAYA DEVI W/O SRI PRAKASH JAISWAL

पता A.39/291-M-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 073901440 Property Id. 1A391070004

Latitude 25.33684676050

Longitude 83.02480700510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/291-M-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,890.0** व सामान्य कर **648.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 126.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 0,C= 252             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr        |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,651.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,651.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,612.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT MAMTA JAISWAL W/O RAJKUMAR JAISWAL

पता A.39/291-S-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390144K Property Id. 1A391070007

Latitude 25.33684676050

Longitude 83.02480700510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/291-S-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,070.0** व सामान्य कर **448.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 156.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 156             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr        |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,070.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,070.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 998.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SATISH KUMAR JAISWAL S/O SHAMDHU PRASAD

पता A.39/290-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390147-- Property Id. 1A391070009

Latitude 25.33684676050

Longitude 83.02480700510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/290-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **515.0** व सामान्य कर **57.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,994.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 144,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 115.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 539.00                  |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 539.00                  |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 59.00                   |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IKBAL AHAMAD S/O KAYAMUDDIN

पता A.39/269-C Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391254-- Property Id. 1A391071001

Latitude 25.33680941790

Longitude 83.02584251600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/269-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,604.0** व सामान्य कर **396.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,366.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 990,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 792.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,707.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,707.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 408.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MASAMIN W/O SIRAZUDDIN,D/O SAMIULLA ANSARI

पता A.39/229 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6394126137

MIS Id. 07390896-- Property Id. 1A391072001

Latitude 25.33684041130

Longitude 83.02676172520

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/229 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,346.0** व सामान्य कर **368.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,142.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 400,C= 1280          |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 320.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 52,416.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 52,416.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 7,862.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAVIBULLA S/O SIDDIKULLA

पता A.39/271-A-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391418-- Property Id. 1A391076002

Latitude 25.33685807270

Longitude 83.02554787480

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,560.0** व सामान्य कर **502.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 700.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,120.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,897.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,897.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 649.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASRULLA S/O LAL MOHAMMAD

पता A.39/236-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390898-- Property Id. 1A391077001

Latitude 25.33681482560

Longitude 83.02697614680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/236-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,643.0** व सामान्य कर **181.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 400,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 320.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,685.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,685.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 185.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NOOR ALAM,MUBARAK ALI SS/O GAIRUL HASAN

पता A.39/229-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390895-- Property Id. 1A391077002

Latitude 25.33681482560

Longitude 83.02697614680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/229-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,610.0** व सामान्य कर **177.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,603.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 432,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 346.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,617.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,617.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 178.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI JAFAR SADIK SS/O LATE ANISUREHMAN

पता A.39/277-1-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391451A Property Id. 1A391078001

Latitude 25.33690433730

Longitude 83.02505855040

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/277-1-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,148.0** व सामान्य कर **566.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 572.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1144,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 915.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,354.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,354.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 589.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAHIRUL HASAN S/O ABDUL REHMAN

पता A.39/271-A-3-B-E-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391438A Property Id. 1A391080001

Latitude 25.33687844720

Longitude 83.02534858860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-3-B-E-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,212.0** व सामान्य कर **463.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 840.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2520,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,016.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,794.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,794.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,297.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFI ULLA S/O LAL MOHAMMAD

पता A.39/215-A-3-A- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390859-- Property Id. 1A391082001

Latitude 25.33686732260

Longitude 83.02753536080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-A-3-A- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,897.0** व सामान्य कर **319.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,040.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1040,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 832.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,894.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,894.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 428.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSHTAK ALI,NIJAMUDDIN,KAMALUDDIN SS/O LATE ANARULLA

पता A.39/198-D-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9696097663

MIS Id. 07390829-- Property Id. 1A391083001

Latitude 25.33682073240

Longitude 83.02823637130

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-D-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,867.0** व सामान्य कर **535.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,250.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1350,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,080.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,054.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,054.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 556.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTAK AHMAD, NOORJAHAN S/O D/O KAMRUDDIN

पता A.39/271-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7985299378

MIS Id. 07391443A Property Id. 1A391087001

Latitude 25.33689473130

Longitude 83.02525543840

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,077.0** व सामान्य कर **228.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,170.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1410, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,128.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,279.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 5,279.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 581.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BELAL AHMAD,EKHLAK AHMAD,MOHD.AAJAM,MOHD.NASIM,RAJIYA

पता A.39/336-5-G Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390831-- Property Id. 1A391089001

Latitude 25.33684865640

Longitude 83.02800836190

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,847.0** व सामान्य कर **423.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 510.00                             |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 1530,C= 510                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,224.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 26,016.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 26,016.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,862.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MALAN ABDUL HALAN OTHER

पता A.39/214-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305137999

MIS Id. 07390807-- Property Id. 1A391091001

Latitude 25.33686411870

Longitude 83.02789693740

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/214-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **772.0** व सामान्य कर **85.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 715.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1430,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,144.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,354.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,354.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 589.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL WAHAB ANSARI

पता A.39/198-D-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390832-- Property Id. 1A391091002

Latitude 25.33686411870

Longitude 83.02789693740

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-D-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,178.0** व सामान्य कर **680.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 840.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1680,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,344.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,290.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,290.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 692.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SATISH KUMAR JAISWAL S/O SHAMDHU PRASAD

पता A.39/290-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390148-- Property Id. 1A391092001

Latitude 25.33691431850

Longitude 83.02480692190

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/290-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,732.0** व सामान्य कर **521.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 800.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1400,C= 200              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,120.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,198.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,198.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,452.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALAUDDIN S/O RJAUDDIN

पता A.39/271-B-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391419-- Property Id. 1A391093001

Latitude 25.33692551020

Longitude 83.02560315150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-B-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,897.0** व सामान्य कर **319.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 4,080.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,995.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,995.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 329.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT MALIK ALI RJA S/O MAHBOOB

पता A.39/225-A-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390891-- Property Id. 1A391095001

Latitude 25.33686890210

Longitude 83.02663837930

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/225-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,244.0** व सामान्य कर **797.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,064.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1980,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,584.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,413.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,413.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 815.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUMTAZ AHMED S/O LATE MD.YAHIYA ALIES LATE

पता A.39/228 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390890-- Property Id. 1A391098001

Latitude 25.33691343980

Longitude 83.02679678640

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/228 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,794.0** व सामान्य कर **637.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,614.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1560,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,248.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,841.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,841.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 643.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMMAD TAMIL S/O NASARUDDIN

पता A.39/227-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390887-- Property Id. 1A391098002

Latitude 25.33691343980

Longitude 83.02679678640

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/227-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,892.0** व सामान्य कर **318.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,612.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,995.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,995.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 329.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAIMUNNISHA W/O RAFIKUDDIN

पता A.39/271-A-3-D-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391441-- Property Id. 1A391099001

Latitude 25.33695825520

Longitude 83.02516995050

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-3-D-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,764.0** व सामान्य कर **304.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 680.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 200             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,956.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,956.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 875.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAINUDDIN ANSARI S/O LATE ABDUL SHAKUR ANSARI

पता A.39/227-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391229-- Property Id. 1A391102001

Latitude 25.33691336170

Longitude 83.02597475610

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/227-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,615.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 6600,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 5,280.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 24,710.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 24,710.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,718.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWAR ALI S/O BAHADUR KHAN

पता A.39/215-A-3-A-1- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390860-- Property Id. 1A391103001

Latitude 25.33689440220

Longitude 83.02746493030

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-A-3-A-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,995.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,175.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2350,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,880.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,798.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,798.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 968.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PRAMOD KUMAR S/O LATE KEDAR NATH

पता A.39/288 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390151-- Property Id. 1A391105001

Latitude 25.33699028960

Longitude 83.02474894130

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/288 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **20,218.0** व सामान्य कर **2,224.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,600.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 4200,C= 600                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,360.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 41,558.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 41,558.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,571.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.DAUD S/O MOHD.RAFIQ

पता A.39/205 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390808-- Property Id. 1A391112001

Latitude 25.33695645520

Longitude 83.02789520800

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/205 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **964.0** व सामान्य कर **106.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,050.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 260,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 208.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 973.00                  |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 973.00                  |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 107.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम YAKAT ALI S/O RAMZAN ALI

पता A.39/305-A-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391252-- Property Id. 1A391114002

Latitude 25.33696017950

Longitude 83.02575534170

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/305-A-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,387.0** व सामान्य कर **813.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,000.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2500,C= 1500             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,000.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 46,332.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 46,332.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 5,097.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMALUDDIN S/O HABIBULLAH

पता A.39/204 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390811-- Property Id. 1A391116001

Latitude 25.33694726690

Longitude 83.02830392900

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/204 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,643.0** व सामान्य कर **511.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,000.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2000,C= 1000                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,600.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 31,356.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 31,356.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,449.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALAUDDIN S/O HAVIVULLA

पता A.39/204-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390812-- Property Id. 1A391116002

Latitude 25.33694726690

Longitude 83.02830392900

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/204-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,055.0** व सामान्य कर **776.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,000.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2000,C= 1000                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,600.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 48,204.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 48,204.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 5,302.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUDDIN S/O LATE RAJJAUDDIN

पता A.39/271-A-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9161524796

MIS Id. 07391421-- Property Id. 1A391117001

Latitude 25.33700423960

Longitude 83.02555814740

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,802.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 600              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,814.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,814.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,070.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NISAR AHAMAD MOHD ISHHAK EKBAL AHAMD SHAUKAT ALI SMT

पता A.39/203-D Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390810-- Property Id. 1A391118001

Latitude 25.33695656510

Longitude 83.02817026570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/203-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,866.0** व सामान्य कर **425.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,881.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1056,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 845.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,954.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,954.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 435.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMINUDDIN S/O MOHD.SAID

पता A.39/206 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

MIS Id. 07390809-- Property Id. 1A391119001

पुराना वार्ड W066

Latitude 25.33696617670

मोबाईल नं० 8318329431

Longitude 83.02803350340

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/206 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,379.0** व सामान्य कर **372.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1600,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,990.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,990.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 659.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम USAMAN ALI NUR ALI MAHBOOB ALI RAM JAN ALI ASAGAR ALI SS/O

पता A.39/223-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390888-- Property Id. 1A391120001

Latitude 25.33700101620

Longitude 83.02675027070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/223-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,348.0** व सामान्य कर **478.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 812.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1188,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 950.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,448.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,448.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 489.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD NAFIS ANSARI S/O MD YASIN

पता A.39/223-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390886-- Property Id. 1A391121001

Latitude 25.33700269120

Longitude 83.02665886680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/223-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,488.0** व सामान्य कर **824.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,069.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2016,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,613.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,548.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,548.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 830.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL GANI S/O LATE ABDUL RASHID

पता A.39/270-G Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9026064450

MIS Id. 07391447-- Property Id. 1A391124001

Latitude 25.33702920150

Longitude 83.02507274590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/270-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,931.0** व सामान्य कर **432.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 960.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1160,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 928.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,343.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,343.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 478.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD HANIF

पता A.39/271-A-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7668155785

MIS Id. 07391374-- Property Id. 1A391125001

Latitude 25.33701723940

Longitude 83.02545544440

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,120.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2240,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,792.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,387.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,387.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 923.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADARUDDIN S/O VALIULLA

पता A.39/271-B-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391449-- Property Id. 1A391126001

Latitude 25.33701325960

Longitude 83.02498019040

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-B-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,737.0** व सामान्य कर **191.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,800.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Industrial Unit      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 425             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,144.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,144.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,116.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RIJVAN AHMAD,IMRAN AHMAD,IRFAN

पता A.39/271-A-3-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391440-- Property Id. 1A391128001

Latitude 25.33703073340

Longitude 83.02536766520

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-3-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,201.0** व सामान्य कर **1,012.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3000,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,400.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,232.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,232.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,236.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANISURRAHMAN S/O LATE ABDUL RAHMAN POTA,MANSUR

पता A.39/210 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390790-- Property Id. 1A391130001

Latitude 25.33704652130

Longitude 83.02840571350

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/210 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,632.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 700.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_&lt; 120Sq.Ft Commercials |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 200,C= 100                |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 160.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,035.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,035.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 224.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम CHEDI S/O LATE CHANDRIKA PRASAD & LALLU S/O ASHOK

पता A.39/1-A-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305218243

MIS Id. 07390142A Property Id. 1A391131001

Latitude 25.33710460730

Longitude 83.02448941920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/1-A-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **19,656.0** व सामान्य कर **2,162.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार        | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,672.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_&lt; 120Sq.Ft |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                    |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3284,C= 60                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,627.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                           |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 23,510.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 23,510.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,586.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                            |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUMTAJ HASAN S/O SABBIR HASAN

पता A.39/2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390141-- Property Id. 1A391131002

Latitude 25.33710460730

Longitude 83.02448941920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,273.0** व सामान्य कर **1,460.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,607.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1950,C= 150              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,560.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr            |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 19,391.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 19,391.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,133.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                        |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAZBUNNISA W/O MEHRAJ ALI

पता A.39/200 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9044315347

MIS Id. 07390787-- Property Id. 1A391136001

Latitude 25.33705588710

Longitude 83.02861743990

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/200 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,705.0** व सामान्य कर **298.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,000.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2000,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,600.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,488.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,488.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 824.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SALIM S/O ABDUL SATTAR

पता A.39/200-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7499898449

MIS Id. 07390788-- Property Id. 1A391137001

Latitude 25.33706224570

Longitude 83.02854273840

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/200-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,897.0** व सामान्य कर **319.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 760.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 780,C= 380               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 624.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,990.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,990.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,319.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MO.IBRAHIM S/O MOHAMMAD YUSUFH

पता A.39/203-A-E Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390789-- Property Id. 1A391138001

Latitude 25.33706836600

Longitude 83.02847484700

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/203-A-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,271.0** व सामान्य कर **690.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,800.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1725,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,380.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,458.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,458.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 710.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI GULZAR, ABDUL MANNAN, ABDUL HANNAN, MOHD. AKARAM,  
पता A.39/245 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391233-- Property Id. 1A391139001

Latitude 25.33712710810

Longitude 83.02658078340

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/245 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 506.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1012, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 810.00                        |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,789.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,789.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 417.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.FAROOQUE S/O MOHD. SALEEM

पता A.39/209 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9335791628

MIS Id. 07390791-- Property Id. 1A391140001

Latitude 25.33707814080

Longitude 83.02830148270

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/209 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,955.0** व सामान्य कर **765.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,596.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 3592,C= 200                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,874.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,404.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,404.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,354.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAJIR AHAMAD SAGIR AHAMAD OTHER

पता A.39/271-A-3-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8887857734

MIS Id. 07391442-- Property Id. 1A391141001

Latitude 25.33715832180

Longitude 83.02519047330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-3-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,187.0** व सामान्य कर **351.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,600.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 900,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SULTAN AHMAD S/O MOHD DIN

पता A.39/335-U-5-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391249-- Property Id. 1A391142001

Latitude 25.33710047740

Longitude 83.02581381880

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-5-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,640.0** व सामान्य कर **840.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,353.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1872,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,498.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,885.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,885.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 867.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HALIM S/O ABDULLA

पता A.39/214-A-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390806-- Property Id. 1A391143001

Latitude 25.33707120430

Longitude 83.02789110080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/214-A-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,299.0** व सामान्य कर **1,243.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,800.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0                  | R= 2025,C= 675                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,620.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 57,283.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 57,283.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 8,592.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMUDDIN, RAFIULLAH, BISMILLAH SS/O MOHD. SIDDHIK

पता A.39/208 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390792-- Property Id. 1A391144001

Latitude 25.33708398250

Longitude 83.02817031050

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/208 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,787.0** व सामान्य कर **857.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,599.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1999, C= 400              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,599.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 17,031.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 17,031.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 1,873.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AFTAB AHAMAD S/O JAHIRUDDIN

पता A.39/242 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391231-- Property Id. 1A391145001

Latitude 25.33708382860

Longitude 83.02607977030

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/242 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,224.0** व सामान्य कर **135.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,522.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_&lt; 120Sq.Ft Commercials |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 222,C= 100                |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 178.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,232.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,232.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 246.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HASAN, ABDUL HASAN SS/O NIZAMUDDIN

पता A.39/207 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7499802140

MIS Id. 07390805-- Property Id. 1A391146001

Latitude 25.33709290820

Longitude 83.02803556400

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/207 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,085.0** व सामान्य कर **779.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,700.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 950, C= 950                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 760.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 26,232.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 26,232.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,886.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMINUDDIN S/O JUMMAN

पता A.39/377-1-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391401-- Property Id. 1A391147001

Latitude 25.33714579610

Longitude 83.02509920730

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-1-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,864.0** व सामान्य कर **315.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 496.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 992,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 794.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,178.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,178.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 460.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIYA BEGUM W/O NABI AHMAD

पता A.39/221+221-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390883-- Property Id. 1A391148001

Latitude 25.33713432370

Longitude 83.02688720880

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/221+221-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,617.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 924,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 739.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,459.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,459.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 380.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SABINA PARWEEN W/O NADIM PARWEJ

पता A.39/221-B+221-B-U Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390884-- Property Id. 1A391148003

Latitude 25.33713432370

Longitude 83.02688720880

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/221-B+221-B-U के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,886.0** व सामान्य कर **207.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,617.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 836,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 669.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,130.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,130.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 344.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAIL DEVI W/O DASHARATH PRASAD

पता A.39/3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390140-- Property Id. 1A391149001

Latitude 25.33716420490

Longitude 83.02448463010

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,769.0** व सामान्य कर **195.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,981.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1920,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,536.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,820.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,820.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,300.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI SAMSUDDIN SAFI URAHAMAN SS/O LATE RAZAUDDIN

पता A.39/271-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391422-- Property Id. 1A391152001

Latitude 25.33710290210

Longitude 83.02555965250

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,621.0** व सामान्य कर **288.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 750.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1050,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 840.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,931.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,931.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 432.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURULAIN,AMINUDDIN,MAINUDDIN,SHAMSHUDDIN SS/O MOHD

पता A.34/72-G Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390880-- Property Id. 1A391155001

Latitude 25.33717739990

Longitude 83.02666027520

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.34/72-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,574.0** व सामान्य कर **283.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,176.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1176,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 941.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,403.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,403.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 484.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUHAMMAD HANIPH, SHAMSUL MUHAMMAD RASID SS/O HAZI

पता A.39/271-A-3-B-E Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391438-- Property Id. 1A391156001

Latitude 25.33716665780

Longitude 83.02539733040

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-3-B-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,330.0** व सामान्य कर **1,246.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,520.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3040,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,432.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,382.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,382.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,252.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Nuroo Haque

पता A.39/256 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391243-- Property Id. 1A391158001

Latitude 25.33720317730

Longitude 83.02596200020

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/256 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **15,454.0** व सामान्य कर **1,700.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,404.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 4212,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,370.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 15,770.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 15,770.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,735.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSUNNISA W/O LATE

पता A.39/271-B- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

MIS Id. 07391443-- Property Id. 1A391161001

पुराना वार्ड W066

Latitude 25.33723405950

मोबाईल नं० 9119957532

Longitude 83.02510024680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-B- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,953.0** व सामान्य कर **215.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 486.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 972,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 778.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,094.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,094.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 450.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SIRAZUDDIN S/O ABDUL HASAN

पता A.39/283 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390154-- Property Id. 1A391162002

Latitude 25.33726519930

Longitude 83.02469295140

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/283 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **19,094.0** व सामान्य कर **2,100.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 862.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 0,C= 612             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 24,345.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 24,345.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,678.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.YASIN S/O ABDUL HAMID

पता A.39/250 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391240-- Property Id. 1A391164001

Latitude 25.33721842450

Longitude 83.02622972680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/250 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,348.0** व सामान्य कर **478.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,394.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1394,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,115.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,219.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,219.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 574.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL WAHID S/O HAZI ABDUL RAHAMAN

पता A.39/255-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391241-- Property Id. 1A391165001

Latitude 25.33722771800

Longitude 83.02611523690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/255-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,763.0** व सामान्य कर **744.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,412.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1872,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,498.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,009.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,009.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 771.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MATEEN S/O LATE HAFIZ SIDDIKULLA

पता A.39/199-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390785-- Property Id. 1A391167001

Latitude 25.33718835490

Longitude 83.02856081330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/199-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,995.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,560.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3120,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,496.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,681.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,681.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,285.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL LATIF S/O ALTE HAFIZ SIDDIKULLA

पता A.39/199-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390786-- Property Id. 1A391167002

Latitude 25.33718835490

Longitude 83.02856081330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/199-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,995.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,873.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 924,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 739.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,459.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,459.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 380.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL AZIZ S/O LATE HAFIJ SIDDIKULLA

पता A.39/199 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390784-- Property Id. 1A391167003

Latitude 25.33718835490

Longitude 83.02856081330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/199 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,995.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,873.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 924,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 739.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,459.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,459.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 380.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.ISLAM

पता A.39/211 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390783-- Property Id. 1A391168001

Latitude 25.33719886050

Longitude 83.02842025340

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/211 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,769.0** व सामान्य कर **195.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,735.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 480,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 384.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,797.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,797.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 198.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAN BIBI W/O ABDUL RASHID

पता A.39/198-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8687134967

MIS Id. 07390793-- Property Id. 1A391169001

Latitude 25.33720453310

Longitude 83.02831041070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,483.0** व सामान्य कर **1,153.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 798.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1596,C= 798                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,277.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 25,022.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 25,022.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,752.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANISA BIBI,HASINA BIBI,ABDUL RAHMAN,ABDUL LATIF,  
पता A.39/213 Saraiya  
नया वार्ड W087 Saraiya  
पुराना वार्ड W066  
MIS Id. 07390794-- Property Id. 1A391171001  
Latitude 25.33721334050  
Longitude 83.02814860820

मोबाईल नं०

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/213 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,840.0** व सामान्य कर **642.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,470.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1470,C= 1470                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,176.00                         |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 40,590.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 40,590.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,465.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABID ALI S/O MOHD DAUD

पता A.39/214 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9140724529

MIS Id. 07390799-- Property Id. 1A391173001

Latitude 25.33722029740

Longitude 83.02800619610

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/214 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,488.0** व सामान्य कर **824.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,470.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2140,C= 800              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,712.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 27,106.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 27,106.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,982.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Late Mohd.Daud S/o Late Mohd.Rafik

पता A.39/214-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390804-- Property Id. 1A391173002

Latitude 25.33722029740

Longitude 83.02800619610

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/214-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,897.0** व सामान्य कर **319.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,017.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,995.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,995.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 329.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MEHRAJUDDIN NAIMUDDIN BADRUL ISMAIL MOHD ILIYAS MOHD

पता A.39/130 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7668029435

MIS Id. 07390508-- Property Id. 1A391174002

Latitude 25.33729862590

Longitude 83.02511013960

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/130 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,392.0** व सामान्य कर **1,363.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,000.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 4000,C= 2000                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 3,200.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 62,712.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 62,712.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 9,407.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN S/O MOHD.IDARISH

पता A.39/223 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9389101911

MIS Id. 07390879-- Property Id. 1A391177001

Latitude 25.33725541050

Longitude 83.02665519110

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/223 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,736.0** व सामान्य कर **191.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 675.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2025,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,620.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,582.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,582.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 834.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SARVARI BEGAM W/O VARKTULLA SHAT

पता A.39/224-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390877-- Property Id. 1A391178002

Latitude 25.33727346030

Longitude 83.02686520120

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/224-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,737.0** व सामान्य कर **191.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 352.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 704,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 563.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,965.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,965.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 326.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VARIS ALI S/O MD.SIDHIKULLA

पता A.39/265-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369273795

MIS Id. 07391424-- Property Id. 1A391180001

Latitude 25.33728000210

Longitude 83.02555003460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/265-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,891.0** व सामान्य कर **538.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 510.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1530,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,224.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,444.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,444.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 709.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VIKAS GUPTA,VISHAL GUPTA,RINKI DEVI SS/O D/O LATE KAILASH

पता A.39/4-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390139B Property Id. 1A391181001

Latitude 25.33728045620

Longitude 83.02438708030

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/4-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,870.0** व सामान्य कर **756.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,060.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 576,C= 120           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 461.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr        |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,129.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,129.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,114.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.GULISTA BANO W/O IKBAL AHMAD,BEBI RANI W/O VASI AHMAD

पता A.39/271-A-1-G-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391423-- Property Id. 1A391182002

Latitude 25.33722504510

Longitude 83.02582212880

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-A-1-G-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,236.0** व सामान्य कर **906.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1800,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,424.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,424.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 927.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RAHMAN S/O HAZI NOOR MOHAMMED

पता A.39/255 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391242-- Property Id. 1A391184001

Latitude 25.33731546530

Longitude 83.02613002410

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/255 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,348.0** व सामान्य कर **478.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,146.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1188,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 950.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,448.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,448.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 489.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DAYASANKAR S/O GANESH PRASAD

पता A.39/4-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9170982683

MIS Id. 07390139A Property Id. 1A391188001

Latitude 25.33732517930

Longitude 83.02435252320

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/4-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,828.0** व सामान्य कर **1,081.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,292.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 1292            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr        |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 75,117.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 75,117.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 11,268.00               |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.WASHIR S/O HAZI SIDDHIK

पता A.39/272 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6386828255

MIS Id. 07391437-- Property Id. 1A391193001

Latitude 25.33735334090

Longitude 83.02542874700

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/272 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,866.0** व सामान्य कर **425.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,120.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2240,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,792.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,387.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,387.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 923.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM MOHAMMED

पता A.39/274 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

MIS Id. 07391435-- Property Id. 1A391197001

पुराना वार्ड W066

Latitude 25.33737724540

मोबाईल नं०

Longitude 83.02526138230

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/274 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,866.0** व सामान्य कर **425.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 525.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1050,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 840.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,931.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,931.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 432.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MANOJ KUMAR S/O KEDAR NATH

पता A.39/282 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390155-- Property Id. 1A391199001

Latitude 25.33738096520

Longitude 83.02468462550

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/282 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **24,008.0** व सामान्य कर **2,641.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,677.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 600,C= 600           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 480.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 26,395.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 26,395.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,903.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KUDDUS, MOHD. AYUB

पता A.39/199-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390781-- Property Id. 1A391200001

Latitude 25.33732011310

Longitude 83.02853158540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/199-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,727.0** व सामान्य कर **850.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,680.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2520, C= 840              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,016.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 29,484.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 29,484.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,243.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.YUNUS S/O ABDUL VAHID

पता A.39/128-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8081421242

MIS Id. 07390505-- Property Id. 1A391204001

Latitude 25.33735483580

Longitude 83.02690540210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/128-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,770.0** व सामान्य कर **965.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,000.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 2000            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 79,560.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 79,560.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 11,934.00               |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALAMULLA,MENHADI HASAN,ALI HUSSAIN S/O

पता A.39/218 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9696354910

MIS Id. 07390874-- Property Id. 1A391204002

Latitude 25.33735483580

Longitude 83.02690540210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/218 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,769.0** व सामान्य कर **195.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,600.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1600,C= 1600                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                         |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 44,179.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 44,179.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,860.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI ENUL HASAN MEHRUNISSA ZAHIRUNISSA SARIFUNISSA RAJIY

पता A.39/197-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390795-- Property Id. 1A391206001

Latitude 25.33733867510

Longitude 83.02826245550

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/197-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,116.0** व सामान्य कर **233.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,680.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1280,C= 400                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,024.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,339.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,339.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,577.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALIM S/O LATE GAYASUDDIN ALIAS JUMMAN

पता A.39/197 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390796-- Property Id. 1A391207001

Latitude 25.33734353350

Longitude 83.02816427250

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/197 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,694.0** व सामान्य कर **186.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 880.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 880,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 704.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,295.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,295.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 362.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWARUL HAQ,IQBAL AHMED,MUFIZ AHMED S/O SHAMSHUL HAQ

पता A.39/217-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390871-- Property Id. 1A391211001

Latitude 25.33728595190

Longitude 83.02710753160

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/217-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,689.0** व सामान्य कर **1,506.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,800.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0                  | R= 5600,C= 2800             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 4,480.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 87,797.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 87,797.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 13,170.00                   |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NOORJHA BIBI W/O LATE ABDUL RASID

पता A.39/257-A-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390870-- Property Id. 1A391211003

Latitude 25.33728595190

Longitude 83.02710753160

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/257-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,275.0** व सामान्य कर **250.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 4,919.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 4352,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,482.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,331.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,331.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,016.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM NABI, PEER MUHAMMAD, KHATUN BIBI W/O GULAM

पता A.39/258 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391245-- Property Id. 1A391214001

Latitude 25.33740586640

Longitude 83.02600803270

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/258 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,907.0** व सामान्य कर **430.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,124.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 960, C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 768.00                        |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,044.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,044.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 445.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIZAMUDDIN S/O LATE SALAMATULLA

पता A.39/254 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391244-- Property Id. 1A391214002

Latitude 25.33740586640

Longitude 83.02600803270

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/254 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,212.0** व सामान्य कर **573.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,122.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1248,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 998.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,257.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,257.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 578.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HIKAMAT ALI, MUSHTAQ ALI, SHAUKAT ALI, MUKHTAR ALI OTHER

पता A.39/226 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390876-- Property Id. 1A391215001

Latitude 25.33736573040

Longitude 83.02669284460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/226 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,727.0** व सामान्य कर **850.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,250.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2400, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,920.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,986.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,986.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 988.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LAILUNNISA W/O SHAMSUDDIN SAHMSUL HIQ GULAM RASUL

पता A.39/244 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391234-- Property Id. 1A391217001

Latitude 25.33738905660

Longitude 83.02651874090

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/244 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,249.0** व सामान्य कर **467.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,320.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 900,C= 300                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                             |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,530.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,530.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,158.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम WAHAVUDDIN S/O HAZI MOHD.SIDDIH

पता A.39/260 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391250-- Property Id. 1A391218001

Latitude 25.33732693060

Longitude 83.02588272270

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/260 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **27,383.0** व सामान्य कर **3,012.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,200.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 4840,C= 1760                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 3,872.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 62,394.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 62,394.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 9,359.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SALIM S/O SIDDHIKULLA

पता A.39/248 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391238-- Property Id. 1A391220001

Latitude 25.33741515850

Longitude 83.02629627890

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/248 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,245.0** व सामान्य कर **797.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,619.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1728,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,382.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,278.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,278.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 801.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAFAR ALI S/O ABDUL HAMID

पता A.39/266 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305129686

MIS Id. 07391427-- Property Id. 1A391222001

Latitude 25.33744483280

Longitude 83.02556835800

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/266 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,594.0** व सामान्य कर **1,055.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2200,C= 500                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,760.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 20,171.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 20,171.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,219.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI MITHAI LAL S/O CHHOTAK

पता A.39/89-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390167-- Property Id. 1A391223001

Latitude 25.33748899200

Longitude 83.02482908760

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/89-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 754.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1508,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,206.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,646.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,646.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 621.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.KARAMTULLA,INAYATULLA, ALIMUNISA,MAIMUNISA SS/O DD/O

पता A.39/273-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391433-- Property Id. 1A391224001

Latitude 25.33745728400

Longitude 83.02531429030

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/273-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,434.0** व सामान्य कर **268.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,563.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 650,C= 650               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 520.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 28,291.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 28,291.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,112.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL WAHID, ABDUL FARID, ABDUL MATIN SS/O LATE MOHD. IDRIS

पता A.39/275 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7985526319

MIS Id. 07391434-- Property Id. 1A391224002

Latitude 25.33745728400

Longitude 83.02531429030

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/275 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,544.0** व सामान्य कर **170.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 800.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 800, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 640.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,995.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 2,995.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 329.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMANA BIBI W/O HAJI NIJAMUDDIN, SAHANAJ BIBI W/O MD. YUNUS

पता A.39/198-A-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7499073626

MIS Id. 07390779A Property Id. 1A391225001

Latitude 25.33744320460

Longitude 83.02837579710

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-A-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,471.0** व सामान्य कर **272.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,200.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2400, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,920.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,986.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,986.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 988.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GOPI, MEVA S/O MOTI

पता A.39/277+278 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391431-- Property Id. 1A391226002

Latitude 25.33746287280

Longitude 83.02520426690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/277+278 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,512.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1512, C= 0           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,210.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,661.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,661.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 623.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KALLU S/O LATE MOTI LAL

पता A.39/278-A-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391430-- Property Id. 1A391227001

Latitude 25.33746854610

Longitude 83.02510523000

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/278-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,897.0** व सामान्य कर **319.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,681.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 780,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 624.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,920.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,920.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 321.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMALUDDIN S/O MOHD.IDRIS,BELAL AHMED,AZAMA

पता A.39/279 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9473746321

MIS Id. 07391253-- Property Id. 1A391228001

Latitude 25.33747549760

Longitude 83.02499266750

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/279 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,488.0** व सामान्य कर **824.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,150.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,760.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,237.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,237.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 906.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RIJWAN AHAMAD ANSAR AHMAD GULJAR AHAMAD JAMEEL

पता A.39/305-A-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391248-- Property Id. 1A391229001

Latitude 25.33748899970

Longitude 83.02579522000

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/305-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,811.0** व सामान्य कर **529.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,025.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1296,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,037.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,852.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,852.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 534.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DHANRAJ SONKAR, SANTOSH KUMAR SONKAR, GAJRAJ

पता A.39/87 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390169-- Property Id. 1A391232001

Latitude 25.33750871390

Longitude 83.02475125550

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/87 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,900.0** व सामान्य कर **209.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 944.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 528, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 422.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,977.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,977.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 217.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DHANRAJ S/O LATE HAJARI LAL

पता A.39/87-D Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390169A Property Id. 1A391232002

Latitude 25.33750871390

Longitude 83.02475125550

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/87-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **585.0** व सामान्य कर **64.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 947.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 130,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 104.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 608.00                  |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 608.00                  |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 67.00                   |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DHANRAJ S/O LATE HAJARI LAL

पता A.39/86-D Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9425452532

MIS Id. 07390168A Property Id. 1A391233001

Latitude 25.33750173530

Longitude 83.02468597150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/86-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **585.0** व सामान्य कर **64.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 750.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1500,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,200.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,020.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,020.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 772.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम OM PRAKASH S/O LATE PREM CHAND

पता A.39/88-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390166A Property Id. 1A391233002

Latitude 25.33750173530

Longitude 83.02468597150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/88-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,680.0** व सामान्य कर **515.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,260.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1260,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,008.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,717.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,717.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 519.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMBU SHONKAR, RAJESH SONKAR SS/O LATE BACHCHU

पता A.39/38-X-A-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390264C Property Id. 1A391234002

Latitude 25.33748042650

Longitude 83.02461226600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/38-X-A-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **34,272.0** व सामान्य कर **3,770.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 9,520.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 9520, C= 0           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 7,616.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 44,554.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 44,554.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 4,901.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LAL BAHADUR JAISWAL S/O LATE RAMJI SAO

पता A.39/5-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390137-- Property Id. 1A391235001

Latitude 25.33756247130

Longitude 83.02425647220

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/5-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,22,436.0** व सामान्य कर **18,365.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 6,000.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 4000,C= 2500             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,200.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr            |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,75,310.00                 |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,75,310.00                 |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 41,297.00                   |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                        |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANIL KUMAR JAISWAL S/O LATE RAMJI SAO

पता A.39/5-A-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390137B Property Id. 1A391235002

Latitude 25.33756247130

Longitude 83.02425647220

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/5-A-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **46,973.0** व सामान्य कर **5,167.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 13,688.00               |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1276,C= 660          |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,021.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr        |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 47,100.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 47,100.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 5,181.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SWALEHA W/O SAGIR AHMAD,ZAMIL AHMAD,AKIL

पता A.39/192-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390566-- Property Id. 1A391237001

Latitude 25.33749394260

Longitude 83.02653025290

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/192-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,990.0** व सामान्य कर **659.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 933.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1624,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,299.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,080.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,080.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 669.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALAUDDIN S/O LATE MOHD.YUNUS

पता A.39/225 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305947304

MIS Id. 07390567-- Property Id. 1A391238001

Latitude 25.33748987300

Longitude 83.02670186550

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/225 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,518.0** व सामान्य कर **717.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,750.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1050,C= 525                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 840.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 16,954.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 16,954.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,865.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAKILA BEGUM W/O ABDUL MATIN

पता A.39/198-D-4-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6306640250

MIS Id. 07390780A Property Id. 1A391241001

Latitude 25.33746205720

Longitude 83.02851351730

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-D-4-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,404.0** व सामान्य कर **154.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,025.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 224,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 179.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,747.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,747.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 192.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD AMIN S/O ABDUL GAFFAR

पता A.39/198-GH-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390780-- Property Id. 1A391241002

Latitude 25.33746205720

Longitude 83.02851351730

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-GH-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,855.0** व सामान्य कर **644.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,022.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1612,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,290.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,035.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,035.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 664.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAHIR AHAMAD S/O RAHAMTULLA

पता A.39/259-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391247-- Property Id. 1A391242001

Latitude 25.33751099070

Longitude 83.02595393940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/259-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,764.0** व सामान्य कर **414.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,128.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 896,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 717.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,774.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,774.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 415.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AZIZURRAHMAN ALIES HAZI GULZAR, ABDUL MANNAN, ABDUL

पता A.39/246 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8303975216

MIS Id. 07391235-- Property Id. 1A391245001

Latitude 25.33733028100

Longitude 83.02639746760

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/246 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **21,734.0** व सामान्य कर **2,391.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार             | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,950.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, 2_Residential, GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                         |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 3987, C= 1863                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                     |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 3,190.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                     |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                                |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                     |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 59,393.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                     |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 59,393.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 8,909.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                 |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AZIZURRAHMAN ALIES GULZAR OTHER

पता A.39/243 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391232-- Property Id. 1A391245002

Latitude 25.33733028100

Longitude 83.02639746760

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/243 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **21,631.0** व सामान्य कर **2,379.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 6,905.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 5880,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 4,704.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 22,015.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 22,015.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,422.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWARUL HAK EKBAL AHAMD MUFIZ AHAMD SS/O SAMSUL HAK

पता A.39/216 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9451720570

MIS Id. 07390871B Property Id. 1A391246001

Latitude 25.33749076540

Longitude 83.02709992150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/216 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,054.0** व सामान्य कर **556.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,600.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1600,C= 1600                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,280.00                         |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 44,928.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 44,928.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,942.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.AARJU PARVIN W/O MAKSOOD AALAM

पता A.39/225-R-23 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390568-- Property Id. 1A391247001

Latitude 25.33748526690

Longitude 83.02684003210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/225-R-23 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,680.0** व सामान्य कर **515.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,500.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 500,C= 500                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 400.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,274.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,274.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,570.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                             |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANSAR AHMED S/O ABDUL SATTAR

पता A.39/217 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390872-- Property Id. 1A391249001

Latitude 25.33748933830

Longitude 83.02697124790

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/217 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,227.0** व सामान्य कर **1,565.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,000.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1825,C= 2000         |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,460.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 54,569.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 54,569.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 8,185.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.HABIBUNNISA W/O LATE RAHIMULLA & OTHERS

पता A.39/247 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8960105204

MIS Id. 07391237-- Property Id. 1A391253001

Latitude 25.33752787240

Longitude 83.02627383740

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/247 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,543.0** व सामान्य कर **390.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 861.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1722,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,378.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,447.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,447.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 709.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DHANRAJ SONKAR, SANTOSH KUMAR SONKAR, GAJRAJ

पता A.39/86 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8175905735

MIS Id. 07390168-- Property Id. 1A391254001

Latitude 25.33753679100

Longitude 83.02452564410

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/86 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,125.0** व सामान्य कर **234.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,500.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600, C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 480.00                        |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,246.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,246.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 247.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOIN S/O ABDUL MATIN, AMIR AHMAD MINOR S/O LATE NURUL HAQ

पता A.39/267 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391428-- Property Id. 1A391256001

Latitude 25.33753139190

Longitude 83.02565162040

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/267 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,000.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600, C= 400               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 480.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,793.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,793.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,297.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMIULLA S/O JAN MOHAMMAD

पता A.39/197-A-1-X-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390754-- Property Id. 1A391257001

Latitude 25.33754386940

Longitude 83.02764202300

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/197-A-1-X-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,184.0** व सामान्य कर **460.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3000,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,400.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,232.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,232.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,236.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MENHADI HASAN S/O MOHD.ALI

पता A.39/268 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9335873225

MIS Id. 07391429-- Property Id. 1A391259001

Latitude 25.33755917270

Longitude 83.02553921110

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/268 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,242.0** व सामान्य कर **577.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 484.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1452,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,162.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,436.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,436.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 598.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.LUKMAN S/O MOHD.ISMAIL,MOHD.USMAN,SULTAN AHMED

पता A.39/117 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390528-- Property Id. 1A391260001

Latitude 25.33757274590

Longitude 83.02581095550

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/117 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **18,252.0** व सामान्य कर **2,008.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,332.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 3996,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,197.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,701.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,701.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,057.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHALILUREHMA

पता A.39/117-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390528A Property Id. 1A391260002

Latitude 25.33757274590

Longitude 83.02581095550

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/117-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,146.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1508,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,206.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,057.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,057.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 776.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT MALIK SAHIDUNN BIBI W/O MD.YAHIYA

पता A.39/166-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9044702078

MIS Id. 07390752-- Property Id. 1A391261001

Latitude 25.33754687160

Longitude 83.02745767020

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,256.0** व सामान्य कर **248.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 550.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1100,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 880.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,118.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,118.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 453.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN RAHIMUDDIN

पता A.39/166-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390751-- Property Id. 1A391262001

Latitude 25.33755235060

Longitude 83.02752759490

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,918.0** व सामान्य कर **1,531.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,890.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3780,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,024.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,152.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,152.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,557.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADARUDDIN S/O HAJI SAMIULLA

पता A.39/166-B-3-A-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390753-- Property Id. 1A391262002

Latitude 25.33755235060

Longitude 83.02752759490

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-3-A-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,371.0** व सामान्य कर **701.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 504.00                             |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 1512,C= 504                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,210.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,398.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,398.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,024.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DAYARAM S/O HAHANGOO

पता A.39/83 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390172-- Property Id. 1A391265001

Latitude 25.33761135240

Longitude 83.02462862920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/83 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,400.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1400,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,120.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,242.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,242.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 577.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HARI DAYAL S/O VASANTU

पता A.39/89 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390157-- Property Id. 1A391267001

Latitude 25.33759149280

Longitude 83.02484043530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/89 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,695.0** व सामान्य कर **956.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 4,560.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2380,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,904.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,911.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,911.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 980.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOTI LAL S/O RAMJI

पता A.39/90-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390158-- Property Id. 1A391267002

Latitude 25.33759149280

Longitude 83.02484043530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/90-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,981.0** व सामान्य कर **658.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 4,560.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1456,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,165.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,133.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,133.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 675.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUMTAJ AHMED S/O LATE NAIMUDDIN, HAMEEDUNNISA D/O LATE

पता A.39/166-B-3-A-2-N-M-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390757-- Property Id. 1A391268001

Latitude 25.33759606690

Longitude 83.02783998690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-3-A-2-N-M-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,145.0** व सामान्य कर **346.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,360.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 990, C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 792.00                        |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,178.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 6,178.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 680.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JALALUDEEN S/O SHAMSUDEEN

पता A.39/198-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390779-- Property Id. 1A391269001

Latitude 25.33757655610

Longitude 83.02837730500

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,864.0** व सामान्य कर **315.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,600.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1800,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,582.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,582.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 834.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI BADRODDIN S/O MD.UMAR

पता A.39/198-E-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390772-- Property Id. 1A391270001

Latitude 25.33756305060

Longitude 83.02825390510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-E-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,958.0** व सामान्य कर **325.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,800.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0                  | R= 550,C= 275               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 440.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,365.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,365.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 920.00                      |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BABUNANDAN,JIYUT RAM,RAJNATH,PREMCHANDRA SS/O

पता A.39/84 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390171-- Property Id. 1A391271001

Latitude 25.33763145140

Longitude 83.02450333440

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/84 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,338.0** व सामान्य कर **807.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,178.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1980,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,584.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,413.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,413.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 815.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.AHSAN S/O MD.ISAMAIL

पता A.39/198-E Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7007352536

MIS Id. 07390771-- Property Id. 1A391272001

Latitude 25.33757615100

Longitude 83.02812967450

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,764.0** व सामान्य कर **1,184.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,050.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1750,C= 1050                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,400.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 33,251.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 33,251.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,658.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAMINULLAH S/O ZIYAULLAH

पता A.39/118-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390529-- Property Id. 1A391273001

Latitude 25.33761940800

Longitude 83.02595149200

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/118-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,862.0** व सामान्य कर **865.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,620.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 4650,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 3,720.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 17,410.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 17,410.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,915.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GHULAM KADIR MOHD AMIN AKHTAR SAUKAT USMANI MOHD ARIF

पता A.39/166-B-3-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390767-- Property Id. 1A391275001

Latitude 25.33759738340

Longitude 83.02802645210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-3-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,620.0** व सामान्य कर **288.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1500,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,200.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,020.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,020.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 772.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VASHIR AHAMAD,SAGIR AHAMAD,NESAR AHAMAD,AMBIYA BIBI

पता A.39/166-P Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390766-- Property Id. 1A391275002

Latitude 25.33759738340

Longitude 83.02802645210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-P के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,933.0** व सामान्य कर **213.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,057.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 540,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 432.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,022.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,022.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 222.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SHARIF S/O SOVRATI

पता A.39/191 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9307612262

MIS Id. 07390555-- Property Id. 1A391278002

Latitude 25.33764578010

Longitude 83.02628757860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/191 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,220.0** व सामान्य कर **354.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 750.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1500,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,200.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,616.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,616.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 618.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMIRAN BIBI W/O KHAIRULLA,VISMILLA S/O KHAIRULLA

पता A.39/165 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7668225698

MIS Id. 07390685-- Property Id. 1A391279001

Latitude 25.33763161960

Longitude 83.02697674620

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/165 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,808.0** व सामान्य कर **969.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,360.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1070,C= 800              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 856.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 23,100.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 23,100.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,541.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TAIHARUNNISA D/O ABDUL GAFFAR,JAIBUNNISA

पता A.39/166 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9129556424

MIS Id. 07390570-- Property Id. 1A391280001

Latitude 25.33763045150

Longitude 83.02685948010

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,518.0** व सामान्य कर **717.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,400.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 150,C= 1400          |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 120.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 34,047.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 34,047.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,745.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.MUSTKIM

पता A.39/166-B-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8317060964

MIS Id. 07390733-- Property Id. 1A391282001

Latitude 25.33764726560

Longitude 83.02784694450

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,039.0** व सामान्य कर **774.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 950.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1900,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,520.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,114.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,114.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 783.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAZIRUULLA,ALTAFAURAHMAN,MATIURRAHMAN,ABDUL

पता A.39/195 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390564-- Property Id. 1A391284001

Latitude 25.33762040750

Longitude 83.02662181960

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/195 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,114.0** व सामान्य कर **783.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार        | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial Unit,2_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                    |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 450,C= 1500                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 360.00                         |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                           |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 37,487.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 37,487.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,124.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                            |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.RAFIULLA NURULLA OTHER

पता A.39/191-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369079902

MIS Id. 07390557-- Property Id. 1A391286001

Latitude 25.33764048830

Longitude 83.02638710960

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/191-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,312.0** व सामान्य कर **584.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,750.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_&l |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 5190,C= 60                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 4,152.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 20,147.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 20,147.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,216.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI FARIDUDDIN ALLAIS FARIDAN

पता A.39/191-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390556-- Property Id. 1A391286002

Latitude 25.33764048830

Longitude 83.02638710960

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/191-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,312.0** व सामान्य कर **584.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,509.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1452,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,162.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,436.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,436.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 598.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABHILASHA JAISWAL W/O SWADESH KUMAR

पता A.39/90-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390160-- Property Id. 1A391290001

Latitude 25.33771248910

Longitude 83.02492197620

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/90-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,414.0** व सामान्य कर **156.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 420.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 420,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 336.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,572.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,572.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 173.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUNNISA W/O LATE AZIMUDDIN ALIES LALLU,ZARINA

पता A.39/102 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390524-- Property Id. 1A391291001

Latitude 25.33764228710

Longitude 83.02570561790

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/102 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,438.0** व सामान्य कर **598.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,120.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2240,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,792.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,387.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,387.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 923.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD YAHYA S/O MOHD SIDDIK

पता A.39/164-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8090857278

MIS Id. 07390683-- Property Id. 1A391294001

Latitude 25.33764299560

Longitude 83.02718987010

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/164-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,986.0** व सामान्य कर **988.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,640.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2525,C= 100                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,020.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,841.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,841.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,303.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALAUDDIN S/O MOHD.YUNUS

पता A.39/196 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390569-- Property Id. 1A391295001

Latitude 25.33763038860

Longitude 83.02673301140

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/196 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,004.0** व सामान्य कर **1,430.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,925.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2790,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,232.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,057.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,057.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,436.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALLAUDDIN S/O VALI MD.

पता A.39/166-B-K-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390768-- Property Id. 1A391296001

Latitude 25.33767540460

Longitude 83.02803541560

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-K-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,892.0** व सामान्य कर **318.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 630.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1260,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,008.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,717.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,717.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 519.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAZID S/O ALI HASAN

पता A.39/166-B-3-K-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390763-- Property Id. 1A391296002

Latitude 25.33767540460

Longitude 83.02803541560

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-3-K-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,156.0** व सामान्य कर **127.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 555.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 312,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 250.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,168.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,168.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 128.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAJID ALIAS KALLU S/O MOHD. HASAN

पता A.39/198-D-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7574092548

MIS Id. 07390776-- Property Id. 1A391298001

Latitude 25.33769448350

Longitude 83.02847760360

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-D-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,546.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 408.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 408,C= 408                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 326.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,266.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,266.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,239.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KUDDUSH S/O ABDUL HASAN

पता A.39/99-A-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390308-- Property Id. 1A391300001

Latitude 25.33766984410

Longitude 83.02525735860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/99-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,531.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 918,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 734.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,437.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,437.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 378.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HORI LAL S/O LATE VASANTU

पता A.39/95 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390310-- Property Id. 1A391300002

Latitude 25.33766984410

Longitude 83.02525735860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/95 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,317.0** व सामान्य कर **255.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,528.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 648,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 518.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,426.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,426.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 267.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI KALIM AHMAMD S/O JAINUL ABDIN

पता A.39/78-A-K-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390174-- Property Id. 1A391302001

Latitude 25.33774331790

Longitude 83.02466733960

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/78-A-K-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,507.0** व सामान्य कर **166.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 702.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 702,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 562.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,628.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,628.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 289.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.AYUB,ABDUL RAUF S/O KALLU

पता A.39/194 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8318277251

MIS Id. 07390561-- Property Id. 1A391303001

Latitude 25.33771192380

Longitude 83.02663455630

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/194 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,907.0** व सामान्य कर **430.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 640.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 640,C= 640                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 512.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 17,972.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 17,972.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,977.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAMID KHAIRUNISSA

पता A.39/198-D Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8840898027

MIS Id. 07390775A Property Id. 1A391304001

Latitude 25.33764526250

Longitude 83.02848291140

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,360.0** व सामान्य कर **1,030.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,000.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1800,C= 200              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,440.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,198.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,198.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,452.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIJAMUDDIN & SALMTULLAH

पता A.39/166-B-3-A-X-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390755-- Property Id. 1A391305003

Latitude 25.33766108310

Longitude 83.02765540540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-3-A-X-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,312.0** व सामान्य कर **254.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,293.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 640,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 512.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,396.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,396.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 264.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MITTHU RAM S/O LATE MANGAL RAM, SHIHU PRASAD PAWAN

पता A.39/97 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390304-- Property Id. 1A391306001

Latitude 25.33763989600

Longitude 83.02512048380

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/97 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,107.0** व सामान्य कर **342.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,801.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 836, C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 669.00                        |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,130.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,130.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 344.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AKBARUNNISHA W/O LATE MOHD.IDRIS ALIAS

पता A.39/96+98 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390303-- Property Id. 1A391306002

Latitude 25.33763989600

Longitude 83.02512048380

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/96+98 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,780.0** व सामान्य कर **636.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,801.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1560,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,248.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,841.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,841.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 643.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.FARUKH ALIES PHEKOO S/O ABDUL MAZID

पता A.39/100-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390312-- Property Id. 1A391307001

Latitude 25.33768382390

Longitude 83.02556409080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/100-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,232.0** व सामान्य कर **1,236.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार         | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | 1_Industrial Unit,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                     |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 0,C= 3000                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                 |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                 |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                            |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                 |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 71,604.00                       |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                 |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 71,604.00                       |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 10,741.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                             |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RAHMAN S/O LATE MOHD.ISHA

पता A.39/101-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390527-- Property Id. 1A391307002

Latitude 25.33768382390

Longitude 83.02556409080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/101-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **47,298.0** व सामान्य कर **5,203.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,445.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 1190            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 47,338.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 47,338.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 5,207.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL AIN,GULAM HASAN SS/O ALI HASAN

पता A.39/268-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8687766949

MIS Id. 07391429A Property Id. 1A391311001

Latitude 25.33775082630

Longitude 83.02506054730

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/268-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,936.0** व सामान्य कर **213.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 504.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 504,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 403.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,359.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,359.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 259.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MALIK

पता A.39/198-C-3- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390778-- Property Id. 1A391312001

Latitude 25.33767539920

Longitude 83.02837237170

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-C-3- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,604.0** व सामान्य कर **396.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,080.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1000,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,744.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,744.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 412.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAKUNTLA DEVI W/O RAMJI, DHIRAJ KUMAR SANTOSH KUMAR S/O

पता A.39/90-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390161-- Property Id. 1A391313001

Latitude 25.33775064080

Longitude 83.02492279020

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/90-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,448.0** व सामान्य कर **159.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 420.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 420, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 336.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,769.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 1,769.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 195.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD. SAFIQ S/O MOHD.ISAHAQ

पता A.39/166-4-1-A-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390758-- Property Id. 1A391314001

Latitude 25.33771182820

Longitude 83.02777836830

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-4-1-A-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,507.0** व सामान्य कर **496.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 620.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1240,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 992.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,643.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,643.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 511.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LAKAULLA S/O ANULLA

पता A.39/118 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390530-- Property Id. 1A391315001

Latitude 25.33771054680

Longitude 83.02596555890

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/118 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,412.0** व सामान्य कर **1,035.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,673.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2520,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,016.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,435.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,435.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,038.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAHJAHAN BIBI, S/O MOVIN AHAMED SRI JAMAL AHAMD S/O MOBIN

पता A.39/166-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390571-- Property Id. 1A391316002

Latitude 25.33771334330

Longitude 83.02681752590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,930.0** व सामान्य कर **322.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 900,C= 900                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 24,851.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 24,851.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,734.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT MALIK SAHIDUN BIBI W/O MOHD YAHYA

पता A.39/166-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390572-- Property Id. 1A391316003

Latitude 25.33771334330

Longitude 83.02681752590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,109.0** व सामान्य कर **1,112.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,880.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2760,C= 1000             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,208.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 50,113.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 50,113.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 7,517.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL JABBAR S/O MOHD ISLAM

पता A.39/117-A-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390528B Property Id. 1A391318001

Latitude 25.33768051420

Longitude 83.02583067810

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/117-A-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,981.0** व सामान्य कर **1,318.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,022.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3280,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,624.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,815.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,815.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,520.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMCHANDAR S/O DARBARI, MUNNU S/O BHOLA, SMT. MUNNI DEVI

पता A.39/80 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390180-- Property Id. 1A391319001

Latitude 25.33777195060

Longitude 83.02452665820

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/80 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **599.0** व सामान्य कर **66.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 410.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 240, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 192.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 899.00                  |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 899.00                  |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 99.00                   |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD. SABIR

पता A.39/198-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

MIS Id. 07390770-- Property Id. 1A391320001

पुराना वार्ड W066

Latitude 25.33769568220

मोबाईल नं० 9125017786

Longitude 83.02815293680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,488.0** व सामान्य कर **824.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,392.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1350,C= 675                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,080.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,165.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,165.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,328.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KEDAR NATH S/O LATE HORILAL

पता A.39/79 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390179A Property Id. 1A391322001

Latitude 25.33775905790

Longitude 83.02441866100

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/79 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,310.0** व सामान्य कर **144.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 800.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 750,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 600.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,808.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,808.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 309.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MO. HUSAIN S/O SIDDHIKULLA

पता A.39/254-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390552-- Property Id. 1A391323001

Latitude 25.33774704020

Longitude 83.02620926350

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/254-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,713.0** व सामान्य कर **188.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 653.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 480,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 384.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,797.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 1,797.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 198.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUNIL KUMAR MAURYA S/O NATTHU PRASAD MAURYA

पता A.39/99 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390309-- Property Id. 1A391324001

Latitude 25.33773912960

Longitude 83.02531768260

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/99 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,615.0** व सामान्य कर **178.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,712.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1080,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 864.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,054.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,054.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 556.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HANNAN S/O ABDULLA

पता A.39/193 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9260951874

MIS Id. 07390562-- Property Id. 1A391327001

Latitude 25.33773797700

Longitude 83.02650099430

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/193 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,867.0** व सामान्य कर **535.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 900,C= 450                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,111.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,111.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,552.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MIRZA

पता A.39/25 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8887874837

MIS Id. 07391284-- Property Id. 1A391328001

Latitude 25.33778999430

Longitude 83.02505894360

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/25 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,920.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,986.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,986.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 988.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAHMAN S/O NURUL

पता A.39/103 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

MIS Id. 07390525-- Property Id. 1A391330001

पुराना वार्ड W066

Latitude 25.33775364080

मोबाईल नं०

Longitude 83.02571098790

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/103 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,089.0** व सामान्य कर **340.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,050.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 900,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 720.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VAKIL AHAMAD

पता A.39/166-B-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8840452373

MIS Id. 07390764-- Property Id. 1A391332001

Latitude 25.33773766800

Longitude 83.02785901380

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,794.0** व सामान्य कर **637.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,040.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1680,C= 400              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,344.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 22,202.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 22,202.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,442.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.AMMAN,YAR MOHD.

पता A.39/189 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305188076

MIS Id. 07390551-- Property Id. 1A391336001

Latitude 25.33774168030

Longitude 83.02609744240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/189 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,633.0** व सामान्य कर **510.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 625.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1250,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,000.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,680.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,680.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 515.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.MAZID S/O KARIM BAKHSH

पता A.39/166-B-4-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390749-- Property Id. 1A391337001

Latitude 25.33777023650

Longitude 83.02768315090

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-4-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,106.0** व सामान्य कर **342.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,000.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 500,C= 250                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 400.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,073.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,073.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 888.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MALIK

पता A.39/92 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390165-- Property Id. 1A391338001

Latitude 25.33774598770

Longitude 83.02476985920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/92 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,738.0** व सामान्य कर **301.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,250.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 1250            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 49,725.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 49,725.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 5,470.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KALAM, MOHD. ISLAM, AASHIYA BIBI, JAMILA

पता A.39/68 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9415597740

MIS Id. 07390299-- Property Id. 1A391340001

Latitude 25.33778248320

Longitude 83.02413095940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/68 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,110.0** व सामान्य कर **892.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,350.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 0, C= 2200           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr        |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,27,908.00             |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,27,908.00             |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 19,186.00               |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.SUNDAR W/O JAWAHIR,JANGI S/O MANNU

पता A.39/81 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390176-- Property Id. 1A391341001

Latitude 25.33780233000

Longitude 83.02466614470

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/81 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 900,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAFIS AHAMAD AMIN AHAMAD SS/O NAJIR AHAMAD

पता A.39/163+163-A+164-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390684-- Property Id. 1A391343001

Latitude 25.33774097830

Longitude 83.02698932560

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/163+163-A+164-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 731.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 391,C= 340                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 313.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,579.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,579.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,054.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.AARIF,MEHARUNNISA BADRUNISSA MAIMUNISSA AJIJUNISSA D/O

पता A.39/167 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7499654526

MIS Id. 07390576-- Property Id. 1A391346001

Latitude 25.33778682610

Longitude 83.02686365370

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/167 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,312.0** व सामान्य कर **254.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,000.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 750,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 600.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,808.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,808.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 309.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RADHE LAL S/O LATE MAHAVIR

पता A.39/73-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390182-- Property Id. 1A391348001

Latitude 25.33783472860

Longitude 83.02445849340

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/73-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,416.0** व सामान्य कर **266.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 307.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 540,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 432.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,527.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,527.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 278.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RUB MD.ANIS

पता A.39/180 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390573-- Property Id. 1A391351001

Latitude 25.33778014220

Longitude 83.02673065960

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/180 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,220.0** व सामान्य कर **354.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,290.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1140,C= 600              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 912.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,589.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,589.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,045.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD HARUN S/O HAJI ABDUL KARIM

पता A.39/166-B-4-A-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6388237642

MIS Id. 07391427A Property Id. 1A391352001

Latitude 25.33779717690

Longitude 83.02757464550

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-4-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,638.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,616.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,616.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 618.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.SABIR S/O ABDUL KADIR

पता A.39/166-B-4- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7275627144

MIS Id. 07390742-- Property Id. 1A391352002

Latitude 25.33779717690

Longitude 83.02757464550

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-4- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,317.0** व सामान्य कर **255.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 500,C= 100                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 400.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,259.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,259.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 468.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHAIRUNISA W/O ABDUL HALIM ABDUL AZIZ

पता A.39/181-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390560-- Property Id. 1A391353001

Latitude 25.33780026110

Longitude 83.02661841070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/181-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,776.0** व सामान्य कर **525.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,000.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1150,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 920.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,844.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,844.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 533.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHIUDDIN S/O ABDUL RAJJAQ

पता A.39/198-A-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390769-- Property Id. 1A391355001

Latitude 25.33779594480

Longitude 83.02815301450

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-A-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,780.0** व सामान्य कर **526.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,890.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 800,C= 400                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,917.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,917.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,421.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BANSHNARAYAN S/O MAHADEV

पता A.39/6 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390134-- Property Id. 1A391356001

Latitude 25.33782857760

Longitude 83.02403156680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **59,942.0** व सामान्य कर **8,991.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,829.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2173,C= 2173             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,738.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 24 Mtr Above                |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 1.40                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,08,087.00                 |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,08,087.00                 |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 31,213.00                   |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                        |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN S/O S/O LATE VAFATI

पता A.39/166-B-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9450226174

MIS Id. 07390759-- Property Id. 1A391358001

Latitude 25.33777400050

Longitude 83.02803892510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,410.0** व सामान्य कर **265.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,350.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2000,C= 700              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,600.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 24,196.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 24,196.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,662.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                        |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SUBHAN ALI S/O VALI MOHAMMAD

पता A.39/166-B-4-5-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390762-- Property Id. 1A391358002

Latitude 25.33777400050

Longitude 83.02803892510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-4-5-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,531.0** व सामान्य कर **1,378.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,360.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Industrial Unit      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 528             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,602.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,602.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,386.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BARAKTULLA S/O MD.YASIN

पता A.39/166-A-I-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7275423740

MIS Id. 07390750-- Property Id. 1A391359001

Latitude 25.33780163330

Longitude 83.02748510230

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-A-I-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,242.0** व सामान्य कर **577.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600,C= 600               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 26,114.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 26,114.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,873.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VASHIR AHMED S/O SUKURULLA

पता A.39/100 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390311-- Property Id. 1A391366001

Latitude 25.33782472240

Longitude 83.02518628980

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/100 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,727.0** व सामान्य कर **850.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,858.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2112,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,690.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,907.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,907.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 870.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI HARI DAS S/O LATE BASNATU

पता A.39/93-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390302-- Property Id. 1A391366002

Latitude 25.33782472240

Longitude 83.02518628980

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/93-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,544.0** व सामान्य कर **170.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,856.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 418,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 334.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,565.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,565.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 172.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJ AHAMAD,JIY AURHAMAN,SHAIURHAMAN SS/O NESAR

पता A.39/147-1-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390688-- Property Id. 1A391367001

Latitude 25.33780254050

Longitude 83.02734675860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/147-1-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,563.0** व सामान्य कर **832.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,355.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2048,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,638.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,668.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,668.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 843.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JIYAUDDIN JALALUDDIN SIRAJUDDIN SS/O ANWAR AHAMD

पता A.39/164-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390690-- Property Id. 1A391367003

Latitude 25.33780254050

Longitude 83.02734675860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/164-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **973.0** व सामान्य कर **107.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,355.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 504,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 403.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,887.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,887.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 208.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWARUL HAK MUFIZ AHAMD EKBAL AHAMD PESRAN SAMSUL HAK

पता A.39/147-1-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390689-- Property Id. 1A391367005

Latitude 25.33780254050

Longitude 83.02734675860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/147-1-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,995.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,355.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 836,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 669.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,130.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,130.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 344.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SESH NAM KE SAATH JUBAIDA KHATUN W/O ABDUL MATIN SAFIYA

पता A.39/181 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390559-- Property Id. 1A391368001

Latitude 25.33782844700

Longitude 83.02651420210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/181 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,543.0** व सामान्य कर **390.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,153.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 968,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 774.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,624.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,624.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 399.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL ZABBAR S/O MOHD.ISMAIL

पता A.39/198-C-2- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390774-- Property Id. 1A391374001

Latitude 25.33779021210

Longitude 83.02837437600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-C-2- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,833.0** व सामान्य कर **532.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,701.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1560,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,248.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,571.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,571.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 723.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAZID S/O HAZI MD.RAFIQ

पता A.39/187 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390550-- Property Id. 1A391376001

Latitude 25.33786325770

Longitude 83.02611175620

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/187 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,507.0** व सामान्य कर **496.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 624.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1248,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 998.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,673.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,673.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 514.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SAMAD,MUKHTAR AHMED,VAKIL AHMED,SAGIR AHMED SS/O

पता A.39/190 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9889284915

MIS Id. 07390558-- Property Id. 1A391377001

Latitude 25.33780144150

Longitude 83.02630153370

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/190 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,382.0** व सामान्य कर **1,032.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,240.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2250,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,800.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,477.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,477.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,042.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTAK AHMED S/O NAWAB KHAN

पता A.39/166-B-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369318055

MIS Id. 07390765-- Property Id. 1A391379001

Latitude 25.33783844740

Longitude 83.02786633630

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,621.0** व सामान्य कर **288.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,125.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 625,C= 800               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 500.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,434.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,434.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,358.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.VASIR KHAIRUNISA OTHER

पता A.39/198-D-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6387725965

MIS Id. 07390775-- Property Id. 1A391382001

Latitude 25.33779847790

Longitude 83.02846889830

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-D-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,809.0** व सामान्य कर **419.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,800.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 525,C= 525                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 420.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,497.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,497.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,595.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHAIRUNNISA W/O LATE IYATTULLA, AASHIYA BIBI D/O HAYATTULL

पता A.39/104 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7668751078

MIS Id. 07390521-- Property Id. 1A391383001

Latitude 25.33787287750

Longitude 83.02573147270

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/104 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,831.0** व सामान्य कर **311.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,000.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 2000,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,600.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,488.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,488.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 824.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BIHARI LAL S/O SITA RAM

पता A.39/64-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390271-- Property Id. 1A391384001

Latitude 25.33790172310

Longitude 83.02451477180

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/64-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,707.0** व सामान्य कर **518.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 572.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1144,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 915.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,819.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,819.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 530.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PANNA LAL S/O BAIJU, TARA W/O PANNA LAL

पता A.39/28 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9389535454

MIS Id. 07390917-- Property Id. 1A391385001

Latitude 25.33792035070

Longitude 83.02430049110

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/28 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,276.0** व सामान्य कर **360.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार             | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 500.00                              |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, 2_Residential, GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                         |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1500, C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                     |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,200.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                     |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                                |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                     |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,020.00                            |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                     |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,020.00                            |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 772.00                              |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                 |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GIRAJA DEVI W/O JAWAHIR LAL

पता A.39/29-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9956855250

MIS Id. 07390184-- Property Id. 1A391386001

Latitude 25.33791253210

Longitude 83.02438620010

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/29-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,348.0** व सामान्य कर **478.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 396.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1188,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 950.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,448.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,448.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 489.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL AMINUDDIN, ABDUL ANARUDDIN SS/O LATE ABDUL RASHID

पता A.39/100-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390314-- Property Id. 1A391388001

Latitude 25.33792192590

Longitude 83.02518649390

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/100-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,589.0** व सामान्य कर **1,275.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,258.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2316, C= 200               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,853.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,775.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 11,775.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,295.00                      |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUKHTAR AHAMAD S/O SHIBBATULLA

पता A.39/166-B-3-K-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390747-- Property Id. 1A391390001

Latitude 25.33789253230

Longitude 83.02769385170

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-3-K-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,744.0** व सामान्य कर **632.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,000.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2000,C= 1000                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,600.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 32,292.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 32,292.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,552.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HASAN S/O BULLA

पता A.39/155-R-X-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8090356299

MIS Id. 07390666C Property Id. 1A391391001

Latitude 25.33789963220

Longitude 83.02759353520

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-R-X-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,674.0** व सामान्य कर **734.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 900,C= 600                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 27,238.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 27,238.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,996.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAZID S/O HAZI MD.SHAFIQ

पता A.39/188 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390549-- Property Id. 1A391392001

Latitude 25.33787299570

Longitude 83.02619747240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/188 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,507.0** व सामान्य कर **496.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,194.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1248,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 998.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,673.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,673.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 514.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIZULLA, MOHD. HANIF

पता A.39/168 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8707757438

MIS Id. 07390577-- Property Id. 1A391395001

Latitude 25.33789796100

Longitude 83.02667135690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/168 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,220.0** व सामान्य कर **354.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,600.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 900, C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 720.00                        |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI MOINUDDIN QAMARUDDIN OTHER

पता A.39/198-F Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390718-- Property Id. 1A391396001

Latitude 25.33790233910

Longitude 83.02814446320

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,794.0** व सामान्य कर **637.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,400.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1050,C= 525                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 840.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 16,462.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 16,462.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,811.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MATA PRASAD S/O RUP NARAYAN

पता A.39/29 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390187-- Property Id. 1A391397002

Latitude 25.33797247860

Longitude 83.02462597330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/29 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,390.0** व सामान्य कर **263.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,121.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 576,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 461.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,426.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,426.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 267.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Barkat Ali

पता A.39/166-B-3-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6388659696

MIS Id. 07390730-- Property Id. 1A391398001

Latitude 25.33791205630

Longitude 83.02796719590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-3-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,118.0** व सामान्य कर **453.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 736.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 736,C= 736               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 589.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 32,034.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 32,034.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,524.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAGU LAL S/O LATE PYAREY LAL

पता A.39/7 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9415993285

MIS Id. 07390133-- Property Id. 1A391399001

Latitude 25.33794136240

Longitude 83.02401676590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,045.0** व सामान्य कर **1,545.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2100,C= 300              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,680.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 24 Mtr Above                |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 1.40                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 32,356.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 32,356.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,559.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SOHAN LAL SONKAR S/O LATE SHIVNATH SONKAR

पता A.39/7-A-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390133D Property Id. 1A391399002

Latitude 25.33794136240

Longitude 83.02401676590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/7-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **33,768.0** व सामान्य कर **3,714.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,950.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3500,C= 400              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,800.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 24 Mtr Above                |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 1.40                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 69,552.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 69,552.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 10,433.00                   |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                        |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AALIYA BIBI W/O ABDUL SHAKUR

पता A.39/198-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8090377634

MIS Id. 07390687-- Property Id. 1A391401001

Latitude 25.33790694250

Longitude 83.02826162090

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,301.0** व सामान्य कर **803.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 3,000.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3000,C= 1500             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,400.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 47,034.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 47,034.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 5,174.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NOORJAHAN W/O LATE ABDUL GAFFAR, ABDUL MOBIN S/O LATE

पता A.39/198-C-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390727-- Property Id. 1A391401002

Latitude 25.33790694250

Longitude 83.02826162090

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-C-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,569.0** व सामान्य कर **393.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,351.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1792, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,434.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,548.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 7,548.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 830.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MATIURRAHAMAN, NAKSHE BAND S/O AMANTULLA ALIAS

पता A.39/166-A-B-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390574-- Property Id. 1A391403001

Latitude 25.33792224850

Longitude 83.02751349380

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-A-B-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,546.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 934.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 696, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 557.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,606.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,606.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 287.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN S/O SHAFIULLA

पता A.39/166-B-3-K-3-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7007406504

MIS Id. 07390756-- Property Id. 1A391404001

Latitude 25.33795537050

Longitude 83.02765400220

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-3-K-3-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,304.0** व सामान्य कर **693.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,360.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1700,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,360.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,365.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,365.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 700.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMASUNISA W/O ABDUL BAHAV, ABDUL BAHAV S/O ABDUL

पता A.39/166-B-K-2-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9696036145

MIS Id. 07390734-- Property Id. 1A391404002

Latitude 25.33795537050

Longitude 83.02765400220

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-K-2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,705.0** व सामान्य कर **298.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 800.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1000,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 800.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,744.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,744.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 412.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTAK AHAMD NISAR AHAMD ANSAR AHAMD REYAJ AHAMD SS/O

पता A.39/100-C Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390317A Property Id. 1A391405001

Latitude 25.33794351710

Longitude 83.02546089770

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/100-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,488.0** व सामान्य कर **824.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,131.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2048,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,638.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,626.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,626.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 949.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AFSANA W/O SULTAN AHMAD

पता A.39/68-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390299C Property Id. 1A391406001

Latitude 25.33796247090

Longitude 83.02494703390

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/68-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,129.0** व सामान्य कर **234.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,230.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1624,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,299.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,600.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,600.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 836.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.RAFHIULLA MD.ZAFAR OTHER

पता A.39/100-A-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390313-- Property Id. 1A391407001

Latitude 25.33795460020

Longitude 83.02532375120

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/100-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,727.0** व सामान्य कर **850.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,838.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2112,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,690.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,907.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,907.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 870.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURU MOHD.KURBAN,NAZIR SS/O LATE ABDUL

पता A.39/105 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390519-- Property Id. 1A391411002

Latitude 25.33797473890

Longitude 83.02571927570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/105 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,719.0** व सामान्य कर **1,289.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,056.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 3168,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,534.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,861.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,861.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,305.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम REKHA GUPTA W/O SHIV CHAND GUPTA

पता A.39/10-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390192-- Property Id. 1A391412001

Latitude 25.33800109160

Longitude 83.02422326800

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/10-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,232.0** व सामान्य कर **1,236.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 3600,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,880.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,478.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,478.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,483.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AINUL HASAN MAHMUD LAHASAN FAIJUL HASAN MD.FARUKH S/O

पता A.39/166-X-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7499435197

MIS Id. 07390760-- Property Id. 1A391413002

Latitude 25.33795773970

Longitude 83.02789128210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-X-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,525.0** व सामान्य कर **1,488.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,250.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 3750,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,000.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,040.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,040.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,544.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VASANTI DEVI W/O SHIV NATH

पता A.39/27-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390190-- Property Id. 1A391414001

Latitude 25.33802595580

Longitude 83.02430371200

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/27-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,581.0** व सामान्य कर **504.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,125.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2250,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,800.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,477.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,477.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 1,042.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BHAIYA LAL S/O KISHORI

पता A.39/30 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390188-- Property Id. 1A391419001

Latitude 25.33800541950

Longitude 83.02445228850

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/30 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,003.0** व सामान्य कर **880.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,364.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2728,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,182.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,490.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,490.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,264.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKHSANA BIBI W/O IKBAL AHMAD

पता A.39/166-B-3-K-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390731A Property Id. 1A391421001

Latitude 25.33798475930

Longitude 83.02795867960

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-3-K-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,153.0** व सामान्य कर **127.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 391.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1173,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 938.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,941.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,941.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 544.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD FARUKH ANSARI & MOHD EKHLAK ANSARI SS/O FAIJUDDIN

पता A.39/161 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390678-- Property Id. 1A391427001

Latitude 25.33799708610

Longitude 83.02701058690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/161 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,017.0** व सामान्य कर **552.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,760.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,237.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,237.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 906.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI MOINUDDIN S/O MD.CHHOTAK

पता A.39/198-C-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8188980362

MIS Id. 07390706-- Property Id. 1A391429001

Latitude 25.33793694010

Longitude 83.02838943540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-C-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,663.0** व सामान्य कर **623.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1500,C= 1500                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,200.00                         |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 41,418.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 41,418.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,556.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL VAHAV S/O MOHAMMAD MD.ISAMAIL

पता A.39/198-C-1- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390725-- Property Id. 1A391429002

Latitude 25.33793694010

Longitude 83.02838943540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-C-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,607.0** व सामान्य कर **287.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,168.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 720,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 576.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,696.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,696.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 297.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BAHIDUNISA MUS.SAHIDUNISA DD/O MD.ISAMAIL

पता A.39/198-C Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390726-- Property Id. 1A391429003

Latitude 25.33793694010

Longitude 83.02838943540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,168.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1056,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 845.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,954.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,954.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 435.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SALAM S/O LATE EKBAL AHAMAD

पता A.39/198-G-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390723-- Property Id. 1A391430001

Latitude 25.33799409630

Longitude 83.02814776150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-G-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,914.0** व सामान्य कर **541.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 525.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 275,C= 450               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 220.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,028.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,028.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,323.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KHALIK S/O ABDUL ZABBAR

पता A.39/198-G Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390729-- Property Id. 1A391430002

Latitude 25.33799409630

Longitude 83.02814776150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,607.0** व सामान्य कर **287.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,164.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 720,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 576.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,696.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,696.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 297.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHIV NANDAN S/O TIMMAL

पता A.39/171 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390582-- Property Id. 1A391431001

Latitude 25.33803171030

Longitude 83.02687588810

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/171 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,030.0** व सामान्य कर **113.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 440.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 440,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 352.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,647.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,647.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 181.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZARA BIBI W/O LATE YAKUB, MAQTUL

पता A.39/169 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390583-- Property Id. 1A391432001

Latitude 25.33800681010

Longitude 83.02679291200

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/169 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,220.0** व सामान्य कर **354.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 739.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 880, C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 704.00                        |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,295.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 3,295.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 362.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ULAFAT BIBI W/O LATE RAMJAN QRABAN ALI OTHER

पता A.39/198-B-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390724-- Property Id. 1A391433003

Latitude 25.33800062090

Longitude 83.02826371570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,452.0** व सामान्य कर **270.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 970.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 676,C= 676               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 541.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 29,422.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 29,422.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,236.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BHAI LAL,GHURE,KANHAIYA LAL SS/O LATE MAHAVIR

पता A.39/26 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390193-- Property Id. 1A391434001

Latitude 25.33806619100

Longitude 83.02420490320

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/26 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,317.0** व सामान्य कर **255.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,920.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,986.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,986.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 988.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HASAN S/O HAZI ABDUL MAZID

पता A.39/114 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390534-- Property Id. 1A391435001

Latitude 25.33804040040

Longitude 83.02586965320

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/114 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,575.0** व सामान्य कर **613.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 898.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1352,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,082.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,695.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,695.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 626.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIJAMUDDIN S/O LATE MOHD.HUSAIN NURJAHABEGAM W/O

पता A.39/166-B-4-K-1-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390743-- Property Id. 1A391436002

Latitude 25.33802637170

Longitude 83.02755293220

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-4-K-1-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,802.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 660.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 660,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 528.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,471.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 2,471.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 272.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VASANTI DEVI W/O LATE SOTI

पता A.39/23 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6394125792

MIS Id. 07390189-- Property Id. 1A391438001

Latitude 25.33807826850

Longitude 83.02439348440

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/23 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,287.0** व सामान्य कर **142.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,290.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1290,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,032.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,830.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,830.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 531.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUDDOJA,NURUL HODA,VAKIL AHMAD,SHAKIL

पता A.39/66 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390274-- Property Id. 1A391440001

Latitude 25.33804496940

Longitude 83.02484396630

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/66 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,739.0** व सामान्य कर **741.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,450.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1450,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,160.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,786.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,786.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 746.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUNNU LAL S/O LATE KEDAR NATH

पता A.39/62-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390269A Property Id. 1A391441001

Latitude 25.33805180320

Longitude 83.02475032110

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/62-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,418.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 812,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 650.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,420.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,420.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 376.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.MUZAHD (MINOR) S/O MOHD.MOBIN U/G SHABNAM BANO

पता A.39/60 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390298-- Property Id. 1A391445001

Latitude 25.33806625330

Longitude 83.02495839820

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/60 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,803.0** व सामान्य कर **638.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार        | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,200.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial Unit,2_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                    |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 375,C= 1200                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 300.00                         |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                           |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 30,046.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 30,046.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,305.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                            |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSUDDIN S/O CHITHARU

पता A.39/135 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390544-- Property Id. 1A391446001

Latitude 25.33807014190

Longitude 83.02641990820

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/135 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,633.0** व सामान्य कर **510.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,250.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1250,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,000.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,680.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,680.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 515.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT REHMAT KAUSHAR W/O ABDUREHMAN SWALIHA BIBI W/O

पता A.39/198-C-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390726A Property Id. 1A391447001

Latitude 25.33803163560

Longitude 83.02838532600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,546.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,500.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 500,C= 250                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 400.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,839.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,839.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 862.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAFI AHMED, RAFI AHMED SS/O HAZI ALIMULLA

पता A.39/159 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390587-- Property Id. 1A391450001

Latitude 25.33808617330

Longitude 83.02699282700

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/159 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,574.0** व सामान्य कर **283.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 480.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 960, C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 768.00                        |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,594.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,594.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 395.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BASHIR AHMAD,VASIM AHMAD,NAJIM AHMAD,SHABNAM

पता A.39/106-A-1-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390316A Property Id. 1A391451001

Latitude 25.33808985220

Longitude 83.02564518680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/106-A-1-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,488.0** व सामान्य कर **1,484.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,224.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 3672,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,938.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,748.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,748.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,512.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMMAD YASIN S/O HASANTULLA ZAHUIRUNISA W/O MD.YASIN

पता A.39/166-B-3- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9451098616

MIS Id. 07390732-- Property Id. 1A391453001

Latitude 25.33805635620

Longitude 83.02795930240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-B-3- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,363.0** व सामान्य कर **260.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 672.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1344,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,075.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,032.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,032.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 554.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASINA BIBI W/O ASAGAR ALI

पता A.39/164-A-1- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9026304279

MIS Id. 07390691-- Property Id. 1A391454001

Latitude 25.33805165390

Longitude 83.02783993960

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/164-A-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,276.0** व सामान्य कर **360.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,782.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 900,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHAIRUNNISA W/O KABIRUDDIN

पता A.39/113-M-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390536-- Property Id. 1A391456001

Latitude 25.33810777520

Longitude 83.02588623060

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/113-M-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,933.0** व सामान्य कर **213.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 610.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 544,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 435.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,037.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,037.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 224.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AYASHA BIBI W/O MOHD.IDRISH

पता A.39/198-E-2-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6386945305

MIS Id. 07390722A Property Id. 1A391462002

Latitude 25.33807994570

Longitude 83.02817796480

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-E-2-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,544.0** व सामान्य कर **170.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 360.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1440,C= 360                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,152.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 15,331.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 15,331.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,686.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAMID KHAIRUNISA OTHER

पता A.39/198-E-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390722-- Property Id. 1A391462003

Latitude 25.33807994570

Longitude 83.02817796480

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-E-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,705.0** व सामान्य कर **298.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,378.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 756,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 605.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,830.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,830.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 311.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAMID ABDUL WAHID ABDUL AJIJ MOHD HANIF MOHD

पता A.39/336-D-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9140991554

MIS Id. 07390977-- Property Id. 1A391464001

Latitude 25.33809275210

Longitude 83.02530834590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-D-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,454.0** व सामान्य कर **380.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,400.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1400,C= 1400                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,120.00                         |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 39,312.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 39,312.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,324.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAUSHAR S/O ABDUL HAMID HAZI

पता A.39/100-A-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390315-- Property Id. 1A391464002

Latitude 25.33809275210

Longitude 83.02530834590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/100-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,319.0** व सामान्य कर **1,135.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,466.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2478,C= 1806             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,982.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 82,280.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 82,280.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 12,342.00                   |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LAL BIBI W/O LATE HAZI AZIMULLA, ABDUL AZIJ S/O LATE HAZI

पता A.39/106 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390316-- Property Id. 1A391464003

Latitude 25.33809275210

Longitude 83.02530834590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/106 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,488.0** व सामान्य कर **1,484.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,466.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3680, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,944.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,778.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,778.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,516.00                      |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAQSUD ALAM,AAJAD ALI,JAIBUNNISA D/O LATE MOHD.ILYAS

पता A.39/134 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390540-- Property Id. 1A391467001

Latitude 25.33810006960

Longitude 83.02619887950

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/134 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,244.0** व सामान्य कर **797.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,500.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2000,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,600.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,488.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,488.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 824.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIZAMUDDIN S/O MOHD.YUSUF

पता A.39/198-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6888945869

MIS Id. 07390720-- Property Id. 1A391468001

Latitude 25.33809389190

Longitude 83.02834330180

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,488.0** व सामान्य कर **824.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,850.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3325,C= 375              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,660.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,400.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,400.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,354.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Haidar Ali, Mohd. Zafar SS/O Late Mohd. Farukh

पता A.39/132 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369797203

MIS Id. 07390541-- Property Id. 1A391469002

Latitude 25.33812562660

Longitude 83.02630952070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/132 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,769.0** व सामान्य कर **195.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 800.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600, C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 480.00                        |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,246.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 2,246.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 247.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.FIROZ,NURUL AIN S/O JAMALUDDIN

पता A.39/183 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390545-- Property Id. 1A391470003

Latitude 25.33810294330

Longitude 83.02658844790

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/183 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,689.0** व सामान्य कर **1,506.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,489.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 3672,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,938.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,748.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,748.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,512.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DR.IMTIYAZUDDIN S/O ABDUL SAMI

पता A.39/107 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8687571645

MIS Id. 07390526-- Property Id. 1A391471001

Latitude 25.33814522440

Longitude 83.02573705700

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/107 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,861.0** व सामान्य कर **425.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1600,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,488.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,488.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 824.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम samiullah ansari s/o late haji ajimullah

पता A.39/106-S-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390315A Property Id. 1A391475001

Latitude 25.33809958010

Longitude 83.02547676860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/106-S-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,842.0** व सामान्य कर **423.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,143.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1056,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 845.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,448.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,448.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 489.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAHANGI S/O CHATURI

पता A.39/158 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7052467392

MIS Id. 07390675-- Property Id. 1A391477001

Latitude 25.33813697710

Longitude 83.02699870500

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/158 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **899.0** व सामान्य कर **99.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 510.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 714,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 571.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,673.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,673.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 294.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZALALUDDIN S/O HAZI MD.IDRIS MD.FIROZ NURUL AIN S/O

पता A.39/176 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390585-- Property Id. 1A391480001

Latitude 25.33814572110

Longitude 83.02673548150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/176 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,544.0** व सामान्य कर **170.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,092.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 420,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 336.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,572.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,572.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 173.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUNNISA W/O ABDUL GANI, SHAMSUNNISA W/O MOOR

पता A.39/39 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390267-- Property Id. 1A391481001

Latitude 25.33818009690

Longitude 83.02478020460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/39 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,610.0** व सामान्य कर **177.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 825.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 256, C= 256                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 205.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,068.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,068.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 777.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KAYUM S/O LATE AMANTULLAH

पता A.39/108 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9580197070

MIS Id. 07390517-- Property Id. 1A391483001

Latitude 25.33819528490

Longitude 83.02573089190

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/108 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,552.0** व सामान्य कर **721.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1600,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,488.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,488.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 824.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Haidari Bibi W/O Najir Ahmad

पता A.39/39-A-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7668328071

MIS Id. 07390267B Property Id. 1A391484002

Latitude 25.33818433290

Longitude 83.02471562650

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/39-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,439.0** व सामान्य कर **158.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 540.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1080,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 864.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,054.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,054.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 556.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MEHDI HASAN S/O HAZI ALI HUSAIN

पता A.39/38-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369722558

MIS Id. 07390265-- Property Id. 1A391485001

Latitude 25.33818860150

Longitude 83.02462294870

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/38-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,360.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 450,C= 450                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 360.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,426.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,426.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,367.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSUDDIN S/O MOHD.ISMAIL

पता A.39/198 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390782-- Property Id. 1A391486001

Latitude 25.33815620390

Longitude 83.02818103350

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,109.0** व सामान्य कर **1,112.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,950.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 5800,C= 100              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 4,640.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 24,102.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 24,102.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,651.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SAMAD MD.ASALAM OTHER

पता A.39/198-C-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390721-- Property Id. 1A391486002

Latitude 25.33815620390

Longitude 83.02818103350

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-C-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,507.0** व सामान्य कर **496.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,139.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1248,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 998.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,673.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,673.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 514.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIRMALA DEVI W/O RAM DULARE MAURYA

पता A.39/31 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6393027844

MIS Id. 07390197-- Property Id. 1A391487002

Latitude 25.33822156790

Longitude 83.02448975600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/31 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,538.0** व सामान्य कर **279.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1440,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,152.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,065.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,065.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 667.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ROOKHSANA BIBI W/O ANUL HODA

पता A.39/166-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6393330222

MIS Id. 07390737-- Property Id. 1A391488001

Latitude 25.33816669690

Longitude 83.02771523780

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,802.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 750.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1500,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,200.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,616.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,616.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 618.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AFSANA BIBI D/O HAJI MOHD.HARUN

पता A.39/40-H-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390276A Property Id. 1A391489002

Latitude 25.33818294050

Longitude 83.02487670300

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/40-H-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,791.0** व सामान्य कर **307.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,190.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1190,C= 1190                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 952.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 33,972.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 33,972.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,737.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAJENDRA PRASAD S/O LATE LAXMAN PRASAD

पता A.39/6-B-2-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7376055631

MIS Id. 07390132-- Property Id. 1A391492001

Latitude 25.33821474230

Longitude 83.02384309790

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/6-B-2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,527.0** व सामान्य कर **278.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,360.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_&lt; 120Sq.Ft Commercials |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 500,C= 100               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 400.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr            |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,480.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,480.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 493.00                      |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GITA DEVI W/O LATE KANHAIYA LAL YADAV, RAJESHVAR

पता A.39/6-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7905851763

MIS Id. 07390136-- Property Id. 1A391492002

Latitude 25.33821474230

Longitude 83.02384309790

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/6-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,293.0** व सामान्य कर **692.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 720.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 520, C= 200          |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 416.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr        |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,473.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 14,473.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 1,592.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUL HASAN AZIJIL HAK

पता A.39/198-GH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390780B Property Id. 1A391497001

Latitude 25.33816505540

Longitude 83.02832957880

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-GH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,360.0** व सामान्य कर **1,030.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1500,C= 1500                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,200.00                         |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 42,822.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 42,822.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,710.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AAYANA BIBI W/O LATE RAMJAN AHMED, JALEKHA BIBI W/O LATE

पता A.39/123 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390509-- Property Id. 1A391498001

Latitude 25.33820787870

Longitude 83.02601106460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/123 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,440.0** व सामान्य कर **708.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,384.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1736, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,389.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,500.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 6,500.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 715.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMIMUDDIN S/O LATE MOHAMMAD

पता A.39/112 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390510-- Property Id. 1A391498002

Latitude 25.33820787870

Longitude 83.02601106460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/112 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,995.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,382.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 836,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 669.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,130.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,130.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 344.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AFAJALUDDIN S/O ABDUL SAMAD

पता A.39/166-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390739-- Property Id. 1A391502001

Latitude 25.33822870110

Longitude 83.02770226570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,769.0** व सामान्य कर **195.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 300,C= 300           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 240.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,057.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,057.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,436.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAIDUNNISA W/O ABDUL AJIJ ALIAS SALARU, VARIS ALI MINOR S/O

पता A.39/140 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390595-- Property Id. 1A391506001

Latitude 25.33823994220

Longitude 83.02677673410

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/140 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **18,233.0** व सामान्य कर **2,006.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,400.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2400, C= 400              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,920.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 24,898.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 24,898.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 2,739.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम CHHOTAK S/O MOHD.ISHAQ ALI

पता A.39/139 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390596-- Property Id. 1A391507001

Latitude 25.33822581450

Longitude 83.02663317860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/139 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,092.0** व सामान्य कर **230.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,360.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1760,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,408.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,589.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,589.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 725.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSMT KHAIRUNISSA SAMSUNISSA D/O MOHD ISHHAK SMT HUSNA

पता A.39/139-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390597-- Property Id. 1A391508001

Latitude 25.33822929030

Longitude 83.02654190810

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/139-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,022.0** व सामान्य कर **222.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 871.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 550,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 440.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,059.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,059.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 226.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SIDDIK S/O KARIM BAKSH, MOHD. HABIB S/O RAHIM BAKSH, ABDUL

पता A.39/131 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390543-- Property Id. 1A391508002

Latitude 25.33822929030

Longitude 83.02654190810

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/131 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,794.0** व सामान्य कर **637.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार             | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 869.00                              |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, 2_Residential, GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                         |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1584, C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                     |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,267.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                     |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                                |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                     |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,930.00                            |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                     |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 5,930.00                            |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 652.00                              |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RADHA DEVI D/O PUNWASI HARIDAS

पता A.39/24-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390201-- Property Id. 1A391509001

Latitude 25.33829183950

Longitude 83.02419345510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/24-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,451.0** व सामान्य कर **160.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 559.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 396,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 317.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,483.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,483.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 163.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MITHAI LAL S/O LATE CHOTAK

पता A.39/7-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9648303798

MIS Id. 07390133A Property Id. 1A391512001

Latitude 25.33829712680

Longitude 83.02401041020

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/7-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,059.0** व सामान्य कर **226.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,612.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 572,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 458.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,142.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,142.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 236.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.IBRAHIM S/O HAZI RAHIMULLA, MOHD.ISRAIL S/O MOHD.IBRAHIM

पता A.39/58 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390295-- Property Id. 1A391513001

Latitude 25.33821023690

Longitude 83.02503902690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/58 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **18,257.0** व सामान्य कर **2,008.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार             | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 5,400.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, 2_Residential, GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                         |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 7500, C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                     |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 6,000.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                     |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                                |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                     |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 28,080.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                     |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 28,080.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 3,089.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                 |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD EBRAHIM S/O HAJI REHMATULLAH

पता A.39/59 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390296A Property Id. 1A391513002

Latitude 25.33821023690

Longitude 83.02503902690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/59 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **18,720.0** व सामान्य कर **2,059.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,853.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 4048,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,238.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,945.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,945.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,084.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD YUNUS S/O ABDUL WAHID

पता A.39/128 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7355164565

MIS Id. 07390506-- Property Id. 1A391516001

Latitude 25.33824721590

Longitude 83.02632428000

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/128 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,424.0** व सामान्य कर **927.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,000.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 4000,C= 2000                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,200.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 64,584.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 64,584.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 9,688.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAITUN BIBI W/O LATE AMAJAN ALI FIROJ AHAMD KURAISA BIBI

पता A.39/40-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390275-- Property Id. 1A391518001

Latitude 25.33828953850

Longitude 83.02489062920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/40-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,192.0** व सामान्य कर **351.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,160.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 870,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 696.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,257.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,257.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 358.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMJAN, SHAHBAN SS/O ABDUL VASHI

पता A.39/61 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390277-- Property Id. 1A391518002

Latitude 25.33828953850

Longitude 83.02489062920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/61 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,022.0** व सामान्य कर **222.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,369.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 960, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 768.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,594.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 3,594.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 395.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KURBAN ALI S/O FATEH MD.

पता A.39/41 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8303664580

MIS Id. 07390266-- Property Id. 1A391520001

Latitude 25.33828775590

Longitude 83.02476121470

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/41 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,106.0** व सामान्य कर **232.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,700.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 2700,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,160.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,372.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,372.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,251.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD ISMAIL S/O MD YAKUB

पता A.39/35-S-M-E Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390262-- Property Id. 1A391522002

Latitude 25.33832355310

Longitude 83.02462443450

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/35-S-M-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,737.0** व सामान्य कर **191.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 871.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 432,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 346.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,820.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,820.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 200.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUKUNAD LAL S/O LATE SHIVNATH

पता A.39/7-A-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9580688493

MIS Id. 07390130-- Property Id. 1A391526001

Latitude 25.33834466230

Longitude 83.02376221770

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/7-A-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,566.0** व सामान्य कर **722.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 495.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 495,C= 495                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 396.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr                 |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 19,977.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 19,977.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,197.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BRIJ RAMAN KUSHWAHA S/O LATE RAMAN KUSHWAHA

पता A.39/32 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9151639280

MIS Id. 07390206-- Property Id. 1A391527001

Latitude 25.33831114640

Longitude 83.02448561600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/32 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,213.0** व सामान्य कर **683.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 840.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1680,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,344.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,862.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,862.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 865.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABADUL RASID KHAN S/O BAHAIR KHAN, REHANA BEGAM W/O

पता A.39/156-A-L-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9026137616

MIS Id. 07390740-- Property Id. 1A391529001

Latitude 25.33830307130

Longitude 83.02772836860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/156-A-L-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 700.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1400,C= 700                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,120.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,950.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,950.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,415.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURULEN ALIES TUFANI S/O GULAM HUSSAIN

पता A.39/113-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390536A Property Id. 1A391533002

Latitude 25.33828592960

Longitude 83.02583193210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/113-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,685.0** व सामान्य कर **185.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 3,243.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1012,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 810.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,736.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,736.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 521.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAINUL AABDIN S/O ABDUL VAHID

पता A.39/124 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390512-- Property Id. 1A391535001

Latitude 25.33831626200

Longitude 83.02596561960

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/124 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **18,112.0** व सामान्य कर **1,992.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,476.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 8976,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 7,181.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 33,606.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 33,606.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,697.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.RIJVANURRAHMAN ALIAS RIJVAN S/O MAULANA

पता A.39/215-K-KH-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390918D Property Id. 1A391536001

Latitude 25.33823305520

Longitude 83.02794727940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-K-KH-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० 938.0 व सामान्य कर 103.0 से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 10,259.00               |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Vland )   | GF_Vacant Plot          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | Not Applicable          |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0                  | R= 0,C= 0               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.05                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,155.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,155.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 677.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMMAD WARIS S/O MD. MUSTAFA

पता A.39/109-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369381445

MIS Id. 07390514-- Property Id. 1A391537001

Latitude 25.33833671850

Longitude 83.02574033910

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/109-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 625.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 850,C= 400               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 680.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 19,094.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 19,094.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,100.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम LAL MOHD ALIAS LALLA

पता A.39/109-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390514A Property Id. 1A391537003

Latitude 25.33833671850

Longitude 83.02574033910

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/109-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,990.0** व सामान्य कर **659.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,208.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1624,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,299.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,080.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,080.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 669.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.KHALIL S/O LATE MAZID

पता A.39/109-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7505095570

MIS Id. 07390516-- Property Id. 1A391539001

Latitude 25.33836271240

Longitude 83.02566418650

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/109-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,544.0** व सामान्य कर **170.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,920.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,986.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,986.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 988.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD SARIF MOHD BASHIR SS/O ABDUL GANI MARHUM

पता A.39/51-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305562727

MIS Id. 07390217-- Property Id. 1A391541001

Latitude 25.33842890640

Longitude 83.02547634220

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/51-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,042.0** व सामान्य कर **335.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,016.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 4032,C= 2016                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 3,226.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 66,988.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 66,988.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 10,048.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUDDIN S/O RAJJAV

पता A.39/374 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391331-- Property Id. 1A391547001

Latitude 25.33835059640

Longitude 83.02662355760

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/374 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,794.0** व सामान्य कर **637.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,800.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3300,C= 300              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,640.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 19,515.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 19,515.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,147.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAIDUNNISA W/O ABDUL AJIJ ALIAS SALARU, VARIS ALI MINOR S/O

पता A.39/138-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390598-- Property Id. 1A391547002

Latitude 25.33835059640

Longitude 83.02662355760

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/138-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,516.0** व सामान्य कर **1,487.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार             | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,040.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, 2_Residential, GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                         |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 3672, C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                     |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,938.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                     |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                                |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                     |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,748.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                     |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 13,748.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,512.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.ANIS,MOHD.RAIS,MOHD.TASLIM,MOHD.NADIM SS/O GULAM

पता A.39/57 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390294-- Property Id. 1A391550001

Latitude 25.33838663460

Longitude 83.02505310930

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/57 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,000.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 3000,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,400.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,232.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,232.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,236.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SHARIF,MOHD.AYUB

पता A.39/56 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390293-- Property Id. 1A391550003

Latitude 25.33838663460

Longitude 83.02505310930

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/56 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,956.0** व सामान्य कर **545.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,424.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1386,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,109.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,189.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,189.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 571.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMIL ALAM,SALIM AHMED SS/O LATE ABDUL MAZID

पता A.39/136 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9696241172

MIS Id. 07390599-- Property Id. 1A391551001

Latitude 25.33836760520

Longitude 83.02646921670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/136 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,418.0** व सामान्य कर **486.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 12,800.00               |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Industrial Unit      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 12800           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,05,510.00             |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,05,510.00             |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 45,827.00               |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMAR NATH S/O LATE MADHO

पता A.39/16 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390204-- Property Id. 1A391553001

Latitude 25.33843700200

Longitude 83.02419465530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/16 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,287.0** व सामान्य कर **142.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 895.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 360,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 288.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,348.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,348.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 148.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MITHAI LAL S/O LATE CHHOTAK

पता A.39/17 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390203-- Property Id. 1A391553002

Latitude 25.33843700200

Longitude 83.02419465530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/17 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,866.0** व सामान्य कर **425.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 893.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1056,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 845.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,954.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,954.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 435.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BANARASI,NANDU LAL,LAL JI SS/O LATE KALLU

पता A.39/18 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390202-- Property Id. 1A391555001

Latitude 25.33837242120

Longitude 83.02430341270

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/18 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **871.0** व सामान्य कर **96.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 4,080.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 680,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 544.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,546.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,546.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 280.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RADHEY RAMAN KUSHAWAHA S/O LATE CHHEDI LAL, MINA KUMARI

पता A.39/32-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6394168255

MIS Id. 07390200-- Property Id. 1A391556001

Latitude 25.33843546810

Longitude 83.02439370580

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/32-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,933.0** व सामान्य कर **323.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,200.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2400, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,920.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,109.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,109.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,112.00                      |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FIROJ AHMAD, JAVED AHMAD, AFJAL AHMAD, AFSAR

पता A.39/32-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390208-- Property Id. 1A391556002

Latitude 25.33843546810

Longitude 83.02439370580

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/32-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,349.0** व सामान्य कर **478.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,056.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1056, C= 0           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 845.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,448.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,448.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 489.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANUL HASAN S/O MATIULLA

पता A.39/198-A-6-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390716-- Property Id. 1A391558001

Latitude 25.33836619030

Longitude 83.02817070330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-A-6-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,930.0** व सामान्य कर **322.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,500.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1750,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,400.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,552.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,552.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 721.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMCHANDRA S/O SRI ZAGALU

पता A.39/156-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390695-- Property Id. 1A391559001

Latitude 25.33842594450

Longitude 83.02735425130

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/156-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,831.0** व सामान्य कर **311.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 775.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 775,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 620.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,902.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,902.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 319.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MURSLIN S/O AYUB

पता A.39/110 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7275821644

MIS Id. 07390038A Property Id. 1A391560001

Latitude 25.33846623170

Longitude 83.02560050310

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/110 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,594.0** व सामान्य कर **395.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 572.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 744,C= 400               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 595.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,698.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,698.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,057.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTKIM S/O ABU HSAN

पता A.39/34-A-3-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390319-- Property Id. 1A391561001

Latitude 25.33841238520

Longitude 83.02556605060

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-A-3-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,084.0** व सामान्य कर **669.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,324.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1680,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,344.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,290.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,290.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 692.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM HUSAIN S/O FATEH MD.

पता A.39/41-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9389521154

MIS Id. 07390278-- Property Id. 1A391563001

Latitude 25.33842005530

Longitude 83.02490404680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/41-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,912.0** व सामान्य कर **1,090.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,350.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2700,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,160.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,109.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,109.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,112.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AKHTARI BEGAM W/O RAHIMULLA

पता A.39/34-A-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9451930186

MIS Id. 07390258-- Property Id. 1A391565001

Latitude 25.33842759820

Longitude 83.02480144330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,968.0** व सामान्य कर **436.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 726.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2178,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,742.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,154.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,154.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 897.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AKHTARUNNISA W/O SHAHABUDDIN

पता A.39/41-B-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390259-- Property Id. 1A391565002

Latitude 25.33842759820

Longitude 83.02480144330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/41-B-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,213.0** व सामान्य कर **903.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,389.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1800,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,424.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,424.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 927.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HIRA LAL LATE BUDHUD SMT LALMANI DEVI W/O SRI HIRA LAL

पता A.39/35-A-1- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390263B Property Id. 1A391569003

Latitude 25.33845398910

Longitude 83.02459698190

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/35-A-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,087.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 616,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 493.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,306.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,306.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 254.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL LATIF S/O FATEH MD.

पता A.39/35-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9335384585

MIS Id. 07390260-- Property Id. 1A391570001

Latitude 25.33843389370

Longitude 83.02470053560

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/35-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,201.0** व सामान्य कर **1,012.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,295.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2590,C= 1295                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,072.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 40,606.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 40,606.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,467.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAND LAL KUSHWAHA, SHIVA JI KUSHWAHA, KASHI NATH

पता A.39/33 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9795584535

MIS Id. 07390199-- Property Id. 1A391572001

Latitude 25.33843484840

Longitude 83.02448415390

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/33 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,027.0** व सामान्य कर **223.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 980.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 980, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 784.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,128.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,128.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 454.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम URMILA DEVI W/O MOTI LAL

पता A.39/33-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390209-- Property Id. 1A391572002

Latitude 25.33843484840

Longitude 83.02448415390

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/33-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,737.0** व सामान्य कर **191.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,219.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 432,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 346.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,820.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,820.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 200.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HEERA LAL S/O BUDDHU

पता A.39/33-A-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390210A Property Id. 1A391572003

Latitude 25.33843484840

Longitude 83.02448415390

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/33-A-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,685.0** व सामान्य कर **185.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,219.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 432,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 346.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,820.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,820.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 200.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FATMA BIBI D/O ABBAS SAFIUREHMAN MUSTRI BEGUM W/O LATE

पता A.39/109-C Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9696413867

MIS Id. 07390513A Property Id. 1A391574001

Latitude 25.33845594390

Longitude 83.02571984700

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/109-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,637.0** व सामान्य कर **1,170.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 3,000.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1400,C= 1400             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,120.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 38,657.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 38,657.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,252.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                        |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMZAN ALIES MUNNU S/O LATE MOHD.IDRIS

पता A.39/125-J-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7652090005

MIS Id. 07390504-- Property Id. 1A391576001

Latitude 25.33844877700

Longitude 83.02597256140

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/125-J-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,867.0** व सामान्य कर **535.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,700.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 650,C= 650               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 520.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 28,291.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 28,291.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,112.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IMTEYAZ AHAMD S/O SAID AHAMD

पता A.39/198-E-KH-E Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7905492697

MIS Id. 07390728-- Property Id. 1A391577001

Latitude 25.33843697030

Longitude 83.02783217880

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-E-KH-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,213.0** व सामान्य कर **573.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 700.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,120.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,242.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,242.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 577.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAIJ MOHAMMAD S/O ABDUL GAFFAR

पता A.39/198-A-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390715-- Property Id. 1A391580001

Latitude 25.33846919880

Longitude 83.02823023880

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-A-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,797.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,560.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 320,C= 160                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 256.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,017.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,017.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 552.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN S/O MOHD YASIN

पता A.39/198-A-5-KH-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9487076143

MIS Id. 07390712A Property Id. 1A391581001

Latitude 25.33843921800

Longitude 83.02789471940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-A-5-KH-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,708.0** व सामान्य कर **188.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1500,C= 100              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,200.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,003.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,003.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 880.00                      |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                        |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOYENUDEEN S/O NURUDDIN

पता A.39/138-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390593-- Property Id. 1A391582001

Latitude 25.33845457860

Longitude 83.02677996940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/138-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,427.0** व सामान्य कर **487.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,400.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 1200                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 960.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 33,135.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 33,135.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,645.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAMIDUNISHA W/O ABDUL MATIN

पता A.39/138-B-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6306832550

MIS Id. 07390601-- Property Id. 1A391582002

Latitude 25.33845457860

Longitude 83.02677996940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/138-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,092.0** व सामान्य कर **560.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,360.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 760,C= 600           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 608.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 26,713.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 26,713.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,938.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.NASREEN BANO W/O SHAKIL AHMAD

पता A.39/150,150-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390671-- Property Id. 1A391583001

Latitude 25.33838584480

Longitude 83.02720550950

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/150,150-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,866.0** व सामान्य कर **425.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 4,653.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1056,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 845.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,954.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,954.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 435.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOH. HARUN S/O MD.SIDDHIQ

पता A.39/145-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390670-- Property Id. 1A391583002

Latitude 25.33838584480

Longitude 83.02720550950

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/145-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,085.0** व सामान्य कर **119.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 4,653.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 270,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 216.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,137.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,137.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 125.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKHSANA BIBI W/O MOHD.KAYUM

पता A.39/198-A-6 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390709-- Property Id. 1A391585001

Latitude 25.33848567570

Longitude 83.02815802460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-A-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,293.0** व सामान्य कर **252.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 280.00                             |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 840,C= 280                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 672.00                             |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,828.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,828.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,081.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD. HANIF S/O LT.SULEMAN

पता A.39/34-M-M-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390082C Property Id. 1A391586001

Latitude 25.33851936840

Longitude 83.02492486660

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-M-M-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,440.0** व सामान्य कर **158.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 661.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 420,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 336.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,769.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,769.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 195.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL VASIK S/O ANVAR KHAN

पता A.39/54 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390292-- Property Id. 1A391589001

Latitude 25.33850143760

Longitude 83.02511978500

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/54 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,728.0** व सामान्य कर **630.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 876.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 702,C= 702                |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 562.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,914.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,914.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 651.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.YUNUS S/O MOHD.UMAR

पता A.39/51 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9696154397

MIS Id. 07390321-- Property Id. 1A391592001

Latitude 25.33849983130

Longitude 83.02537107240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/51 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,924.0** व सामान्य कर **542.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 640.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1920,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,536.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,188.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,188.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 791.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.VASIK S/O ANVAR

पता A.39/55 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390291-- Property Id. 1A391593001

Latitude 25.33850783220

Longitude 83.02504030500

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/55 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,739.0** व सामान्य कर **741.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,230.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1624,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,299.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,840.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,840.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 752.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SALEEM,SAHIRA BIBI SS/O D/O LATE MOHD.YUSUF

पता A.39/51-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7651911576

MIS Id. 07390320-- Property Id. 1A391595001

Latitude 25.33853068660

Longitude 83.02546204970

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/51-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,773.0** व सामान्य कर **525.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,092.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2184,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,747.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,199.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,199.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,012.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KAVI, NAFIS AHMAD, AMIN AHSAN, ABDUL VASE, ABDUL

पता A.39/145-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390668D Property Id. 1A391596001

Latitude 25.33849101040

Longitude 83.02707401950

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/145-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 3,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2000, C= 600              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,600.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,809.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,809.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 2,399.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NISAR S/O LATE MOHD.HASIM

पता A.39/136-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8799011301

MIS Id. 07390600-- Property Id. 1A391598001

Latitude 25.33849163860

Longitude 83.02648924880

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/136-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,249.0** व सामान्य कर **467.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,600.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1200,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 960.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,493.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,493.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 494.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAMINULLA S/O JIYAULLAH

पता A.39/143-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390592-- Property Id. 1A391599001

Latitude 25.33848043680

Longitude 83.02692391530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/143-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,092.0** व सामान्य कर **560.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,100.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 4200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,360.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 26,208.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 26,208.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,883.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAZID S/O MOHD SAFIK (KUAN=WELL)

पता A.39/186 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390549A Property Id. 1A391600001

Latitude 25.33849317010

Longitude 83.02765013400

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/186 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **210.0** व सामान्य कर **23.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,292.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Vland )   | GF_Vacant Plot          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | Not Applicable          |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0                  | R= 0,C= 0               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.05                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 775.00                  |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 775.00                  |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 85.00                   |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम USAMAN BHAI ABDUL ZABBAR SS/O HAZI MD.ISALAM

पता A.39/156-A-1- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6387677458

MIS Id. 07390697-- Property Id. 1A391601001

Latitude 25.33846466280

Longitude 83.02750267400

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/156-A-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,908.0** व सामान्य कर **760.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,050.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1875,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,500.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,020.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,020.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 772.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HALIM, ABDUL HALAM

पता A.39/179 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390502-- Property Id. 1A391602001

Latitude 25.33854260230

Longitude 83.02573393650

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/179 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,540.0** व सामान्य कर **499.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,400.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800, C= 800               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 640.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 34,819.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 34,819.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 3,830.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMILA BIBI W/O SALAUDDIN

पता A.39/42 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390279-- Property Id. 1A391603001

Latitude 25.33854588230

Longitude 83.02481822020

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/42 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,831.0** व सामान्य कर **311.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,278.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 780,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 624.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,920.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,920.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 321.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAMIDUNISA W/O ANAWAR AHMAD D/O LATE ABDUL SHAQUR

पता A.39/156-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6307770206

MIS Id. 07390710-- Property Id. 1A391605001

Latitude 25.33853006740

Longitude 83.02805969830

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/156-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,434.0** व सामान्य कर **268.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 880.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1760,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,408.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,589.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,589.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 725.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM MOHD.S/O LATE HAJI ABDUL MAJID

पता A.39/35-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390256A Property Id. 1A391607001

Latitude 25.33855560170

Longitude 83.02462008170

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/35-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,042.0** व सामान्य कर **335.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 600.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1200,C= 600                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 960.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 19,937.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 19,937.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,193.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM MOHD.S/O HAZI ABDUL MAZID

पता A.39/35-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390256-- Property Id. 1A391607002

Latitude 25.33855560170

Longitude 83.02462008170

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/35-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,248.0** व सामान्य कर **1,017.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 4500,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,600.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 16,848.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 16,848.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,853.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ROJAN S/O SAMAD, MOHD. SHAHID, RAMJAN ALI ALIES MUNNU, JUNAID

पता A.39/125 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390503-- Property Id. 1A391608001

Latitude 25.33854817560

Longitude 83.02598721300

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/125 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,451.0** व सामान्य कर **160.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,150.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 400, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 320.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,498.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 1,498.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 165.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HABIBUNNISA W/O LATE RAJJABALI

पता A.39/198-B- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390704-- Property Id. 1A391610001

Latitude 25.33854212230

Longitude 83.02795756570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-B- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,498.0** व सामान्य कर **165.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 360.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 360,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 288.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,685.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,685.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 185.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUDDIN S/O JUMMAN

पता A.39/49-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390323-- Property Id. 1A391614001

Latitude 25.33859633060

Longitude 83.02535572730

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/49-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 624.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1248,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 998.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,673.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,673.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 514.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAKIL AHMED S/O ALI HUSAIN

पता A.39/38 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9335160191

MIS Id. 07390207-- Property Id. 1A391620001

Latitude 25.33860879760

Longitude 83.02433154780

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/38 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,738.0** व सामान्य कर **301.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 500.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 550,C= 200               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 440.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,091.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,091.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 780.00                      |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम USMAN GANI S/O MUHMAD

पता A.39/138 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8799546752

MIS Id. 07390594-- Property Id. 1A391623001

Latitude 25.33858843460

Longitude 83.02693089160

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/138 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,452.0** व सामान्य कर **930.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 720.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1440,C= 720                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,152.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 22,576.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 22,576.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,483.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAGIR AHMED,NASIR AHMED,ANSAR AHMED,JAMIL AHMED,VAKIL

पता A.39/44 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390280-- Property Id. 1A391624001

Latitude 25.33860023470

Longitude 83.02489776010

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/44 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,928.0** व सामान्य कर **872.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,400.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1975,C= 200                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,580.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,168.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,168.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,338.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT JAMIBUNISSA W/O LATE BECHU & MOHD SOEB ABDUL JAHID

पता A.39/49 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9451068812

MIS Id. 07390290-- Property Id. 1A391626001

Latitude 25.33861306820

Longitude 83.02515189170

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/49 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,212.0** व सामान्य कर **463.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,200.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1200,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 960.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,054.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,054.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 556.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSUDDIN S/O JUMMAN

पता A.39/49-5-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390289-- Property Id. 1A391626002

Latitude 25.33861306820

Longitude 83.02515189170

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/49-5-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,092.0** व सामान्य कर **560.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,368.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1368,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,094.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,122.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,122.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 563.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.AMIN S/O EMAM ALI

पता A.39/198-5-KH-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6985510615

MIS Id. 07390705-- Property Id. 1A391628001

Latitude 25.33859751740

Longitude 83.02795825000

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-5-KH-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,633.0** व सामान्य कर **510.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,360.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2040,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,632.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,638.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,638.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 840.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PANNA LAL S/O KHAR

पता A.39/10 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7505564481

MIS Id. 07390127-- Property Id. 1A391629001

Latitude 25.33855916950

Longitude 83.02384851080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/10 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,429.0** व सामान्य कर **267.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 9,520.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 800,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 24 Mtr Above            |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 1.40                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,451.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,451.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 710.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAKKHAN VINNI LAL (MOINER) SS/O PURSHOTTAM VILAYAT

पता A.39/9 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390128-- Property Id. 1A391629002

Latitude 25.33855916950

Longitude 83.02384851080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,100.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Industrial Unit      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 700             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 24 Mtr Above            |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 1.40                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 35,986.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 35,986.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,958.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम USHA DEVI W/O MUKUND LAL

पता A.39/9-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390129-- Property Id. 1A391629004

Latitude 25.33855916950

Longitude 83.02384851080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/9-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,608.0** व सामान्य कर **1,497.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 13,067.00               |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1710,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,368.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 24 Mtr Above            |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 1.40                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,789.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,789.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,517.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.SAVRATAN W/O BECHAN

पता A.39/48 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9918121787

MIS Id. 07390288-- Property Id. 1A391631001

Latitude 25.33862893470

Longitude 83.02502148740

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/48 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,092.0** व सामान्य कर **230.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 900,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAINUL ABDIN S/O LATE ABDUL VAHID

पता A.39/128-5-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390498-- Property Id. 1A391633001

Latitude 25.33865063090

Longitude 83.02603106180

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/128-5-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **15,727.0** व सामान्य कर **1,730.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,900.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3800,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,040.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 16,006.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 16,006.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,761.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAKIM, ABDUL AJIJ, IMTEYAJ AHAMAD S/O ABDUL HALIM

पता A.39/145-A-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9935364849

MIS Id. 07390666-- Property Id. 1A391634001

Latitude 25.33860805810

Longitude 83.02720497110

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/145-A-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,681.0** व सामान्य कर **1,285.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार             | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,280.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, 2_Residential, GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                         |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 3840, C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                     |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 3,072.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                     |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                                |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                     |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,377.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                     |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,377.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 1,581.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUDDIN S/O HAZI MD.ISAMAIL

पता A.39/130-A-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305859415

MIS Id. 07390500-- Property Id. 1A391635001

Latitude 25.33865541720

Longitude 83.02588059850

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/130-A-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,849.0** व सामान्य कर **533.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 680.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 595,C= 595                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 476.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 16,429.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 16,429.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,807.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM SABIR S/O LATE HABIBULLA

पता A.39/111-A-G Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7007173539

MIS Id. 07390328-- Property Id. 1A391638001

Latitude 25.33866146950

Longitude 83.02561932440

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/111-A-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,787.0** व सामान्य कर **857.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,225.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2450,C= 1225                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,960.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 38,411.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 38,411.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,225.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम REHANA BIBI W/O ABDUL WAHID S/O MOHD HARUN

पता A.39/111-B-R-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390034A Property Id. 1A391639001

Latitude 25.33866356840

Longitude 83.02539901000

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/111-B-R-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 736.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 736,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 589.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,444.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,444.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 379.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI HAPHIJULLA S/O RAJJAQ ALI

पता A.39/35-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8687048858

MIS Id. 07390212-- Property Id. 1A391641001

Latitude 25.33869586380

Longitude 83.02451796910

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/35-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,473.0** व सामान्य कर **382.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 750.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1500,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,200.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,616.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,616.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 618.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JULFEKAR AHAMD S/O LATE GULJAR AHAMD

पता A.39/35-K-M-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390211A Property Id. 1A391643001

Latitude 25.33868082540

Longitude 83.02443058980

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/35-K-M-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,340.0** व सामान्य कर **257.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 704.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 506,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 405.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,368.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,368.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 260.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PREM RAMAN S/O CHHEDI LAL

पता A.39/34-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9919614133

MIS Id. 07390214-- Property Id. 1A391644001

Latitude 25.33868637850

Longitude 83.02432160850

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,301.0** व सामान्य कर **143.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,045.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 400,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 320.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,685.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,685.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 185.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI BADRUNISHA W/O NASIR AHAMAD S/O MANZUR AHAMAD

पता A.39/34-A-1-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7499323112

MIS Id. 07390255-- Property Id. 1A391645001

Latitude 25.33867306100

Longitude 83.02463099410

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-A-1-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,591.0** व सामान्य कर **175.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,000.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1200,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,493.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,493.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 494.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM HARID S/O ABDUL SHAKUR

पता A.39/198-A-6-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7499982148

MIS Id. 07390707-- Property Id. 1A391646001

Latitude 25.33864819920

Longitude 83.02815643980

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-A-6-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,059.0** व सामान्य कर **226.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 840.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 440,C= 400                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 352.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,194.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,194.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,231.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JUNAID AHAMAD S/O MD.IDRIS

पता A.39/125-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6307650519

MIS Id. 07390499-- Property Id. 1A391649001

Latitude 25.33868341560

Longitude 83.02598354670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/125-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,287.0** व सामान्य कर **142.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,520.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 360,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 288.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,348.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,348.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 148.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम USAMAN ABDUL ZABBAR

पता A.39/156-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390698-- Property Id. 1A391652001

Latitude 25.33864939590

Longitude 83.02736115200

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/156-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **24,991.0** व सामान्य कर **2,749.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,123.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3384,C= 400              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,707.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 31,749.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 31,749.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,492.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                        |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD IBRAHIM MOHD ISMAIL SS/O HAJI AMANATULLAH ENUDDIN

पता A.39/10-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390189A Property Id. 1A391654001

Latitude 25.33873115000

Longitude 83.02351652490

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/10-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 360.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 360,C= 360               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 288.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr            |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 22,900.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 22,900.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,519.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                        |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL GAFFAR ZULFEQAR AHAMAD OTHER

पता A.39/13-A-1-A-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390126-- Property Id. 1A391654002

Latitude 25.33873115000

Longitude 83.02351652490

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/13-A-1-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **27,014.0** व सामान्य कर **2,972.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,700.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,720.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 24 Mtr Above                 |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 1.40                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 27,418.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 27,418.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,016.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SWALEHA W/O SAGIR AHMAD,JAMIL AHMAD,AKIL

पता A.39/220 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9336751693

MIS Id. 07390700-- Property Id. 1A391655001

Latitude 25.33867732890

Longitude 83.02756121320

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/220 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,448.0** व सामान्य कर **269.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 805.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1610,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,288.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,535.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,535.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 829.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMIRULLA S/O LATE HAKIKUL

पता A.39/111-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8957558514

MIS Id. 07390327A Property Id. 1A391657001

Latitude 25.33873395710

Longitude 83.02562797680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/111-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,604.0** व सामान्य कर **396.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,050.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2100,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,680.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,828.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,828.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,081.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VAKIL AHMAD S/O LATE BARKATULLAH ALIAS MUNSHI MAHATO

पता A.39/145-J-V Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9889284915

MIS Id. 07390668C Property Id. 1A391659001

Latitude 25.33868024190

Longitude 83.02697691790

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/145-J-V के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,521.0** व सामान्य कर **167.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 560.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 560,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 448.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,621.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,621.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 288.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTAPHA MAHMUD S/O SAQARTI

पता A.39/111-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9721898406

MIS Id. 07390034-- Property Id. 1A391660002

Latitude 25.33869613970

Longitude 83.02551210070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/111-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,785.0** व सामान्य कर **416.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 700.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 700,C= 700                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 560.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 19,984.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 19,984.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,198.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT NAJ PARWEEN ALIAS JULEKHA KHATUN W/O MOHD ISRAIL &

पता A.39/46-D-A- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8081241076

MIS Id. 07390286-- Property Id. 1A391662001

Latitude 25.33870832380

Longitude 83.02514466320

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-D-A- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,607.0** व सामान्य कर **287.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,080.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 540,C= 180                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 432.00                             |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,318.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,318.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 695.00                             |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUDDIN S/O JUMMAN

पता A.39/49-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390322-- Property Id. 1A391664001

Latitude 25.33866677810

Longitude 83.02527537600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/49-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,720.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1100,C= 400                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 880.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 20,030.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 20,030.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,203.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD SAHID MOOHD YASIN

पता A.39/109-C-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9389458770

MIS Id. 07390513B Property Id. 1A391665001

Latitude 25.33867206870

Longitude 83.02575683480

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/109-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,232.0** व सामान्य कर **1,236.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,200.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2400,C= 2400                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,920.00                         |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 66,269.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 66,269.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 9,940.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BASHIR AHMAD,VASIM AHMAD,NASIM AHMAD,TASLIM

पता A.39/125-J-4-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390501-- Property Id. 1A391665002

Latitude 25.33867206870

Longitude 83.02575683480

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/125-J-4-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

1,121.0

व सामान्य कर

123.0 से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,200.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Vland )   | GF_Vacant Plot          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | Not Applicable          |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0                  | R= 0,C= 0               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.05                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,920.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,920.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 211.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULLOO PRASAD S/O SAPHAI LAL

पता A.39/45 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9450834821

MIS Id. 07390281-- Property Id. 1A391667001

Latitude 25.33870934590

Longitude 83.02488653840

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/45 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1200,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,493.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,493.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 494.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RASHIDUNISSA JAUJEY HAJI KAMRUDDIN ALIAS MUNNA

पता A.39/129-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390124-- Property Id. 1A391676001

Latitude 25.33878084820

Longitude 83.02372005800

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/129-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **16,006.0** व सामान्य कर **1,761.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 12,397.00               |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 3834,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,067.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr        |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 23,602.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 23,602.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,596.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI VANSHARUDDIN

पता A.39/13 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390125-- Property Id. 1A391676002

Latitude 25.33878084820

Longitude 83.02372005800

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/13 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,391.0** व सामान्य कर **153.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 12,397.00               |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 180,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 144.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 24 Mtr Above            |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 1.40                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,452.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,452.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 160.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HODA

पता A.39/156-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390703-- Property Id. 1A391681002

Latitude 25.33875844110

Longitude 83.02796337110

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/156-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,739.0** व सामान्य कर **741.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,041.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1860,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,488.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,964.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,964.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 766.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KOUSHALYA W/O MEVA LAL

पता A.39/34-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9264904652

MIS Id. 07390254-- Property Id. 1A391683001

Latitude 25.33879716850

Longitude 83.02462964610

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,182.0** व सामान्य कर **680.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,600.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0                  | R= 1700,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,360.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,365.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,365.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 700.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMINULLA S/O JIYAULLAH

पता A.39/144 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390663-- Property Id. 1A391685001

Latitude 25.33878760700

Longitude 83.02720736510

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/144 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,404.0** व सामान्य कर **154.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 825.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 825,C= 825                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 660.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 23,552.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 23,552.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,591.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIJUDDI S/O SHUKUULLA

पता A.39/46-E Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369351545

MIS Id. 07390283-- Property Id. 1A391686001

Latitude 25.33883586210

Longitude 83.02501849720

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,237.0** व सामान्य कर **906.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 880.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1760,C= 880                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,408.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 27,593.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 27,593.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,035.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMUNISSA W/O LATE ABDUL MAJID

पता A.39/137-A-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8604582676

MIS Id. 07390065-- Property Id. 1A391688001

Latitude 25.33882048060

Longitude 83.02679752450

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/137-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,276.0** व सामान्य कर **360.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 486.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 738,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 590.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,454.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,454.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 380.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.KALAM,MOHD.SALAM,MOHD.JAMAL,TAKSIR JAHAN SS/O D/O

पता A.39/152-A-2-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390658-- Property Id. 1A391692001

Latitude 25.33878912050

Longitude 83.02770974420

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-2-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,364.0** व सामान्य कर **700.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 750.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 0,C= 1400            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 55,692.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 55,692.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 8,354.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RIZWANA KHANAM W/O ABDUL RAJJAK

पता A.39/152-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390634-- Property Id. 1A391693001

Latitude 25.33882341020

Longitude 83.02801211060

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 624.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 624,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 499.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,336.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,336.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 257.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSHUL HAQUE S/O NASIRUDDIN

पता A.39/152-A-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390636-- Property Id. 1A391694001

Latitude 25.33879419370

Longitude 83.02764727280

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,933.0** व सामान्य कर **213.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,000.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 550,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 440.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,059.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,059.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 226.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAIDUNNISHA W/O ABDUL AJIJ ALIAS SALARU, VARIS ALI MINOR S/O

पता A.39/137-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390605-- Property Id. 1A391695001

Latitude 25.33883360170

Longitude 83.02667400290

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/137-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,340.0** व सामान्य कर **587.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 725.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1450, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,160.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,429.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,429.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 597.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAJIDA BIBI W/O SHRI MUHAMMAD NOOR

पता A.39/34-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8726427197

MIS Id. 07390216-- Property Id. 1A391696001

Latitude 25.33883068280

Longitude 83.02447979080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,201.0** व सामान्य कर **1,012.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 975,C= 1500          |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 780.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 39,452.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 39,452.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,340.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम CHAMPA LAL S/O DHARMU

पता A.39/151-A-O Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7081448462

MIS Id. 07390662-- Property Id. 1A391697001

Latitude 25.33884532780

Longitude 83.02720954010

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/151-A-O के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,933.0** व सामान्य कर **213.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 385.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 535,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 428.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,003.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,003.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 220.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHIVNATH S/O LATE VIMAL RAM

पता A.39/11-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390120A Property Id. 1A391698001

Latitude 25.33886683810

Longitude 83.02345482290

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/11-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,990.0** व सामान्य कर **659.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,111.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1612,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,290.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,821.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,821.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 970.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI BAHAL S/O SUMER

पता A.39/11-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9888152605

MIS Id. 07390123A Property Id. 1A391703001

Latitude 25.33885678050

Longitude 83.02388872490

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/11-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 968.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 968,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 774.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,624.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,624.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 399.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUNNI DEVI W/O KATVARU, SEETA DEVI W/O MANGALA PRASAD

पता A.39/11 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9506792433

MIS Id. 07390123-- Property Id. 1A391705001

Latitude 25.33891485890

Longitude 83.02342615670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/11 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,062.0** व सामान्य कर **557.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,800.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1350, C= 0           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,080.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr        |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,387.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,387.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 813.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASBUNNISA W/O LATE FARUKH KHAN

पता A.39/34-A-3-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9454291339

MIS Id. 07390258A Property Id. 1A391707001

Latitude 25.33889020060

Longitude 83.02405429940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-A-3-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,100.0** व सामान्य कर **341.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 550.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1100,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 880.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,148.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,148.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 566.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI SALUDDIN ANIDURAHAMAN SS/O HAFIJUDDIN

पता A.39/46-C-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8687238312

MIS Id. 07390250-- Property Id. 1A391709001

Latitude 25.33891820940

Longitude 83.02502200810

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-C-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,955.0** व सामान्य कर **765.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,400.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1875,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,500.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,020.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,020.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 772.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALAUDDIN S/O HAFIJUDDIN

पता A.39/111-B-1-GH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390330-- Property Id. 1A391710001

Latitude 25.33884414760

Longitude 83.02546800840

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/111-B-1-GH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,160.0** व सामान्य कर **678.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,765.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 1520,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,216.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,402.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,402.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 704.00                             |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIRUDDIN S/O HABIBULLA

पता A.39/130-A-6-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8335471517

MIS Id. 07390335-- Property Id. 1A391712001

Latitude 25.33885782320

Longitude 83.02565611690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/130-A-6-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,308.0** व सामान्य कर **1,354.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,800.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 5400,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 4,320.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 20,218.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 20,218.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,224.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMILA BIBI SALADDIN

पता A.39/111-B-1-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390329-- Property Id. 1A391712003

Latitude 25.33885782320

Longitude 83.02565611690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/111-B-1-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,530.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1504,C= 1100         |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,203.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 49,389.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 49,389.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 5,433.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMARUNISHA W/O AMINUDDIN

पता A.39/130-A-2-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390337-- Property Id. 1A391713001

Latitude 25.33892284440

Longitude 83.02587344630

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/130-A-2-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,587.0** व सामान्य कर **725.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,692.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1692,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,354.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,919.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,919.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 871.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMINUDDIN S/O JUMMAN

पता A.39/130-A-6-A-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369290204

MIS Id. 07390336-- Property Id. 1A391715001

Latitude 25.33885743280

Longitude 83.02576389880

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/130-A-6-A-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **18,566.0** व सामान्य कर **2,042.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,950.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 4650,C= 1200                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 3,720.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 46,052.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 46,052.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 5,066.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM HUSAIN S/O FATEH MUHAMMAD

पता A.39/130-G Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9389448952

MIS Id. 07390341-- Property Id. 1A391715002

Latitude 25.33885743280

Longitude 83.02576389880

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/130-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,061.0** व सामान्य कर **777.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600,C= 900                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 24,289.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 24,289.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,672.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADARUDDIN S/O NASIRUDDIN

पता A.39/152-A-2-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9389391363

MIS Id. 07390656-- Property Id. 1A391718001

Latitude 25.33889249760

Longitude 83.02771328870

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-2-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,092.0** व सामान्य कर **560.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2400,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,920.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,986.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,986.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 988.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMIR ALI ANSARI S/O RIZAMAT ALI ANSARI

पता A.39/152-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390657-- Property Id. 1A391719001

Latitude 25.33889585090

Longitude 83.02764840160

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,632.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,054.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,054.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 556.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SOEB AHAMD SADIK AHAMD NAWED AHAMD SHIRI PARWEEN

पता A.39/12-A-X-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8303234103

MIS Id. 07391293B Property Id. 1A391723001

Latitude 25.33895483800

Longitude 83.02386469600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/12-A-X-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,159.0** व सामान्य कर **347.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 840.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 840,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 672.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,538.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,538.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 389.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAM KISHUN S/O BHAGWAN DAS

पता A.39/12 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390119-- Property Id. 1A391723002

Latitude 25.33895483800

Longitude 83.02386469600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/12 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,632.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,192.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 416,C= 0                        |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 333.00                             |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,752.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,752.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 193.00                             |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSMT ANJUM ARA W/O LATE MOHD ASLAM

पता A.39/34-A-10-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7905493382

MIS Id. 07390367A Property Id. 1A391728001

Latitude 25.33897965150

Longitude 83.02436637460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-A-10-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,864.0** व सामान्य कर **315.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,000.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 4000,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,200.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 16,848.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 16,848.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,853.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABARAR

पता A.39/34-A-1- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

MIS Id. 07390218-- Property Id. 1A391728002

पुराना वार्ड W066

Latitude 25.33897965150

मोबाईल नं०

Longitude 83.02436637460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-A-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,897.0** व सामान्य कर **319.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,260.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,995.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,995.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 329.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.YUSUF S/O VASHIRUDDIN

पता A.39/46-A-1-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390244-- Property Id. 1A391732002

Latitude 25.33896137510

Longitude 83.02515545490

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-A-1-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,456.0** व सामान्य कर **160.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,418.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 408,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 326.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,528.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,528.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 168.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.VASHIR S/O MD.TAJ MOHAMMAD

पता A.39/46-A-B-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390285-- Property Id. 1A391733001

Latitude 25.33900566420

Longitude 83.02502663600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-A-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,067.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 480,C= 240                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 384.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,525.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 7,525.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 828.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIM AHMAD, SHAMIM AHMAD SS/O HAJI MOH. YASIN

पता A.39/46-A-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390284B Property Id. 1A391733002

Latitude 25.33900566420

Longitude 83.02502663600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-A-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,574.0** व सामान्य कर **283.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार             | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,066.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, 2_Residential, GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                         |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 720, C= 0                        |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                     |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 576.00                              |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                     |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                                |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                     |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,696.00                            |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                     |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,696.00                            |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 297.00                              |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD EKRAM S/O NOOR MOHAMMAD

पता A.39/130-A-6-A-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9580449089

MIS Id. 07390331-- Property Id. 1A391734001

Latitude 25.33898788730

Longitude 83.02565571260

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/130-A-6-A-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,092.0** व सामान्य कर **560.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 600.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1200,C= 600                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 960.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,814.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 18,814.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,070.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUMTAZ AHAMD

पता A.39/137-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369215236

MIS Id. 07390096-- Property Id. 1A391735001

Latitude 25.33900657010

Longitude 83.02402017420

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/137-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,242.0** व सामान्य कर **577.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 775.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1550,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,240.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,803.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,803.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 638.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHAIRUNISA W/O LATE HAZI MD.VASHIR ZAHIRUNISHA W/O

पता A.39/111-B-1-G Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7499233114

MIS Id. 07390241-- Property Id. 1A391737001

Latitude 25.33897398920

Longitude 83.02535954150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/111-B-1-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,547.0** व सामान्य कर **1,050.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,575.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 975,C= 600                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 780.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,884.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,884.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,077.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASID S/O MOHD.YAKUB

पता A.39/152-A-3-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9336601589

MIS Id. 07390638-- Property Id. 1A391738001

Latitude 25.33889382040

Longitude 83.02785800330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-3-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,847.0** व सामान्य कर **1,083.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1800,C= 600              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,060.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,060.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,317.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HABIB AHAMAD MAIMUNISA BIBI

पता A.39/153-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7007948696

MIS Id. 07390639-- Property Id. 1A391740001

Latitude 25.33901353510

Longitude 83.02788760420

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/153-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,287.0** व सामान्य कर **142.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 945.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 945,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 756.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,538.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,538.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 389.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAUSHAL KUMAR SONKAR S/O SEETA RAM

पता A.39/91 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9151546066

MIS Id. 07390164-- Property Id. 1A391743001

Latitude 25.33906559740

Longitude 83.02447466110

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/91 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,707.0** व सामान्य कर **518.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,000.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1500,C= 500              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,200.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,252.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,252.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,008.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAIM AKHATAR S/O SRI MD.KHALIL

पता A.39/34-A-1-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390220-- Property Id. 1A391743002

Latitude 25.33906559740

Longitude 83.02447466110

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-A-1-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,256.0** व सामान्य कर **248.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 493.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 640,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 512.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,396.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,396.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 264.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAKI ABDUL AJIJ & IMTEYAZ SS/O ABDUL HALIM MARHUM

पता A.39/153-B-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9936664849

MIS Id. 07390660-- Property Id. 1A391745001

Latitude 25.33891713860

Longitude 83.02740824920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/153-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,424.0** व सामान्य कर **927.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,224.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1374,C= 1224         |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,099.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 35,001.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 35,001.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,850.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NUR MOHAMMAD S/O ABDUL SALAM

पता A.39/129-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9336071552

MIS Id. 07390344-- Property Id. 1A391747001

Latitude 25.33902899120

Longitude 83.02602375360

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/129-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,680.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 4900,C= 100                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 3,920.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 20,733.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 20,733.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,281.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUDDIN S/O LATE ISAMAIL

पता A.39/130-A-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390339-- Property Id. 1A391747002

Latitude 25.33902899120

Longitude 83.02602375360

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/130-A-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,602.0** व सामान्य कर **1,606.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,871.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 3960,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,168.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,826.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,826.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,631.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Rama Shankar

पता N.15/176-U-Q-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9309905764

MIS Id. 06150345-- Property Id. 1A391749001

Latitude 25.33908018590

Longitude 83.02782071900

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या N.15/176-U-Q-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **16,422.0** व सामान्य कर **1,806.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 4500,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,600.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 16,848.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 16,848.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,853.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN S/O MD.UMAR

पता A.39/34-B-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8738082134

MIS Id. 07390219-- Property Id. 1A391753001

Latitude 25.33907277920

Longitude 83.02436310710

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 800.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2400,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,920.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,986.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,986.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 988.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.SHARIF S/O ABDUL RASID

पता A.39/152-A-5-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8303122164

MIS Id. 07390654-- Property Id. 1A391754001

Latitude 25.33903671050

Longitude 83.02773334670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-5-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,448.0** व सामान्य कर **159.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 500.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1000,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,212.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,212.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 463.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SARAKAR AHAMAD S/O TAJ MD.

पता A.39/46-A-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390249-- Property Id. 1A391757001

Latitude 25.33907558470

Longitude 83.02505982340

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-A-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,475.0** व सामान्य कर **382.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 825.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 850,C= 800               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 680.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 22,674.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 22,674.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,494.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI ABDUL TORAB S/O ABDUL HAKIM

पता A.39/377-N-K-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391531-- Property Id. 1A391763001

Latitude 25.33900245180

Longitude 83.02463862340

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-K-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,220.0** व सामान्य कर **244.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 5,556.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Vland )   | GF_Vacant Plot          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | Not Applicable          |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0                  | R= 0,C= 0               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.05                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,334.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,334.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 367.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIMUDIDN S/O SAFIUREHMAN

पता A.39/155-A-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390631-- Property Id. 1A391764001

Latitude 25.33904627530

Longitude 83.02797793740

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-A-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,186.0** व सामान्य कर **240.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 963.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 612,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 490.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,291.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,291.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 252.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIZ ZAHIRUL HASAN S/O AMANTULLA

पता A.39/13-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390115-- Property Id. 1A391766001

Latitude 25.33906804310

Longitude 83.02373713960

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/13-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,802.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,150.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 1600            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 63,648.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 63,648.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 9,547.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAIMUN NNISA,MEHARUNISA,SHAQILA BIBI ZARINA BIBI D/O

पता A.39/46-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390245-- Property Id. 1A391768001

Latitude 25.33907684630

Longitude 83.02524934860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,794.0** व सामान्य कर **637.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 750.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 750,C= 750                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 600.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 20,709.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 20,709.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,278.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम CHHANNU LAL S/O SAFAI LAL

पता A.39/45-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305940772

MIS Id. 07390251-- Property Id. 1A391769001

Latitude 25.33900078610

Longitude 83.02483861620

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/45-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,349.0** व सामान्य कर **478.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,800.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1820,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,456.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,666.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,666.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 843.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUKTAR AHAMAD S/O TAJ MOHD

पता A.39/34-B-1-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9696758903

MIS Id. 07390222-- Property Id. 1A391770001

Latitude 25.33912319350

Longitude 83.02435878300

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-B-1-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,287.0** व सामान्य कर **142.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 600,C= 200           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,202.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,202.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,122.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम REYAZ AHAMAD S/O MOHD TAHIR MARHUM

पता A.39/34-A-3-M-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390099-- Property Id. 1A391772002

Latitude 25.33911456890

Longitude 83.02411602050

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-A-3-M-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,831.0** व सामान्य कर **311.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2400,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,920.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,986.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,986.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 988.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD AZIM KHAN S/O HAIDAR KHAN & SMT AKILA BIBI JAUJEY

पता A.39/34-B-3-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7398934173

MIS Id. 07390221-- Property Id. 1A391774001

Latitude 25.33912045160

Longitude 83.02447457700

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-B-3-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,826.0** व सामान्य कर **421.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 825.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 825,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 660.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,861.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,861.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 425.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDDIN S/O ABDUL MAZID

पता A.39/152-A-6-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390643-- Property Id. 1A391775001

Latitude 25.33909317420

Longitude 83.02773581690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-6-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,802.0** व सामान्य कर **418.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 930.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 930,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 744.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,917.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,917.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 431.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.HAZI DAUD MD.MUSA ALLAIS LALLU GULAM GOUS ALLAIS

पता A.39/129-A-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390346-- Property Id. 1A391777001

Latitude 25.33914908310

Longitude 83.02608226400

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/129-A-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,360.0** व सामान्य कर **1,030.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,440.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2880,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,304.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,783.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,783.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,186.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SALAM S/O ABDUL SATTAR

पता A.39/155-N-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9307592740

MIS Id. 07390647-- Property Id. 1A391779001

Latitude 25.33910221450

Longitude 83.02746567290

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-N-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,736.0** व सामान्य कर **191.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 750.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 750,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 600.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,808.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,808.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 309.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT FATIMA BIBI W/O LATE HABIBUREHMAN

पता A.39/130-G-G-E Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6394699856

MIS Id. 07390072B Property Id. 1A391780001

Latitude 25.33913568770

Longitude 83.02575125280

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/130-G-G-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,047.0** व सामान्य कर **225.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 432.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 864,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 691.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,044.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,044.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 445.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL AZIZ ALIES SALARU S/O LATE MOHAMMED

पता A.39/152-A-1-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390642-- Property Id. 1A391781001

Latitude 25.33912266810

Longitude 83.02764169570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-1-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,712.0** व सामान्य कर **848.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,050.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 0,C= 2100            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 83,538.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 83,538.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 12,531.00               |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.AKBARI BANO W/O ABDUL RAJJAK

पता A.39/147-A-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9792523349

MIS Id. 07390651-- Property Id. 1A391782001

Latitude 25.33910730310

Longitude 83.02737158180

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/147-A-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,187.0** व सामान्य कर **351.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,000.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1000,C= 1000                   |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 27,612.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 27,612.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,037.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUBARAK ALI, TAKSIR AHMAD, SAFI

पता A.39/151-A-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390646-- Property Id. 1A391783001

Latitude 25.33912748420

Longitude 83.02756465570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/151-A-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,767.0** व सामान्य कर **414.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 600.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600, C= 600                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 480.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 16,567.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 16,567.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,822.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SHAMIM,EJAJ AHMAD( BALIGAN) BELAL AHMAD(MINOR)

पता A.39/129-2-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390345-- Property Id. 1A391785001

Latitude 25.33913403710

Longitude 83.02594551150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/129-2-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,507.0** व सामान्य कर **166.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 986.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 420,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 336.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,572.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,572.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 173.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD RAFIQ S/O SAMIULLAH

पता A.39/147-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390641-- Property Id. 1A391786002

Latitude 25.33912000490

Longitude 83.02788078920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/147-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,933.0** व सामान्य कर **213.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 735.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 540,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 432.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,022.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,022.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 222.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMILA BIBI,SHAKILA BIBI,JOHARA BIBI,NAJMA BIBI DD/O AINUL

पता A.39/152-A-K-1- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390610-- Property Id. 1A391789002

Latitude 25.33911730490

Longitude 83.02726078240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-K-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,256.0** व सामान्य कर **248.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 675.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 975,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 780.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,650.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,650.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 402.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI NISAR AHAMAD S/O MD.IBARAHIM

पता A.39/127-B-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8112686460

MIS Id. 07390493-- Property Id. 1A391790001

Latitude 25.33911538180

Longitude 83.02623555600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,930.0** व सामान्य कर **322.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,400.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 2000,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,600.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,488.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,488.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 824.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUNISSA W/O LATE AZIMUDDIN ALIAS LALLU

पता A.39/152-O Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9026267608

MIS Id. 07390630-- Property Id. 1A391792001

Latitude 25.33913132570

Longitude 83.02795302450

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-O के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,802.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 680.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 680,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 544.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,546.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,546.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 280.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANISHURREHMAN S/O NUR MOHD.MADINA BIBI W/O

पता A.39/127-B-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9307218785

MIS Id. 07390494-- Property Id. 1A391793001

Latitude 25.33912136180

Longitude 83.02632671350

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-B-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,136.0** व सामान्य कर **345.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 450.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 900,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JULEKHA BIBI W/O NASIR AHAMAD

पता A.39/127-R-J-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8887594375

MIS Id. 07390496-- Property Id. 1A391794001

Latitude 25.33912085700

Longitude 83.02646270830

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-R-J-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,346.0** व सामान्य कर **368.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,025.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1325,C= 1000             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,060.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 28,829.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 28,829.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,171.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SWALIYA BIBI W/O LATE MD.FARUKH,NIJAMUDDIN S/O LATE

पता A.39/40-A-B-X-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9795571025

MIS Id. 07390247-- Property Id. 1A391798001

Latitude 25.33916259150

Longitude 83.02518577280

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/40-A-B-X-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,948.0** व सामान्य कर **214.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 864.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 528,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 422.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,224.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,224.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 245.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JIYAUL HUSSAIN, ABDUL ANUAL HASAN, KAMALUDDIN SS/O NAKAL

पता A.39/155-N-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8423461175

MIS Id. 07390745-- Property Id. 1A391803001

Latitude 25.33915112510

Longitude 83.02714549270

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-N-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,633.0** व सामान्य कर **510.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,190.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 640, C= 450                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 512.00                             |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,437.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,437.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 1,478.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAZBUNISSA W/O MUHMAD USMAN

पता A.39/135-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390089-- Property Id. 1A391804001

Latitude 25.33918808150

Longitude 83.02422939460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/135-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,582.0** व सामान्य कर **834.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2200,C= 200                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,760.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,040.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,040.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,544.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASAN S/O TAJ MOHAMMAD

पता A.39/46-A-C-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390036-- Property Id. 1A391808002

Latitude 25.33917662250

Longitude 83.02456683730

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-A-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,399.0** व सामान्य कर **484.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,190.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1190,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 952.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,455.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,455.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 490.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MALIK

पता A.39/43-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

MIS Id. 07390181A Property Id. 1A391812001

पुराना वार्ड W066

Latitude 25.33917883280

मोबाईल नं०

Longitude 83.02478352530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/43-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **816.0** व सामान्य कर **90.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,903.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 342,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 274.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,280.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,280.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 141.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HODA S/O ALI AHAMD MARHUM JAHIRUNISSA JAUJEY NURUL

पता A.39/151-N-7 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7505899201

MIS Id. 07390447-- Property Id. 1A391813002

Latitude 25.33919398720

Longitude 83.02575119590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/151-N-7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **816.0** व सामान्य कर **90.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 600.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0                  | R= 1800,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,440.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,582.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,582.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 834.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HASAN, SHAUKAT ALI, AINUL HASAN MAKBUL HASAN SS/O

पता A.39/152-A-5-X-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6386539128

MIS Id. 07390688A Property Id. 1A391815001

Latitude 25.33916025700

Longitude 83.02779213300

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-5-X-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,340.0** व सामान्य कर **257.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 680.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1360, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,088.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,092.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 5,092.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 560.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDDIN S/O ABDUL KHALID

पता A.39/151-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390613-- Property Id. 1A391816001

Latitude 25.33915329440

Longitude 83.02694029030

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/151-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,307.0** व सामान्य कर **584.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 880.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1360,C= 400              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,088.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,639.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,639.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,610.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAZID & NURUL HASAN SS/O MOHD KASIM

पता A.39/152-A-7-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390665-- Property Id. 1A391818001

Latitude 25.33916528080

Longitude 83.02772151530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-7-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,212.0** व सामान्य कर **463.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 680.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1360,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,088.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,728.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,728.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 630.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MEHRUNISSA W/O AALAMGIR S/O ABDUL HAFIZ

पता A.39/127-R-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9696093665

MIS Id. 07390396-- Property Id. 1A391819001

Latitude 25.33920157220

Longitude 83.02594754540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-R-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,609.0** व सामान्य कर **177.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 384.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 384,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 307.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,797.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,797.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 198.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKHSANA BIBI W/O KAMALUDDIN

पता A.39/129-2-A-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9365013432

MIS Id. 07390345A Property Id. 1A391819002

Latitude 25.33920157220

Longitude 83.02594754540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/129-2-A-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,493.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,493.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 494.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASARAPH ALI,ZAMEEL AHAMAD HASIN AHAMAD FHARIDUDDIN

पता A.39/46-C Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369597290

MIS Id. 07390248-- Property Id. 1A391820001

Latitude 25.33918469420

Longitude 83.02500389480

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,440.0** व सामान्य कर **708.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,360.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2720,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,176.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,184.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,184.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,120.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.USAMAN S/O ALI HUSAIN

पता A.39/34-A-2-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8320900096

MIS Id. 07390224-- Property Id. 1A391822001

Latitude 25.33922888630

Longitude 83.02434131440

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-A-2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,933.0** व सामान्य कर **213.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 700.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,493.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,493.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 494.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL ALIM S/O ABDUL RASID

पता A.39/34-A-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9795304628

MIS Id. 07390225-- Property Id. 1A391826001

Latitude 25.33920681490

Longitude 83.02446844650

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,245.0** व सामान्य कर **467.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,025.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 550,C= 600           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 440.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 16,380.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 16,380.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,802.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSAMMI ABDUL MATIN S/O ABDUL SATTAR

पता A.39/155-2-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390648-- Property Id. 1A391827001

Latitude 25.33918276620

Longitude 83.02747141130

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-2-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,059.0** व सामान्य कर **226.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 572.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 572,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 458.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,142.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,142.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 236.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASEED S/O MD.YAKUB

पता A.39/155-N-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9696326184

MIS Id. 07390650-- Property Id. 1A391830001

Latitude 25.33918996580

Longitude 83.02734299800

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-N-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,544.0** व सामान्य कर **170.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 640.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 640,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 512.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,396.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,396.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 264.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RAHAMAN LATE HAZI AMANATULLA

पता A.39/153-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390640-- Property Id. 1A391832001

Latitude 25.33922698860

Longitude 83.02786005040

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/153-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,802.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 375.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_&lt; 120Sq.Ft Commercials |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 275,C= 100                |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 220.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,223.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,223.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 245.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHRI MUKHTAR,MUMTAZ AHMAD SS/O MANJUR AHMAD

पता A.39/46-V-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8687831069

MIS Id. 07390424-- Property Id. 1A391833001

Latitude 25.33920571770

Longitude 83.02377984050

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-V-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,488.0** व सामान्य कर **824.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,330.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_Co |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0                  | R= 2985,C= 995                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,388.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 49,205.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 49,205.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 5,413.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AZIMULLA S/O HABIBULLA, KORESA BIBI W/O IMTEYAJ AHMAD

पता A.39/34-A-3-M-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6393876784

MIS Id. 07390098-- Property Id. 1A391841001

Latitude 25.33926548910

Longitude 83.02423967570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-A-3-M-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,414.0** व सामान्य कर **156.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 459.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 918, C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 734.00                        |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,437.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,437.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 378.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANVARUL HAQ,ANSARUL

पता A.39/129-2-A-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6392118839

MIS Id. 07390349A Property Id. 1A391848001

Latitude 25.33927419850

Longitude 83.02595274160

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/129-2-A-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,820.0** व सामान्य कर **530.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 300,C= 400               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 240.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,670.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,670.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,174.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HAQ MD.YUSUF

पता A.39/129-2-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390349-- Property Id. 1A391848002

Latitude 25.33927419850

Longitude 83.02595274160

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/129-2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,933.0** व सामान्य कर **213.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,022.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 540,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 432.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,022.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 2,022.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 222.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMILUNNISA W/O LATE ANWAR AHMAD

पता A.39/155-K-Y Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305508481

MIS Id. 07390487-- Property Id. 1A391853001

Latitude 25.33925100640

Longitude 83.02707556110

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-K-Y के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,980.0** व सामान्य कर **218.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 640.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1184,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 947.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,987.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,987.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 549.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Nishar

पता A.39/127-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390351-- Property Id. 1A391855002

Latitude 25.33927819670

Longitude 83.02582105030

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,866.0** व सामान्य कर **425.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,377.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1056,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 845.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,954.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,954.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 435.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MADINA BIBI W/O ABDUL RASHEED

पता A.39/153-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7985844736

MIS Id. 07390616-- Property Id. 1A391856001

Latitude 25.33926035570

Longitude 83.02701116810

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/153-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,546.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,352.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 350,C= 350                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 280.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,664.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,664.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,063.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MEHRUNNISA W/O MAJIDULLA, AINUL HASAN, MAKBUL

पता A.39/27-KH-1-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369206510

MIS Id. 07390226B Property Id. 1A391859001

Latitude 25.33931945760

Longitude 83.02458314670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/27-KH-1-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,216.0** व सामान्य कर **134.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,000.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 800, C= 200          |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 640.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,700.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,700.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 1,287.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUNISHA W/O LATE AZIMUDDIN ALLAIS LALLU ZARINA BANO

पता A.39/152-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8601777102

MIS Id. 07390614-- Property Id. 1A391860001

Latitude 25.33926854060

Longitude 83.02692551520

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,372.0** व सामान्य कर **921.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,400.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2400,C= 400              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,920.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,533.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,533.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,039.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD DAUD MOHD MUSA ALIAS LALLU GULAM GAUS ALIAS GULABI

पता A.39/129-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390358-- Property Id. 1A391863001

Latitude 25.33930976750

Longitude 83.02605538340

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/129-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,721.0** व सामान्य कर **739.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,800.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1800,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,440.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,739.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,739.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 741.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMINUDDIN S/O HAJI HIKMAT ALI.....

पता A.39/151-U Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390623-- Property Id. 1A391864001

Latitude 25.33928058960

Longitude 83.02735439240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/151-U के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,306.0** व सामान्य कर **1,134.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,100.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 2880,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,304.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,783.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,783.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,186.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.KALIM S/O LATE MOHD.SIDDIK,MUS.RUKHSANA BEGAM W/O

पता A.39/34-A-S-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8736992874

MIS Id. 07390006B Property Id. 1A391865001

Latitude 25.33931086660

Longitude 83.02441091620

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-A-S-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,544.0** व सामान्य कर **170.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 677.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 672,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 538.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,145.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,145.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 346.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIJULLA S/O SAMIULLA

पता A.39/27-KH-1-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8922055821

MIS Id. 07390226-- Property Id. 1A391867001

Latitude 25.33931839790

Longitude 83.02448787120

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/27-KH-1-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,258.0** व सामान्य कर **468.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,600.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2400,C= 800              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,920.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 30,326.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 30,326.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,336.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASMATULLA S/O HAFIJ SHAFIULLA

पता A.39/27-KH-1- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390226A Property Id. 1A391868001

Latitude 25.33929988880

Longitude 83.02464708680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/27-KH-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,343.0** व सामान्य कर **478.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,300.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1600,C= 300              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,280.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,150.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,150.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,447.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.ASLAM

पता A.39/152-A-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390628-- Property Id. 1A391869003

Latitude 25.33929155280

Longitude 83.02787533460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,990.0** व सामान्य कर **659.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,368.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2736,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,189.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,244.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,244.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,127.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.ASLAM, MOHD.SALIM

पता A.39/46-D-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7499466072

MIS Id. 07390230-- Property Id. 1A391871001

Latitude 25.33932328270

Longitude 83.02471968680

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-D-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,394.0** व सामान्य कर **1,143.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,400.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2800, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,240.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,483.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,483.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,153.00                      |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUNISHA W/O GULAM GOS

पता A.39/129-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8318219234

MIS Id. 07390340-- Property Id. 1A391875001

Latitude 25.33938100970

Longitude 83.02524760670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/129-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,626.0** व सामान्य कर **619.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,140.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Industrial Unit      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 1140            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 27,210.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 27,210.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,993.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL GAFFAR S/O REHAMTULLAH

पता A.39/34-G-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9389289216

MIS Id. 07390077B Property Id. 1A391876001

Latitude 25.33935169780

Longitude 83.02408679190

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-G-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 852.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 640.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,744.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,744.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 412.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUNNISA W/O LATE AZIMUDDIN ALIES LALLU

पता A.39/152-A-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390621-- Property Id. 1A391877001

Latitude 25.33932249840

Longitude 83.02726157360

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,448.0** व सामान्य कर **159.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 640.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 360,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 288.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,516.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,516.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 167.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD AYUB S/O PIR MOHD

पता A.39/151-U-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390619-- Property Id. 1A391878001

Latitude 25.33932615190

Longitude 83.02719460730

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/151-U-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,896.0** व सामान्य कर **319.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 605.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 720,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 576.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,033.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,033.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 334.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IBRAHIM S/O NAZIR

पता A.39/46 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390239-- Property Id. 1A391879001

Latitude 25.33935258850

Longitude 83.02545653840

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,493.0** व सामान्य कर **604.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,175.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1175,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 940.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,499.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,499.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 605.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAIMUDDIN AJIMUDDIN PESRAN MOHD DIN

पता A.39/127-X-E-M-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8957715303

MIS Id. 07390491B Property Id. 1A391881001

Latitude 25.33935739070

Longitude 83.02641095750

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-X-E-M-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,276.0** व सामान्य कर **360.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 830.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1404,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,123.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,571.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,571.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 723.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMINUDDIN

पता A.39/127-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

MIS Id. 07390334A Property Id. 1A391887001

पुराना वार्ड W066

Latitude 25.33936643390

मोबाईल नं० 7499939823

Longitude 83.02581617280

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,900.0** व सामान्य कर **429.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 494.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 754,C= 234               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 603.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,408.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,408.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 925.00                      |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAKILA BIBI W/O VAKEEL AHAMAD

पता A.39/127-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6392421871

MIS Id. 07390353-- Property Id. 1A391887002

Latitude 25.33936643390

Longitude 83.02581617280

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,544.0** व सामान्य कर **170.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 560.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1120,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 896.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,193.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,193.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 461.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NESAR AHAMD S/O SALAMTULLAH ALAIS KALLU

पता A.39/127-A-N-9 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7668874715

MIS Id. 07390384A Property Id. 1A391887003

Latitude 25.33936643390

Longitude 83.02581617280

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-A-N-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,621.0** व सामान्य कर **288.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,222.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 720,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 576.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,696.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,696.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 297.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम OM PRAKASH S/O LATE PREM CHANDRA

पता A.39/88 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390166-- Property Id. 1A391890002

Latitude 25.33938659890

Longitude 83.02331908360

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/88 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,800.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 4550,C= 1050             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,640.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr            |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 85,945.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 85,945.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 12,892.00                   |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALAUDDIN S/O ZAMALUDDIN

पता A.39/34-K-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390108-- Property Id. 1A391890003

Latitude 25.33938659890

Longitude 83.02331908360

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-K-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **930.0** व सामान्य कर **102.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,650.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 112,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 90.00                   |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 24 Mtr Above            |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 1.40                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,016.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,016.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 112.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MO. YASEEN S/O ABDUL HASAN

पता A.39/129-2-C Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8176913236

MIS Id. 07390357-- Property Id. 1A391891001

Latitude 25.33936342150

Longitude 83.02598146330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/129-2-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,025.0** व सामान्य कर **443.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,360.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1800,C= 600              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,440.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,060.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,060.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,317.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MADAN LAL, SAGAR PRASAD SS/O PANNA LAL, HIRAVATI DEVI W/O

पता A.39/38-X-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390264B Property Id. 1A391894002

Latitude 25.33935808430

Longitude 83.02361968250

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/38-X-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **17,136.0** व सामान्य कर **1,885.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 4,800.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 4800, C= 0           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 3,840.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 22,464.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 22,464.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,471.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MALIK SOMARA DEVI W/O NAKHANU

पता A.39/155-C Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390624-- Property Id. 1A391897002

Latitude 25.33929970470

Longitude 83.02752097140

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,256.0** व सामान्य कर **248.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,807.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 624,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 499.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,336.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,336.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 257.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAHDEI DEVI W/O GHANSHYAM

पता A.39/155-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390622-- Property Id. 1A391899001

Latitude 25.33936127990

Longitude 83.02741058360

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **871.0** व सामान्य कर **96.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,560.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 240,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 192.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 899.00                  |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 899.00                  |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 99.00                   |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MADINA BIBI W/O ABDUL RASHID

पता A.39/155-A-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390626-- Property Id. 1A391900001

Latitude 25.33932421250

Longitude 83.02768255650

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-A-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,574.0** व सामान्य कर **283.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,201.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 702,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 562.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,628.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,628.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 289.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAJIYA SULTANA W/O SARFRAJ AHMAD

पता A.39/46-E-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390235-- Property Id. 1A391901001

Latitude 25.33938521050

Longitude 83.02514288070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-E-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,120.0** व सामान्य कर **343.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,200.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 1200                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 960.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 33,135.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 33,135.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,645.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN S/O HAJI MOHD DIN MARHUM

पता A.39/127-Y Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9918068238

MIS Id. 07390491F- Property Id. 1A391906001

Latitude 25.33940206470

Longitude 83.02641404520

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-Y के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,621.0** व सामान्य कर **288.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 640.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 140,C= 500                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 112.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,458.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,458.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,370.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHUSHBUNNISHA W/O NASIM AHMAD KHAN

पता A.39/34-B-M-8-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9695872299

MIS Id. 07390083-- Property Id. 1A391908001

Latitude 25.33943941750

Longitude 83.02419672830

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-B-M-8-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,262.0** व सामान्य कर **139.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 706.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1012,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 810.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,736.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,736.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 521.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NESAR AAHMD ISTEYAK AHAMD SS/O ABDUL SAKOOR MUMTAZ

पता A.39/46-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7275405249

MIS Id. 07390232-- Property Id. 1A391909001

Latitude 25.33939760740

Longitude 83.02499427050

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,847.0** व सामान्य कर **1,083.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,350.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2700,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,160.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,109.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,109.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,112.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAHIDA BIBI W/O BARKATULLA

पता A.39/127-R-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7379586588

MIS Id. 07390497-- Property Id. 1A391912001

Latitude 25.33936037700

Longitude 83.02654351720

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-R-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,028.0** व सामान्य कर **663.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,650.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3200,C= 100              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,560.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,368.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,368.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,580.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SARVARI BIBI W/O LATE ABDULLA,SAMSHUL

पता A.39/34-E-9-C-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390082-- Property Id. 1A391913001

Latitude 25.33942046550

Longitude 83.02464037570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-E-9-C-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,992.0** व सामान्य कर **769.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,900.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 1900            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 75,582.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 75,582.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 11,337.00               |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMA SHANKAR

पता A.39/152 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390620-- Property Id. 1A391915001

Latitude 25.33942236850

Longitude 83.02728045790

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,737.0** व सामान्य कर **191.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 400.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD ILIYAS S/O LATE HABIBULLAH

पता A.39/155-C-K-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6387512214

MIS Id. 07390019A Property Id. 1A391916001

Latitude 25.33941727200

Longitude 83.02718090630

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-C-K-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **960.0** व सामान्य कर **106.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 420.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 420,C= 420                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 336.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,794.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,794.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,297.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSHUDDIN S/O GHISYAVAN

पता A.39/115 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390533-- Property Id. 1A391917001

Latitude 25.33942001940

Longitude 83.02755695640

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/115 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,162.0** व सामान्य कर **1,338.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,450.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2900,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,320.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,215.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,215.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,344.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJ AHMAD S/O LATE HAJI BASHIR AHMAD

पता A.39/155-D-K-- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390481-- Property Id. 1A391920001

Latitude 25.33943536890

Longitude 83.02767982570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-D-K-- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 724.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 840,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 672.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,538.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,538.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 389.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BECHNI W/O KISHORI

पता A.39/155-D-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

MIS Id. 07390483-- Property Id. 1A391920002

पुराना वार्ड W066

Latitude 25.33943536890

मोबाईल नं०

Longitude 83.02767982570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-D-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,414.0** व सामान्य कर **156.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 721.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 380,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 304.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,423.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,423.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 157.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AZIMULLA ABDUL HAQ

पता A.39/129-2-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390356-- Property Id. 1A391926001

Latitude 25.33946124320

Longitude 83.02598783810

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/129-2-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,220.0** व सामान्य कर **354.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 575.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 880,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 704.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,295.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,295.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 362.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JUBER AHAMAD S/O MD AYUB

पता A.39/155-D-1-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9336697979

MIS Id. 07390482-- Property Id. 1A391929001

Latitude 25.33946896830

Longitude 83.02755961220

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-D-1-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,390.0** व सामान्य कर **263.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 400              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 20,966.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 20,966.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,306.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUZAMMILJ AHAMAD S/O LATE MD.MUSAQIYAM

पता A.39/129-K-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9026648300

MIS Id. 07390354-- Property Id. 1A391935001

Latitude 25.33947075980

Longitude 83.02579130810

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/129-K-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,153.0** व सामान्य कर **567.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,750.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Industrial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 625,C= 800           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 500.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,434.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,434.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,358.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHALILU RAHAMAN S/O LATE HAMID HASAN

पता A.39/155-K-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390486-- Property Id. 1A391938001

Latitude 25.33948518870

Longitude 83.02723574020

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-K-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,174.0** व सामान्य कर **239.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 707.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 528,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 422.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,224.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,224.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 245.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL AJIJ ALIAS BECHAN S/O ABDUL AJIM, MD SIKANADR, MD

पता A.39/127-R-2-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8840105759

MIS Id. 07390388-- Property Id. 1A391942001

Latitude 25.33949423860

Longitude 83.02660110160

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-R-2-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,880.0** व सामान्य कर **317.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,000.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1690, C= 310                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,352.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,726.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,726.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर (शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                        | 1,510.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAFIUREHMAN S/O MOHD HARUN & RUFAIDA BIBI W/O

पता A.39/127-S-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390491D Property Id. 1A391945001

Latitude 25.33949670400

Longitude 83.02665861610

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-S-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **960.0** व सामान्य कर **106.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 680.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0                  | R= 2040,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,632.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,638.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,638.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 840.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDHA S/O LATE SAFIULLAH

पता A.39/127-5-R-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7499333551

MIS Id. 07390379A Property Id. 1A391947001

Latitude 25.33950477190

Longitude 83.02672142310

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-5-R-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,656.0** व सामान्य कर **402.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 646.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 782,C= 510               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 626.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 15,833.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 15,833.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,742.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIR AHAMAD S/O TAJ MD.

पता A.39/46-A-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9636325254

MIS Id. 07390077-- Property Id. 1A391952001

Latitude 25.33952057840

Longitude 83.02507753440

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-A-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,556.0** व सामान्य कर **391.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0                  | R= 1600,C= 800              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 25,834.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 25,834.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,842.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ENUL HASAN ANSARI S/O LATE MOHD UMAR

पता A.39/46-A-N- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390077A Property Id. 1A391952002

Latitude 25.33952057840

Longitude 83.02507753440

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-A-N- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,483.0** व सामान्य कर **1,153.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,307.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 2808,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,246.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,513.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,513.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,156.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN HAFIZULLA REHANA BIBI W/O LATE NURUDDIN IQBAL

पता A.39/155-D-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390479-- Property Id. 1A391953001

Latitude 25.33951796560

Longitude 83.02769156240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-D-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,027.0** व सामान्य कर **223.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,125.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1375,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,100.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,792.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,792.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 637.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Shri Ikabal Ahamad

पता A.39/34-E-9-C Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390084-- Property Id. 1A391959001

Latitude 25.33957922780

Longitude 83.02450319860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-E-9-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,059.0** व सामान्य कर **226.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 600             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 23,868.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 23,868.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,625.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAJID S/O LATE ABDUL RAHAMAN

पता A.39/152-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8799301366

MIS Id. 07390490-- Property Id. 1A391960001

Latitude 25.33953746380

Longitude 83.02693873980

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,614.0** व सामान्य कर **1,168.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 1200             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 52,790.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 52,790.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 7,919.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.AQRAM S/O LATE ABDUL RASID

पता A.39/129-2-C-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9580077231

MIS Id. 07390365-- Property Id. 1A391970001

Latitude 25.33957375990

Longitude 83.02604422700

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/129-2-C-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,381.0** व सामान्य कर **482.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 525.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1050,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 840.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,423.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,423.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 487.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BARAKATULLA S/O HABIBULLA

पता A.39/129-2-C-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7668290530

MIS Id. 07390360-- Property Id. 1A391971001

Latitude 25.33957425170

Longitude 83.02613025320

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/129-2-C-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,180.0** व सामान्य कर **460.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,000.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2000,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,600.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,424.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,424.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 927.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAJIDUNISSA W/O MOHD YASIN

पता A.39/155-D-1-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390477-- Property Id. 1A391972001

Latitude 25.33958234570

Longitude 83.02777298580

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-D-1-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,048.0** व सामान्य कर **115.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 350.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 288,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 230.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,078.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,078.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 119.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AZIJ AHMED, RAFIQ AHMED, JUNAID AHMED, JIYAURRAHMAN

पता A.39/122 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8417018742

MIS Id. 07390538-- Property Id. 1A391973001

Latitude 25.33961958410

Longitude 83.02508650690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/122 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **979.0** व सामान्य कर **108.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 750.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 750, C= 750                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 600.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,060.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,060.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,317.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IKABAAL AHAMAD,S/O NIJAMUDDIN

पता A.39/34-E-L Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390075-- Property Id. 1A391973002

Latitude 25.33961958410

Longitude 83.02508650690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-E-L के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **807.0** व सामान्य कर **89.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 666.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 176,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 141.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 824.00                       |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 824.00                       |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 91.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAHIDA BIBI

पता A.39/127-A-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390364-- Property Id. 1A391975002

Latitude 25.33957924690

Longitude 83.02623340610

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-A-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,497.0** व सामान्य कर **825.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1800,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,440.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,582.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,582.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 834.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN S/O HAFIJULLA, REHANA BIBI W/O LATE

पता A.39/155-G-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390476-- Property Id. 1A391977001

Latitude 25.33958424470

Longitude 83.02769486480

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-G-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,335.0** व सामान्य कर **697.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार              | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 700.00                               |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, 2_Residential, 3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                          |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 2800, C= 0                        |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                      |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,240.00                             |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                      |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                                 |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                      |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,104.00                            |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                      |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,104.00                            |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,441.00                             |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                  |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD SAJID BALIG S/O MOHD SAKIR MOHD WAJID MINOR PESAR

पता A.39/127-2-C-B-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6393313910

MIS Id. 07390029-- Property Id. 1A391980001

Latitude 25.33959736900

Longitude 83.02663457920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-2-C-B-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 500             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 19,890.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 19,890.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,188.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.NARGIS W/O RAHAT ALI

पता A.39/46-M-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390035A Property Id. 1A391986002

Latitude 25.33965388710

Longitude 83.02412070690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-M-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 461.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 504,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 403.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,359.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,359.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 259.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI PANCHAM S/O JAWAHIR LAL

पता A.39/153-N-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9889579801

MIS Id. 07390458-- Property Id. 1A391987001

Latitude 25.33959692460

Longitude 83.02725510550

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/153-N-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,110.0** व सामान्य कर **892.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,920.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,986.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,986.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 988.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMILUNNISA W/O HAZI MOHD.HARUN

पता A.39/155-A-KH-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390440-- Property Id. 1A391989001

Latitude 25.33960634600

Longitude 83.02714168240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-A-KH-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,933.0** व सामान्य कर **213.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,000.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | 1_Commercial            |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 0,C= 550             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 21,879.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 21,879.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,407.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIJAMUDDIN S/O JAHUR

पता A.39/127-N-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390386-- Property Id. 1A391990001

Latitude 25.33960220920

Longitude 83.02645663500

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-N-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,182.0** व सामान्य कर **350.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,460.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 684,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 547.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,201.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,201.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 352.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NISAR AHAMAD,KAMRUDDIN,SS/O SALAMTULLA ALLIES KALLU

पता A.39/127-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390384-- Property Id. 1A391990002

Latitude 25.33960220920

Longitude 83.02645663500

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,509.0** व सामान्य कर **166.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,457.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 336,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 269.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,572.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,572.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 173.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASGARI BEGUM W/O BARAKTULLA

पता A.39/124-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390076-- Property Id. 1A391991002

Latitude 25.33964775550

Longitude 83.02518137100

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/124-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,930.0** व सामान्य कर **212.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,344.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 418,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 334.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,956.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,956.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 215.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAHNAJ BEGAM W/O IMTEYAJ AHMAD

पता A.39/46-B-5-N-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390245G Property Id. 1A391993001

Latitude 25.33966100060

Longitude 83.02498612050

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-B-5-N-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,339.0** व सामान्य कर **147.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 572.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 572,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 458.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,677.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,677.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 294.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MEHANDI HASAN S/O SHARFUDDIN ALIAS CHHOTAK

पता A.39/46-K-E-P Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369137986

MIS Id. 07390239D Property Id. 1A391995001

Latitude 25.33967590120

Longitude 83.02508664710

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-K-E-P के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,340.0** व सामान्य कर **257.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,250.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 340,C= 170                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 272.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,649.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,649.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 621.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SHAFIK S/O LATE JALIL AHMAD

पता A.39/46-M-S-25 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8738080436

MIS Id. 07390030-- Property Id. 1A391995002

Latitude 25.33967590120

Longitude 83.02508664710

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-M-S-25 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,848.0** व सामान्य कर **313.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 750.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 750,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 600.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,159.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,159.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 347.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SRI ZAMIL AHAMAD SHAQIL AHAMAD SS/O MD.IQARAM

पता A.39/155-N-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8840245379

MIS Id. 07390462-- Property Id. 1A392003001

Latitude 25.33964782630

Longitude 83.02757408620

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-N-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,727.0** व सामान्य कर **850.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,360.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2280,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,824.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,536.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,536.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 939.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TEHRUNISSA W/O YASIN

पता A.39/46-T Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9519103963

MIS Id. 07390245D Property Id. 1A392008001

Latitude 25.33971179260

Longitude 83.02471012380

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-T के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 900.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 900,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,212.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,212.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 463.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EKHLAK AHMAD ALIAS CHUNNE S/O TAUFIK AHMAD

पता A.39/46-D-2-3-N-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390228B Property Id. 1A392009001

Latitude 25.33970910520

Longitude 83.02480951720

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-D-2-3-N-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,632.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 696.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 696,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 557.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,257.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,257.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 358.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALAUDDIN S/O SAMSUDOHA

पता A.39/46-S-B-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9984482537

MIS Id. 07390009-- Property Id. 1A392012001

Latitude 25.33972594760

Longitude 83.02519400920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-S-B-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,340.0** व सामान्य कर **257.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,224.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1224,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 979.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,728.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,728.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 630.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IKLAKH AHAMAD S/O ANWARUL HIQ

पता A.39/129-2-C-B-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390363-- Property Id. 1A392013002

Latitude 25.33968718140

Longitude 83.02624971120

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/129-2-C-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,190.0** व सामान्य कर **241.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,054.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,054.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 556.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHABBO BIBI D/O MOHD.IDRIS ALIAS KALLU

पता A.39/46-S-B-15 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390001-- Property Id. 1A392014001

Latitude 25.33972210890

Longitude 83.02488014060

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-S-B-15 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,591.0** व सामान्य कर **175.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 352.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 352,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 282.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,647.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,647.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 181.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RIJVANA BIBI W/O NESAR AHMAD

पता A.39/127-S-1-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6393905189

MIS Id. 07390370-- Property Id. 1A392015001

Latitude 25.33969482480

Longitude 83.02631969210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-S-1-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,774.0** व सामान्य कर **525.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 528.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1056,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 845.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,942.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,942.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 544.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.YASIN ALIAS LALLU AHMAD S/O MOHD.SIDDIHIK

पता A.39/127-K-S-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390382A Property Id. 1A392017001

Latitude 25.33969649020

Longitude 83.02636509250

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-K-S-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,059.0** व सामान्य कर **336.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 560.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1120,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 896.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,242.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,242.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 577.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI NURUDDIN S/O HAJI

पता A.39/127-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390382-- Property Id. 1A392018001

Latitude 25.33970353860

Longitude 83.02645528190

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,306.0** व सामान्य कर **474.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 830.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1188,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 950.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,448.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,448.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 489.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMALUDDIN S/O MOHD.YUNUS

पता A.39/129-2-A-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390349B Property Id. 1A392021001

Latitude 25.33972416630

Longitude 83.02662726950

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/129-2-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **901.0** व सामान्य कर **99.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 362.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 400,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 320.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,872.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,872.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 206.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUNNISA W/O AJIJURHAMAN

पता A.39/399-M-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390051-- Property Id. 1A392024001

Latitude 25.33973616430

Longitude 83.02495049540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/399-M-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,066.0** व सामान्य कर **557.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,600.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1600,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,488.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,488.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 824.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMIM AHAMD S/O JAHIRUDDIN,VASIM AHMAD,U/G JAHIRUDDIN S/O

पता A.39/127-5-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390379-- Property Id. 1A392025002

Latitude 25.33966296890

Longitude 83.02680902580

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-5-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,212.0** व सामान्य कर **463.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,863.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 930,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 744.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,352.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,352.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 479.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAHIDUNNISA W/O MAQBOOL ALAM,MUSTAK ALI,ISTIYAQ ALI,

पता A.39/164-KH-GH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390444-- Property Id. 1A392026003

Latitude 25.33971468380

Longitude 83.02726637610

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/164-KH-GH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,276.0** व सामान्य कर **360.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,206.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 880,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 704.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,295.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,295.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 362.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKHSANA BIBI D/O NURUDDIN

पता A.39/153-A-K-2-1-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390456-- Property Id. 1A392026004

Latitude 25.33971468380

Longitude 83.02726637610

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/153-A-K-2-1-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,766.0** व सामान्य कर **304.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 756.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 756,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 605.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,830.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,830.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 311.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIMULLAH S/O HAFIJULLAH JAHIDA BIBI W/O MOHD AYUB OTHERS

पता A.39/66-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390273A Property Id. 1A392029002

Latitude 25.33977622320

Longitude 83.02487399390

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/66-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,173.0** व सामान्य कर **1,009.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,260.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2520,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,016.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,435.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,435.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,038.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAMID S/O SAHAB ALI MUS.KHAIRUNISA BIBI W/O ABDUL

पता A.39/152-A-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9044745740

MIS Id. 07390474-- Property Id. 1A392035001

Latitude 25.33972188370

Longitude 83.02769626970

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,528.0** व सामान्य कर **498.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,500.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1100,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 880.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,633.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,633.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 510.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL RASID S/O HABIB AHMED

पता A.39/165-K-KH-9 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390464-- Property Id. 1A392038001

Latitude 25.33974829980

Longitude 83.02753950750

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/165-K-KH-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,790.0** व सामान्य कर **307.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 672.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 672,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 538.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,830.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,830.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 311.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD JAMIULLAH S/O MOHD KUDRATULLAH

पता A.39/106-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390043-- Property Id. 1A392042001

Latitude 25.33979864080

Longitude 83.02473890640

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/106-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,106.0** व सामान्य कर **232.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 530.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 462,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 370.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,162.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,162.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 238.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HASIBUNISHA W/O LATE KAMRUDDIN AZIMUDDIN (MOINER) S/O

पता A.39/127-X-R- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390376A Property Id. 1A392045001

Latitude 25.33978654760

Longitude 83.02653179530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-X-R- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,118.0** व सामान्य कर **233.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 440.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 240,C= 200                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 192.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,897.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,897.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 649.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAINUL ABDIN S/O LATE WASHIRUDDIN

पता A.39/155-D-2-K-1-G Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9307896859

MIS Id. 07390437-- Property Id. 1A392047001

Latitude 25.33977446620

Longitude 83.02694160640

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-D-2-K-1-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,129.0** व सामान्य कर **1,004.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,320.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2640,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,112.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,120.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,120.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,223.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADARUDDIN S/O MOHARRAM ALI ALIAS CHHOTAK

पता A.39/46-A-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9682824040

MIS Id. 07390053-- Property Id. 1A392053001

Latitude 25.33983257150

Longitude 83.02506617290

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-A-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,088.0** व सामान्य कर **120.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,500.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 120,C= 120                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 96.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,426.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,426.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 377.00                           |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAHIMULLA S/O MD.ISMAIL

पता A.39/127-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390378-- Property Id. 1A392059001

Latitude 25.33980353980

Longitude 83.02663932040

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,333.0** व सामान्य कर **147.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,575.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1575,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,260.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,371.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,371.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 811.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI KHALILUREHMAN S/O LATE HAJI AMANATULLAH

पता A.39/336-5-A-2-A+336-5-H-10 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391007A Property Id. 1A392060003

Latitude 25.33980461620

Longitude 83.02677446720

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-A-2-A+336-5-H-10 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

4,032.0

व सामान्य कर

444.0 से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,722.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1722,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,378.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,059.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,059.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 886.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMIM AHAMAD S/O JAHIRUDDIN VASIM AHAMAD (MOINER) U/G

पता A.39/127-S-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390374-- Property Id. 1A392062001

Latitude 25.33981032540

Longitude 83.02635222340

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-S-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,013.0** व सामान्य कर **661.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,600.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,560.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,976.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,976.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,647.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.MEHRUNISA W/O SIDDHIKULLA

पता A.39/155-A-K- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305195398

MIS Id. 07390455-- Property Id. 1A392063001

Latitude 25.33980398880

Longitude 83.02722958060

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-A-K- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,050.0** व सामान्य कर **226.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 800,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,995.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,995.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 329.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSUDDIN S/O MAHFUJARRAHAMAN

पता A.39/130-A-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9451361459

MIS Id. 07390072-- Property Id. 1A392065001

Latitude 25.33985072660

Longitude 83.02516116530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/130-A-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,182.0** व सामान्य कर **350.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 550.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1100,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 880.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,148.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,148.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 566.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUNNI LAL S/O LATE SAMU ALIES SHYAM

पता A.39/151-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6388005797

MIS Id. 07390443-- Property Id. 1A392069001

Latitude 25.33982391470

Longitude 83.02713282490

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/151-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,685.0** व सामान्य कर **185.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,400.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 750,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 600.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,159.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,159.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 347.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.YAHIYA S/O HAFIZ WASHIRUDDIN

पता A.39/152-A-K-I Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390436-- Property Id. 1A392070001

Latitude 25.33984276620

Longitude 83.02690217290

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-K-I के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,775.0** व सामान्य कर **195.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 660.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 440,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 352.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,853.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,853.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 204.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIMUDDIN S/O JAINUL AABDIN

पता A.39/152-A-K-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9307896859

MIS Id. 07390436A Property Id. 1A392071001

Latitude 25.33984671830

Longitude 83.02697961790

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-K-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,273.0** व सामान्य कर **140.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 600             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 23,868.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 23,868.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,625.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BELAL AHAMAD GULJAR AHAMAD SS/O USAMAN GANI

पता A.39/151-V Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7508184711

MIS Id. 07390445-- Property Id. 1A392072001

Latitude 25.33982877280

Longitude 83.02705776370

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/151-V के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,737.0** व सामान्य कर **191.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 512.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 724,C= 300               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 579.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,209.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,209.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,123.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIMUDDIN S/O WALI MOHAMMAD

पता A.39/336-D-8-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390835A Property Id. 1A392077002

Latitude 25.33988844870

Longitude 83.02473396990

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-D-8-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,621.0** व सामान्य कर **288.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 702.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 702,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 562.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,628.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,628.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 289.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHAIRUDINSHA ZAHIRUNISHA

पता A.39/111-B-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390038-- Property Id. 1A392086001

Latitude 25.33988415250

Longitude 83.02496814980

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/111-B-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,235.0** व सामान्य कर **1,016.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,200.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Commercial Shop      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 2200            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 87,516.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 87,516.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 13,127.00               |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASHARAF ALI S/O ASAGAR ALI

पता A.39/156-B-1-M-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390453-- Property Id. 1A392087001

Latitude 25.33988150590

Longitude 83.02733744920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/156-B-1-M-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **13,501.0** व सामान्य कर **1,485.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 896.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1642,C= 150              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,314.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,652.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,652.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,502.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMAD ALI S/O SHAFIULLA

पता A.39/155-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 6394650007

MIS Id. 07390463-- Property Id. 1A392097001

Latitude 25.33990217330

Longitude 83.02761163460

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,706.0** व सामान्य कर **298.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 990.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 450,C= 990               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 360.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 41,277.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 41,277.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 4,540.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIJAMUDDIN S/O KARIMUDDIN

पता A.39/155-A- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9264942738

MIS Id. 07390471-- Property Id. 1A392102001

Latitude 25.33988123070

Longitude 83.02751911440

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-A- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,907.0** व सामान्य कर **430.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,250.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1000,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,212.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,212.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 463.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIZAMUDDIN, FAKHARUDDIN, KALIM AHMED SS/O GULAM

पता A.39/155-D-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8604265133

MIS Id. 07390472-- Property Id. 1A392104001

Latitude 25.33992795340

Longitude 83.02744145940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-D-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,123.0** व सामान्य कर **124.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 600.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential, GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800, C= 400               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 640.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,542.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 12,542.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,380.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAGINA BIBI W/O EKHLAK AHMAD

पता A.39/46-N-B-17 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9151835572

MIS Id. 07390240-- Property Id. 1A392106001

Latitude 25.33996929170

Longitude 83.02471308690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-N-B-17 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,591.0** व सामान्य कर **175.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 526.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 352,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 282.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,647.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,647.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 181.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SACHAU LAL S/O BARSATI

पता A.39/156 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390696-- Property Id. 1A392113001

Latitude 25.33994709610

Longitude 83.02734036750

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/156 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,287.0** व सामान्य कर **142.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,360.00                         |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 750,C= 750                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 600.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 20,709.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 20,709.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,278.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAMID S/O SHAFIULLA

पता A.39/153-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7668379648

MIS Id. 07390446-- Property Id. 1A392114001

Latitude 25.33993931660

Longitude 83.02707428400

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/153-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,068.0** व सामान्य कर **557.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,134.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1944,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,555.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,278.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,278.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 801.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUBARAK ALI, RAMJAN ALI, SAUKAT ALI, BALIGAN MOHD. JUBAID

पता A.39/274-M-9 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390373-- Property Id. 1A392119001

Latitude 25.33997765200

Longitude 83.02634042640

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/274-M-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,650.0** व सामान्य कर **402.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 736.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1472, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,178.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,889.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 6,889.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 758.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUAJIM,MUNNA,MAINUDDIN,SAVID MUNNWWAR SS/O IBRAHIM

पता A.39/110-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9721084463

MIS Id. 07390037-- Property Id. 1A392122001

Latitude 25.34007542230

Longitude 83.02496372280

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/110-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,427.0** व सामान्य कर **267.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,720.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,527.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,527.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 278.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MEHRUNNISA W/O AURANGAJEB

पता A.39/129-R-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7668711025

MIS Id. 07390394A Property Id. 1A392129001

Latitude 25.34000346070

Longitude 83.02659930580

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/129-R-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,030.0** व सामान्य कर **113.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 300.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 300,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 240.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,404.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,404.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 154.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MADINA BIBI W/O MOINUDDIN

पता A.39/46-M-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9889962905

MIS Id. 07390279A Property Id. 1A392131001

Latitude 25.33999896950

Longitude 83.02608667120

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-M-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,937.0** व सामान्य कर **213.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 462.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 562,C= 200               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 450.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,060.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,060.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,107.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD TABARAK S/O LATE GAYASUDDIN

पता A.39/153-A-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7310349571

MIS Id. 07390450-- Property Id. 1A392147001

Latitude 25.34001193320

Longitude 83.02734861730

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/153-A-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,443.0** व सामान्य कर **269.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 700.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 375,C= 625                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 300.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 16,498.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 16,498.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,815.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAINUL ABDIN

पता A.39/127-7 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9740725296

MIS Id. 07390368A Property Id. 1A392153001

Latitude 25.34003624720

Longitude 83.02630005300

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-7 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,995.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 480.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,2_Residential,GF_In |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 960,C= 480                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 768.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 15,051.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 15,051.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,656.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ZAIBUNISHA MAZIDUNISHA QISAMATUNISHA DD/O ATVARI

पता A.39/127-Z-X-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390398-- Property Id. 1A392155001

Latitude 25.34003701820

Longitude 83.02636308240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-Z-X-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,322.0** व सामान्य कर **145.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 500.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0                  | R= 1000,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 800.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,680.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,680.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 515.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAJDA BIBI D/O JAHID HUSSAIN  
पता A.39/38-E-5-S Saraiya  
नया वार्ड W087 Saraiya  
MIS Id. 07390264A Property Id. 1A392158001

पुराना वार्ड W066 मोबाईल नं० 9795776578  
Latitude 25.34004572230 Longitude 83.02578881210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/38-E-5-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,498.0** व सामान्य कर **165.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 360.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1080,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 864.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,044.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,044.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 445.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SOHRAB JAHAN W/O MOHD EKBAL MARHUM

पता A.39/129-C-10-S-E Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9044767916

MIS Id. 07390347B Property Id. 1A392159001

Latitude 25.34004721850

Longitude 83.02585407470

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/129-C-10-S-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,937.0** व सामान्य कर **213.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 940.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 880,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 704.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,707.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,707.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 408.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL QAUM KHAN S/O PIR MD.

पता A.39/34-A-K- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390068-- Property Id. 1A392180002

Latitude 25.34010678840

Longitude 83.02518474810

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-A-K- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **22,464.0** व सामान्य कर **2,471.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 3,000.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 2500,C= 500          |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,000.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 30,420.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 30,420.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,346.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMMAD MAJEED S/O KARIM

पता A.39/34-A-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9919447690

MIS Id. 07390055-- Property Id. 1A392181001

Latitude 25.34010770900

Longitude 83.02508282670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-A-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,416.0** व सामान्य कर **266.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 720.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 540,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 432.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,527.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,527.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 278.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHAMMADDIN S/O MOHD.YAQUB

पता A.39/156-X-M-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7408506700

MIS Id. 07390449-- Property Id. 1A392184001

Latitude 25.34007852630

Longitude 83.02735179960

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/156-X-M-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,802.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार          | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 680.00                           |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial Unit |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                      |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 680,C= 680                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                  |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 544.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                  |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                             |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                  |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,776.00                        |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                  |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,776.00                        |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,065.00                         |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                             |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SALIM,MOHD.MUSTAKIM (MINOR) SS/O MOHD.IBRAHIM

पता A.39/59-11-B-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9452324601

MIS Id. 07390296E Property Id. 1A392192002

Latitude 25.34010621810

Longitude 83.02638380430

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/59-11-B-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,182.0** व सामान्य कर **350.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 342.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 684,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 547.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,201.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,201.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 352.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NESAR AHMAD S/O HAJI NIYAMTULLAH

पता A.39/377-A-4-5-K-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391600A Property Id. 1A392200001

Latitude 25.33969858470

Longitude 83.02562775060

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-4-5-K-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,639.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 44,435.00               |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Vland )   | GF_Vacant Plot          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | Not Applicable          |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0                  | R= 0,C= 0               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.05                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 26,661.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 26,661.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,933.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.HUSAIN S/O GULAM MOHD.

पता A.39/59-A-K-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7505311347

MIS Id. 07390296B Property Id. 1A392202001

Latitude 25.34010795160

Longitude 83.02629561450

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/59-A-K-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,200.0** व सामान्य कर **242.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 400.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MATIULLA S/O KHAIRULLA

पता A.39/32-R-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390026-- Property Id. 1A392209001

Latitude 25.34012889710

Longitude 83.02464990760

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/32-R-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,861.0** व सामान्य कर **425.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 875.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 875,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 700.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,095.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,095.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 450.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL JALEEL S/O LATE HUSAINI

पता A.39/46-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9336956257

MIS Id. 07390056-- Property Id. 1A392220001

Latitude 25.34017073360

Longitude 83.02508490540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,820.0** व सामान्य कर **310.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1200,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,616.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,616.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 618.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTAK AHMAD S/O MATIULLA

पता A.39/46-J-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9696520717

MIS Id. 07390025B Property Id. 1A392221001

Latitude 25.34020386110

Longitude 83.02479516650

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-J-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,264.0** व सामान्य कर **139.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 750.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2250,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,800.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,477.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,477.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,042.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAUSHARI BEGAM W/O MOHD.ALIM

पता A.39/127-X-1-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390400C Property Id. 1A392226001

Latitude 25.34017331550

Longitude 83.02634430860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-X-1-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,591.0** व सामान्य कर **175.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 342.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 342,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 274.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,601.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,601.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 176.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS. KHAIURUNISSA & MEHRUNISSA D/O LATE AMIRULLA

पता A.39/127-KH-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9580646583

MIS Id. 07390412-- Property Id. 1A392227001

Latitude 25.34017553200

Longitude 83.02654192220

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-KH-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 500.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 750,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 600.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,510.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,510.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 386.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.VASHIR S/O LATE AMIRULLAH

पता A.39/127-X-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9935145405

MIS Id. 07390411-- Property Id. 1A392230001

Latitude 25.34017928400

Longitude 83.02640585120

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-X-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,879.0** व सामान्य कर **537.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,050.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1050,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 840.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,914.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,914.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 541.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAH SHAHID HUSAIN S/O LATE NAVAB SHAKIR ALI

पता A.39/46-6-K-S-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9336928884

MIS Id. 07390239G Property Id. 1A392236001

Latitude 25.34023007930

Longitude 83.02428331120

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-6-K-S-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,651.0** व सामान्य कर **512.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 484.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 968,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 774.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,621.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,621.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 728.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD AHMAD

पता A.39/127-R-2-M-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390413-- Property Id. 1A392239002

Latitude 25.34018905870

Longitude 83.02673189090

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-R-2-M-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,364.0** व सामान्य कर **700.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,360.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1404,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,123.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,571.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,571.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 723.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKHSANA BIBI W/OP JAWED AKHTAR ADVOCATE

पता A.39/331-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391158A Property Id. 1A392259001

Latitude 25.34021396090

Longitude 83.02685143640

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/331-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **540.0** व सामान्य कर **59.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,731.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Vland )   | GF_Vacant Plot          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | Not Applicable          |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 0                  | R= 0,C= 0               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.05                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,039.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,039.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 114.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RIYAJUDDIN S/O SULEMAN

पता A.39/46-A-S-L Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390249A Property Id. 1A392262001

Latitude 25.34024910620

Longitude 83.02497637860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-A-S-L के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,591.0** व सामान्य कर **175.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,210.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 342,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 274.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,601.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,601.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 176.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMALUDDIN ALIAS MAJNU S/O ABDUL JALIL MARHUM & JAMILA

पता A.39/46-J-M-20-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390033-- Property Id. 1A392267001

Latitude 25.34031698480

Longitude 83.02479884210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-J-M-20-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,972.0** व सामान्य कर **217.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 836.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1672,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,338.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,825.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,825.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 861.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI NURUL HAQ S/O HAJI MOHD.ISLAM

पता A.39/127-X-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390414-- Property Id. 1A392289001

Latitude 25.34030540640

Longitude 83.02631567930

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-X-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,600.0** व सामान्य कर **396.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,050.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Industrial Unit,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 350,C= 700                     |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 280.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,346.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,346.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,018.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAJID S/O ABDUL HALEEM

पता A.39/46-K-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9026654583

MIS Id. 07390424A Property Id. 1A392294001

Latitude 25.34037395980

Longitude 83.02479978380

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-K-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,182.0** व सामान्य कर **350.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 722.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1444,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,155.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,758.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,758.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 743.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUKHTAR AHMAD S/O SAFIULLAH ALIAS CHOTU

पता A.39/54-A-P-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390017-- Property Id. 1A392303001

Latitude 25.34038206500

Longitude 83.02413507540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/54-A-P-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,094.0** व सामान्य कर **230.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 801.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 462,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 370.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,162.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,162.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 238.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMILA BIBI JAUJEY ABDUL LATIPH

पता A.39/46-J-1-P-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390022-- Property Id. 1A392308001

Latitude 25.34037390600

Longitude 83.02438587720

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-J-1-P-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,609.0** व सामान्य कर **177.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 875.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 400,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 320.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,872.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,872.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 206.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IMTEYAZ AHAMD S/O ABDUL HAMID

पता A.39/127-R-23-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7499435587

MIS Id. 07390403-- Property Id. 1A392311001

Latitude 25.34038535180

Longitude 83.02592895280

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-R-23-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार         | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 725.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | 1_Industrial Unit,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                     |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 0,C= 1450                    |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                 |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                 |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                            |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                 |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 34,609.00                       |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                 |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 34,609.00                       |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 3,807.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                             |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD MAHBOOB ALAM S/O MOHD JAHUR

पता A.39/46-M-C-9 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8960984850

MIS Id. 07390035-- Property Id. 1A392312001

Latitude 25.34039682420

Longitude 83.02498893170

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-M-C-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,600.0** व सामान्य कर **176.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 903.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 384,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 307.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,617.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,617.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 178.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम PARWEJ AHAMD S/O SAMSUL HAK & JAIBUNISSA W/O PARWEJ

पता A.39/127-P-J-N-P Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8423389321

MIS Id. 07390400A Property Id. 1A392316001

Latitude 25.34040775390

Longitude 83.02601125300

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-P-J-N-P के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,200.0** व सामान्य कर **132.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 324.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 324,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 259.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,213.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,213.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 133.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAHBOOB ALI S/O SAMSUDDIN

पता A.39/32-M-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390213-- Property Id. 1A392328003

Latitude 25.34040127450

Longitude 83.02662923840

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/32-M-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,680.0** व सामान्य कर **185.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 702.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 702,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 562.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,285.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,285.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 361.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SABNAM SHOLA W/O RAIS AHAMAD

पता A.39/38-X-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8423150874

MIS Id. 07390020-- Property Id. 1A392339001

Latitude 25.34050443920

Longitude 83.02418292440

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/38-X-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,548.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 960.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 960,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 768.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,044.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,044.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 445.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD SULEMAN S/O LATE SAHABUDDIN

पता A.39/127-R-M-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390406-- Property Id. 1A392342001

Latitude 25.34050524150

Longitude 83.02608921180

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-R-M-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,386.0** व सामान्य कर **262.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 600.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 600,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 480.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,680.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,680.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 515.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL KALAM S/O ABDUL KUDDUS

पता A.39/46-K-24 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390239E Property Id. 1A392359001

Latitude 25.34052284210

Longitude 83.02535892160

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-K-24 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **936.0** व सामान्य कर **103.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 450.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_&lt; 120Sq.Ft Commercials |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 414,C= 36                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 331.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,368.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,368.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 260.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANISURHMAN S/O MD MUSLIM

पता A.39/337 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391162-- Property Id. 1A392360001

Latitude 25.33505138240

Longitude 83.02686551070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/337 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,084.0** व सामान्य कर **669.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,559.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1332,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,066.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,234.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,234.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 686.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL JABBAR S/O LATE MOHD.ISMAIL

पता A.39/335-U-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391115-- Property Id. 1A392363002

Latitude 25.33537668860

Longitude 83.02860361210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 709.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 648,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 518.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,426.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,426.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 267.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAJIDUNNISA W/O LATE

पता A.39/318-C-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390938A Property Id. 1A392364001

Latitude 25.33586675350

Longitude 83.02752113860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/318-C-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,182.0** व सामान्य कर **350.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 792.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 880,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 704.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,295.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,295.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 362.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAHIN PARWEEN W/O MOHD SERAJ KHAN MOHD ADNAN KHAN S/O

पता A.39/46-K-25 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9140862974

MIS Id. 07390118-- Property Id. 1A392365001

Latitude 25.34056422680

Longitude 83.02536606960

### नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-K-25 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,547.0** व सामान्य कर **1,050.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,050.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 2050,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,640.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,594.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,594.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,055.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAHENDRA S/O LATE DURGA YADAV

पता A.39/63-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390063-- Property Id. 1A392366001

Latitude 25.34058232830

Longitude 83.02521673550

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/63-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 593.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 502,C= 258               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 402.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,142.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,142.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,336.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                        |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD SAFIK S/O GULAM NABI

पता A.39/46-J-M-20-S-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390033A Property Id. 1A392369002

Latitude 25.34064480000

Longitude 83.02530652750

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-J-M-20-S-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,182.0** व सामान्य कर **350.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 800.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 696,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 557.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,257.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,257.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 358.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAMILA BIBI W/O AZHAR ABBAS

पता A.39/46-J-M-20-J-K-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390034B Property Id. 1A392377001

Latitude 25.34081388580

Longitude 83.02533163240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-J-M-20-J-K-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,211.0** व सामान्य कर **243.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 480.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 480,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 384.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,246.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,246.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 247.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.RAFIQ S/O ALIJAN

पता A.39/335-U-6 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9335256088

MIS Id. 07391121-- Property Id. 1A392385001

Latitude 25.33534718920

Longitude 83.02838922650

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/335-U-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,232.0** व सामान्य कर **576.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 800.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1600,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,280.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,990.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,990.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 659.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANSAR AHAMAD S/O LATE HAJI ALI HUSAIN

पता A.39/37 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9580129265

MIS Id. 07390262A Property Id. 1A392392001

Latitude 25.33828365450

Longitude 83.02462225240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/37 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,092.0** व सामान्य कर **560.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 910.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Industrial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1020,C= 800              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 816.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 22,913.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 22,913.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,520.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KASHI NATH S/O MAHAVEER PRASAD

पता A.39/73-K-9 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390182A Property Id. 1A392394001

Latitude 25.33781120150

Longitude 83.02438231220

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/73-K-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 300.00                             |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 1200,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 960.00                             |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,616.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,616.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 618.00                             |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUS.ZAHIDA BIBI W/O MAHMOOD

पता A.39/65 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390273-- Property Id. 1A392395001

Latitude 25.33791933650

Longitude 83.02471911170

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/65 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,600.0** व सामान्य कर **506.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,250.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1250,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,000.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,680.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,680.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 515.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम CHOTE LAL S/O LATE VISHVANATH

पता A.39/67-B-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390301B Property Id. 1A392399002

Latitude 25.33792382590

Longitude 83.02501451960

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/67-B-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 414.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 608,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 486.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,845.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,845.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 313.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम WAHAUDDIN S/O MOHD SIDDIK

पता A.39/273-B-1-E Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9598584347

MIS Id. 07391444-- Property Id. 1A392402001

Latitude 25.33718760000

Longitude 83.02499887690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/273-B-1-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **15,163.0** व सामान्य कर **1,668.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,200.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 4400,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 3,520.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,533.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,533.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,039.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD SAHID ADVOCATE S/O LATE SER ALI

पता A.39/271-D Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9450796032

MIS Id. 07391441A Property Id. 1A392402002

Latitude 25.33718760000

Longitude 83.02499887690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,546.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 448.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1344,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,075.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,032.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,032.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 554.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम DURGESH KUMAR JAISWAL S/O PARAM HANS SAHU

पता A.39/298-D-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391479A Property Id. 1A392404001

Latitude 25.33611445340

Longitude 83.02473880700

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/298-D-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **21,974.0** व सामान्य कर **2,417.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 520.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 280,C= 240           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 224.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 24 Mtr Above            |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 1.40                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 23,385.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 23,385.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,572.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMUDDIN,SIRAJUDDIN OTHER

पता A.39/102-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390317-- Property Id. 1A392405001

Latitude 25.33765949690

Longitude 83.02563463470

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/102-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,557.0** व सामान्य कर **391.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 340.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1020,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 816.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,819.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,819.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 420.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMUNNISHA S/O GULAM HUSAIN

पता A.39/113 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390535-- Property Id. 1A392406001

Latitude 25.33810802450

Longitude 83.02582736240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/113 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,156.0** व सामान्य कर **127.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 324.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 324,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 259.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,213.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,213.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 133.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI RAHIMULLAH S/O HOMD.KASIM ALIES CHEKHU

पता A.39/119 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9335068138

MIS Id. 07390531-- Property Id. 1A392410001

Latitude 25.33779409050

Longitude 83.02610440060

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/119 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **16,904.0** व सामान्य कर **1,859.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,550.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 4650,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,720.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 17,410.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 17,410.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,915.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDULLAH S/O ANSAR AHAMD

पता A.39/172-A+174+175 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390586-- Property Id. 1A392412002

Latitude 25.33812929040

Longitude 83.02685967530

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/172-A+174+175 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,224.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1224,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 979.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,583.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,583.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 504.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GAYASUDDIN KYAMUDDIN PESRAN MOHD KODAI

पता A.39/160 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9936351483

MIS Id. 07390677-- Property Id. 1A392413001

Latitude 25.33805330340

Longitude 83.02699155010

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/160 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,866.0** व सामान्य कर **425.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 525.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1050,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 840.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,931.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,931.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 432.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.ALIM S/O LATE AHAMAD

पता A.39/178 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390578-- Property Id. 1A392414002

Latitude 25.33793202300

Longitude 83.02671647300

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/178 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,538.0** व सामान्य कर **279.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 320.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 640,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 512.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,696.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,696.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 297.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALTAFUREHMAN S/O KHALILURRAHMAN

पता A.39/152-GH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390590-- Property Id. 1A392417001

Latitude 25.33835287210

Longitude 83.02695910260

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-GH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,451.0** व सामान्य कर **160.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 562.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 396,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 317.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,483.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,483.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 163.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.AHMAD S/O HAJI ALI AHMAD

पता A.39/164-A-1-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8887377476

MIS Id. 07390553B Property Id. 1A392418001

Latitude 25.33782748850

Longitude 83.02712513120

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/164-A-1-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,106.0** व सामान्य कर **122.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 464.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Nresd )   | GF_Industrial Unit      |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 0,C= 416             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 0.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,929.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,929.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,092.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EKHALAK AHMAD S/O HAJI GULJAR AHMAD

पता A.39/164-B-E-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390686-- Property Id. 1A392421001

Latitude 25.33785061690

Longitude 83.02722020610

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/164-B-E-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,375.0** व सामान्य कर **151.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 270.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 540,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 432.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,527.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,527.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 278.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAZI RAHAMULLA

पता A.39/162 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390679-- Property Id. 1A392423001

Latitude 25.33792523290

Longitude 83.02701488140

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/162 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,017.0** व सामान्य कर **552.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,475.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1350,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,080.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,054.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,054.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 556.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HABIBULLA S/O HAFIZ AND OTHERS

पता A.39/198-A-3-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390797A Property Id. 1A392425001

Latitude 25.33731993210

Longitude 83.02800434810

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/198-A-3-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,242.0** व सामान्य कर **577.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 826.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1404,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,123.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,257.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,257.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 578.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKHSANA BIBI JAUJEY AJIJ AKAHTAR & MADINA BIBI WASIM

पता A.39/166-X-1-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390760A Property Id. 1A392426001

Latitude 25.33790893220

Longitude 83.02788950180

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/166-X-1-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,471.0** व सामान्य कर **272.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 300.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 900,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 720.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,370.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,370.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 371.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KATHIT MALIK JALALUDDIN SIRAJUDDIN EKARAMUDDIN, OTHER

पता A.39/271-2-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391456-- Property Id. 1A392431001

Latitude 25.33683620960

Longitude 83.02524854670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-2-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,184.0** व सामान्य कर **460.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,120.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2800,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,240.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 10,483.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 10,483.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,153.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAHIRUDDIN S/O SIDDIK

पता A.39/257-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391212-- Property Id. 1A392433001

Latitude 25.33601869490

Longitude 83.02617489260

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/257-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,867.0** व सामान्य कर **535.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 440.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1320,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,056.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,942.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,942.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 544.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTAKIM S/O LATE ABDUL HAQ

पता A.39/304-A-1-A-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8934957065

MIS Id. 07391211B Property Id. 1A392435001

Latitude 25.33596800340

Longitude 83.02613781920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-A-1-A-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **409.0** व सामान्य कर **45.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 348.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 96,C= 0              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 77.00                   |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 449.00                  |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 449.00                  |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 49.00                   |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMARUDDIN,NASARUDDIN,RAMSUDDIN SS/O LATE ABDUL HAMID

पता A.39/215-A-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7081310527

MIS Id. 07390911-- Property Id. 1A392437001

Latitude 25.33628997070

Longitude 83.02697778270

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-A-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,118.0** व सामान्य कर **453.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 756.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1344,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,075.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,032.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,032.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 554.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.RAFIQ MD.ISAMAIL

पता A.39/336-B-13-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391028-- Property Id. 1A392440001

Latitude 25.33597436700

Longitude 83.02787957040

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-13-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,404.0** व सामान्य कर **484.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,250.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2500,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,000.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,360.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,360.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,030.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BELAL AHMAD S/O LATE JALALUDDIN

पता A.39/377-O-4-E Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391034E Property Id. 1A392444001

Latitude 25.33583733140

Longitude 83.02813608560

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-O-4-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,843.0** व सामान्य कर **313.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 308.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 308,C= 308               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 246.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,693.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,693.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,506.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHALILURHMAN S/O LAATE ABDUL AZIZ

पता A.39/336-B-8 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390849-- Property Id. 1A392446003

Latitude 25.33646054610

Longitude 83.02805952030

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,287.0** व सामान्य कर **142.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 180.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 360,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 288.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,348.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,348.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 148.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTFA S/O LATE HAZI MOINUDDIN

पता A.39/336-D-8-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7651930722

MIS Id. 07390830-- Property Id. 1A392447001

Latitude 25.33681697380

Longitude 83.02810624610

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-D-8-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,153.0** व सामान्य कर **567.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,008.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | GF_Commercial           |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 588,C= 420           |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 470.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,909.00               |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,909.00               |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,080.00                |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAHIR AHAMAD,VASIR AHAMAD,NASIR AHAMAD,JALIL AKTAR

पता A.39/336-B-24-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391014-- Property Id. 1A392452001

Latitude 25.33627610960

Longitude 83.02876646830

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-24-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,802.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 912.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 912,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 730.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,415.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,415.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 376.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD YASIN S/O SAKIR ALI

पता A.39/46-B-Y Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390245A Property Id. 1A390043004

Latitude 25.33337934690

Longitude 83.02761879650

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-B-Y के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 240.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 480,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 384.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,246.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,246.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 247.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम UJRA KHATOON W/O LATE HASIN AHMAD,AAMIR,SUHAIL,NASRIN

पता A.39/46-C-U Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390248B Property Id. 1A390052002

Latitude 25.33351902710

Longitude 83.02766687960

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-C-U के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,995.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 460.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 920,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 736.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,444.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,444.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 379.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AKHTAR ALI HAIDAR ALI SS/O ASRAF ALI MARHUM,SHAYRA

पता A.39/381-A-A-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391575A Property Id. 1A390060002

Latitude 25.33360133010

Longitude 83.02658994320

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/381-A-A-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,049.0** व सामान्य कर **665.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,512.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1512,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,210.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,076.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,076.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 778.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.ISMAIL,SONU SS/O AINUL HAQ

पता A.39/381-A-A-H-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391575B Property Id. 1A390061002

Latitude 25.33363530830

Longitude 83.02694650670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/381-A-A-H-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,918.0** व सामान्य कर **211.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 391.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 480,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 384.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,246.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,246.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 247.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANSAR AHAMD S/O KHALIL AHAMAD

पता A.39/46-A-S-B-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390100A Property Id. 1A390066003

Latitude 25.33364242110

Longitude 83.02726654160

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-A-S-B-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 352.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 704,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 563.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,295.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,295.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 362.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JARINA BEGAM W/O MANSOOR AHMAD

पता A.39/377-S-A-J-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391562-- Property Id. 1A390067002

Latitude 25.33369469010

Longitude 83.02655182160

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-S-A-J-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,562.0** व सामान्य कर **282.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 638.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 638,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 510.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,986.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,986.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 328.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SARFRAJ AHMAD S/O ABDUL JABBAR

पता A.39/377-S-A-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391559-- Property Id. 1A390080002

Latitude 25.33373731640

Longitude 83.02658859320

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-S-A-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 460.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 460,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 368.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,153.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,153.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 237.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.HARUN S/O MAKBUL AALAM

पता A.39/377-O-7-KH-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391742A Property Id. 1A390086003

Latitude 25.33382324080

Longitude 83.02672083110

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-O-7-KH-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,895.0** व सामान्य कर **208.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 520.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 520,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 416.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,190.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,190.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 241.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ATIKURRAHMAN S/O SHAHRUDDIN

पता A.39/377-O-6-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391598B Property Id. 1A390097002

Latitude 25.33382046090

Longitude 83.02661282110

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-O-6-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,592.0** व सामान्य कर **395.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 884.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 884,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 707.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,137.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,137.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 455.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT AMRUNISSA W/O AFTAB ALAM

पता A.39/377-N-X-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391554A Property Id. 1A390114003

Latitude 25.33393059640

Longitude 83.02632306760

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-X-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,966.0** व सामान्य कर **216.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 638.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 638,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 510.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,986.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,986.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 328.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAKHDU S/O SHUKULLA

पता A.39/377-N-5-K-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391584C Property Id. 1A390116002

Latitude 25.33393782760

Longitude 83.02637098920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-5-K-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,895.0** व सामान्य कर **208.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 391.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 528,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 422.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,224.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,224.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 245.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHABNAM W/O TANVIR AHMAD ALIAS BABALU

पता A.39/377-N-1-A-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391589A Property Id. 1A390124002

Latitude 25.33394373800

Longitude 83.02646091290

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-1-A-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,152.0** व सामान्य कर **237.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 276.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 552,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 442.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,583.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,583.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 284.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUMTAJ AHMAD S/O LATE ABDULLA

पता A.39/377-N-1-A-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391543B Property Id. 1A390125003

Latitude 25.33394869250

Longitude 83.02651263860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-1-A-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,340.0** व सामान्य कर **257.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 594.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 594,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 475.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,780.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,780.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 306.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHABANAM KHATUN W/O MAHABOOB ALAM ALIES AZEEM

पता A.39/377-N-K-1-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391534A Property Id. 1A390130003

Latitude 25.33395626260

Longitude 83.02657923080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-K-1-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,012.0** व सामान्य कर **221.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 500.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 500,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 400.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,340.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,340.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 257.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BEBINAZ PARVIN W/O MAHAMOOD ALAM ALIES GUDDU

पता A.39/377-N-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391534-- Property Id. 1A390132002

Latitude 25.33396224840

Longitude 83.02663656690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 696.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 696,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 557.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,257.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,257.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 358.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAFIK S/O SHUKURULLAH

पता A.39/377-N-5-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391584A Property Id. 1A390135004

Latitude 25.33397026760

Longitude 83.02669675590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-5-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,527.0** व सामान्य कर **278.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 352.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 704,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 563.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,965.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,965.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 326.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EJAJ AHMAD S/O LATE ABDULLA

पता A.39/377-N-1-A-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391543A Property Id. 1A390137003

Latitude 25.33397323740

Longitude 83.02674661700

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-1-A-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,020.0** व सामान्य कर **772.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 594.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1782,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,426.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,340.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,340.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 917.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSTAQ AHAMAD, MOHD ILIYAS, WAKEEL AHAMAD SS/O LT. RAJA

पता A.39/377-N+39/377-A-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391342A Property Id. 1A390139004

Latitude 25.33397978800

Longitude 83.02681925330

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N+39/377-A-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 920.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 704,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 563.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,295.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,295.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 362.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJRA BIBI W/O MAINUDDIN

पता A.39/40-A-B-X-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390247A Property Id. 1A390140002

Latitude 25.33401954020

Longitude 83.02519005900

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/40-A-B-X-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,071.0** व सामान्य कर **338.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 768.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 768,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 614.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,594.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,594.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 395.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MURSLIN MOHAMMAD HAKIM,MD.WASIM SS/O MD.EDRIS

पता A.39/46-B-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390228A Property Id. 1A390145002

Latitude 25.33398513750

Longitude 83.02738537820

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-B-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,546.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 792.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 792,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 634.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,965.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,965.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 326.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MERAJUDDIN S/O MOH.FARUK

पता A.39/377-E-5-A-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391695A Property Id. 1A390166002

Latitude 25.33407971630

Longitude 83.02673953290

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-E-5-A-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,948.0** व सामान्य कर **324.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 744.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 744,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 595.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,482.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,482.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 383.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMALUDDIN S/O IKBAL AHMAD

पता A.39/46-A-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390105-- Property Id. 1A390181002

Latitude 25.33411349050

Longitude 83.02600234070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,480.0** व सामान्य कर **823.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,558.00                    |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2916,C= 200              |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,333.00                    |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 18,874.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 18,874.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,076.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUDDIN S/O ISMAIL

पता A.39/46-A-C-K-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390231A Property Id. 1A390187002

Latitude 25.33413522750

Longitude 83.02607971770

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-A-C-K-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,276.0** व सामान्य कर **360.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,150.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 806,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 645.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,772.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,772.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 415.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AINUL HAQ S/O FAIJUL RAHMAN

पता A.39/377-F-1-B-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391746A Property Id. 1A390189002

Latitude 25.33413636440

Longitude 83.02673202290

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-F-1-B-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,450.0** व सामान्य कर **160.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 368.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 368,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 294.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,722.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,722.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 189.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL LATIF S/O FATEH MOHHAMD

पता A.39/41-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390262C Property Id. 1A390190002

Latitude 25.33413926000

Longitude 83.02561436260

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/41-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,498.0** व सामान्य कर **165.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 240.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 480,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 384.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,797.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,797.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 198.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAJMA BIBI W/O ABDUL JABBAR

पता A.39/377-G-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391648A Property Id. 1A390197002

Latitude 25.33417760320

Longitude 83.02672549670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-G-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **796.0** व सामान्य कर **88.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 200.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 200,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 160.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 936.00                  |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 936.00                  |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 103.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAB BANO W/O RIYAJ AHMAD, AKHTARI BIBI W/O RIYAJUDDIN

पता A.39/377-F-1-A-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391747A Property Id. 1A390210002

Latitude 25.33420476420

Longitude 83.02672475630

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-F-1-A-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,369.0** व सामान्य कर **261.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 594.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 594, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 475.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,780.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,780.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 306.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SITABUL JAUJEY BASHIR

पता A.39/377-C-7-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391552-- Property Id. 1A390214002

Latitude 25.33416296080

Longitude 83.02700082390

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-C-7-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,546.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 792.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 792,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 634.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,965.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,965.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 326.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SHOAB KHAN S/O IRFANULLA KHAN

पता A.39/34-C-3-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390229-- Property Id. 1A390224003

Latitude 25.33417492240

Longitude 83.02710223280

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-C-3-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,124.0** व सामान्य कर **344.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 768.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 768,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 614.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,594.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,594.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 395.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EJAJ AHMAD S/O LATE ABDULLA

पता A.39/377-E-5-A-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391639A Property Id. 1A390230002

Latitude 25.33420762380

Longitude 83.02681594260

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-E-5-A-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,680.0** व सामान्य कर **515.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 594.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1188,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 950.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,560.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,560.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 612.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAIYAD NAJRE AALAM S/O LATE FATAH HUSAIN

पता A.39/377-A-5-1-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391595A Property Id. 1A390232002

Latitude 25.33421380150

Longitude 83.02763959950

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-5-1-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,194.0** व सामान्य कर **351.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 792.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 792,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 634.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,707.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,707.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 408.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAIDUL HAQ,HAMIDUL HASAN,SAIDURRAHMAN SS/O HAJI

पता A.39/377-B-2-A-8 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391692B Property Id. 1A390236002

Latitude 25.33418713600

Longitude 83.02725451840

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-B-2-A-8 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,182.0** व सामान्य कर **350.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 782.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 792,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 634.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,707.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,707.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 408.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AAMNA BIBI W/O JULAM JILANI ALIAS BUDHDU

पता A.39/46-A-B- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390057-- Property Id. 1A390257003

Latitude 25.33430086060

Longitude 83.02605316850

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-A-B- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 594.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 594,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 475.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,224.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,224.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 245.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.HAKIM S/O ABDUL ALIM

पता A.39/377-D-5-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391652A Property Id. 1A390259002

Latitude 25.33427899600

Longitude 83.02686667630

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-D-5-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

1,123.0

व सामान्य कर

124.0 से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 276.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 276,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 221.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,292.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,292.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 142.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD ISMAIL S/O MOHD IDRIS

पता A.39/46-A-R-E-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390459-- Property Id. 1A390263003

Latitude 25.33431592740

Longitude 83.02610167760

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-A-R-E-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 575.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 460,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 368.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,153.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,153.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 237.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JYBER AHAMD S/O LATE AMIRULLAH & SUHAIL AHAMD BELAL

पता A.39/339-B-3-U-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391769A Property Id. 1A390274002

Latitude 25.33434216230

Longitude 83.02753027880

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-3-U-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,182.0** व सामान्य कर **350.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 400.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 800,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 640.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,744.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,744.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 412.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HABIB AHAMAD S/O TAJ MOHAMAD

पता A.39/46-A-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390252-- Property Id. 1A390276002

Latitude 25.33434975950

Longitude 83.02605637080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-A-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,819.0** व सामान्य कर **420.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,104.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1188,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 950.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,448.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,448.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 489.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAFISA BEFGUM W/O JAMEEL AHAMAD

पता A.39/339-B-2-X-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391155B Property Id. 1A390283002

Latitude 25.33435429360

Longitude 83.02762975480

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-2-X-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,212.0** व सामान्य कर **463.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 2,043.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1152,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 922.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,852.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,852.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 534.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAHJADI BEGAM W/O AINUL HASAN ALIAS MUNNA

पता A.39/377-N-X-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391554B Property Id. 1A390285006

Latitude 25.33434760280

Longitude 83.02621025380

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-N-X-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,404.0** व सामान्य कर **154.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 180.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 360,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 288.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,685.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,685.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 185.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SANNO BEGUM S/O LATE AJIM & JAWED ALI S/O ALTAF

पता A.39/377-L-1- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391662A Property Id. 1A390287002

Latitude 25.33437882280

Longitude 83.02656493200

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-L-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 696.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1392,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,114.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,515.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,515.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 717.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASRIN BEGAM W/O JANAB BELAL AHMAD

पता A.39/377-B-1-A-S-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391765A Property Id. 1A390289002

Latitude 25.33437066520

Longitude 83.02708088100

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-B-1-A-S-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **936.0** व सामान्य कर **103.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 240.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 240,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 192.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,123.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,123.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 124.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.([nagarnigamvns@gmail.com](mailto:nagarnigamvns@gmail.com))

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAFRUL HASAN S/O HAJI SAMIULLA

पता A.39/339-B-K-1-L Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391459E Property Id. 1A390298002

Latitude 25.33437792310

Longitude 83.02771608740

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-K-1-L के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,482.0** व सामान्य कर **823.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 616.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1848,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,478.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,649.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,649.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 951.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAFI UDDIN S/O LATE JALALUDDIN

पता A.39/377-O-4-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391034B Property Id. 1A390302005

Latitude 25.33440903260

Longitude 83.02618180500

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-O-4-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,404.0** व सामान्य कर **264.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 300.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 600, C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 480.00                        |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,808.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,808.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 309.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SALIM ANSARI S/O MUNSHI

पता A.39/34-10-2-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390257A Property Id. 1A390319003

Latitude 25.33449143350

Longitude 83.02706589440

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-10-2-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,680.0** व सामान्य कर **515.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 782.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1188,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 950.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,560.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,560.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 612.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAHBOO ALI S/O GULAM WARIS & FATMA BIBI W/O MAHBOOL ALI

पता A.39/34-A-1-M-F Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390220A Property Id. 1A390328003

Latitude 25.33453225030

Longitude 83.02706360170

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/34-A-1-M-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,469.0** व सामान्य कर **272.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 616.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 616,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 493.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,883.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,883.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 317.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUMTAJ BEGAM W/O MOHD.ILIYAS

पता A.39/339-B-K-1-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391459D Property Id. 1A390333002

Latitude 25.33452800360

Longitude 83.02733014430

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-K-1-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,300.0** व सामान्य कर **253.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 400.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 400,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 320.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr        |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,736.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,736.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 301.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUMTAJ S/O SIDDIQUI

पता A.39/377-O-7-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391598C Property Id. 1A390337002

Latitude 25.33452724300

Longitude 83.02610536830

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-O-7-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,123.0** व सामान्य कर **124.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 782.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 352,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 282.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,318.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,318.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 145.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.AKHRARUNNISA W/O SHAMSUL HAQ

पता A.39/377-O-5-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391601A Property Id. 1A390344003

Latitude 25.33457077800

Longitude 83.02617452070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-O-5-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,424.0** व सामान्य कर **927.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,050.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2100,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,680.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,845.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,845.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 973.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम muhammad mustkim pesar abdul haleem

पता A.39/377-A-23-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391539A Property Id. 1A390346002

Latitude 25.33458943450

Longitude 83.02709308910

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/377-A-23-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,498.0** व सामान्य कर **165.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 460.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 460,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 368.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,722.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,722.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 189.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KARIMUDDIN,MOINUDDIN,SHARFUDDIN,SHAMSUDDIN,AJRUDDIN,JIY

पता A.39/376-KH-1-Y Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391617-- Property Id. 1A390347002

Latitude 25.33459431690

Longitude 83.02718695940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/376-KH-1-Y के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **21,060.0** व सामान्य कर **2,317.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 4,945.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 5184,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 4,147.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 24,261.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 24,261.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,669.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMSUNNISA W/O JALALUDDIN

पता A.39/339-B-X-1-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391743A Property Id. 1A390361002

Latitude 25.33464082350

Longitude 83.02789917600

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/339-B-X-1-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,638.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 416.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 416,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 333.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,947.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,947.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 214.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.IKRAM S/O LATE SAMSUDOKHA, SHAHABUDIN S/O SITARA BIBI

पता A.39/309-E-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391390B Property Id. 1A390395003

Latitude 25.33483777490

Longitude 83.02661039650

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/309-E-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,404.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1404,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,123.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,257.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,257.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 578.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BECHU S/O HAJI RAJJAB ALI & MARIUM BIBI W/O MOHD SAKOOR

पता A.39/318-A-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391062A Property Id. 1A390400002

Latitude 25.33484692320

Longitude 83.02707489690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/318-A-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,564.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1782,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,426.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,672.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,672.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 734.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASRUDDIN S/O MAINUDDIN

पता A.39/318-B-1-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391071A Property Id. 1A390402002

Latitude 25.33484723180

Longitude 83.02734869870

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/318-B-1-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,574.0** व सामान्य कर **283.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 324.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 648,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 518.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,033.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,033.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 334.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANWARUL HAK NURULHAK

पता A.39/318-B-1-K- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391071B Property Id. 1A390404003

Latitude 25.33484689220

Longitude 83.02714141960

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/318-B-1-K- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 594.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 594,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 475.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,224.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,224.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 245.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAKILA BIBI W/O MOHD.AHMAD,MOHD.ALI,MOHD.SUHAIL SS/O

पता A.39/318-B-1-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391066A Property Id. 1A390416003

Latitude 25.33487035390

Longitude 83.02740448930

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/318-B-1-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,031.0** व सामान्य कर **223.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 532.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 624,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 499.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,336.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,336.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 257.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAMIDUN BIBI W/O LATE KAMRUDDIN & MASREY KAIN LATE

पता A.39/309-E-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391390A Property Id. 1A390418002

Latitude 25.33491356740

Longitude 83.02668194210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/309-E-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 696.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1392,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,114.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,212.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,212.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 573.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TAHIRA BIBI W/O ABDUL RASEED

पता A.39/304-14-15-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391259C Property Id. 1A390436004

Latitude 25.33494336520

Longitude 83.02556508920

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-14-15-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **861.0** व सामान्य कर **95.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 403.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 280,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 224.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,048.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,048.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 115.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HALIMA BIBI W/O JAHIR AHMAD

पता A.39/318-B-2-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391089A Property Id. 1A390452002

Latitude 25.33503029770

Longitude 83.02725220550

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/318-B-2-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

1,521.0

व सामान्य कर

167.0 से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 384.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 384,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 307.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,797.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,797.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 198.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BAHIDURRAHMAN S/O LATE SUBHAHAN

पता A.39/305-B-D Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391612C Property Id. 1A390462002

Latitude 25.33506734490

Longitude 83.02606981550

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/305-B-D के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,340.0** व सामान्य कर **257.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 388.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 576,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 461.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,696.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,696.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 297.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAFIJA AHAMD NIJAMUDDIN MUKHTAR AHAMD JAMIL

पता A.39/318-C-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390938B Property Id. 1A390464002

Latitude 25.33510565440

Longitude 83.02724246860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/318-C-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,310.0** व सामान्य कर **144.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 416.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 416,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 333.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,558.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,558.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 171.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL SALAM ABDUL KALAM SS/O LATE MOHD RAFIQ

पता A.39/304-11-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391223A Property Id. 1A390475003

Latitude 25.33517897740

Longitude 83.02548508590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-11-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,148.0** व सामान्य कर **566.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,292.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1292,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,034.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,047.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 6,047.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 665.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMIBIYA BIBI W/O MUMTAJ, JAMILA BIBI W/O MOHD. ASLAM

पता A.39/307-1-A-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391352A Property Id. 1A390476002

Latitude 25.33516915440

Longitude 83.02635283900

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/307-1-A-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,805.0** व सामान्य कर **529.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 832.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 832, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 666.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr        |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,691.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,691.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 626.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम IQBAL AHAMD S/O LATE HASIN AHAMAD

पता A.39/304-1-2-X-E Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391185D Property Id. 1A390498002

Latitude 25.33523854580

Longitude 83.02549128970

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-1-2-X-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,170.0** व सामान्य कर **129.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 288.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 288,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 230.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,348.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,348.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 148.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MALIK

पता A.39/308-F-3-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391409A Property Id. 1A390507002

Latitude 25.33529251520

Longitude 83.02684749350

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/308-F-3-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,340.0** व सामान्य कर **257.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,380.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 576,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 461.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,696.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,696.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 297.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAIYAJUDDIN S/O LATE BADRUDDIN

पता A.39/307-A-5-F Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391405A Property Id. 1A390513002

Latitude 25.33532379870

Longitude 83.02650028250

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/307-A-5-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 487.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 704,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 563.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,295.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,295.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 362.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JIYAUL ISLAM ALIAS FULANU S/O LATE SAFIURRAHMAN

पता A.39/304-A-1-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391211C Property Id. 1A390541002

Latitude 25.33539610980

Longitude 83.02640701930

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-A-1-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,088.0** व सामान्य कर **120.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 140.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 280,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 224.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,310.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 1,310.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 144.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHAIRUNISSA

पता A.39/304-10-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391219A Property Id. 1A390543002

Latitude 25.33540232900

Longitude 83.02541013860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-10-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,404.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1404,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,123.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,257.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,257.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 578.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAHAN AJIJ W/O NEYAJ AHMAD D/O AJIJURRAHMAN

पता A.39/308-E-1-P-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390070A Property Id. 1A390549002

Latitude 25.33544253830

Longitude 83.02672514620

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/308-E-1-P-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,323.0** व सामान्य कर **366.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 348.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1044,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 835.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,909.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,909.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 430.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VAKIL AHMAD,IMTEYAJ AHMAD,SHAKIL AHMAD,EKHLAK

पता A.39/302-F-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391517A Property Id. 1A390596002

Latitude 25.33556396270

Longitude 83.02562605880

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/302-F-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **655.0** व सामान्य कर **72.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 88.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 176,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 141.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 824.00                       |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 824.00                       |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 91.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKSANA W/O MOHD.FARUK

पता A.39/304-A-1-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391269A Property Id. 1A390602002

Latitude 25.33559646930

Longitude 83.02633932710

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/304-A-1-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,591.0** व सामान्य कर **175.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 400.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 400,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 320.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,872.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,872.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 206.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम YASMIN BANO W/O SHAMIM KHAN

पता A.39/300-B-Y Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391503F- Property Id. 1A390609002

Latitude 25.33559262430

Longitude 83.02550780940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/300-B-Y के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,801.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 500.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 500,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 400.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,106.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,106.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 232.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASRIN BANO W/O SARFARAJ AHMAD

पता A.39/300-B-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391503G Property Id. 1A390643002

Latitude 25.33569226470

Longitude 83.02552813000

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/300-B-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,801.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 500.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 500,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 400.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,106.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,106.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 232.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AMINUDDIN S/O LATE JUMMAN

पता A.39/127-X-E-J-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390410-- Property Id. 1A390705002

Latitude 25.33582096590

Longitude 83.02721980390

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-X-E-J-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,065.0** व सामान्य कर **117.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 264.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 264,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 211.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,236.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,236.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 136.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAGIR AHMAMD S/O LATE MOHD HUSSAIN

पता A.39/271-C-3-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391413A Property Id. 1A390746002

Latitude 25.33595252390

Longitude 83.02631429660

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-C-3-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,638.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 403.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 416,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 333.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,947.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,947.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 214.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIJAMUDDIN S/O RAFIULLA

पता A.39/132-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390541A Property Id. 1A390775002

Latitude 25.33600427280

Longitude 83.02718127630

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/132-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,299.0** व सामान्य कर **363.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 570.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 832,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 666.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,894.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,894.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 428.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAIJUDDIN S/O ABDUL RASHID

पता A.39/152-A-3-X-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390638C Property Id. 1A390785002

Latitude 25.33599733920

Longitude 83.02808743350

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-3-X-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,796.0** व सामान्य कर **198.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 230.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 460,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 368.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,153.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,153.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 237.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUSMT KHAIRUNSSA W/O BADRUDDIN ABDUL SALAM EKHLAK

पता A.39/271-B-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391449A Property Id. 1A390788002

Latitude 25.33605147310

Longitude 83.02631208410

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/271-B-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,564.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1768,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,414.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,619.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,619.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 728.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJRA BIBI W/O ABDUL ZABBAR, ABDUL KALAM, MINNER ASIF JAMAL

पता A.39/336-B-11-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390943-- Property Id. 1A390796002

Latitude 25.33603006200

Longitude 83.02732228900

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-11-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार             | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 460.00                              |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, 2_Residential, GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                         |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1254, C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                     |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,003.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                     |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                                |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                     |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,695.00                            |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                     |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 4,695.00                            |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 516.00                              |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MASIUZZAMA S/O HABIB ASHRAF

पता A.39/155-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390744A Property Id. 1A390809003

Latitude 25.33605424260

Longitude 83.02873951120

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,488.0** व सामान्य कर **824.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,152.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2304,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,843.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,626.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,626.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 949.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RUKHSANA BIBI D/O HAJI NURUDDIN

पता A.39/130-A-5-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390500A Property Id. 1A390818003

Latitude 25.33609100800

Longitude 83.02718505520

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/130-A-5-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 781.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 920,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 736.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,306.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,306.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 474.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAHABUDDIN

पता A.39/155-N-1-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390698B Property Id. 1A390819002

Latitude 25.33608321270

Longitude 83.02856569480

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-N-1-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,296.0** व सामान्य कर **1,133.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,292.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2584,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 2,067.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,093.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,093.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,330.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SADIA BIBI W/O MUSTAK HUSAIN

पता A.39/130-G-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390341A Property Id. 1A390820003

Latitude 25.33606159830

Longitude 83.02740784380

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/130-G-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,650.0** व सामान्य कर **402.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 725.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 928,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 742.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,343.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,343.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 478.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRUNISSA W/O LATE MOINUDDIN

पता A.39/155-D-1-K-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390479A Property Id. 1A390823002

Latitude 25.33610522860

Longitude 83.02869218820

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-D-1-K-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 696.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1392,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,114.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,212.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,212.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 573.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASRIN BANO W/O SARAFRAJ AHMAD

पता A.39/300-B-1-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391503D Property Id. 1A390824002

Latitude 25.33614036650

Longitude 83.02571253560

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/300-B-1-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,405.0** व सामान्य कर **375.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 432.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 864,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 691.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,044.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,044.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 445.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD IBRAHIM

पता A.39/127-X-1- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390411A Property Id. 1A390851003

Latitude 25.33620555610

Longitude 83.02700990010

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-X-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **12,355.0** व सामान्य कर **1,359.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,920.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3840,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,072.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,377.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,377.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,581.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAJRA BIBI D/O LATE HAFIJURRAHMAN,JABIHUL ISLAM,NURUL

पता A.39/155-D-K-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390481B Property Id. 1A390860002

Latitude 25.33618732370

Longitude 83.02871281280

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-D-K-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,791.0** व सामान्य कर **417.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 690.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1040,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 832.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,380.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,380.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 482.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MARIYAM BIBI W/O ABDUL GAFUR

पता A.39/300-B-1-M-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391503C Property Id. 1A390861005

Latitude 25.33622965240

Longitude 83.02571739990

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/300-B-1-M-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,059.0** व सामान्य कर **226.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 391.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 528,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 422.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,471.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,471.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 272.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD ERFAN FAIJAN AHAMD BALIGAN MOHD JAKARIYA EMRAN

पता A.39/336-D-5-M-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390969A Property Id. 1A390862002

Latitude 25.33615396710

Longitude 83.02877629500

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-D-5-M-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,001.0** व सामान्य कर **220.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 500.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 500,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 400.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,340.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,340.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 257.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAITUN BABU

पता A.39/135-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390082A Property Id. 1A390864005

Latitude 25.33623402950

Longitude 83.02713796230

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/135-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,035.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1040,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 832.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,894.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,894.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 428.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMALUDDIN S/O MOHD YUNUS

पता A.39/151-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390330C Property Id. 1A390875002

Latitude 25.33622640840

Longitude 83.02783393940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/151-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 575.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1188,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 950.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,448.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,448.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 489.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SALIM S/O MOHD.GULAM NAVI

पता A.39/152-A-K-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390610A Property Id. 1A390883002

Latitude 25.33624776020

Longitude 83.02804901410

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-A-K-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **982.0** व सामान्य कर **108.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 252.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 252,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 202.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,179.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,179.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 130.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JARINA BIBI W/O SHAMIM AHAMAD

पता A.39/202-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 7676815984

MIS Id. 07391005A Property Id. 1A390885002

Latitude 25.33627133760

Longitude 83.02849106030

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/202-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,630.0** व सामान्य कर **289.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,160.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2108,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,686.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,892.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,892.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 868.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FAIYAJUDDIN S/O HAJI AMINUDDIN MARHUM

पता A.39/155-D-2-K-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390419-- Property Id. 1A390890002

Latitude 25.33627468100

Longitude 83.02869796180

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-D-2-K-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,212.0** व सामान्य कर **463.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,050.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1050,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 840.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,914.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,914.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 541.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASIYA BIBI W/O MEHANDI HASAN

पता A.39/151-A-F-9 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390227A Property Id. 1A390903002

Latitude 25.33623719450

Longitude 83.02773752290

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/151-A-F-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,371.0** व सामान्य कर **151.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 220.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 440,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 352.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,647.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,647.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 181.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMJAN ALI ANSARI S/O JANAB MOHD SAKOOR SAHEB

पता A.39/336-B-18-K- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390842A Property Id. 1A390909003

Latitude 25.33633646570

Longitude 83.02800017010

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-18-K- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,995.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 460.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1254,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,003.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,695.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,695.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 516.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUNNI DEVI W/O SAMBHU NATH

पता A.39/291-M-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390144H Property Id. 1A390912004

Latitude 25.33638867520

Longitude 83.02605888570

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/291-M-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,638.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 416.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 416,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 333.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,947.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,947.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 214.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMSUDDOHA S/O NURUL HAQ

पता A.39/155-C-K-R-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390620A Property Id. 1A390917002

Latitude 25.33635558530

Longitude 83.02863931040

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-C-K-R-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,685.0** व सामान्य कर **185.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 460.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 480,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 384.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,022.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,022.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 222.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN S/O NURUDDIN MAHUM

पता A.39/137-M-5-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390606-- Property Id. 1A390931002

Latitude 25.33639639620

Longitude 83.02709892450

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/137-M-5-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,606.0** व सामान्य कर **287.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 720.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 720,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 576.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,033.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,033.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 334.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUNISSA W/O LATE

पता A.39/152-N-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390617-- Property Id. 1A390932002

Latitude 25.33640596460

Longitude 83.02807159670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/152-N-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,414.0** व सामान्य कर **156.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 448.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 448,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 358.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,677.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,677.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 184.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMARUDDIN S/O LT. NIJAMUDDIN

पता A.39/336-A-1-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9648759960

MIS Id. 07391038A Property Id. 1A390935002

Latitude 25.33641894890

Longitude 83.02869881760

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-A-1-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 605.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 836,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 669.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,130.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,130.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 344.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI IKBAL AHMAD S/O LATE HAJI AMINUDDIN

पता A.39/336-B-4-A-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390956A Property Id. 1A390937002

Latitude 25.33641932740

Longitude 83.02862573020

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-4-A-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,867.0** व सामान्य कर **425.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 480.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 960,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 768.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,493.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,493.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 494.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHADTULLAH S/O LAKAULLAH

पता A.39/336-B-18-S-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369545339

MIS Id. 07390847B Property Id. 1A390939002

Latitude 25.33641042640

Longitude 83.02790976940

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-18-S-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 854.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1872,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,498.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,009.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,009.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 771.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOINUDDIN S/O ABDUL LATIF

पता A.39/336-B-24-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9335362024

MIS Id. 07391081B Property Id. 1A390940002

Latitude 25.33642014060

Longitude 83.02855195670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-24-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,995.0** व सामान्य कर **329.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 460.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1254,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,003.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,695.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,695.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 516.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VALIULLAH

पता A.39/153-A- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390661A Property Id. 1A390952002

Latitude 25.33646413350

Longitude 83.02817855090

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/153-A- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,364.0** व सामान्य कर **700.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,596.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1596,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,277.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,469.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,469.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 822.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MD.HAKIM S/O ABDUL HALIM

पता A.39/336-B-20 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9369755818

MIS Id. 07390853-- Property Id. 1A390959002

Latitude 25.33648608130

Longitude 83.02853204890

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-20 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,479.0** व सामान्य कर **493.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,666.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1872,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,498.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,009.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,009.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 771.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI SARFUDDIN S/O LATE HAJI AMINUDDIN

पता A.39/336-B-K-5-K-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390958A Property Id. 1A390966002

Latitude 25.33649019740

Longitude 83.02801179140

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-K-5-K-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,118.0** व सामान्य कर **453.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 638.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1276,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,021.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,777.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,777.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 525.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FARJANA W/O MUKHTARUL HASAN

पता A.39/153-A-1-X-K-F Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390612A Property Id. 1A390967003

Latitude 25.33650913630

Longitude 83.02817185350

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/153-A-1-X-K-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,449.0** व सामान्य कर **159.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 480.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 480,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 384.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,246.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,246.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 247.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम BADRNISSA

पता A.39/127-N-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390382B Property Id. 1A390988002

Latitude 25.33656399570

Longitude 83.02714751150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-N-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,182.0** व सामान्य कर **350.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,920.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3840,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 3,072.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 14,377.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 14,377.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,581.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SAMIULLAH S/O KHAIRULLAH

पता A.39/127-M-K-S Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390491A Property Id. 1A390990002

Latitude 25.33654499390

Longitude 83.02725031950

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-M-K-S के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 805.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1040,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 832.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,894.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,894.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 428.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURJAHAN BIBI W/O LATE NASIR AHAMD ALAIS NATU

पता A.39/46-N-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390239B Property Id. 1A391008002

Latitude 25.33662243110

Longitude 83.02821487880

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-N-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,527.0** व सामान्य कर **278.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 696.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 696,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 557.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,932.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,932.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 323.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAISA BIBI D/O ABUL HASAN

पता A.39/46-R-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390239A Property Id. 1A391017002

Latitude 25.33665752530

Longitude 83.02801996930

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-R-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,527.0** व सामान्य कर **278.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 696.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 696,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 557.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,932.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,932.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 323.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL JABBAR S/O MOHD SOCHAN

पता A.39/150-A-J Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390512A Property Id. 1A391020002

Latitude 25.33665955130

Longitude 83.02750747060

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/150-A-J के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,989.0** व सामान्य कर **219.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 500.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 500,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 400.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,340.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,340.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 257.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT.LAILUNNISA W/O MUMTAJ AHMAD

पता A.39/232-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9305979911

MIS Id. 07390894B Property Id. 1A391030002

Latitude 25.33665801870

Longitude 83.02695307810

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/232-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,541.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2108,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,686.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,892.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,892.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 868.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RAMJAN ALI S/O MOHD.SHARIF

पता A.39/153-A-1-X-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390612-- Property Id. 1A391033002

Latitude 25.33671076560

Longitude 83.02822411070

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/153-A-1-X-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,600.0** व सामान्य कर **396.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,152.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1152,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 922.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,391.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,391.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 593.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAKIR AKHTAR S/O LATE RIYAJUDDIN, TARJUMAN BANO W/O JAKIR

पता A.39/127-R-J-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390492-- Property Id. 1A391037003

Latitude 25.33667926940

Longitude 83.02742208630

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-R-J-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,404.0** व सामान्य कर **154.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 470.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 352, C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 282.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,647.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,647.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 181.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD AKRAM

पता A.39/127-N-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390412A Property Id. 1A391038002

Latitude 25.33668359220

Longitude 83.02725909020

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-N-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,488.0** व सामान्य कर **824.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,152.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2304,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,843.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,626.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,626.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 949.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GULAM NABI S/O LATE HAJI MOHD.HARUN

पता A.39/127-R-23-G-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390407-- Property Id. 1A391065002

Latitude 25.33675892280

Longitude 83.02748861420

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-R-23-G-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,738.0** व सामान्य कर **301.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 768.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 768,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 614.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,235.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,235.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 356.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.HANIF S/O VALI MOHD.

पता A.39/215-A-3-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390854-- Property Id. 1A391066002

Latitude 25.33679628710

Longitude 83.02754727340

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/215-A-3-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,546.0** व सामान्य कर **280.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 412.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 684,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 547.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,561.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,561.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 282.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NOORJAH W/O NAZIR AHAMAD

पता A.39/257-A-3-K- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390869-- Property Id. 1A391073002

Latitude 25.33681530890

Longitude 83.02575176160

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/257-A-3-K- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,696.0** व सामान्य कर **407.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,380.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1036,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 829.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,364.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,364.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 480.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT HUSNIAHAN ALIAS JUBEDIA BIBI W/O ABDUL RASED

पता A.39/257-A-4-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391189A Property Id. 1A391076003

Latitude 25.33685807270

Longitude 83.02554787480

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/257-A-4-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,388.0** व सामान्य कर **593.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,326.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1326,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,061.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,206.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 6,206.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 683.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMUNNISA W/O KALIM AHMAD

पता A.39/153-A-K-9-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390450A Property Id. 1A391088002

Latitude 25.33685928590

Longitude 83.02810949660

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/153-A-K-9-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,224.0** व सामान्य कर **135.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 400.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 400,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 320.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,872.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,872.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 206.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AAFSIN BEGAM W/O SHAMSHIR AALAM

पता A.39/46-R-A-B-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390243-- Property Id. 1A391091003

Latitude 25.33686411870

Longitude 83.02789693740

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-R-A-B-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,404.0** व सामान्य कर **154.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 352.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 352,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 282.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,647.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,647.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 181.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KHUDAIZA BIBI JAMEEL AHAMD RUSTAM OTHERS

पता A.39/229-2 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390652B Property Id. 1A391095002

Latitude 25.33686890210

Longitude 83.02663837930

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/229-2 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,237.0** व सामान्य कर **906.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,573.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2232,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,786.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,357.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,357.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 919.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NASIRUDDIN S/O ABDUL WAHID

पता A.39/262 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391251A Property Id. 1A391097003

Latitude 25.33693922790

Longitude 83.02535675760

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/262 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,498.0** व सामान्य कर **165.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 240.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 480,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 384.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,797.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,797.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 198.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SHAMIM S/O MOHD.JAFAR

पता A.39/257-A-5-K-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390866B Property Id. 1A391106002

Latitude 25.33698789890

Longitude 83.02565487650

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/257-A-5-K-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,324.0** व सामान्य कर **146.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 416.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 416,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 333.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,558.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,558.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 171.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TAZAKIR AHAMD S/O HAJI

पता A.39/148-A-1-L Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390665A Property Id. 1A391111002

Latitude 25.33695750640

Longitude 83.02751643370

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/148-A-1-L के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **6,552.0** व सामान्य कर **721.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,070.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1634,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,307.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 7,647.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 7,647.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 841.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ASFAQ AHAMD

पता A.39/257-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391193A Property Id. 1A391114003

Latitude 25.33696017950

Longitude 83.02575534170

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/257-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,232.0** व सामान्य कर **1,236.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,152.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 3456,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,765.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,939.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,939.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,423.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम TAKDIR ALALM

पता A.39/155-N-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390742A Property Id. 1A391115002

Latitude 25.33693777910

Longitude 83.02843896690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/155-N-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,296.0** व सामान्य कर **1,133.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,292.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2584,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,067.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,093.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,093.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,330.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD ISMAIL

पता A.39/227-E Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 8354923659

MIS Id. 07390665B Property Id. 1A391133004

Latitude 25.33709876130

Longitude 83.02669825840

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/227-E के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **9,734.0** व सामान्य कर **1,071.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,573.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 2640,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,112.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,884.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,884.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,087.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMALUDDIN S/O MOHD YUNUS

पता A.39/51-K Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390320A Property Id. 1A391143002

Latitude 25.33707120430

Longitude 83.02789110080

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/51-K के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,276.0** व सामान्य कर **360.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार     | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 520.00                      |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Mix )     | 1_Residential,GF_Commercial |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                 |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 840,C= 200               |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                             |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 672.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                        |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                             |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,887.00                   |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                             |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,887.00                   |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,308.00                    |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NAJO BANO W/O NESAR AHMAD

पता A.39/46-M-X-N-B-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390035B Property Id. 1A391144002

Latitude 25.33708398250

Longitude 83.02817031050

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-M-X-N-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,591.0** व सामान्य कर **175.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 400.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 400,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 320.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,872.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,872.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 206.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMARUNISHA,BADARUNISHA D/O MODH.YASIN,PARAVIN

पता A.39/51-B-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390321A Property Id. 1A391146002

Latitude 25.33709290820

Longitude 83.02803556400

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/51-B-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 352.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 1056,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 845.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,954.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,954.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 435.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम VASHIRUDDIN S/O TAZ MOHAMMAD

पता A.39/221-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390889-- Property Id. 1A391148005

Latitude 25.33713432370

Longitude 83.02688720880

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/221-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,156.0** व सामान्य कर **127.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 357.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 324,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 259.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,213.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,213.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 133.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JAHIRUDDIN S/O MOHD SIDDIQUE

पता A.39/257-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391212B Property Id. 1A391150002

Latitude 25.33714190840

Longitude 83.02566443760

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/257-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **10,184.0** व सामान्य कर **1,120.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,596.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3192,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,554.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 11,951.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 11,951.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,315.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMUDDIN S/O HAJI MOHD SIDDIKI

पता A.39/261 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391250A Property Id. 1A391154002

Latitude 25.33715633230

Longitude 83.02547263670

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/261 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **19,094.0** व सामान्य कर **2,100.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,974.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 5922,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 4,738.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 22,172.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 22,172.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 2,439.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL HAMID ALIAS KALLU S/O MOHD BASHIR

पता A.39/46-J-15-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390032A Property Id. 1A391200002

Latitude 25.33732011310

Longitude 83.02853158540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-J-15-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,632.0** व सामान्य कर **180.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,050.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1050,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 840.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,914.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,914.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 541.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUKHTAR AHAMAD,VAKIL AHAMAD SS/O HABIBULLAH

पता A.39/127-KH-1- Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390253-- Property Id. 1A391214003

Latitude 25.33740586640

Longitude 83.02600803270

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-KH-1- के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,370.0** व सामान्य कर **371.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 782.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 920,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 736.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,875.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,875.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 426.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम HAJI GULJAR ABDUL MANNAN ABDUL HANNAN MOHD EKRAM

पता A.39/244-G Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9112657449

MIS Id. 07391234A Property Id. 1A391217002

Latitude 25.33738905660

Longitude 83.02651874090

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/244-G के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,237.0** व सामान्य कर **906.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार            | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 666.00                             |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,3_Resi |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                        |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 4                  | R= 2208,C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                    |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,766.00                           |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                    |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                               |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                    |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,267.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                    |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,267.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 909.00                             |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KUTUBUDDIN S/O LATE SALAMUTULLAH

पता A.39/120-A-1-5-X Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390439C Property Id. 1A391226003

Latitude 25.33746287280

Longitude 83.02520426690

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/120-A-1-5-X के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **14,976.0** व सामान्य कर **1,647.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 2,300.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 4600,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 3,680.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 17,222.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 17,222.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,894.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EKBAL S/O LATE BASHIR AHMAD

पता A.39/46-K-X-KH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390044A Property Id. 1A391250002

Latitude 25.33748892740

Longitude 83.02793922800

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-K-X-KH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **3,744.0** व सामान्य कर **412.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 924.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 924,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 739.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,324.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,324.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 476.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम Hamida Bibi

पता A.39/247-H Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

MIS Id. 07391237C Property Id. 1A391253003

पुराना वार्ड W066

Latitude 25.33752787240

मोबाईल नं०

Longitude 83.02627383740

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/247-H के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू०

0.0

व सामान्य कर

0.0 से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 264.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 480,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 384.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 12 Mtr To 24 Mtr             |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.95                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,627.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,627.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 289.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम JARINA BIBI W/O ALAUDDIN

पता A.39/46-K-X-KH-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390044B Property Id. 1A391257002

Latitude 25.33754386940

Longitude 83.02764202300

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/46-K-X-KH-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 696.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 696,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 557.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,257.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,257.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 358.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SHAMIM AHMAD S/O ABDUL KAYUM

पता A.39/127-K-G-A-9 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390352-- Property Id. 1A391273002

Latitude 25.33761940800

Longitude 83.02595149200

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-K-G-A-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,615.0** व सामान्य कर **178.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 400.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 400,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 320.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,872.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,872.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 206.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EKRAMUDDIN AZIMUDDIN

पता A.39/11-A-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390123B Property Id. 1A391306003

Latitude 25.33763989600

Longitude 83.02512048380

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/11-A-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,990.0** व सामान्य कर **659.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 924.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1848,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,478.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,919.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,919.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 761.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम EBADUREHMAN S/O KAMRUDDIN

पता A.39/338-B-1-8-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390844A Property Id. 1A391382002

Latitude 25.33779847790

Longitude 83.02846889830

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/338-B-1-8-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,616.0** व सामान्य कर **618.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 696.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1392,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,114.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 6,515.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 6,515.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 717.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम RABIYA PRAVEEN W/O ABDUL GAFFAR

पता A.39/10-A-R Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390189B Property Id. 1A391383003

Latitude 25.33787287750

Longitude 83.02573147270

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/10-A-R के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,404.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1404,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,123.00                |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,257.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,257.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 578.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MUBARAK ALI S/O MOHD.HUSAIN

पता A.39/127-A-7-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390368-- Property Id. 1A391389002

Latitude 25.33791514570

Longitude 83.02680208450

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/127-A-7-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,131.0** व सामान्य कर **564.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 638.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1276,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,021.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,972.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,972.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 657.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम KAMRUDDIN S/O UMAR

पता A.39/188-K-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9336626345

MIS Id. 07390549B Property Id. 1A391392002

Latitude 25.33787299570

Longitude 83.02619747240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/188-K-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,237.0** व सामान्य कर **906.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,259.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2268,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,814.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,491.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,491.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 934.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MALIK

पता A.39/100-1 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

MIS Id. 07390311A Property Id. 1A391402002

पुराना वार्ड W066

Latitude 25.33787194710

मोबाईल नं०

Longitude 83.02560519090

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/100-1 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,232.0** व सामान्य कर **1,236.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,564.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 3456,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,765.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 12,939.00                         |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 12,939.00                         |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,423.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ABDUL MAJID S/O HUSSAINI

पता A.39/112-D-6-C Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390510A Property Id. 1A391464004

Latitude 25.33809275210

Longitude 83.02530834590

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/112-D-6-C के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,053.0** व सामान्य कर **116.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 391.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 288,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 230.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,213.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,213.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 133.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम AJIJ AHAMAD, RAFIK AHAMAD, JUNAID AHAMAD & OTHERS

पता A.39/121 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं० 9389625037

MIS Id. 07390538A Property Id. 1A391465002

Latitude 25.33800906780

Longitude 83.02605819860

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/121 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,189.0** व सामान्य कर **791.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार             | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,646.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, 2_Residential, GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                         |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 4200, C= 0                       |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                     |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 3,360.00                            |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                     |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                                |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                     |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 15,725.00                           |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                     |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 15,725.00                           |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,730.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                                 |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम GAYASUDDIN KAYAMUDDIN SS/O MOHD KODAI

पता A.39/118-G-6 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390529A Property Id. 1A391472002

Latitude 25.33813351080

Longitude 83.02642472180

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/118-G-6 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,212.0** व सामान्य कर **463.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,050.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1050,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 840.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,914.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,914.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 541.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NIJAMUDDIN ANSARY S/O SATTAR MIYA

पता A.39/126-X-E-X-N Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390385-- Property Id. 1A391480002

Latitude 25.33814572110

Longitude 83.02673548150

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/126-X-E-X-N के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,264.0** व सामान्य कर **139.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 352.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 352,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 282.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 1,483.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 1,483.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 163.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SALAUDDIN S/O ABDUL HAFIJUDDIN

पता A.39/111-B-1-CH Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390325-- Property Id. 1A391525002

Latitude 25.33826552920

Longitude 83.02534394440

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/111-B-1-CH के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **11,232.0** व सामान्य कर **1,236.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,748.00                     |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 3496,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 2,797.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 13,089.00                    |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 13,089.00                    |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,440.00                     |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ANJUM BANO W/O SUBHAN ALI

पता A.39/336-B-11-A-4 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391030B Property Id. 1A391966002

Latitude 25.33956956610

Longitude 83.02499466540

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-B-11-A-4 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **1,872.0** व सामान्य कर **206.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 240.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 480,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 384.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,246.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,246.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 247.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.ISLAM S/O BAKRID

पता A.39/336-5-H-9 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391246C Property Id. 1A392004002

Latitude 25.33971727330

Longitude 83.02508316310

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H-9 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,246.0** व सामान्य कर **247.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 696.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 696,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 557.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,606.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,606.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 287.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                     |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MAJIDUNISSA JAYJEY SAFIUREHMAN JYAUREHMAN ATAUREHMAN

पता A.39/336-5-H-8-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391035A Property Id. 1A392031002

Latitude 25.33977104440

Longitude 83.02506448770

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H-8-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,527.0** व सामान्य कर **278.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 352.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 704,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 563.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 2,965.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 2,965.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 326.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALI MOHD UMAR

पता A.39/336-5-H-5 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391293A Property Id. 1A392088002

Latitude 25.33988806400

Longitude 83.02653122520

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H-5 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **7,582.0** व सामान्य कर **834.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 1,035.00                          |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2088,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,670.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 8,795.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 8,795.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 967.00                            |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                              |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम MOHD.SHAHID S/O ABDUL VAHID

पता A.39/336-5-H-1-9-M Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391047A Property Id. 1A392119002

Latitude 25.33997765200

Longitude 83.02634042640

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H-1-9-M के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **8,424.0** व सामान्य कर **927.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार           | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 696.00                            |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,2_Residential,GF_Re |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                       |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 3                  | R= 2088,C= 0                      |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                                   |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,670.00                          |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr                   |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                              |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                                   |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 9,772.00                          |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                                   |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 9,772.00                          |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 1,075.00                          |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                               |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NURUL HODA S/O HAFIJ AHMAD, MATIURRAHMAN, ALTA FURRAHMAN

पता A.39/336-5-H-3 Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07391037A Property Id. 1A392155002

Latitude 25.34003701820

Longitude 83.02636308240

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207, 208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/336-5-H-3 के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,493.0** व सामान्य कर **494.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार       | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 920.00                        |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential, GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                   |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1392, C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                               |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 1,114.00                      |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr               |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                          |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                               |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,212.00                      |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                               |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरान्त शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                            | 5,212.00                      |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 573.00                        |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                           |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम NANHKU LAL S/O LATE VISHVANATH

पता A.39/67-B-1-B Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390301A Property Id. 1A392401002

Latitude 25.33799049900

Longitude 83.02501911830

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/67-B-1-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **2,808.0** व सामान्य कर **309.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में)             | 352.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 704,C= 0                  |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया (वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%              | 563.00                       |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,295.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,295.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 362.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | >>>                          |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम SMT MUSTARI BEGUM E/O LATE SAFIUREHMAN ALIAS LALEY SABINA  
पता A.39/125-M-B Saraiya  
नया वार्ड W087 Saraiya पुराना वार्ड W066 मोबाईल नं०  
MIS Id. 07390503A Property Id. 1A392412003 Latitude 25.33812929040 Longitude 83.02685967530

### नोटिस

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ0प्र0 न0नि0(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/125-M-B के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा0मू0 **3,182.0** व सामान्य कर **350.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 792.00                  |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 792,C= 0             |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 634.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 3,707.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 3,707.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 408.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय





सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम FARJANA NASRIN SW/O GULAM ASHRAF

पता A.39/13-A-1-A-F Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390126B Property Id. 1A392437002

Latitude 25.33628997070

Longitude 83.02697778270

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/13-A-1-A-F के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **4,024.0** व सामान्य कर **443.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 1,380.00                |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | GF_Residential          |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka             |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 1                  | R= 1008,C= 0            |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                         |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 806.00                  |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr         |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                    |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                         |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 4,717.00                |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                         |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 4,717.00                |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 519.00                  |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                    |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय



सेवा में

भवन स्वामी/अध्यासी का नाम ALIMUDDIN S/O HAJI SAMIULLAH & MUSMT AMINA BIBI W/O

पता A.39/151-N-7-A Saraiya

नया वार्ड W087 Saraiya

पुराना वार्ड W066

मोबाईल नं०

MIS Id. 07390477A Property Id. 1A392443002

Latitude 25.33595993580

Longitude 83.02800855210

## नोटिस

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 207,208 एवं उ०प्र० न०नि०(सम्पत्ति कर) नियमवाली 2000 की धारा 5 एवं 5क के अर्न्तगत इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त आपके भवन/सम्पत्ति संख्या A.39/151-N-7-A के सर्वे के उपरान्त वार्षिक मूल्यांकन व सामान्य कर निम्नवत आगणित होता है जो कि 01.04.2023 से प्रभावी होगा यह वर्तमान निर्धारित वा०मू० **5,092.0** व सामान्य कर **560.0** से भिन्न है।

| क्र०                                         | भवन का विवरण                                                              | विभागीय सर्वे के अनुसार      | भवन स्वामी के अनुसार (आपत्ति की दशा में) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                            | भूमि भूखण्ड का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है ( वर्ग फुट में)            | 792.00                       |                                          |
| 2                                            | भवन का प्रयोग 1.आवासीय 2.मिश्रित 3.अनावासीय श्रेणी 01 से 10 तक (Resd )    | 1_Residential,GF_Residential |                                          |
| 3                                            | भवन का प्रकार                                                             | RCC - Pakka                  |                                          |
| 4                                            | भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) (तलों की सं०) 2                  | R= 1584,C= 0                 |                                          |
| 5                                            | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर निर्माण नहीं है (वर्ग फुट में)                   |                              |                                          |
| 6                                            | भवन का कार्पेट एरिया ( वर्गफुट में) आच्छादित क्षेत्रफल का 80%             | 1,267.00                     |                                          |
| 7                                            | भूमि/भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है उसकी चौड़ाई (मीटर में)                  | 0 Mtr To 12 Mtr              |                                          |
| 8                                            | भवन की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु) प्रतिवर्गफुट में)                | 0.65                         |                                          |
| 9                                            | भूमि की निर्धारित किराये की मासिक दर (रु० प्रतिवर्गफुट में)               |                              |                                          |
| 10                                           | भवन का वार्षिकमूल्यांकन (रु) में)                                         | 5,930.00                     |                                          |
| 11                                           | अनावासीय वार्षिकमूल्य में छूट/वृद्धि 2, पार्किंग, वर्षा जल सन्चय, हरियाली |                              |                                          |
| 12                                           | अनुमन्य छूट के उपरांत शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन;                             | 5,930.00                     |                                          |
| 13                                           | सामान्य कर ( शुद्ध वार्षिकमूल्यांकन) क्र०स० 12 का )                       | 652.00                       |                                          |
| भवन स्वामी/आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर व दिनांक |                                                                           | →>>>                         |                                          |

- उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूची में उल्लिखित भवन के विवरण के किसी बिन्दु में यदि कोई आपत्ति हो तो नोटिस के के दिनांक से एक माह के अंदर तथ्यात्मक कारण (भवन भूमि की रजिस्ट्री/ नक्शा की छायाप्रति) के प्रामाणिक साक्ष्य सहित वाराणसी नगर निगम के सम्बन्धित जोनल कार्यालय में लिखित रूप से प्राप्त करा दें। आपत्ति निस्तारण नोटिस में उल्लिखित भवन स्वामी के कालम में रिक्त स्थान में वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुये अपने हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करा दें।
- निर्धारित समय सीमा / दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय कर दिया जायेगा और यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित वार्षिक मूल्यांकन/ सामान्य कर (गृहकर) से कोई आपत्ति नहीं है। तदुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित गृहकर की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- भवन के वार्षिक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया से भवन के स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- अपने भवन का गृहकर नगर निगम, वाराणसी की वेबसाइट <http://nnvns.org.in/> पर लॉगिन कर अथवा नगर निगम, वाराणसी के जोनल कार्यालयों/मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर टैक्स कलेक्शन सेन्टर पर जमा किया जा सकता है।

Help Line No. 1533, Email Id.(nagarnigamvns@gmail.com)

कर अधीक्षक

आपत्ति प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य विभागीय आख्या/निर्णय